Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ४] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तीसरा दिवस [संख्या ३

बुधवार, दिनांक २६फरवरी, १६६६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, जन स्वास्थ्य, निर्माण, गृह, शिक्षा, स्वायत्त शासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

कोटा में उद्योग के लिये भूमि

२८. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६६ में श्री धर्मेन्द्र ढांडा (मैसर्स इन्द्र कॉमर्शियल कम्पनी को कोटा में उद्योग स्थापित हेतु भूमि का आवंटन किया गया था ? अगर हां, तो कब, क्यों व कितना व किस उद्योग हेतु ?

(२) क्या यह सही है कि इस हेतु उन्हें ऋण, इम्पोर्ट लाइसेन्स भी दिया गया है व कच्चे माल का कोटा भी दिया गया है ? अगर हां, तो कब-कब कितना-कितना ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त कारखाना स्थापित नहीं हुआ है ?

(४) मैसर्स इन्द्र कॉमर्शियल कार्पोरेशन, कोटा में कितने शेयर होल्डर्स हैं ? कृपया सूची मय नाम देने का कष्ट करें।

उप-मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (१) जी हां, मैसर्स कॉमर्शियल कम्पनी, कोटा को सितम्बर, १६६६ में सीमेन्ट प्रोडक्ट्स के उद्योग हेतु ३.६२ एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।

(२) इनको कोई ऋण व इम्पोर्ट लाइसेन्स नहीं दिया गया है। केवल एक बार अक्टूबर-दिसम्बर, ६६ में ६० टन सीमेन्ट का कोटा दिया गया था।

(३) जी हां।

(४) मैसर्स इन्द्रा कॉमर्शियल कोर्पोरेशन कोटा में तीन भागीदार हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) डॉ० प्रेमनाथ ढांडा।

(२) श्रीमती मनोरमा ढांडा।

(३) श्री धर्मेन्द्रनाथ ढांडा।

कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उक्त उद्योग ने अब तक प्रोडक्शन आरम्भ नहीं किया है ?

श्री भीमसेन : इसने अपनी जमीन पर

(श्री भीमसेन)

कब्जा ले लिया है लेकिन आवश्यकतानुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ इसलिये प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सुना नहीं। प्रोडक्शन आरम्भ नहीं होने का कारण क्या बताया था ?

श्री भीमसेन : जितनी जमीन की आवश्यकता थी उतनी जमीन नहीं मिल पाई थी और जमीन का डिस्प्यूट रहा इसलिये प्रोडक्शन नहीं हो पाया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ६० टन सीमेन्ट दिया गया था उसका क्या उपयोग हुआ ?

उद्योग मन्त्री : (श्री हरिदेव जोशी) : एज ए मेटर ऑफ फेक्ट इनको ६० टन सीमेन्ट अलाट किया गया था। काम शुरू नहीं कर सकते इसलिये पूरा नहीं उठाया। और सीमेन्ट डिकन्ट्रोल कमोडिटी है। कोई भी सीमेन्ट ले सकता है और काम कर सकता है। कीमत वगैरा में कोई फर्क नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आज तक उक्त उद्योग ने प्रोडक्शन बिल्कुल ही प्रारम्भ नहीं किया है और न किसी प्रकार की मशीनरी ही है।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होने प्रोडक्शन शुरु किया ही था कि रेल्वे ने ऑब्जेक्शन कर दिया लैंड के ऊपर। इसलिये काम शुरू नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विट्ठल भाई : प्रश्न संख्या २९।

खमेरा से नखाली सड़क का कार्य

२९. **श्री विट्ठल भाई :** (पीपलखूंट सु०) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल में खमेरा से नखाली तक सड़क का निर्माण किया गया है ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त सड़क में काश्त की भूमि कितनी आई है और किन-किन काश्तकारों को भूमि का मुआवजा चुका दिया गया और ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनको अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (१) अकाल राहत कार्यों में सड़क निर्माण हुआ है।

(२) यह राजस्व विभाग अथवा अकाल राहत विभाग से सम्बन्धित है।

श्री विट्ठल भाई : राजस्थान में जब अकाल पड़ जाता है तो सब जगह पी० डब्ल्यू० डी० की जो सड़कें हैं, उन पर कार्य होता है। अकाल में सारा काम इन पर ही हो रहा है और उसमें काश्तकारों की जमीनें सड़क के लिये ले ली जाती है और उनको मुआवजा देने के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है।

श्री माधोसिंह : अकाल राहत के अन्दर जो सड़क निर्माण का कार्य होता है, उसके अन्दर मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। कलेक्टर काश्तकार की रजामंदी से सड़क निर्माण कार्य करता है और कोई काश्तकार इन्कार या ऐतराज करे तो सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया जाता है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ?

श्री विट्ठल भाई : किसी काश्तकार से कलेक्टर ने नहीं लिखवाया है। वहां के लोगों को शिकायत है कि मुआवजा नहीं दिया गया है। उनको यह शिकायत है कि जब अकाल पड़ता है तो काश्तकारों की जमीनें ले ली जाती हैं। इसलिये क्या सरकार उनको मुआवजा देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री माधोसिंह : मैंने यह निवेदन नहीं किया कि कलेक्टर लिखाता है। अधिकांशतः अकाल राहत के सड़क निर्माण कार्य में मुआवजा नहीं दिया जाता है। अगर कोई काश्तकार ऐतराज करता है तो काम बन्द कर देते हैं। अलाइन्मेंट चेंज कर देते हैं। ऐसा कोई ऐतराज सामने नहीं आया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्त्वपूर्ण सवाल है। यह राज्य सरकार बिना किसान की स्वीकृति के जमीन कब्जे में कर लेती हैं और उस किसान को मुआवजा नहीं मिलता है। उसके एवज में भूमि भी नहीं देते हैं और लगान भी वसूल किया जाता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : जी नहीं। जहां कहीं भी अकाल–राहत कार्य में जमीन ली जाती है, लगान माफ करने की कार्यवाही कर दी जाती है।

श्री दौलतराम सारण : आज तक जितनी सड़कें बनी हैं, और अकाल राहत कार्य में जमीनें ली गई हैं, उनमें मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : यह गलत है।

श्री दौलतराम सारण : मैं चैलेन्ज करता हूं यह बात। अकाल राहत में बनी एक भी सड़क का मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं अर्ज कर रहा था कि मुआवजा देने का सवाल ही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : जितनी सड़कें बनी हैं, उनमें एक भी सड़क के लिये काश्तकारों से जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री शिवचरण माथुर : अकाल राहत कार्यों में जो निर्माण कार्य होता है, उसमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। जहां पर काश्तकार ऐतराज करता है तो अलाइन्मेंट चेंज कर देते हैं। अगर यह करेंगे तो इसका अमाउन्ट करोड़ों का बनेगा।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि कानून में, संविधान की धारा के अनुसार किसी भी मालिक को जमीन को बिना मुआवजा दिये राज्य सरकार एक्वायर नहीं कर सकती ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैं जानकारी के लिये अर्ज करना चाहूंगा

Page No 4

(श्री दामोदरलाल व्यास)
अध्यक्ष महोदय कि जहां तक जमीनें सड़कों के लिये, अकाल राहत कार्यों में आने का सवाल है, आमतौर पर म्युचुअल एडजस्टमेंट में जमीनें ली जाती हैं। किसानों की रजामंदी से सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। अभी हाल ही में गवर्नमेन्ट ने यह फैसला कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट ही इसका मुआवजा दे दे और लगान की छूट भी। यह सही है कि पिछले दिनों में इस प्रकार के कई केसेज हो गये और किसी काश्तकार की जमीन किसी बिल्डिंग या सड़क में आ गई तो उसको मुआवजा नहीं मिला और लगान भी कायम रहा। ऐसे केसेज ध्यान में आते ही आम आर्डर सबके लिये जारी कर दिया है कि मुआवजा असेसमेंट नहीं हुआ हो तब भी लगान माफ कर दें। और मुआवजा असेसमेंट शीघ्र कर दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : यह आर्डर कई वर्षों से है। इसके उपरान्त भी किसानों से लगातार लगान लिया जा रहा है। उनके खेतों को आपने बर्बाद कर दिया और मुआवजा नहीं दिया और जो गड्ढे उनके खेतों में कर दिये हैं उनको भी नहीं भरवाया है। कानून के विरुद्ध राज्य सरकार स्वयं उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रही है।

श्री शिवचरण माथुर : एक केस बता दीजिये और उसके ऊपर कार्यवाही कर देंगे।

श्री दौलतराम सारण : मेरा चैलेन्ज है कि...

श्री अध्यक्ष : (एक अन्य सदस्य के बोलने पर) : दो माननीय सदस्य एक साथ न बोलें।

नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

श्री दौलतराम सारण : एक भी जगह सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है।

श्री विट्ठल भाई : मुआवजा किसानों को नहीं चुकाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विट्ठल भाई : उनको मुआवजा देकर फिर जमीनें ली जानी चाहिये। यह क्यों नहीं किया जाता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन इस सदन को देंगे कि जहां भी इस प्रकार की स्थिति है, और जिनकी जमीनें एक्वायर की जाती हैं और उन पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, उनके लिये जो आपके रूल्स हैं, उसके अनुसार उसको मुआवजा दिया जाना चाहिये, वह नहीं दिया गया है तो उन अधिकारियों के प्रति जो इसके लिये जिम्मेवार हैं, क्या सरकार एक्शन लेगी और किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।....

श्री शिवचरण माथुर : जैसा कि मैंने निवेदन किया है, अकाल राहत में बनने वाली जितनी भी सड़कें हैं वे आम तौर से जिसकी जमीन है उसकी रजामन्दी से सड़क निकालने का प्रयत्न करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह बात सत्य नहीं है। कोई रजामन्दी नहीं लेते हैं। किसान की रजामन्दी नहीं होती है। जबरदस्ती सड़क निकाल दी जाती है।

Page No 5

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : यह सरकार की ग़लत कार्यवाही है।

श्री शिवचरण माथुर : आप मेरा उत्तर सुन लीजिये। जहां तक भी अगर किसी को ऐतराज होता है तो अलाइन्मेंट चैंज कर दिया जाता है। जहां कोई ऐतराज है आप बता दीजिये ताकि कार्यवाही की जाये।

श्री दौलतराम सारण : सब जगह ऐतराज है। बिना मुआवजा दिये किसी की जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती। यह कार्य सरकार का गैर-कानूनी और गैर-वाजिब है।

श्री नत्थीसिंह : जिस सड़क के बारे में प्रश्न है, उसमें जो जमीन आई, क्या उसमें सहमति ली है ?

श्री शिवचरण माथुर : जिसके बारे में प्रश्न है उसके बारे में शुरू से ही सारी जानकारी करने की कोशिश मैंने की है इस प्रकार का ऐतराज किसी का हमारे पास नहीं है। यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं।

श्री नत्थीसिंह : सहमति है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : सहमति का सवाल नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : उनको धमकी देकर के जमीन ले ली गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गृहमन्त्री जी ने इस सदन को बताया है कि इस प्रकार के राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि मुआवजा दे देंगे। उप-मन्त्रीजी कहते हैं कि मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यहां पर यह कहते हैं कि मुआवजा देने का प्रश्न उस समय पैदा होता है, जब कि काश्तकार जिसका कि जमीन पर कब्जा है और उसकी जमीन पर सड़क निकालते हैं और वह रजामन्द नहीं हो। इन तीनों में कौन सी बात सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन दिन पहले की ही बात है। केबिनेट आर्डर निकला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट खुद ही मुआवजा दे दे और दूसरे डिपार्टमेंट का इन्तजार न करे।

श्री भैरोंसिंह : तीन दिन पहले इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस प्रकार जो जमीनें ली जायेंगी उनका कोई मुआवजा दिया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले भी दिया जाता था। जिस डिपार्टमेन्ट के लिये जमीन एक्वायर की जाती थी, वही डिपार्टमेन्ट मुआवजा देने की कार्यवाही करता था। अब यह कर दिया है कि फेमिन डिपार्टमेन्ट ही उसका मुआवजा दे दे और उसको दूसरे डिपार्टमेन्ट की इन्तजार करने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पहले की व्यवस्था के अनुसार और कानून की व्यवस्था के अनुसार लैंड एक्वायर करने के पहले लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत प्रोसीड करना आवश्यक है ? क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल सही है। किन्तु अकाल राहत कार्यों में जो निर्माण कार्य होते हैं वे म्युचुअल एडजस्टमेंट पर ही हो जाते हैं।

Page No 6

श्री भैरोंसिह : लैण्ड एक्वायर करने के लिये लैंड एक्वीजिशन एक्ट में जो प्रावधान है, वह लिखित रूप में है, फिर उसके अनुसार क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । भैरोंसिह ।

नैक्स्ट क्युश्चयन । श्री भैरोंसिह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : इस मामले में क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिन काश्तकारों की जमीने सड़क के लिये म्युचुअल एडजस्टमेंट से ली है, तो क्या सरकार ने उनकी सहमति ली है और उनने सहमति दे दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडजस्टमेंट का मतलब क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि खासतौर से इस सड़क के संबंध में यह जानकारी मैंने की है। जहां पर किसी ने ऐतराज किया हैं तो वहां पर अलाइनमेंन्ट चेंज कर दिया है। मुझे यह सूचना दी गई है कि किसी व्यक्ति ने ऐतराज नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिह शेखावत ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

ऑर्डर प्लीज ।

श्री विट्ठलभाई : अगर ऐतराज नहीं होता......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय श्री भैरोंसिह ।

श्री पृथ्वीसिह (बाली) : अध्यक्ष महोदय, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है।

श्री मदनसिह : (दांता रामगढ़) ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जमीन लेने के पहले पैसे दे दिये जायें ? एक्वायर करने के पहले यदि पैसे दिये जायें तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवचरण माथुर : अकाल राहत के लिये एमरजेन्सी में कार्य करने पड़ते हैं, अगर एक्विजीशन प्रोसीडिंग्स का इन्तजार किया जाये तो बहुत वक्त लग जाये । इसलिये म्युचुल एडजस्टमेंट के जरिये कोशिश करके काम चालू किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : किसान को इसमें कोई सुविधा नहीं है, किसान बरबाद हो गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके खेत बरबाद हो गये हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता और न ही लगान माफ किया जाता है। यह कानून के खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज एक माननीय सदस्य बोलें ।

श्री मदनसिह : या तो आप कानून के तरीके से चलिये लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अनुसार, और अगर वैसा नहीं करते तो कम से कम जिसकी जमीन लेते हैं उसको आधा रुपया तो दे देना चाहिये। आठ-आठ दस-दस साल के मामले पड़े हुए हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय इसको नोट कर लें।

नेक्स्ट, श्री भैरोंसिह ।

Page No 7

भूतपूर्व टोंक रियासत में ट्रिब्यूट लेने की व्यवस्था

३०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व टोंक रियासत में नवाब द्वारा ट्रिब्यूट लेने की व्यवस्था थी ?

(२) क्या यह सही है कि बाद में नवाब द्वारा एक आदेश से ट्रिब्यूट लेने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि जब टोंक के जागीरदारों की जागीर रिज्यूम हुई तब सरकार ने मुआवजे में से ट्रिब्यूट का हिस्सा काटना चाहा ?

(४) क्या यह सही है कि जब जागीरदारों ने इस पर आपत्ति की तो राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने यह आदेश जारी किये कि टोंक के जागीरदारों पर ट्रिब्यूट लागू नहीं होती है ?

(५) क्या यह सही है कि राज्यपाल के आदेश के पश्चात् भी जागीरदारों से ट्रिब्यूट के पैसे मुआवजे में से काटे गये ?

(६) क्या यह सही है कि राजस्थान के राजस्व मण्डल ने ट्रिब्यूट के पैसे काटने को अवैध घोषित कर दिया है ?

(७) भूतपूर्व जागीरदारों की ट्रिब्यूट के पैसे वापिस लौटाने के कितने मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां।

(२) जी हां। शर्त यह थी कि जिस कदर भी जागीरदारों में ३१-३-४७ तक पूर्व की बकाया है वह जमा करा देने पर उन्हें भविष्य में १० प्रतिशत नजराना (ट्रिब्यूट) दिये जाने से मुक्त रखा जावेगा।

(३) जी हां, केवल उन्हीं जागीरदारों से कि जिन्होंने भूतपूर्व रियासत टोंक के आदेशों का पालन नहीं किया।

(४) जी हां, जिन जागीरदारों ने भूतपूर्व टोंक रियासत के रोबकार के अन्तर्गत नजराना वसूल न किये जाने की शरायतों को पूरा कर दिया हो।

(५) केवल उन्हीं जागीरदारों से जिन्होंने भूतपूर्व टोंक रियासत के आदेशानुसार पिछली बकाया की राशि जमा नहीं कराई हो।

(६) जी नहीं।

(७) राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, ज्ञात नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि टोंक स्टेट ने जागीरदारों को १९४७ तक का ट्रिब्यूट जमा कराने पर उनको माफी करने का आदेश निकाला था, वह आदेश टोंक स्टेट ने वापिस ले लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आर्डर निकाला था कि १९४७ तक रुपया जमा करा देंगे तो उनसे नजराना नहीं लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि टोंक रियासत ने ऐसा आदेश भी निकाला था कि किसी भी जागीरदार से नजराना नहीं लिया जाये ?

Page No 8

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कन्डीशनल था कि १९४७ तक जो रुपया जमा करा देंगे उनसे ट्रिब्यूट वसूल नहीं किया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल के फैसले के अनुसार जिस जागीरदार से ट्रिब्यूट वसूल कर लिया गया था उनको वापिस देने के आदेश हुए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्व मण्डल का फैसला यह था कि टोंक रियासत के ऑर्डर का पालन किया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसमें इस बात का भी लेख है कि टोंक रियासत के किसी भी जागीरदार से ट्रिब्यूट नहीं वसूल किया जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं है। उनका यही फैसला है कि जिन लोगों ने पहले जमा करा दिया था, १९४७ से पहले उनसे १० प्रतिशत ट्रिब्यूट नहीं लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस ट्रिब्यूट के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब राजस्थान बना तो एक डेमोक्रेटिक सेट-अप को लेकर के बना उसके अन्दर फ्युडल कांट्रीब्युशन जैसी कोई वस्तु का स्थान नहीं है। तो क्या राजस्थान सरकार का एक सक्सेसर गवर्नमेंट के नाते इस ट्रिब्यूट को जागीरदारों से वसूल करे, यह आपके डेमोक्रेटिक कन्सेप्ट के खिलाफ नहीं था? क्या आपको मालूम है कि पड़ोस के गुजरात राज्य में भी इस तरह का ट्रिब्यूट लेने की व्यवस्था थी वह वहां की सरकार ने बन्द कर दी?

श्री रामकिशोर व्यास : टोंक के लिये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया वह यह था कि १९४७ तक जिन्होंने बकाया दे दी थी उनसे ट्रिब्यूट नहीं लिया जाये, यह आदेश थे। इसके अलावा और कोई मामला सामने नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मथानियाँ की पेय जल योजना

३१. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) :** क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मथानियां (क्षेत्र ओसियाँ) की पेय जल योजना से लोगों को पानी दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(२) इसमें जनता ने कितने धन से योगदान किया?

(३) इस योजना का कार्य पूरा हुये कितना समय हुआ है?

(४) क्या यह सत्य है कि जिस बावड़ी से इस योजना द्वारा पेय जल सप्लाई किये जाने की सम्भावना थी, उसे इस योजना के अन्तर्गत ढक कर बन्द कर दिया गया और मशीन तो लगादी गई किन्तु पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनता न तो स्वयं बावड़ी से पानी निकाल पा रही है और न मशीन द्वारा पानी मिलता है और एक सेठ के प्राइवेट कुए से मजबूरी में जनता पानी ले रही है?

(श्री ओमदत्त भाटी) :

(५) क्या इस पेय जल योजना द्वारा वहां की जनता की कठिनाइयों को देखते हुये शीघ्र ही पेय जल सप्लाई किया जाने लगेगा ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) इसमें जनता द्वारा ९९०० रुपये का योगदान किया गया।

(३) योजना का अभी तक कार्य चालू है।

(४) योजना के अन्तर्गत बावड़ी के अन्दर बोरिंग कराया गया किन्तु उस बावड़ी में बोर में ही पानी है, और बावड़ी के तल पर कोई पानी नहीं है, इसलिये जनता द्वारा उक्त बावड़ी पर अभी तक मशीन नहीं लगाई गई है।

(५) जल योजना के लिये पम्प आदि प्राप्त होने पर व फिटिंग होने पर पानी की सप्लाई चालू की जा सकेगी। ४ से ५ माह तक का समय और लगने की सम्भावना है।

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले लोग पानी इस बावड़ी से पीते थे या दूसरी जगह से ? बावड़ी से पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : जनता पानी तो यहीं से पीती थी, लेकिन बावड़ी के तल में पानी नहीं है। जब हमने बोर किया तो बोर के पाइप में पानी है लेकिन बावड़ी के तल में पानी नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : तीन साल हो गये उस बावड़ी को बन्द किये और अभी तक यही कर रहे हैं, कि पम्प आ जायेगा तो काम शुरू कर दिया जायेगा। अब तो सेठ की महरबानी से ही जनता प्यासी नहीं मरती है, लेकिन....

श्री अध्यक्ष : चार पांच महीने का समय बताया सरकार ने।

श्री ओमदत्त भाटी : तीन साल हो गये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब आखरी अवधि दे दी है।

नेक्स्ट !

प्रोजेक्ट ८ में नव निर्मित भवन

३२. **श्री गंगा सहाय :** (कठूमर-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माह जून १९६७ में जब प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण मंत्री जोधपुर डिवीजन के दौरे पर गये थे उसी दिन प्रोजेक्ट नम्बर ८ में नव निर्मित बिल्डिंग की छत उड़ गई थी ?

(२) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं की तो क्यों ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) जी हां, यह सच है।

(२) इस सम्बन्ध में विभागीय जांच की जा रही है।

Page No 10

श्री गंगा सहाय : क्या यह सही है, कि भवन की छत उड़ने की बात जान बूझ कर मंत्री महोदय से छुपाई गई थी ?

श्री माधोसिंह : वापिस कहिये, मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वापिस पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उत्तर वापिस दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ चुका।

(श्री माधोसिंह के दुबारा जवाब देने के लिये खड़े होने पर)

आप मेरा भी कहना माना करिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़ी मुश्किल से तो आधा खर्चा देकर नवाब साहब को हज पर भेजा है।

श्री गंगा सहाय : क्या यह सही है, कि मंत्री महोदय जब वहां पर दौरे पर गये थे, उस समय यह छत उड़ जाने की बात जान बूझ कर उनसे छुपाई गई थी ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं, उनसे भी कह दिया गया था। छुपाने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। वहां पर ज़ोर से हवा चले तो कोई मकान गिर सकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! श्री प्रश्न-कर्ता।

श्री भरोसिंह : क्या यह सही है, कि छत के टूटने का कारण यह था कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी छत के नीचे थे और उप-मन्त्रीजी छत पर कूद रहे थे ?

श्री भरोसिंह : तभी वह छत नहीं उड़ी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गंगा सहाय : जांच को सात आठ महीने हो गये हैं फिर क्या कारण है, कि वह पूरी नहीं हुई ?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा) उप-मन्त्री : उनका ट्रान्सफर हो गया था। जांच अभी जारी है और एक महीने में इसकी जांच कम्प्लीट हो जावेगी।

मकराना में जल योजना

३३. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मकराना की जल योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(२) क्या यह योजना १९६६ तक पूरी कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से ?

(३) क्या यह सही है कि मकराना एक औद्योगिक नगरी है और पानी के बिना वहां के लोगों व उद्योगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) : (१) योजना की स्वीकृति हो चुकी है एवं चालू वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है।

(२) जी नहीं, पूरी धनराशि एवं आवश्यक सामग्री के अभाव के कारण।

Page No 11

(श्रीमती सुमित्रा)

(३) जी हां. पूरी धन राशि एवं आवश्यक सामग्री के अभाव के कारण पानी की कमी से हो रही परेशानी को शीघ्र दूर किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि यह २८ लाख को स्कीम बनी थी उसमें से भी पिछले समय आपने फरमाया था कि २८ लाख इस साल मिल जावेगा ? क्या वह रुपया नहीं मिला ?

श्रीमती सुमित्रा : इस वर्ष जीवन बीमा निगम से रुपया वसूल हुआ है। अब शीघ्र ही इसका काम शुरू किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह : आपके शीघ्र कहने से काम शुरू नहीं होता। मकराना में फेमीन डिक्लेअर हुआ है तो क्या फेमीन में से रुपया लेकर इस काम को कराने का सरकार का इरादा है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस वर्ष के बजट में २.२१ लाख का प्रावधान है।

श्री विजयसिंह : मन्त्राणीजी को पता होगा कि योजना के अन्दर इतनी सी धनराशि से कुछ नहीं होने वाला है।

श्रीमती सुमित्रा : जितना जो पैसा मिला है इस बजट में उतने से इस साल काम करालेंगे, फिर अगले वर्ष और ले लेंगे। एक ही स्कीम पर तो सब रुपया एक साथ दिया नहीं जा सकता।

एक माननीय सदस्य : आपने जो जीवन बीमा निगम से पैसा लेने की बात कही है क्या वह शहरी नल योजना के लिये है या ग्रामीण नल योजना भी इसमें शामिल है ?

श्रीमती सुमित्रा : केवल शहरी।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मकराणा में पानी की किल्लत बहुत है और इस कारण वहां के रहने वालों को और उद्योग-धन्धों वालों को काफी परेशानी और नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे सरकार को आमदनी का भी नुकसान हो रहा है। अगर यह २८ लाख एक साथ फेमिन से भी दिलवाया जाकर इस कठिनाई को दूर कर दिया जावे तो तीन साल में जाकर यह सारा घाटा भी पूरा हो सकता है।

प्रश्न संख्या ३४

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनाएं

३५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान बनने से लेकर अब तक राज्य में कुल कितनी बार पुलिस द्वारा नागरिकों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर गोलियां चलाई गई ? इसकी एक तालिका मय स्थान, चलाई गई गोलियों की संख्या, आहत और मृत व्यक्तियों की संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नागरिकों की भीड़ों पर अव्यवस्था की स्थिति में गोली किस प्रकार और किन परिस्थितियों में चलाई जावे इस सम्बन्ध में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्या कोई नियम या आदेश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : सूचना पूरी एकत्रित नहीं हो पाई है, इसलिये स्थगित किया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो छोटा सा सवाल है कि राजस्थान बनने से लेकर अब तक कितनी बार पुलिस द्वारा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर कहां-कहां कब-कब गोलियां चलाई गईं क्योंकि मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में सारी जानकारी होम डिपार्टमेन्ट में जो पुलिस सम्बन्धी स्टेटिस्टिक्स हैं स्टेटिस्टिकल विभाग के उनमें बराबर रहती है । तो क्या वह स्टेटिस्टिकल विभाग इसकी जानकारी नहीं रखता ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! स्थगित रखा गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब तो इस सत्र में ही आ जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कोशिश करेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सरकार को इसका जवाब देने के लिये कोई समय की लिमिट तो देनी चाहिये न । कब तक इसका जवाब दे देंगे ?

छात्रवृत्ति के लिये आय सीमा

३६. **श्री फूलचन्द बापणा** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किन-किन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाने के नियम हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पोलिटिकल सफरर्स के पुत्र-पुत्रियों को तभी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जब उनकी वार्षिक आय ३६००) रु. से अधिक नहीं हो परन्तु अन्य छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं के लिये उनके माता-पिता आदि की आय सीमा आय कर नहीं लगता हो उस सीमा की रकम तक की रखी गई है ? यदि हां, तो यह भेद-भाव क्यों रखा गया है ?

(३) क्या सरकार उपर्युक्त भेद-भाव मिटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) राजस्थान में छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाने के नियम हैं:—

(१) **राज्य छात्रवृत्तियां :**

१. पोस्ट सेकण्डरी मेरिट स्कालरशिप
२. मेरिट-कम-नीड स्कालरशिप
३. स्कालरशिप फोर स्पेशलाइज्ड कोर्स-
४. स्कालरशिप टू फिजिकल हैण्डीकेप्ड स्टूडेंट्स
५. स्कालरशिप टू दी वार्ड्स ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स
६. एक्सट्रीम पावर्टी स्कालरशिप
७. रिसर्च स्कालरशिप
८. स्कालरशिप टू दी स्टूडेन्ट्स स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़
९. स्कालरशिप टू दी चिल्डरन ऑफ जे. सी. ओएस. एण्ड एन. सी. ओएस.
१०. स्कालरशिप टू दी चिल्डरन ऑफ पोलिटिकल सफरर्स ।

Page No 13

(राव श्री धीरसिंह)

(२) केन्द्रीय छात्रवृत्तियां :

१. नेशनल स्कालरशिप
२. मेरिट स्कालरशिप टू दी चिल्डरन ऑफ प्राइमरी एवं सेकण्डरी स्कूल टीचर्स
३. नेशनल लोन स्कालरशिप्स
४. पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप्स टू शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एवं लो इन्कम ग्रुप स्टूडेन्ट्स
५. स्कालरशिप टू स्टूडेन्ट्स ऑफरिंग संस्कृत एज आप्शनल सबजेक्ट्स इन हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल्स

(२) जी हां। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत आय सीमा भिन्न-भिन्न है। पोलिटिकल सफरर्स के पुत्र-पुत्रियों को उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं:—

(१) प्राथमिक शाला के स्तर से सेकण्डरी स्तर तक एडमिशन की विशेष सुविधा तथा फ्री व हाफ फ्री शिप की सुविधा भी दी जाती है।

(२) मान्यता प्राप्त स्कूल व कॉलेजों के छात्रावासों में निःशुल्क स्थान दिया जाता है।

(३) प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक सीमित संख्या में पुस्तकें एवं स्टाइपेन्ड भी दिया जाता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या यह सही है, कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिये आय सीमा नहीं है। तो यह भेद-भाव क्यों ?

श्री धीरसिंह : नहीं है पोलिटिकल सफरर्स को भाग (१) में उत्तर दिया है उसके अलावा उत्तर के भाग (२) में तीन कन्सेशन और दिये हैं। अगर पोलिटिकल सफरर्स ३६००) की आय सीमा से कम हैं तो और ले सकते हैं।

श्री फूल चन्द बाफणा : मैंने भेद-भाव की बात पूछी है औरों के लिये आय सीमा नहीं है, और पोलिटिकल सफरर्स के लिये ही क्यों ?

श्री धीरसिंह : भेद-भाव का सवाल नहीं है। ३६००) से कम हैं उनको और भी तो कन्सेशन दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिनको भी स्कालरशिप दी जाती है उनका भी आधार एक सीमित आय का सीलिंग मुकर्रर कर दिया जाय। एक सीलिंग के बाद उनको न दिया जावे, किसी को भी न दिया जावे। क्योंकि स्कालरशिप देने का मतलब आर्थिक मदद देने का है। वरना तो इसका नतीजा यह होगा कि मिनिस्टर का लड़का कोई होगा तो वह ले जावेगा, और दूसरे रह जावेंगे।

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतउल्ला खां) : इस सुझाव पर पूर्णतया गौर करेंगे और अपने कलिग्स से डिस्कस कर के इस पर निर्णय करेंगे।

निवाई की नल योजना

३७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निवाई नगरपालिका द्वारा कस्बे में नल लगाने के लिये कब राज्य सरकार को

(श्री जयनारायण सालोदिया)
प्रार्थना-पत्र दिया गया और कब इस स्कीम का सर्वे कराया गया तथा कब इसे भारत सरकार के पास भेजा गया ? कृपया तारीख बताने की कृपा करें।

(२) इसके बाद की कितनी स्कीमों पर काम पूरा हो गया है या हो रहा है ? इस स्कीम को पूरा करने के लिये सरकार का क्या विचार है ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा) : (१) नगरपालिका द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक ११-६-६० को दिया गया। योजना का सर्वे माह अक्तूबर, १९६१ में किया गया। इसे भारत सरकार को २५-५-६५ को भेजा गया।

(२) किसी पर भी नहीं। योजना जिसकी कि अनुमानित लागत ५.१० लाख रुपया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक २७-१-६८ को की जा चुकी है। योजना का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है। स्कीम को पूरा करने के लिये साधारणतया वित्त व सामग्री की उपलब्धि पर लगभग ३ वर्ष की अवधि लग जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इतनी देरी हो गई इस योजना को चालू करने में ६० से ६९ में काम शुरू कर रहे हैं, इसके क्या कारण हैं ? जब सर्वे करा लिया था ६० में, ६१ में प्रार्थना-पत्र आ गये थे उसे अब ६९ में चालू कर रहे हैं, इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : टेक्निकल अप्रूवल होती है भारत सरकार से। वह ६६ में आई है। पहले आपत्ति करके लौटा दी थी। ६६ में लौटकर आई है। पिछली साल जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त नहीं हुआ इसलिये इसको नहीं ले सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द डागा।

प्रश्न सं० ३८।

ग्राम खेतावास में आवंटित भूमि

३८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खेतावास ग्राम पंचायत, तहसील पाली, जिला पाली में सम्वत् २०२२ से सं० २०२५ तक किन-किन को कितनी-कितनी भूमि कब-कब और कहां-कहां आवंटित हुई ?

(२) क्या यह सत्य है कि सम्वत् २०२२ से २०२५ में एलाटमेंट के सभी नियमों का उल्लंघन कर जमीन उन लोगों को दी गई जो ग्राम पंचायत, खेतावास के नहीं हैं और जो नाबालिग हैं और जिनके कुटुम्ब के पास सैकड़ों बीघा जमीन है ?

(३) क्या सरकार इस प्रकार के गलत एलाटमेंट को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) ग्राम पंचायत, खेतावास, तहसील पाली, जिला पाली में जिन-जिन व्यक्तियों को जहां-जहां जितनी-जितनी भूमि सं० २०२२ से २०२४ में आवंटित की गई उसकी सूची प्रस्तुत है। सं० २०२५ में इस पंचायत क्षेत्र में कोई भूमि आवंटन नहीं हुआ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) सं० २०२२ से २०२४ तक जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है वे भूमिहीन नाबालिग अथवा उनके परिवार के पास पूर्व से भूमि होने बाबत तथा उसी ग्राम के निवासीगण होने बाबत विस्तृत जांच कराई जा रही है जिसमें करीब २-३ माह का समय लगेगा।

(३) उपरोक्त जांच के पश्चात् जो आवंटन नियम के विरुद्ध पाये जायेंगे उन्हें रद्द करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह भूमि ग्राम पंचायत, खेतावास, जिला पाली, तहसील पाली में आवंटन हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई जगह हुई है, उसकी लिस्ट आपके पास...

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, यह नहीं है ग्राम पंचायत समिति जहां है वहां भूमि आवंटन होनी चाहिये, मैं जानना चाहता हूं कि २०२२, २३, २४ में भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत में हुआ या पाली हैड क्वार्टर पर हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल पूछें तो कोई जानकारी कर सकता हूं। वैसे एडवाइजरी कमेटी ने किया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इन आवंटन के खिलाफ कोई अपील हुई है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नत्थीसिंह : इनके खिलाफ अपील....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता। माननीय सदस्य। प्रश्न कर्ता।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी वकालत कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। प्रश्न कर्ता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियम ३७ की ओर दिलाना चाहता हूं...

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ऐसे तो बैठते नहीं। नियम ३७ की ओर दिलाना चाहता हूं इसमें (V) है:—

"The right to ask a question is governed by the following conditions, namely:—

(V) It shall not ask for an expression of opinion on the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition."

अब ये कानूनी मुद्दे उठाना, एक अजीब तरीका हो जायगा। जमीन का एलाटमेंट होता है, उसमें अपील का प्रावधान है, उसमें निगरानी का प्रावधान है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री नत्थीसिंह : अपील का प्रोविजन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आफिस के फोरम को युटिलाइज किया जाय। उसमें फर्स्ट अपील का प्रोविजन है, सैकिन्ड अपील

Page No 16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का प्रोविजन है आप उसमें सरकम्वेन्ट करके सदन में इस तरह के सवालात खड़े करते हैं। फिर माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि गलत होगा तो रद्द किया जायगा। यह सरकार के सोचने की बात है। अलाटमेंट के मामलों में हैरेसमेंट हो सकता है। जिन-जिन मामलों में अबतक गलत अलाटमेंट हुआ है उन लोगों के प्रति जो प्रोसीजर लेड डाऊन किया हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लीगल अोपीनियन है, या कोई जनरल डिफिकल्टी है वह बात दूसरी है। अलाटमेंट केन्सिल कराना उसमें हैरेसमेंट होता है। पंचायत समितियों मे और पंचायतों में एलाटमेंट होता है जिला परिषद या कलेक्टर के पास शिकायत की जा सकती है उसके आधार पर मामलों को उठाने की...

श्री मूलचन्द डागा : जो प्रश्न उठाया है नान ज्युडिशियल मेटर है। सेकिन्ड अपील का प्रोविजन नहीं है उसे तो गवर्नमेंट कर सकती है।

श्री नत्थीसिंह : सेकिन्ड अपील होती है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेकिन्ड अपील रोज होती है। अब आपके पास कोई केस नहीं आता हो तो दूसरी बात है।

श्री मूलचन्द डागा : उस समय कौन-कौन सदस्य मौजूद थे, यह बता सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नाथूलाल करील (जमुवा रामगढ़) : माननीय सदस्य उस कमेटी के मेम्बर हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठलप्रसाद... अब तो कोई नहीं है सवाल ?

एक माननीय सदस्य : एम० एल० ए० भी उस कमेटी के मेम्बर होते हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। शिकायत थी, नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया यह सब जानकारी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा। राजस्व मंत्री महोदय।

(विराम)

प्रश्न सं० ४०।

श्री नत्थीसिंह : पिछला प्रश्न छोड़ गये।

श्री अध्यक्ष : वापस ले लूंगा।

ग्राम ढाणी में आवंटित भूमि

४०. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम ढाणी (भूमरी) तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में सन् ६८ में कितनी भूमि काबिल काश्त भूमिहीनों के नाम एलॉट की गई ? कृपया लिस्ट मय नाम आसामियान, तादाद भूमि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करियेगा ?

(२) क्या यह सही है कि जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई वे पहले से ही खातेदार है ?

(३) क्या यह सही है कि भूमिहीन काश्तकारों को इस एलॉटमेंट में भूमि नहीं मिल सकी ?

Page No 17

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) ४२९ बीघा ६ बिस्वा भूमि आवंटित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) तहसील खानपुर में ५९ व्यक्तियों को भूमिहीन बताया है जो राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, १९५७ के अनुसार भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं। एक व्यक्ति श्री राजाराम जिसके पास ८ बीघा भूमि पहले से थी, उसे ७ बीघा भूमि और आवंटित की गई है।

(३) जी, नहीं। भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की राय से उपलब्ध भूमि का आवंटन भूमिहीनों को ही दिया गया है, किन्तु भूमि के अभाव के कारण समस्त भूमिहीनों को भूमि आवंटित करना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है जिन ५७ व्यक्तियों को भूमि एलॉटमेंट की गई है उसमें ७ व्यक्तियों को छोड़कर बाकी के दूसरे गांव के थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, ५७ आदमियों में ७-८ को छोड़कर दूसरे लोगों को एलॉट किया गया है और जिन लोगों को भूमि एलॉट हुई है उनके परिवार वालों के पास पहले से ही काफी भूमि है उनके पिता के नाम, लड़के के नाम और कई नाबालिगों के नाम एलॉट की गई है।

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच करा देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : जिन ५७ व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई है उसमें ७-८ को छोड़कर जो दूसरी जगह के हैं उनको नियमानुसार जमीन एलॉट नहीं होनी चाहिये। माननीय मन्त्रीजी यह आश्वासन देंगे कि बाकी ४८-५० आदमी जो दूसरे गांव के हैं और जिनको भूमि अलॉट की है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होने के नाते केन्सिल कर दी जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यदि भूमि का अलॉटमेंट गलत हुआ है तो अपील करने का प्रावधान है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यानी सारे के सारे अपील करते रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप में यह शक्ति नहीं है। आपके पास शिकायत आती है। अपील करते-करते तो वे मारे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कानून के अन्तर्गत

श्री मदनसिंह : अपील होती रहे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहें इस तरह तो वे मर गये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री रामकिशोर व्यास : आपको जानकारी के लिये मैं निवेदन कर दूं कि तहसीलदार अलॉटमेंट नहीं करता है, एडवाइजरी कमेटी अलॉटमेंट करती है। उसमें उस इलाके के सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, प्रधान होते हैं और लोग भी होते हैं।

श्री मदनसिंह : आदेश, गंगारामजी के पास फैसले होते हैं अलॉटमेंट को वे रद्द कर दें।

Page No 18

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय !

अकलेरा—मनोहरथाना व अकलेरा—सालपुरा सड़क

श्री विट्ठलप्रसाद (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकलेरा—मनोहरथाना एवं अकलेरा सालपुरा रोड किस सन् में कच्चे रोड से पक्का रोड बनाया गया था ?

(२) पक्के रोड़ की आम तौर पर कितने वर्षों के बाद मरम्मत की जानी चाहिये ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त दोनों मार्गों पर बनने के बाद से आज तक कोई धन राशि ही मरम्मत के लिये स्वीकृत नहीं की गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि इन मार्गों पर जगह-जगह, हाथ-हाथ के गहरे गड्ढे पड़े हुये हैं और मोटर वालों के रोज पुर्जे टूटते रहते हैं, कमानी टूटती रहती है, टायर फटते रहते हैं और दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

(५) क्या यह भी सही हैं कि रोड की खराबी के कारण बस मालिकान अपनी बसें ही उस रोड़ पर नियमित नहीं चलाते हैं जिससे पचासो सवारियां अकलेरा एवं सालपुर पड़ी रह जाती हैं ।

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) :—

(१) अकलेरा से मनोहरथाना मेटल का निर्माण वर्ष १९५७-५८ में हुआ था सालपुर रोड का निर्माण रियासत कोटा द्वारा राजस्थान बनने से पूर्व किया गया था ।

(२) ५ साल से १० साल के बाद मरम्मत की जाती है ।

(३) साधारण मरम्मत कराई गई है ।

(४) सालपुरा रोड की दशा रोड घाटा के भाग को छोड़कर साधारण है । अकलेरा से मनोहरथाना रोड की मरम्मत उपलब्ध धन राशि अनुसार इस वर्ष की जा रही है ।

(५) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है, कि इस रोड पर खराबी के कारण हर साल बसों के एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं और उससे कई आदमी मरते रहते हैं ?

श्री माधोसिंह : इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि पिछले दो साल से बजट में प्रावधान रखा जाता है लेकिन राजनैतिक कारणों से उस रोड पर रुपये खर्च नहीं किया जाता है ?

श्री माधोसिंह : यह सही नहीं है ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि अकलेरा-मनोहरथाना सड़क पर पिछले दिनों ढोल डामर के डाले गये थे और फिर उनको किसी मिनिस्टर के आदेशों के आधार पर हटा लिया गया ?

श्री माधोसिंह : यह गलत है ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आप यह कहते हैं कि ढोल नहीं हटाये गये तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे कह दूं कि मंत्री महोदय की सूचना गलत है। उस रोड पर रिपेयर के लिए ढोल डाले गये हैं और फिर उनको हटा लिया गया।

श्री माधोसिंह : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या उनमें से एक ढोल लुढ़क कर सिविल लाइन्स में आ गया है ? क्या यह सही है ?

श्री माधोसिंह : यह भी सही नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (बबड़ा) : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि अकलेरा-मनोहरथाना और अकलेरा-सालपुरा सड़क पर ही लोगों ने काफी मकानात बना लिये हैं ?

श्री माधोसिंह : इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी देंगे तो जानकारी करा ली जायेगी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय क्या जवाब देते हैं। थोड़ा सन्तोष से जवाब दें। आप एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : कौन कहता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप कम से कम उसकी जिम्मेदारी निभाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय हम दौरों पर जाते हैं। मंत्री महोदय भी एक बार वहां पर जायें तो आपको भी तब पता चल जाये जब आपका एक्सीडेन्ट हो।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, किस-किस वर्ष में कितना-कितना रुपया इन रोड्स पर खर्च हुआ ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां का रहने वाला हूं और यदि मंत्री महोदय को वहां पर भेज दिया जाय तो उनका आधा वजन हो जाये।

श्री अध्यक्ष : यह तो चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : इन सड़कों की बुरी हालत है क्या उनको जल्दी ही ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री माधोसिंह : जी हां इसके लिये अकलेरा-मनोहरथाना पर ५ मील और अकलेरा-सालपुरा सड़क पर ५ मील पर मरम्मत का काम चालू है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर यहां प्रश्न पूछा गया है तो मंत्री महोदय से यह तो जानकारी मिलनी चाहिये कि यह सड़क काबिले मरम्मत है या नहीं अगर काबिले मरम्मत मंत्री महोदय उसको अनुभव करते हैं तो उनकी मरम्मत करा दी जाये। कब तक करा देंगे कुछ तो कहें ?

सा० नि० मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) माननीय उप-मंत्रीजी ने निवेदन किया कि इसकी दशा साधारणतया ठीक है। इससे एतराज नहीं है कि उसकी दशा खराब है

Page No 20

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसकी क्या परिभाषा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री शिवचरण माथुर : और उस पर जितना मेन्टीनेन्स के लिये रुपया रखा जाता है उस को प्रति वर्ष खर्च कर दिया गया है यह भी उप-मंत्री महोदय ने कहा और साथ ही यह भी कहा कि इस साल १० मील रोड को ठीक कराने का काम हाथ में ले लिया गया है वह करा दी जायेगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों पर जहां-जहां गांव हैं, वहां उसको दबा लिया गया है

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा जानकारी नहीं है। इसका उत्तर दे दिया गया है।

नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह।

'लाल निशान' सम्पादक की हत्या के मामले के फैसले पर कार्यवाही

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर में लाल निशान के सम्पादक श्री सूरजभान की हत्या के सम्बन्ध में एडीशनल सेशन जज, धोलपुर द्वारा फैसला देने के साथ-साथ राज्य सरकार को इस तरह का कोई आदेश दिया गया है कि भरतपुर में तात्कालीन पुलिस अधीक्षक, कोतवाल के इस सम्बन्ध में रोल की जांच सरकार द्वारा की जानी चाहिये ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह पत्र राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ ? और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(१) एडीशनल सेशन जज, धोलपुर ने श्री सूरजभान गुप्ता की हत्या के केस नं० १९-६६ सरकार बनाम विजय बहादुर में फैसला दिनांक १८-४-६८ को दिया था व साथ ही एक गोपनीय नोट भी राज्य सरकार को दिनांक २३-४-६८ को भेजा था। नोट गोपनीय है, अतः उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है।

(२) यह नोट गृह विभाग को २६-४-६८ को प्राप्त हुआ। एडीशनल सेशन जज से नोट के सिलसिले में उक्त का फैसला व जिन बयानात का हवाला जज ने दिया था उन्हें राज्य सरकार ने देखने के पश्चात् व जिलाधीश व पुलिस महानिरीक्षक के कमेन्ट्स पर विचार करने के पश्चात् यह पाया गया कि श्री शीशराम शर्मा, अधीक्षक, पुलिस व श्री अभिमन्यु इस मामले में किसी प्रकार दोषी नहीं थे।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जज महोदय ने यह चिट्ठी आपको लिखी जिसमें सब तरह से उन्होंने यह कहा कि दोनों पुलिस अधिकारी अधीक्षक और कोतवाल के विषय में सन्देह है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी को अन्जाम दिया या नहीं और उसके बाद में आप केवल जिलाधीश के कमेन्ट्स मांगते हैं और महा निरीक्षक के कमेन्ट्स मांगते हैं जिनके बयानों को बृजकिशोर गुप्ता जो सुरजभान गुप्ता मारे गये थे उसके छोटे भाई के बयानों को आधार बनाकर आपको पत्र लिखा गया था, क्या आपने उनसे भी पूछने की कोशिश की या बिना उनके पूछे ही आपने उनको निर्दोष करार दे दिया ?

Page No 21

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा है कि जिन चार बयानों का हवाला जज महोदय ने दिया था उसको स्क्रुटिनाइज किया गया और अच्छी तरह से देखा गया और उसके आधार पर इस निर्णय पर पहुँच गये हैं कि वास्तव में यह दोनों अधिकारी, जिनके लिये कहा गया है, इस मामले में दोषी नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि उसके बयानों के आधार पर जज महोदय ने चिट्ठी लिखी है कि इन बयानों से मुझे शक होता है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी को सही तौर पर अन्जाम नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय, जो चिट्ठी लिखी है क्या उस पर आप जजमेन्ट करने बैठे थे। आप इन्क्वायरी कीजिये ताकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सही तौर पर काम करे और तथ्यों की जानकारी हो जाये। वह ३८ नम्बर की पिस्तौल थी पता नहीं कहां से आई और क्या हुआ। और उन्होंने यह भी लिखा है कि यह जो काशीप्रसाद डी० एस० पी० नियुक्त किये थे मैं नहीं जानता कि उन्होंने जांच सही की। अगर एडीशनल पी० पी० मिस्टर सक्सेना अच्छी तरह से काम नहीं करते तो शायद मुल्जिम को बेनिफिट आफ डाउट मिलता और वह छूट जाता। इतनी सीरियस बात जज ने कही है और इसमें कमेन्ट्स के आधार पर ऐसे केसेज में आप यह कह दें। यह बहुत बुरी बात है और इसकी जांच करानी चाहिये फिर फैसला दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन बयानों को स्क्रुटिनाइज करने का प्रश्न है मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि जज महोदय ने अपने जजमेन्ट में कहां तक इन बयानों को स्क्रुटिनाइज किया है वहां किसी प्रकार के कोई एलीगेशन्स किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं बताये। सारे फैसले में कहीं भी पुलिस अधिकारियों की बात नहीं बताई और साफ तौर से यह कहा है जजमेन्ट में कि जो अपराधी पकड़ा गया है वह सोल्ली जिम्मेदार है इस मर्डर के लिये। केवल एक चिट्ठी जज महोदय ने भेजी उस पर बयानों को भी भेजा और उनको स्क्रुटिनाइज किया गया और किसी प्रकार की बात बयानों में नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ज्योंही इस केस में तफतीश जारी हुई और पुलिस को इत्तला मिली त्योंही एडीशनल आई० जी० स्पॉट पर पहुँचे और मिस्टर सूरजभान गुप्ता के जो रिलेशन्स हैं और जो फैमिली वाले हैं उन्होंने कहा कि हमें शीशराम पर भरोसा नहीं है और उनसे केस में तफतीश नहीं कराई जाये और तत्काल ही उनको विड्रा किया गया और उनसे तफतीश नहीं कराई गई और इसकी तफतीश के लिये दूसरे ऑफिसर को नियुक्त किया गया जज महोदय ने यह जरूर कहा है कि उन्होंने कोई इन्टरेस्ट नहीं लिया तफतीश में यह सही है। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आधारों पर मैंने कहा है उससे दोनों अधिकारियों के खिलाफ कुछ साबित नहीं होता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे की जिस समय जज महोदय ने अधीक्षक और कोतवाल के विरुद्ध पत्र लिखा जांच करने के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों के द्वारा जांच कराई क्या उस समय उस कोतवाल और अधीक्षक को वहां से परिवर्तित कर दिया गया था?

Page No 22

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरे ख्याल से पूरी गलतफहमी हुई है। जज महोदय ने कोई एलीगेशन्स किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं लगाये हैं। उन्होंने ४ बयानों का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया

(१२ मध्याह्न)

और उनके लिखने का मतलब यह है कि शीशरामजी और अभिमन्यू, सब-इन्सपेक्टर ने इस तफतीश के अन्दर दिलचस्पी नहीं ली। जिस वक्त यह वाकेआत हुये तो शीशरामजी धौलपुर में थे और अभिमन्यू, सब-इन्सपेक्टर वहां से बाहर था, इसलिये दिलचस्पी लेने का सवाल नहीं होता है। उसके पहुँचने के पहले एडिशनल आई० जी० पी०, जयपुर, पहुँच गये और काशीप्रसादजी पहुँच गये और तफतीश काशीप्रसादजी ने शुरू की। सूरजभान के भाई ने एडिशनल आई० जी० पी० से कहा था कि वे दखल न दें शीशराम और अभिमन्यू और एडिशनल आई० जी० पी० ने उनको दखल करने से इन्कार कर दिया और तफतीश सी० आई० डी० को दे दी। उनकी जानकारी में ये इन्स्ट्रक्शन्स नहीं थे इसलिये उन्होंने यह लिखा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस केस में जो लेटर एडिशनल सेशन्स जज ने लिखा है उसका रेलेवेन्ट पेरा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं —

The impartial and dispassionate reading of the Statements of Pt. Sishram Sharma and Shri Abhimanue along with the Statements of Shri Vrijkishore and Shri Kashiprasad clearly suggests that all that Mr. Sishram Sharma did or omitted to do in his duties as S. P. of Police tantamounts of gross direliction of duty. There is an indirect suggestion of his association in assuring his assistance to the accused Vijaibahadur Gaur.

अन्त में उन्होंने लिखा है:—

But I feel I shall be failing in my duty is not suggesting the setting up of an enquiry so that the position of the Police administration and Mr. Sishram Sharma be got clarified in the public eyes.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : यह कान्फीडेन्शियल लेटर है ?

श्री नत्थीसिंह : सरकार ने यह कान्फीडेन्शल लेटर मेज पर नहीं रखा है लेकिन हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष : (सरकार से) आप यह जस्टीफाई करते हैं कि यह कान्फीडेन्शल लेटर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes it is a confidential letter.

श्री विजयसिंह (मकराना) : डिप्टी होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिये कि यह कान्फीडेन्शल लेटर कैसे आउट हो गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यह वही बात आगई जो कि इस हाउस का विषय नहीं है जैसा कि कल आफिशियल सिक्रेट एक्ट का मामला आया था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गवर्नमेंट उस एक्ट के तहत एन्क्वायरी करे तो मालूम हो जायगा । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एलिगेशन्स लगाये गये हैं कि जिस पिस्तौल का इस्तेमाल सूरजभान गुप्ता को मरडर करने में किया गया वह पिस्तोल श्री शीशराम पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट या उनके असिस्टेन्ट ने सप्लाई किया था। यह एलिगेशन किया गया है कि यह इस तरह का पिस्तोल है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है यह आर्डिनेरिली दूसरे लोगों के पास नहीं होता है। यह उसने एलिगेशन किया है। जहां तक केस चला है, उस केस में पुलिस ने इस मामले पर कोई रोशनी नहीं डालने की जरूरत समझी कि एक्यूज्ड इस पिस्तोल को कहां से लाया। चूंकि अदालत ने इस चीज को जरूरी नहीं समझा होगा इसलिये उसकी ज्यादा एन्क्वायरी नहीं हुई, लेकिन वह पिस्तोल एक्यूज्ड के पास कहां से आया यह अभी तक मिस्ट्री है, और जो सजेशन उसमें असिस्टेन्स का है वह सजेशन यही है, कि शीशराम शर्मा ने किसी तरह से वह पिस्तोल प्रोक्योर कराया, क्योंकि सूरजभान से पोलिटिकल पांइन्ट पर उसकी दुश्मनी चल गई थी और वह रोज अखबार में उसके खिलाफ लिखता था, इसलिये इसकी एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के लिये कान्फीडेन्शल लेटर के अन्दर यह लिखा है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई एन्क्वारी किये बगैर केवल उन चार बयानों को देखकर कोर्ट ऑफ अपील की तरह जो इसमें एडिशनल सेशन्स जज साहब ने लिखा था उससे बरी कर दिया।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर, श्री गृहमन्त्री।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य, इसको समझ लें कि एन्क्वायरी का मतलब है प्रलिमिनेरी एन्क्वायरी और वह एन्क्वायरी इसी तरह की होती है जो हमने की है। इसके बाद यह कहें कि कोर्ट ऑफ अपील की हैसियत से बैठ गये तो यह बात गलत है।

दूसरी बात, जो जज ने लिखा है उस बारे में मैं आप से अर्ज करूंगा कि जज साहब के लिखने का मतलब यही था कि शीशराम और अभिमन्यू सब-इन्सपेक्टर ने इस मुकद्दमें में कोई कार्यवाही नहीं की। एडिशनल आई० जी० पी० ने जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे शीशरामजी को उन इन्स्ट्रक्शन्स का जज साहब को पता नहीं था इसलिये यह लिखा है

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं अन्य माननीय सदस्य : वाह, वाह।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल यही बात है। अगर आपकी और जज साहब की सलाह हुई हो तो दूसरी बात है मुझे मालूम नहीं है।

श्री लक्ष्मीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी गृह मन्त्रीजी ने यह कहा कि आपकी और जज साहब की सलाह हुई होगी तो क्या किसी जज के खिलाफ इस तरह का रिफलेक्शन किया यह गलत नहीं है। इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात नहीं कही।

श्री लक्ष्मीसिंह : पढ़ लिया जाय।

Page No 24

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि सलाह हुई होगी तो दूसरी बात है। मैंने यह नहीं कहा कि सलाह हुई, क्योंकि आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे जज के दिमाग में क्या था वह आप जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या गृह मंत्रीजी को यह जानकारी है कि वह पिस्तोल कहां से आया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिस्तोल का प्रश्न इस मामले से पता नहीं होता है।

कई माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय गृह मंत्री इस सदन को यह बतायेंगे कि इस प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर्स लेटर्स राजस्थान सरकार को किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में लिखते हैं तो उनके सम्बन्ध में सरकार ने कोई प्रोसीजर सेट किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी का जो प्रोसीजर है, वही है।

श्री भैरोंसिंह : इस रिपोर्ट को मानकर क्या डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी को जाय इस प्रकार आदेश सरकार ने तुरन्त जारी किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी में कोई मामला नहीं बनता है तो कोई जरुरत नही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जज साहब का जो यह लेटर आया था वह प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी के लिये नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जज साहब ने कोई एलिगेशन पुलिस अधिकारियों पर या पुलिस की तफतीश पर नहीं किया। उनका कन्टेशन यही था कि इन बयानात से जाहिर होता है कि उन्होंने फर्ज मनसबी अदा नहीं किया उसके ऊपर गवर्नमेन्ट एन्क्वायरी कराये तो गवर्नमेन्ट ने प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी करके देख लिया उन बयानातों को तो उनमें कोई इनका कसूर नहीं था। इसीलिये मैंने आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक कहा था कि एडिशनल आई. जी. पी. ने जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे वे जज साहब की नोटिस में नहीं थे, इसलिये उन्होंने लिखा था।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की तरफ से एडिशनल सेशन्स जज को दुबारा पत्र लिखा गया है कि आपने जो पत्र लिखा है किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए वह बयानों के आधार पर स्टेण्ड नहीं करता है, इसलिये कोई एक्शन नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री देवीदत्त पाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से न्यायालय की पवित्रता पर आघात होगा। इसका मतलब यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा कि माननीय रामानन्दजी और जज साहब की कोई बातचीत हुई होगी, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्रीजी को आपके द्वारा कि आपके अधिकारी इस प्रकार से करज कर दें... (सदन में कोलाहल के कारण अश्रव्य) अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य।

Page No 25

श्री देवीदत्त गाडिया : पत्रों की स्वतन्त्रता के लिये.... (सदन में कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × × × × × × × × × ×.... (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज,. एक्सपन्ज किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मन्त्रीजी आप आश्वासन देंगे.... (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रश्न नहीं लिये जायं। इनको एक्सपन्ज कराया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन माननीय सदस्य के मुंह से पान भी एक्सपन्ज कराया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके मुंह से भी कराया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस केस में सेशन्स जज का फैसला हो गया है और अपील और रिवीजन हाई कोर्ट में पेंडिग है। जहां तक वह मामला है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जहां तक यह दूसरा मामला है पिस्तोल का जिससे कि उसको कत्ल किया गया है तो अभी तक यह पता नहीं है कि वह कहां से आया है ? वह पिस्तोल कहां से आया है उसके बारे में दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। पब्लिक, जब हम भरतपुर जाते हैं तो वह पूछती है कि यह मामला कहां है इसका डिस्क्लोजर क्यों नहीं होता है ? यह कहां तक सही है और कहां तक गलत है लेकिन लोग और एक्यूज्ड की फेमिली, उसकी बीबी आज भी उसका सम्बन्ध अभिमन्यू और शोभारामजी से जोड़ती है। यह पिस्तोल उन्होंने इसको प्रोक्योर करके दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के इन्ट्रेस्ट में भी यह उचित होगा कि इस तरह की एन्क्वायरी की जाय कि वह पिस्तोल कहां से आया, कहां से प्रोक्योर किया गया जिससे स्थिति साफ हो जायगी और जिन लोगों के बारे मे शक-शुबह है उनका इसमें हाथ है या नहीं यह मिस्ट्री भी तय हो जायगी। इतना रैलेवेन्ट क्वेश्चन आज तक क्यों अलग रखा गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस मामले की हाई कोर्ट में अपील चल रही है ? इसका आपको (गृहमंत्री की ओर संकेत करते हुए) पता है कि नहीं ? राज्य करते हो कि क्या करते हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जैसा कि कहा जा रहा है, इस पिस्तोल का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो लेटर लिखा है उसमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिया है। केवल उन चार बयानों के आधार पर, जिन पर उनका ख्याल है, उसमें यह बात आयी थी। उसमें पिस्तोल का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि पिस्तोल के बारे में क्या है ?. पिस्तोल को संदिग्ध अवस्था में देखा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया जाये।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये

Page No 26

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि उसको विजय-बहादुर गौड़ ने कहां से लिया है ? ऐसा प्रश्न करना आवश्यक नहीं था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : केस की इन्वेस्टीगेशन हुई थी। उसमें यह सब कहा गया है।

श्री विजयसिंह : जिस प्रकार से पुलिस किसी बात का खाल उधेड़ कर पता लगाती है, उसी प्रकार शीशराम और अभिमन्यु की चमड़ी उधेड़ कर पता क्यों नही लगाया जाता ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी तहसील में नामान्तरण के मामले

३४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी—सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी तहसील में कितने नामान्तरण-करण के मामले पेंडिंग है ? पटवार सर्किलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मामलों का पेंडिंग पड़े रहने का क्या कारण है ? क्या इनको शीघ्राति-शीघ्र निपटाने की कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(१) १,५३४ मामले पेंडिंग हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १,२६५ नामान्तरकरण पंचायतों द्वारा तसदीक नहीं किये जाने के कारण बिना फैसल रहे। इन सब मामलों का निर्णय मार्च, १९६९ तक हो जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन, जिला चूरू

११. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) चूरू जिला को मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन पिछले ५ सालों में कितना-कितना माहवार दिया गया ?

(२) हर वर्ष यह लोन किन-किन को कितना-कितना किस-किस काम के लिये दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जिन लोगों को यह ऋण दिया गया था उनमें से कुछ लोगों ने इस ऋण को उसी कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जिस कार्य के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन ने और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

(श्री दौलतराम सारण)

(४) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों ने ऋण को किन्हीं दूसरे कामों में बरत लिया है, जैसे मकान की जगह दुकान बना ली ? यदि हां, तो किन-किन ने ? क्या यह नियमानुसार ठीक है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(५) क्या जो ऋण दिया गया है वह नियमानुसार दिया गया है ? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ? उनको प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची (१)

वर्ष	तादाद राशि वितरित की गई	नाम योजना
६४-६५	३५,०००-००	मध्य आय गृह निर्माण योजना
६५-६६	४०,०००-००	,,
६६-६७	—	—
६७-६८	२०,०००-००	,,
६८-६९	५,०००-००	,,

नोटः—माहवार ऋण वितरित नहीं किया जाता व ६३-६४ में ऋण आवंटन नहीं हुआ है ।

सूची (२)

वर्ष	नाम ऋणी मय पता व कार्य का नाम	राशि जो वितरित की
१	२	३
६४-६५	श्री रामनारायण, टोबरी, चूरू—गृह निर्माण हेतु	२०,०००-००
६४-६५	श्री विश्वम्भरदयाल, भूतपूर्व पी. पी.—गृह निर्माण हेतु	१५,०००-००
६५-६६	श्री विश्वम्भरदयाल, भूतपूर्व पी. पी.—अतिरिक्त ऋण	५,०००-००
६५-६६	श्री मोहरसिंह, वकील चूरू—गृह निर्माण हेतु	२०,०००-००
६५-६६	श्री मोतीसिंह, वकील चूरू—गृह निर्माण हेतु	१५,०००-००
६७-६८	श्री बाबूलाल सरावगी, चूरू—गृह निर्माण हेतु	२०,०००-००

(२) व (३) की वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ६८-६९ की जानकारी जिलाधीश से प्राप्त की जा रही है।

(३) जो ऋण गृह निर्माण के लिये दिया गया था उस ऋण के उपयोगिता प्रमाण-पत्र ऋणियों द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हैं और जिस कार्य के लिये ऋण लिया गया था उसी कार्य में उपयोग किया गया है।

(४) जिन्होंने मकान निर्माण के लिये ऋण राशि ली थी उन्होंने उसी कार्य के लिये उपयोग किया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। फिर भी दुकानें बनाने के सम्बन्ध में जिलाधीश से जानकारी की जा रही है। ऋण नियमानुसार दिया गया है। नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 28

को भूमि का अलाटमेन्ट, जिला चूरू

१२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तालछापर जिला चूरू के सालन एरिया से नमक बनाने की भूमि किन-किन को कब-कब कितने कितने-एकड़ अलोट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) एलॉटमेन्ट के समय की गई शर्तों के अनुसार उक्त भूमि को कब-कब डेवलप करनी थी और कब-कब की गई ?

(३) उपरोक्त भूमि में से कौन-कौनसी भूमि ऐसी है जिसको अभी तक डेवलप नहीं की और न शर्तों के अनुसार उनका एलॉटमेन्ट खारिज किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) जिन जमीनों का डेवलपमेन्ट निर्धारित समय में नहीं हुआ है, उनके एलॉटमेन्ट केन्सिल नहीं करने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जो आवंटन सैलाईन एरिया अलोटमेन्ट, सन् १६६२ के क्रियाशील होने से पहले हुए हैं उनके साथ शर्त ये थी कि वे २ वर्ष में आवंटित भू-भाग को विकसित कर लेंगे ऐसी सभी पार्टियों ने समयावधि में भूमि को विकसित करली है।

(३) जो आवंटन सैलाइन एरिया नियम क्रियाशील होने के बाद किये गये हैं उनके साथ यह शर्त थी कि वे ६ महीने में भू-भाग को विकसित कर लें। आवंटित भूमि विकसित हो चुकी है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रोछवा-भालता सड़क का निर्माण कार्य

१३. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रोछवा-भालता रोड़ कितनी कहां तक बन चुकी है ? क्या अभी काम बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) भालता तक सड़क का कार्य कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

(३) क्या इस सड़क पर पुलियों का कार्य पूरा नहीं हुआ है ?

उत्तर

(१) रोछवा-भालता रोड़ ६ मील बन चुकी है। अर्थाभाव के कारण काम बन्द है।

(२) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

(३) रोछवा से ६ मील के भाग में आने वाली पुलियों का काम पूरा हुआ है शेष बाकी है।

नागौर जिले के भूतपूर्व जागीरदारों का मुआवजा

१४. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व (जागीर) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर जिले में कितने भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा देना बाकी है ?

Page No 29

(श्री रामसिंह कुडी)

(२) नागौर जिले में कितने भूतपूर्व जागीरदारों को पुनः संस्थापन की रकम दी जा चुकी है एवं कितनों को देना बाकी है ?

(३) नागौर जिले में जागीर उत्तराधिकार के क्लेम फाइनल नहीं होने के व मुआवजा की उत्तरदारियों के व अन्य प्रकार के जागीर मुआवजा के सम्बन्धित कितने-कितने मामले कुल पेन्डिंग हैं ? क्या सरकार इस कार्य को निपटाने के लिये डिप्टी कलेक्टर (जागीर) की नागौर जिले में नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) नागौर जिले में ४,१३३ भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा देना बाकी है ?

(२) पुनर्संस्थापन मुआवजा असल मुआवजे के साथ दिया जाता है। अब तक २१,२५५ दावों में पुर्नसंस्थापन अनुदान दिया जा चुका है और ४,१३३ में देना शेष है।

(२) नागौर जिले में उत्तराधिकार के ९१५ मामले तय करना शेष हैं तथा ४,१३३ दावे फाइनल करना शेष हैं। उत्तरदारी के कारण ३५६ दावे विचाराधीन है। डिप्टी कलेक्टर (जागीर) नागौर के नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसमें शीघ्र निर्णय होने की सम्भावना है।

थाना कामां के स्टाफ के लिये क्वार्टर्स का निर्माण

१५. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पुलिस स्टॉफ, थाना कामां के लिये क्वार्टर्स निर्माण कराने की योजना की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और कितने क्वार्टर्स की और किस स्थान पर और निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायगा ?

उत्तर

जी नहीं, आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह योजना अभी स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

कस्बा जुरहडा की पुलिस चौकी का भवन

१६. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह भी सही है कि कस्बा जुरहडा (थाना कामां) में आबादी के बीच पुलिस चौकी का पक्का भवन था ? क्या यह भी सही है कि उक्त भवन मरम्मत न होने के कारण गिर चुका है ? क्या यह भी सही है कि उक्त भवन में जितने भी किवाड़ चोखट थे वह उसी में दब गये हैं और अब तक नहीं निकाले गये हैं और इस कारण सरकार की सम्पत्ति नष्ट हो रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कस्बा जुरहडा में पुलिस चौकी के लिये आबादी से अलग भवन निर्माण हो चुका है और पुलिस स्टॉफ ने उसमें अपना डेरा लगा लिया है ? यदि हां, तो फिर पुराने पुलिस चौकी के खण्डहर भवन का सामान और स्थान अब तक नीलाम क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इस ओर ध्यान देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। पुराना भवन पुलिस चौकी जुरहडा (थाना कामां) पहले पुलिस के

Page No 30

(गृह मंत्री)

पास था परन्तु अब नये भवन का निर्माण होने पर पुलिस चौकी अपने नये भवन में स्थापित हो गई है, और पुराना भवन ग्राम पंचायत, जुरहड़ा को सौंप दिया गया है। भवन गिरने की बात गलत है। यह भी सही नहीं है कि पुरानी चौकी के किवाड़ चौखट आदि उसी भवन में दब गये हैं।

(२) पुलिस चौकी नये भवन में स्थापित हो चुकी है और अब वहां किसी प्रकार का दखल नहीं है। पुरानी चौकी जुरहड़ा का भवन अब ग्राम पंचायत जुरहड़ा के पास है। अतः अब सामान आदि का नीलाम कराने का कार्य पुलिस का नहीं है।

उप जिला नीमका थाना में हत्यायें व चोरियों की संख्या

१७. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उप जिला नीम का थाना (सीकर) में १ जनवरी, १९६७ के बाद कितनी हत्यायें व चोरियां हुईं ? अलग-अलग थानों वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त हत्यायें व चोरियों के मामलों में कितने-कितने का चालान हो गया व कितने केस में फाइनल रिपोर्ट दी गई व कितने-कितने पेन्डिंग पड़े हैं व कितना माल बरामद हुआ है ? सूची देने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) उप जिला नीम का थाना में कुल ९ थाने हैं जिनमें सन् १९६७ में ९, १९६८ में १० कत्ल के खड़े हुए व १९६९ में कत्ल का कोई मुकद्दमा नहीं हुआ है। थानावाइज स्टेटमेन्ट संलग्न है। सन् १९६७ में १०१, १९६८ में १२८, १९६९ में ६ चोरियां हुई हैं।

(२) उप-जिला नीम का थाना में सन् १९६७ में ९ कत्ल हुए जिनमें १ अदम वकूआ, १ अदम सबूत, ७ चालान हुये हैं जिनमें सातों गैर तजवीज अदालत हैं। सन् १९६८ में १० कत्ल हुये हैं जिनमें १ अदमपता, १ जेर तफतीश, ८ चालान हुये हैं जिनमें से एक रिहाबरी हुआ है व ७ जेर तजवीज अदालत हैं। १९६९ में कोई मुकद्दमा कत्ल का दर्ज नहीं हुआ है। इसी प्रकार १९६७ में १०१चोरियां हुई जिनमें १३ अदम वकू, ६५ अदमपता, एक अदम सबूत, १ जेर तफतीश व २१ चालान हुई हैं। सन् १९६८ में १२८ चोरी हुई हैं जिनमें १ अदम तफतीश, ७ अदम वकू, ८९ अदमपता, ४ अदमसबूत, १२ जेर तफतीश व १५ का चालान हुआ है। सन् १९६९ में ६ चोरियां हुई जो जेर तफतीश है। थानेवाइज स्टेटमेन्ट मय माल मसरूका बाजियाफ्ता संलग्न पेश है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

जिला बांसवाड़ा के मिडिल स्कूल्स

१८. श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट-सु.) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बांसवाड़ा में कितने मिडिल स्कूल हैं और वह कहां-कहां और क्या उन मिडिल स्कूलों के हैडमास्टरों को योग्यता के आधार पर पोस्ट दी जाती है ?

Page No 31

उत्तर

(शिक्षा मंत्री)

जिला बांसवाड़ा में उच्च प्राथमिक (मिडिल स्कूल) विद्यालयों की सूची संलग्न है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक जो प्रशिक्षित हों उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर लगाये जाने का प्रावधान है। ऐसे प्रधानाध्यापक जिनका अध्यापक पद पर सेवाकाल २५ वर्ष का हो गया हो या उनकी आयु ५० वर्ष की हो गई हो उन्हें न्यूनतम योग्यता में छूट दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

उप-निदेशक, शिक्षा विभाग के कार्यालय का स्थानान्तरण

१९. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अपर निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान का दफ्तर बीकानेर में है वह डिप्टी डाइरेक्टर का दफ्तर जोधपुर में है इस वजह से पब्लिक व सरकारी मुलाजमान को बड़ी तकलीफ रहती है व सरकार का खर्चा भी दुगुना होता है? यदि हां, तो इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए सरकार कब तक डिप्टी डाइरेक्टर का दफ्तर बीकानेर शिफ्ट करने का इरादा रखती है?

उत्तर

विभाग की जानकारी में ऐसे तथ्य नहीं लाये गये हैं कि उप-निदेशक, शिक्षा विभाग का कार्यालय जोधपुर में होने से जनता एवं सरकारी कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है। उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर के कार्यालय को बीकानेर में शिफ्ट करने का अभी कोई विचार नहीं है।

धोयलां की ढाणी, जोधपुर की प्राथमिक पाठशाला

२०. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या धोयलां की ढाणी, (तिवरी रोड) पर नगरपालिका जोधपुर, वार्ड नं० १ में प्राथमिक पाठशाला है?

(२) क्या यहां पर पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है?

(३) कक्षावार छात्रों की संख्या क्या है?

(४) इसमें कितने अध्यापकों की स्ट्रेंग्थ है?

(५) इस सेशन में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं?

(६) क्या यह सही है कि वहां इस वर्ष एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(७) क्या शीघ्र ही वहां ज्यादा अध्यापक लगाये जाने का विचार है?

उत्तर

१. जी हां। वह पाठशाला जोधपुर पंचायत समिति के अधीन है।

२. जी हां

(शिक्षा मंत्री)

३. कक्षा	१	४३
,,	२	७
,,	३	१०
,,	४	३
,,	५	६
कुल छात्र संख्या		६६

४. दो अध्यापकों की स्ट्रेन्थ हैं।

५. वर्तमान समय में इस पाठशाला में दो अध्यापक कार्यरत हैं।

६. जी नहीं, श्री ओडरमल, स० अ० दिनांक १५-८-६६ से लगातार इसी शाला में कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त, श्रीमती अचल कंवर स० अ० ने इस शाला में प्रतिनियुक्ति पर जुलाई, ६८ से २ दिसम्बर, ६८ तक कार्य किया। श्रीमती सायर कोर २७ जनवरी, १६६६ से कार्यरत हैं। इस प्रकार दो अध्यापक हमेशा से कार्यरत रहे हैं।

७. अब अध्यापक आवश्यकता के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, अधिक अध्यापक लगाने का कोई विचार नहीं है।

(१२.११ म. प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा !

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्षमा चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सूचनाएं देर से क्यों रखी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ता हूं बार बाद में ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पढ़ देंगे, उसके बाद क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : देर कहां हुई ? ६८ की है, ६६ में रख रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जुलाई, ६८ है। सितम्बर में रख सकते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं रखी है, उसके लिए खेद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छा, माफी चाहते हो, चलो खैर।

श्री दामोदरलाल व्यास : (१) अधिसूचना संख्या प. १ (६) नियुक्ति (क-२)६८, दिनांक १५ जुलाई, १६६८ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों का चयन) नियम, १६६८ प्रकाशित किये गये हैं।

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ४ एल./जे./२ (६) ६५/१०८६३, दिनांक १४ अक्टूबर, १६६८ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) (संशोधन) नियम, १६६८ जारी किये गये हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) अधि सूचना संख्या एफ. ४/एल. जे./१/१/९७/११२६३ दिनांक २६ अक्टूबर, १९९८ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) प्रथम संशोधन नियम, १९९८ जारी किये गये हैं।

(४) अधिसूचना संख्या एफ. ४/एल./पी. एस /ए. आर०/९१/२९९, दिनांक-९ जनवरी, १९९९ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (संशोधन) नियम, १९९९ जारी किये गये हैं।

याचिकाओं का उप-स्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कैनाल के कनवानी माइनर तथा रामपुरा माइनर की सफाई करवाने के सम्बन्ध में एक हस्ताक्षरित कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कस्बा नोहर में मण्डी क्षेत्र की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विधेयकों का पुरः स्थापन

श्री अध्यक्ष : विधि कार्य। श्री अमृतलाल यादव !

श्री अमृतलाल यादव : मैं, राजस्थान मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९९९ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १९९८ (अध्यादेश सं० २, सन् १९९८) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी, प्रक्रिया के नियम ९३ के अन्तर्गत, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आज की कार्य सूची में शामिल नहीं है। कल आप कहां गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज की कार्य सूची में शामिल है।

श्री अध्यक्ष : श्री बरकतउल्लाखां !

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में बार-बार और जब भी इस प्रकार का कोई मामला आता है तो सरकार यह कहती है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। ताकि उस मामले में अदालतों पर असर नहीं पड़े। यहां जिस विधेयक को रखने जा रहे हैं, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, उसका एक कारण है। विधान सभा की सदस्या कान्ता खतूरिया के विरोध में माणिकचन्द सुराणा ने याचिका प्रस्तुत की। उसका हाई कोर्ट से फैसला हो गया उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका सीधा असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पड़ेगा। आप बिल्कुल निन्दनीय विधेयक ला रहे हैं। उसे रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से ला रहे हैं। यह विधेयक उनका लाभ का पद रद्द कर देगा इस विधेयक से आप उस पर छाप लगाने वाले हैं। आप इनसे सदन के अधिकारों का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं। उच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। उस पर आप प्रभाव डालना चाहते हैं। ऐसी हालत में यहां इन्ट्रोड्यूस करने की अनियमितता नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : हां, दुरुपयोग करो।

श्री नत्थीसिंह : आप रोज वकालत करें, पैसा लें, फिर अपने को डिस्क्वालीफाई करा लें। इससे ज्यादा और क्या होगा ?

श्री बरकतउल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर अराइज नहीं होता है। जब बिल बनाया है तो उसकी मैरिट डीमैरिट पर सदन को सोचने का पूरा अधिकार होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो इसको क्यों पेश करते हैं। इससे क्या फायदा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) बिल, १९६६, जिसके लिये माननीय मुख्य-मन्त्रीजी कितने उत्सुक हैं...

श्री बरकतउल्ला खां : हमारे ऊपर यह लायबिलिटी है।

श्री नत्थीसिंह : यह लायबिलिटी समझ कर पेश कर रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह काम तो किसी और का था। मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है। फिर सारे मामले आप पर पड़ेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा सहानुभूति दिखायेंगे तो सब पर लायबिलिटी आ जायेगी। यह जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। मैं माननीय विधि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन की नियमावली है उसकी एक प्रति वह अपने पास रखा करें...

श्री बरकतउल्ला खां : अधिकार है नहीं, यह नहीं कहा। आप रिपोर्ट उठा कर पढ़ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उस नियमावली का नियम ६४ निकाल कर पढ़ लें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने कहा था कि यह उपयुक्त मौका नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "If a motion for leave to introduce a Bill opposed the Speaker—after permitting if he thinks, fita brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate—put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation out side the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.

मेरा ऐसा निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है और अभी तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन को इस पाइन्ट पर रिमूव करने का अधिकार जो रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अन्तर्गत और कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत डिस्क्वालिफिकेशन के क्लॉजेज हैं और उनमें जो व्यवस्थायें दी गई हैं और हिन्दुस्तान भर के लिये जो भारत का संविधान है, वह सर्वोपरि

Page No 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, उसके अन्तर्गत ही रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बनाया गया है और उसके अन्दर व्यवस्थायें की गई हैं, उन दोनों के प्रतिकूल, उनकी भावनाओं के प्रतिकूल, संविधान की भावना के प्रतिकूल और जन प्रतिनिधित्व के कानून की धाराओं के प्रतिकूल इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार, वह भी इन सीमाओं तक, वह भी इन परिस्थितियों में, वह भी व्यक्ति विशेष के लिये, वह भी हाई कोर्ट में फैसला होने के बाद, वह भी सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग होने के बाद इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना और उसके स्थान पर, उसको रिप्लेसमेन्ट करने के लिये विधेयक सदन में पुरःस्थापित करने को इजाजत चाहना, मैं समझता हूं, एक गम्भीर मसला है। मेरी इस सम्बन्ध में यह आपत्ति है और निश्चित मान्यता है। जहां तक मैं जानकारी प्राप्त कर पाया हूं, जो सदन में विधेयक पुरःस्थापित करने जा रहे हैं विधि मन्त्री, यह इस सदन के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेन्सी के बाहर है। यह सदन ऐसे मसले पर, ऐसे प्रश्न पर कोई कानून नहीं बना सकता है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई ऑर्डीनेन्स लेप्स नहीं हो रहा है, कोई बिल पास नहीं हो रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रही है इसलिये ऐसे कन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर आप हमें तैयारी करने का मौका दें, लॉ मिनिस्टर को तैयारी करने का मौका हम देना चाहते हैं। वह तैयार हो कर आयें, आवश्यकता हो तो एडवोकेट जनरल को भी बुला लें क्योंकि यह फुलफ्लेज्ड प्रश्न है, कि वेदर यह ऑर्डीनेन्स और बिल लेजिस्लेटिव-कॉम्पिटेन्स में है या नहीं? इस सम्बन्ध में फुलफ्लेज्ड डिबेट रख ली जाय, एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाय, वह तैयार होकर आयें, हम भी तैयार होकर आयेंगे। यह एक अहम मसला है। मैं इसके पोलिटिकल आस्पेक्ट पर कुछ नहीं कहना चाहता। कांता खतूरिया किसके लिये असेट हैं और किसके लिए लाइबिलीटी है। इस सदन के समक्ष अभी यह प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं पोलिटिकल क्वेश्चन और पोलिटिकल आस्पेक्ट में न जाते हुए, प्रोप्राइटी और इम्प्रोप्राइटी का जिक्र न करते हुए कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विधि मन्त्रीजी मुझसे सहमत होंगे, और खास तौर से उनको सहमत होना चाहिये क्योंकि इसको वह लाइबिलिटी समझ कर चल रहे हैं, उनको लाइबिलिटी के साथ सदन की यह बड़ी भारी लाइबिलिटी है, इससे हिन्दुस्तान के अन्दर काला मुंह हो जायगा कि एक सदस्य या एक सदस्या के लिये इस प्रकार राजस्थान की सरकार ने एक अध्यादेश निकाला। इससे बुढ़ापे के अन्दर हमारे गवर्नर महोदय को बहुत बड़ी बदनामी मिली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को इस बदनामी में न डालें, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या विचारेंगे। यह प्रश्न एक डेलीकेट प्रश्न है, इसलिये इसके ऊपर विचार करने का समय सदन को मिलना चाहिये। यह एक कान्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन है और इस सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स का मामला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह ऑर्डीनेन्स लेप्स नहीं हो रहा है, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो रहा है, इसलिये उन्हें इस हाउस में आने की इजाजत है, उन्हें देखने की मुमानियत नहीं है। इसलिये इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, सदन को डिबेट के लिये आप मौका देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : काम्पीटेन्सी की बात कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान रूल ५३ की ओर दिलाना चाहता हूं। रूल ५१ है वह एडजोर्नमेंट मोशन से ताल्लुक रखता है लेकिन इस हाउस में कौनसे विषय पर डिस्कशन हो, कौनसे विषय पर डिस्कशन नहीं हो और जो मामला कोर्ट के अन्दर पेंडिंग है उस पर डिस्कशन किस हद तक हो सकता है, उसका रेफरेन्स रूल ५३ में है। इस सम्बन्ध में निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, रूल ५१ कहता है:—

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate, any matter, shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory-tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry."

तो इस रूल का मकसद यह हुआ, आर्डीनरीली जो मामला किसी कोर्ट के विचाराधीन होगा उस पर बहस करने को आप इजाजत नहीं देंगे। लेकिन यदि आप प्रोसीजर के मामले में इजाजत दे सकते हैं, वह भी इस हद तक कि जिससे उस अदालत के एक नतीजे पर पहुंचने में कोई असर न पड़े। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल पेश किया जा रहा है, यह बिल, जो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने एक केस में फैसला दे दिया कि एडवोकेट का ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लिया है और चूंकि माननीय सदस्या कान्ता खतूरिया इस आफिस ऑफ प्राफिट को होल्ड करती थीं इसलिये उनका इलेक्शन वोइड करार दे दिया है। अब आज गवर्नमेंट यह चाहती है कि इस बिल के द्वारा उस ऑफिस ऑफ प्राफिट को ऑफिस ऑफ प्राफिट न रखा जाय और ऑफिस ऑफ प्राफिट से उसे निकाल दिया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कन्सीडरेशन करे, उससे पहले यह ऑफिस ऑफिस ऑफ प्राफिट न रहे, इसे क्लीयर कर दिया जाय। इसका मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टीगेशन या इन्क्वायरी सुप्रीम कोर्ट करना चाहे उसको प्रिजुडिस कर दिया जाय और सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक के न आने से जो फैसला कर सकती उससे बिल्कुल दूसरा फैसला उसके द्वारा हो। यह इसका मकसद है। मैं समझता हूं कि जो रूल्स ऑफ प्रासीजर है, जो संविधान है, और उसमें जो कोर्ट का स्थान है, ज्यूडिशियरी का स्थान है, और जो डेमोक्रेटिक सेट अप है–यह बिल उस सब को वोइड करने की दिशा में है। इसलिये सतीशचन्द्रजी ने जो सुझाव रखा है, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आया हमारी लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्स भी है या नहीं इस

Page No 37

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रकार के बिल को कन्सीडर करने की। यह मामला भी बहस तलब है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके इन्ट्रोडक्शन को तो आप अभी रोक दें और कुछ समय दें हम भी इस पर विचार करें, और एडवोकेट जनरल को उनकी राय देने के लिये इस हाउस के अन्दर बुलाया जाय। उनकी स्वतन्त्र राय इस हाउस के सामने आनी चाहिये और तब इस पर कोई भी निर्णय लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : लॉ मिनिस्टर !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सतीशचन्द्रजी ने इस सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई है वह तथ्यहीन मेरे ख्याल से नहीं है। इन्ट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर ऐसे मामले के अन्दर आपत्ति उठाना हमारा अधिकार है। मैं समझता हूं, बिना तैयारी किये हुए इस बारे में कोई डिस्कशन करना एक हद तक ठीक नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति विशेष के लिये ऐसा ऑर्डीनेन्स सरकार ने जारी कराया और ऑर्डीनेन्स की मयाद अभी लेप्स नहीं होती है तो क्या इतनी सरकार को आवश्यकता है कि इतनी जल्दी करके इस ऑर्डीनेन्स को लीगलाइज कराने के लिये इस मेजर को इन्ट्रोडयूज किया जाय। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। यदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के प्रावीजन्स की रिक्वायरमेन्ट्स के अन्दर या एक इन्डिविजुअल एक व्यक्ति विशेष के लिये आपने लीगलाइज करने के लिये यह चेष्टा की है तो मेरे ख्याल में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को निवेदन करूंगा और आपको भी अवश्य निवेदन करूंगा कि इस बारे में डिस्कशन करने के लिये, तैयारी करने के लिये हमको मौका दिया जाय। यह कानूनी मसला है, और कानूनी मसला होने के अलावा भी मेरे ख्याल में यह एक बड़ा कॉमन सेंस का मसला है, अगर एक व्यक्ति के लिये ऑर्डीनेन्स लाया जाता है, और सदन अभी अप्रेल के पहले हफ्ते तक रहेगा और इस सदन के अन्दर जब कभी मन्त्री महोदय चाहें, इस ऑर्डीनेन्स को लीगलाइज करने के लिये इस मेजर को ला सकते हैं लेकिन बिना बहस के यह इन्ट्रोडक्शन यहां पर आपके द्वारा अगर स्वीकार होगा तो मेरे ख्याल से हम लोग तो इस मसले पर बिना आपत्ति उठाये नहीं रह सकते।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दिन प्रति दिन यह दृष्टिगत होता जा रहा है कि राजस्थान सरकार चाहे जिस मामले में बिना किसी बात पर विचार किये आर्डिनेन्स निकाल देती है। गत सत्र में और उससे पहले भी इस सदन में इस पर चर्चा हुई है फिर भी राजस्थान सरकार इसकी कोई परवाह नहीं करती, सदन को बुलाती नहीं और सदन को बिना बुलाये ही चाहे जैसा ऑर्डीनेन्स निकाल देती है। मैं राज्य सरकार की इस प्रवृत्ति की निन्दा करता हूं और राज्य सरकार को आपकी मार्फत निवेदन करता हूं कि वह इस प्रवृत्ति को छोड़े और सदन का सम्मान करके इस सदन की अनुमति लेकर कोई भी कानून बनाये। इस समय सदन में जो एक अध्यादेश या एक अधिनियम के तौर पर आ रहा है उसमें एक ऐसे प्रश्न को लिया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन मामला है। इस समय कोई चुनाव का सवाल नहीं था, निर्योग्यता का सवाल नहीं था, हाईकोर्ट का फैसला है, जिन ग्राउन्ड्स पर हाईकोर्ट

Page No 38

(श्री दौलतराम सारण)

ने फैसला किया है उस ग्राउन्ड को एक ऑर्डिनेन्स के द्वारा निरस्त कर देना, इससे बढ़कर और कोई लोकतन्त्र की हत्या और संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की आज्ञा प्रदान नहीं की जाय। यह ज्युडिशियरी के ऊपर, हाईकोर्ट के ऊपर और न्याय पर आघात है। यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने वाला है।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको इन्ट्रोड्यूज करने के संबन्ध में जो आपत्तियां उठाई हैं, मैं उन आपत्तियों का समर्थन करता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप हमें विचार करने का समय देंगे जिससे कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के अधिकारीयों की रक्षा होनी चाहिये, एक वकील वकालत करता है...

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह वकीलों के लिये नहीं, सरकारी पैसे पर काम करने वाले के लिये है, वकील तो आप हैं, एक कदमें का ५० रुपया नहीं मिला....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री रूपसिंह !

श्री मूलचन्द डागा : मंशा यह थी....

श्री अध्यक्ष : इनके बाद आप बोल लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोकतन्त्र की रक्षा नहीं, आपको तो किसी की सिम्पेथी लेनी है।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदयजी, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस बिल को हाउस में पेश किया जा रहा है उसकी बाबत गवर्नर साहब को अधिकार है कि वे ऐसा आर्डीनेन्स इश्यू कर सकते हैं। हाउस में यह बिल पेश किया जा रहा है, आया सदन को इसे Discuss करके पास करने का अधिकार है या नहीं उसके बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल सदन में आप पेश करना चाहते हैं, उसके बारे में हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और हाईकोर्ट के फैसले के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिग है। जब तक इस तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग है, उस समय इस प्रकार का कोई बिल लाना It is a black mailing व fraud है व malafide है इससे क्या होगा कि इन्साफ के लिये यहां जो आते हैं, लोग जो यहां से इन्साफ चाहते हैं We represent the whole Rajasthan इसलिये हमारा फर्ज हो जाता है कि जब ज्युडिशियल कोर्ट में केस चल रहा है तो उस सूरत में हाउस में (इस प्रकार का बिल लाना, इस प्रकार के बिल को हाउस में) डिस्कस करना हमारे लिये अच्छा नहीं होगा ऐसा करके We are setting up a bad example. आपको ऐसा बिल लाने का राइट है, पर पहले हम बैठकर उस पर डिस्कस कर लें कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रोफिट इन्वोल्व्ड है या नहीं। फिर इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फोर्स में लाना तो एकदम अनुचित है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये बोल रहे हैं और आप बीच मे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : यह बिल हाउस की कॉम्पीटेन्सी का है या नहीं, इस पर विचार करने के लिये हमको एक दिन का मौका दिया जाय, इस प्रकार के विचार आ जाने पर फिर इस बिल को पेश किया जाय, इसमें हमें ऐतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा : एक वकील अगर राज्य सरकार उसके काम में लेती है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रोफिट मानना या नहीं मानना यह प्रश्न सब पर आ सकता है इसलिये इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करना लोकतन्त्र की रक्षा करना है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार वकील से काम लेती है. आपने कहा कि राज्य सरकार वकील को काम में लेती है, यह गलत बात है।

श्री मूलचन्द डागा : एक ही बात है। मेरा यह कहना है कि ...

The intention of the Government in making such appointment was not to create any such office nor to allow the holder there of to suffer from any disqualification for membership of the Legislative Assembly."

तो इस कारण से यदि चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो मैं समझता हूं ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन को हटाना हमारा फर्ज होगा यह लोकतन्त्र के हित में होगा, जहां लोकतन्त्र की रक्षा होती है, वहां हमें मदद देनी चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक लीगल साइड का सवाल है यहां पर बड़े-बड़े जजेज बैठे हैं, वकील बैठे हैं पर एक छोटी सी चीज है, जिसको हर एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि एक बड़े कोर्ट के अन्दर मामला फैसले के लिये विचाराधीन है, उस समय उस सम्बन्ध में इस प्रकार का बिल लाना कहां तक न्यायसंगत होगा ? बड़े कोर्ट का फैसला यदि यह बिल पास कर देने पर भी आपके खिलाफ हो गया तो उस बिल का क्या होगा और यदि आपके फेवर में बड़े कोर्ट का फैसला हो गया तो निश्चित रूप से कानून हो जायगा। ऐसी दशा में जब कि सबसे बड़े कोर्ट में इस विषय में निर्णय लिया जाना पेंडिंग है तो उस बीच में इस प्रकार का बिल लाना एकदम अनुचित होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, नियम ५३ का हवाला दे कर अग्रवाल जी ने कहा, जब कोई पेंडिंग हो तो ऐसा बिल इन्ट्रोड्यूस किये जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। पर हमारी इस विधान सभा में कई ऐसे मामलों में बिल पेश हुए हैं। जब कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और राज्य सरकार समझती है कि सम्बन्धित कानून में कोई एम्बिग्विटी है तो ऐसा बिल पेश किया जा सकता है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय इसमें कान्टेक्स्ट ऐसा आता है कि हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ, उसकी अपील में वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें

Page No 40

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बिल लाना, प्रोप्राइटी के हिसाब से मैं भी समझता हूं कि ऐसा बिल नहीं आना चाहिये....

(विरोधी पक्ष की ओर से हर्ष एवं हीयर हीयर की ध्वनि)

सदन में इस प्रकार का बिल पेश करना हाउस की कॉम्पीटेन्सी में है, इसमें दो राय नहीं है। यह स्पष्ट मालूम है कि इस सदन में ऐसे बिल पेश किये जा सकते हैं। इन्ट्रोडक्शन के पहले आपत्ति करने का अधिकार है पर, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस प्रकार के बिल लाने से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बाइंडिंग हो, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के बिल से सुप्रीम कोर्ट पर असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इससे कोई बाइन्डिंग नहीं है। ऐसे कानून सदन में पहले पेश किये जा चुके हैं पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको अल्ट्रावायरस कर चुके हैं। इसलिये सुप्रीम कोर्ट को इस बिल से प्रिज्युडिस कर दिया जायगा ऐसी हमारी मान्यता नहीं होनी चाहिये। रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के खिलाफ यदि ऐसी कोई चीज है तो उसको मानने के लिये सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। मेरे हिसाब से इसका उल्टा असर, एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकता है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

विधि मंत्री (श्री बरकतउल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन द्वारा जहाँ तक रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ प्रोफिट का अधिकार है, १९५७ में एक्ट नं० ७ पेश किया गया था, यह यह था।

Rajasthan–Legislative Assembly Members (Removal of disqualification) Act, 1956.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५६ का ?

श्री बरकतउल्ला खां : जी हां, इसी सदन ने पास किया है, वह आपने पास किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, × × × × × × × ××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर!

श्री रामचन्द्र आर्य : × × × × × × × × × × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज। आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां ऐसा नहीं होना चाहिये कि आप सत्ता में रहते हुए इस प्रकार एक सदस्य को बचावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बरकतउल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जो इनका एक्ट हमने पास किया था, उसका हमें अधिकार था पास करने का, इसलिए पास किया था, तो सदन को यह अधिकार है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पास कर सके और जो एक्ट पास हुआ था उससे पहले एक अध्यादेश निकल चुका था। वह है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिस्क्वालीफिकेशन) ऑर्डिनेन्स, १९५६, राजस्थान आर्डीनेन्स १० आफ १९५६...

श्री रामचन्द्र आर्य : सुनाई नहीं देता।

श्री नत्थीसिंह : मुश्किल से बोल रहे हैं।

×अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री बरकतउल्ला खां : वह जो एक्ट बनाया गया था उससे पहले एक अध्यादेश निकाला गया था और उस अध्यादेश को बिल के जरिए रिप्लेस किया गया और डिस्क्वालीफिकेशन को रिमूव किया गया।

श्री नत्थीसिंह : अदालत में अपील चल रही थी क्या ?

श्री बरकतउल्ला खां : अध्यादेश निकालने का अधिकार था, अध्यादेश पहले निकाला गया, डिस्क्वालीफिकेशन रिमूव करने का इस सदन को अधिकार था अध्यादेश निकाल सकते हैं, बिल बना सकते हैं और आखिर एक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर मुझे कोई ऐतराज नहीं है और किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मामला सब्जुडिस है।

श्री बरकतउल्ला खां : अब सवाल आता है सब्जुडिस है। हमने अक्सर फाइनेन्शल मैटर्स पर या दूसरे मामलों में अध्यादेश निकाले हैं जब वे केसेज कोर्ट के सामने पेंडिंग थे। इसलिए यह कहना कि कोर्ट के सामने कोई केस पेंडिंग है उसके लिए अध्यादेश नहीं निकाला जा सकता, यह सही नहीं है क्योंकि जब सरकार की मन्शा होती है और वह पूरी नहीं होती है, कोई फॉल्ट रह जाता है तो अध्यादेश के जरिए या बिल के द्वारा अमेंड करके उस फॉल्ट को रिमूव किया जा सकता है...

श्री नत्थीसिंह : पब्लिक इन्टरेस्ट में, नॉट इन्डिवीजुअल्स।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बरकतउल्ला खां : मैं इस चीज को नहीं छिपा रहा हूं। मैंने कारण लिखे हैं, कि श्रीमती कांताजी को जो अपाइन्टमेंट हमने दिया था उसके लिए हम यह मानते थे कि यह ऑफिस आफ प्रोफिट नहीं है और इस लिये उन्होंने एक्सेप्ट किया और इसलिए हम इस डिफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं और राजस्थान अकेला ही प्रदेश नहीं जहां इस तरह की चीज हुई है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जब मिली जुली सरकार बनी हुई थी, वहां पर दो सदस्यों के डिस्क्वालीफिकेशन का प्रश्न आया था जो बिल विधान सभा मे पेश हुआ था....

श्री रामकिशन : यह केस नहीं था, एन० सी० सी० के थे....

श्री बरकतउल्ला खां : पेश हुआ था, पास नहीं हुआ था।

श्री रामकिशन : वापस ले लिया था, आप भी वापस ले लें।

श्री नत्थीसिंह : अब वापस ले लो।

श्री बरकतउल्ला खां : इससे पहले पंजाब में प्रश्न उठ चुका है। इसलिए रिमूवल ऑफ डिस्क्वालीफिकेशन का हमें अधिकार है और उसको सामने रखते हुए सदन के सामने बिल के रूप में लाना चाहते हैं। मेरी लायाबिलिटी है, मैं रिपीट करता हूं मैंने अध्यादेश निकाला अगर उसका बिल आपके सामने पेश नहीं करता हूं तो उस जिम्मेदारी से हटता हूं. यह मेरा फर्ज है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आप नहीं चाहते तो इस्तिफा देकर बाहर आएं। आत्मा को दबा कर ऐसा अध्यादेश नहीं निकालना चाहिए। यू विल गेट लोरेल्स।

Page No 42

श्री बरकतउल्ला खां : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा इस बिल को लाना मैं फर्ज समझता हूं। मैं अध्यादेश विधेयक के रूप में सदन के सामने लाया हूं ताकि सदन माइंड एप्लाई करे, उसको संवैधानिक रूप से इग्जेमिन करें और उसके अंदर कुछ कमियां हों तो दूर करें। इसलिए उस विधेयक को बिल के शेप में लाना मैं अपना फर्ज समझता हूं ..

श्री रामकिशन : आप दबाव से काम कर रहे हैं, आत्मा से नहीं।

श्री बरकतउल्ला खां : आज के दिन जैसा आप कह रहे थे इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर ऑबजेक्शन करके पोस्टपोन किया जाय, यह गलत है। यह आपत्ति हो सकती है कि अरलीएस्ट अपोर्चूनिटी पर बिल पेश क्यों नहीं किया गया। दूसरा यह भी हो सकता है कि यू हेव मिस्ड दी बस। हाउस इसके लिए तैयार नही होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You have missed the bus and Mathur Sahib has caught the bus.

श्री अध्यक्ष : That will do.

श्री बरकतउल्ला खां : इस स्टेज पर ऐतराज नहीं होना चाहिए और बिल थोरोली जब डिस्कस होगा तब सब विचारधारायें सामने आयेंगी और उनको सामने रखते हुए सदन अपनी राय देगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। इतना तो कहे बिना नहीं रह सकता कि यह अध्यादेश लाना निदाजनक है। आपने यह फोरस्टाल नहीं किया हो, आपके लेजुना के द्वारा यह चीज छूट गई हो और आप अब चाहते हैं कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाय इसके लिए हाईकोर्ट का जजमेंट होने के बाद आपकी आंख खुली और आपने अध्यादेश जारी किया, यह बुरी चीज है। इसका मोरल आस्पेक्ट भी है और कोई भी चीज आप अध्यादेश के द्वारा रेग्यूलराइज करना चाहें, तो अच्छी चीज नहीं मानी जा सकती वह जनतंत्र की विशुद्ध परंपराओं के विपरीत है और उसके उपरांत अगर आप कोई चीज रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लाते हैं तो रिप्रेहेन्सीबुल है। आपका अधिकार जो कुछ है वह तो है ही। मंत्री महोदय ने अकड़ से कहा कि यह हमारा राइट है...

श्री बरकतउल्ला खां : Right of the House and not mine.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह Right of the House, a whim of an individual based on majority regardless of moral background. You should be ashamed. I call it reprehensible. I don't deny, your legal right is there, you can bring it but we cannot let it go without raising our vehement objection in so far as your stand is concerned.

श्री केदारनाथ : राजस्थान में ऐसे कौनसे हालात पैदा हो गये थे, कि इस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिए हमारे मंत्रिमंडल को राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करवाना पड़ा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव दौरों पर साथ ले जा रहे थे।

श्री केदारनाथ : यहां यू० पी० का कहा गया। वहां बिल इन्ट्रोड्यूस होने के बाद विघड़ा हो गया। चरणसिंह को अपने

(श्री केदारनाथ)

पद से हाथ धोना पड़ा; ऑर्डिनेन्स लैप्स हो गया। पंजाब में ऑर्डिनेन्स का बिल पास हुआ मगर रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्टसे नहीं हुआ। आप पास कर सकते हो; काम्पीटेन्ट हैं। विधान सभा और संसद को मैं स्कूल ऑफ थॉट कहता हूं। आप अपने फंडामेन्टल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। जब ज्यूडीश्यरी कुछ भी फैसला दे, फंडामेन्टल राइट ऑफ प्रोप्राइटर, राइट ऑफ अमेंडमेंट है, आप पेश कर सकते हैं, मैं मानता हूं। मगर यह कोई फाइनेन्शल मैटर होता तो भी समझा जा सकता था, पोलिटिकल मैटर होता है, ? सरकार काफी डाउन हो रही है, हमें हालात भी नहीं है....

एक माननीय सदस्य : यह तो रोमान्स की बात है।

श्री केदारनाथ : यह रोमांस की बात नहीं है। यह थर्ड क्लास रोमांस है; मैं लिटरेचर का स्टूडेन्ट रहा हूं। अगर कोई ऑर्डिनेन्स लाए, बिल इन्ट्रोड्यूस करे तो कौनसी कन्डीशन है ? हालात बतायें, कौनसी हालात पैदा हो गई ? आप बिल लायें।

श्री अध्यक्ष (श्री रामानन्द के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज ! आप पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। व्यवस्था का प्रश्न है, जो माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उठाया है उसकी पुष्टि कई माननीय सदस्यों ने की इस व्यवस्था के प्रश्न पर तीन प्रमुख प्रश्न उठाए गए हैं:—(१) लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेन्स, (२) लीव टू इन्ट्रोड्यूस, और (३) माननीय रामानंदजी ने ५१ के अंतर्गत इसको मोशन मानकर उठाया है। जहां तक नियम ५१ का संबंध है, बहुत स्पष्ट है उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, वह इस सदन पर लागू नहीं होता।

दूसरा प्रश्न है लीव टू इन्ट्रोड्यूस। क्योंकि यह बिल पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है, इसलिए इस स्टेज पर लीव टू इन्ट्रोड्यूस की आवश्यकता नहीं रहती। उक्त प्रश्न का भी यह निराकरण हो जाता है।

तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेन्स का है। बिल कैसा है या कैसा नहीं है मैं इस प्रश्न पर नहीं जाता। लेकिन यह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेन्स का प्रश्न है; इसको कई माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है कि ऐसा बिल लाया जा सकता है। यह संविधान के अधिकार में है। संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बिल यहां आता है उस पर काफी गम्भीरता से विचार किया जा सकता है, उसकी व्याख्यायें की जा सकती हैं, मत लिया जा सकता है, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न है। इस स्टेज पर जो आपत्ति का प्रश्न उठाया गया है उसको मैं स्वीकार नहीं करता और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको पुनःस्थापित करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वेरा वेल सर।

श्री भगवानदास शास्त्री : (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी लोग लड़ते रहें और बरबाद होते रहें और इस प्रकार सरकार के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया जाय यह अन्यायपूर्ण है। सब ही कांग्रेस के सदस्य इस प्रकार वापिस आरहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इससे राजनैतिक बेईमानी माफ है और उसको सील लगाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है और आपकी भी मजबूरियां हैं।

श्री अध्यक्ष : संविधान की मजबूरियां हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्यमंत्रीजी यहां बैठे हैं। सीनियर केबिनेट के मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं, कितना बेड टैस्ट है, एक सदन को कांग्रेसी सदस्य को वकील बनाया सरकार की ओर से, उसको लाखों रुपया कमवाया, उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन से तो उसको बहाल करने के लिये उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिये ऑर्डिनेन्स लागू कर दिया जिससे उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बचाया जा सके। कानून के अन्तर्गत इस प्रकार की कार्यवाही करना कानून के ऊपर कलंक लगाना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार का बेहूदा कानून यह सरकार बनाना चाहती है इसलिये इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिये मैं सब ही माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो सदस्य इसके विरोधी हों वे बहिर्गमन करें।

(संयुक्त समाजवादी पार्टी, जनसंघ, भारतीय क्रांतिदल द्वारा बहिर्गमन)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे छोटा सा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : अब कोई निवेदन नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके रूलिंग पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस सरकार ने हाईकोर्ट की डिसीजन को फ्लाउट किया, उसके प्रति डिसरेस्पेक्ट किया, इसके मोरल आस्पेक्ट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर इस सरकार ने एक घृणित कार्य किया है उसके प्रति रोष प्रकट करते हुए हम बहिर्गमन करते हैं।

(स्वतन्त्र पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नैतिक दृष्टि से इस प्रकार के बिल का मैं विरोध करता हूं इसलिये मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री बरकतउल्ला खां (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरहर्ता निवारण) अध्यादेश, १९६८ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६८) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी, प्रक्रिया के नियम ९३ के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, मैं, न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधिमान्यकरण)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विधेयक, १६६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं, दी बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १६६६ (अध्यादेश संख्या २, सन् १६६६) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी' प्रक्रिया के नियम ६३ के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से पढ़ देता हूं। मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं

(विराम)

अध्यक्ष महोदय मैं दो बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृति)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

मैं दी बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन अध्यादेश, १६६६ (अध्यादेश संख्या २, १६६६) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी प्रक्रिया के नियम ६३ के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दामोदरलाल व्यास !

वापिस लिया जाने वाला विधेयक

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) विधेयक, १६६८ को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृति)

विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री रामकिशन : यह भी गलत किया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री आदित्येन्द्र, श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव

Page No 46

(श्री अध्यक्ष)

की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया गया है कि रूपारेल नदी पर घाट पिकअपवियर को यदि पुन: ऊंचा उठा कर पक्का बना दिया गया तो भरतपुर जिले की नगर, कामा, डीग एवं भरतपुर तहसीलों में सिंचाई के लिये पानी की कमी हो जायगी। इस विषय में पहले से ही राज्य सरकार से जानकारी की गई है तथा जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को शीघ्र ही सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त दो स्थगन प्रस्तावों की ओर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :-

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा है कि बेरी आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने तथा मृतकों एवं घायलों के परिवारजनों को समुचित आर्थिक अनुदान न देने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेरी आयोग के प्रतिवेदन की प्रति कल दिनांक २५-२-१९६६ को राज्य सरकार द्वारा सदन की मेज पर रख दी गई है तथा श्री अग्रवाल ने इस प्रतिवेदन पर चर्चा किये जाने के प्रस्ताव की सूचना भी दी है। ऐसी स्थिति में श्री अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री रामचन्द्र आर्य तथा श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जिला श्री गंगानगर की नोहर, भादरा, सूरतगढ़ तहसीलों में अकालग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामों में सरकार द्वारा मौके पर बोली करवा कर पीने के पानी के कुएं माह अक्टूबर व नवम्बर, १९६८ में चालू किये थे किन्तु मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी गई है तथा कई गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सस्ते अनाज व राहत कार्य का भी कोई प्रबन्ध नहीं होना बतलाया है। यह विषय इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व-निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त संबंधित माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट पर होने वाली बहस के दौरान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अत: इसे मैं सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह इस कारण से रखा है कि चार महीने से आज तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। सरकार के द्वारा कुएं चलवाये गये उन पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। ४५)रु० ४४)रु० और ३०)रु. रोजाना में कुएं चलवाये गये, लेकिन सरकार कहती है कि २५) से ऊपर बोली नहीं दी है इसलिये खुद भुगतो। चार महीने तक लोगों को मजदूरी न मिले और × × × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

एक्सपन्ज किया गया।

राजस्व मंत्री।

× × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

Page No 47

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक रूपारेल नदी के पानी को रोकने के सम्बन्ध में सूचना चाही है। इसके लिये मैं आभारी हूं। साथ इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कुछ जानकारी की बात कहना चाहूंगा क्योंकि यह प्रश्न बड़ा अहम है।

श्री अध्यक्ष : यह अवसर नहीं है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट की बात है। ४० हजार एकड़ जमीन, इस रूपारेल नदी से हमेशा से सिंचित होती है। इस रूपारेल नदी से शुरू से ही भरतपुर जिले की डीग तहसील, कामा तहसील, पहाड़ी तहसील, नगर तहसील का पूरा इलाका सरसब्ज होता है। अगर इस नदी के पानी को रोक दिया गया तो इन चारों तहसीलों का इलाका उजड़ जायेगा और वहां के लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। यही नहीं, इस नदी के पानी के सम्बन्ध में वाद-विवाद रियासती जमाने से ही होता आया है। तत्कालीन राजाओं के जमाने में भी दिल्ली से यह तय हुआ था कि इस नदी का ६० प्रतिशत पानी भरतपुर जिले को मिलता रहेगा। इस बीच में घाट पिक अप वियर को पुख्ता बना दिया जायेगा। पार साल इसके ऊपर बोरियों का बांध बना दिया। अब इसी बांध को आठ फीट ऊंचा बनाने की योजना है। इसके टेन्डर दिये जा चुके हैं और इसका काम शुरू ही किया जाने को है। अगर इस प्रकार का षडयन्त्र रचा गया तो मन्त्री महोदय को मैं वहां कि स्थिति के बारे में चेतावनी दिये देता हूं और बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं कि इससे उस इलाके की दो लाख जनता के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाय। अगर वहां की जनता के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किये जाने का प्रयास किया गया तो वहां के गरीब लोग, किसान लोग अपनी रोजी रोटी का सवाल लेकर तबाही कर देंगे। हमें हमारी नदी का पानी प्राप्त करने का अक्षुण्ण अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : यह स्वीकृति के लिये प्रश्न पड़ा हुआ है माननीय सदस्य। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय राजस्व मन्त्री का वक्तव्य।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इसका दिन निश्चित करवा दीजिये।

शासकीय वक्तव्य

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्र) : राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा १२६ एवं उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों के प्रावधान के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अकाल एवं अभाव की स्थिति में राज्य सरकार अथवा उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भू-राजस्व की वसूली को पूर्णतया तथा आंशिक रूप से स्थगित अथवा माफ करने के आदेश जारी कर सकते हैं।

इस वर्ष राज्य में अभूतपूर्व अकाल की स्थिति होने के कारण दिनांक १९-१०-६८ को एक आज्ञा द्वारा सिवाय गंग कैनाल और चम्बल क्षेत्र के भू-राजस्व के न वसूल करने के आदेश दिये हैं तथा अकाल सहायता विभाग विभिन्न जिलों से अकाल के संबंध में विवरण प्राप्त होने पर अकाल घोषित करने एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा १२६ के अन्तर्गत लगान वसूली के स्थगन के आदेश समय-समय पर जारी करता रहा है।

Page No 48

(श्री रामकिशोर व्यास)

यह ठीक है कि इस वर्ष में राजस्थान में अकाल की स्थिति बहुत भयंकर है किन्तु पिछले वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षाकृत अच्छी फसल हुई थी, उसके आधार पर किसान लोग अन्य ऋणों की किश्तें चुकाने की स्थिति में किसी सीमा तक थे। इसलिये इन ऋणों की किश्तें स्थगित करना उचित नहीं था। दूसरे नियमों के अन्तर्गत दिये गये कर्जे के लिये किसान जो करार राज्य सरकार से करते है उनकी शर्तों के अनुसार भी ऐसा करना नियम संगत नहीं था। परन्तु इन ऋणों की वसूली के लिये भी राज्य सरकार ने यह आदेश दिये थे कि कोई बल-प्रयोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जावे। फिर भी राज्य सरकार ने हाल ही में जो आदेश प्रसारित किये हैं उनके अनुसार राजस्व वसूली को स्थगित करने के साथ-साथ ही सभी प्रकार के कृषि ऋण (अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन) तकावी ऋण, पंचायत समिति ऋण की वसूली स्थगित कर दी है। केवल ट्रेक्टर एवं पम्पिंग सेट की खरीद के लिये दिये गये ऋण तथा कुओं के निर्माण पर दिये गये ऋण की किश्त एवं ब्याज की वसूली केवल दो किश्तों मे ही की जायगी।

(१.०५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य सरकार किसानों की कठिनाई के प्रति पूर्ण सजग है और जो राहत संबन्धित अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत दी जाना सम्भव है, वह राज्य सरकार प्रदान कर चुकी है। यह तथ्य नहीं है कि भू-राजस्व के अलावा ऋण आदि की सारी वसूलियां कड़ाई के साथ की जा रही हैं क्योंकि राज्य सरकार ने बलपूर्वक वसूल किये जाने की मनाही कर दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, बलपूर्वक का मतलब तो यह है कि वसूली बलपूर्वक नहीं की जायेगी। परन्तु आपके जो अधिकारीगण हैं वे जबर्दस्ती लोगों पर डंडा चलाकर पैसा वसूल करते हैं। आपका यह आदेश यहां धरा का धरा ही रह जायगा और अकाल-पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों की तरफ आपका ध्यान देना जरूरी है, जिनके पास खाने के लिये अनाज नहीं है, बच्चों के पालन-पोषण के लिये कोई साधन नहीं हैं, वे किस प्रकार से सरकार की वसूली को दे सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : For your information, it has been stopped now.

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो यहां पर कहते हैं कि कड़ाई नहीं की जायगी, परन्तु आपके कहने का, आदेश की कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप एक मिनिट मेरी बात सुन लीजिये। सिर्फ पंपिंग सेट और ट्रेक्टर का ही जारी रखा है और वह भी दो किश्तों में लिया जायेगा।

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट-सु.) : लगान तो आपने माफ कर दिया है किन्तु ...

एक माननीय सदस्य : पुरानी इन्स्टालमेंट की भी अब वसूली हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम करौल (जमुवारामगढ़) : कुओं के निर्माण का जो तकावी लोन है, उसका आपने आदेश जारी किया है। ट्रैक्टर के लिये आप जरूर ले सकते हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि पम्पिंग सैट और कुओं के लिये भी ऋण की वसूली स्थगित की जानी चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : यह माना जाये कि जब पानी नहीं है तो पंपिग-सेट से कैसे इरिगेशन होगा ? जिस एरिया में पानी ही नहीं है, वहां कैसे सिचाई हुई होगी इसलिये इसकी भी वसूली क्यों की जाय।

श्री नाथूराम करौल : राजस्व मन्त्री महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि जब अकाल की स्थिति हो जाती है तो पंपिग सैट से जो फायदा मिलता है वह चार आना ही फायदा मिलता है। ट्रैक्टर से भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है, जब अकाल का समय आता है। जो कुए बनाये हैं उन कुओं का रिटर्न भी नहीं मिलता है क्योंकि पानी की कमी है तो किसान कहां से पैसा देगा ? इसलिये मेरा राजस्व मन्त्रीजी से नम्र निवेदन है कि अक्तूबर, ६६ तक इस वसूली का स्थगन जरूर होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर तहसील के अन्दर जो पटवारी लोग हैं, वे वसूली के लिये जबदस्ती कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसलिये वसूली जरूर स्थगित होनी चाहिये। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम रबी की फसल आने तक इसको जरूर स्थगित करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटीसी बात कहना चाहता हूं...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं भी एक छोटीसी बात कह रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार का एक कानून ऐसा बना हुआ है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रोसीडिंग्स रियेलाइजेशन ऑफ मनी की पेंडिंग है और उस एरिया में अकाल हो गया है तो उस लॉ के तहत एक दरख्वास्त पेश कर देने मात्र से वह रियेलाइजेशन की सारी प्रोसीडिंग्स और कोई मनी रियेलाइजेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो वह वहीं स्टे कर दी जाती है और एबेयान्स में डाल दी जाती है। यह लॉ का प्रोवीजन है। यह लॉ की मन्शा है। अतः मैं राजस्व मन्त्री महोदय से, और, उपाध्यक्ष महोदय, आप उनमें गणमान्य हैं, इन दोनों श्रीमानों से यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से कहें कि यह जो पोर्शन ऑफ दी लॉ है कि रियेलाइजेशन नहीं हो सकता तो उस सूरत के अन्दर तकावी व अन्य ऋणों की जो वसूली है, वह अनुचित है। मेरा निवेदन है कि आप इनको कम से कम चार किश्तों में वसूल करें। इसको ऐसी रीजनेबल किश्तों में विभाजित कर दीजिये जिससे कि काश्तकारों का भला हो और उनको कोई दिक्कत न हो और उनके साथ सख्ती नहीं होनी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह दुष्काल के समय में उत्पादन से सम्बन्धित विषय है। माननीय श्री आर्य ने जो कहा उसमें उनके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। जहां तक ट्रैक्टर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े काश्तकारों के पास है लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि आपकी जो योजनाएं हैं वे कई कमियों से भरपूर हैं। एक किर्लोस्कर का पम्प ५,००० रु. में मिलता है और फिर दो किश्तों में उसकी वसूली, यह अवास्तविक है। मेरा खयाल है कि यह काश्तकारों के लिये घातक नीति है, आप इस ओर भी देखिये आपके यहां के किर्लोस्कर पम्पिंग सेट्स जो पहले दो-दो हजार में मिलते थे उन्ही की कीमत आज पांच हजार रुपये कर दी गई है किर्लोस्कर पम्प पांच हजार में मिलें और आपके इस अवमूल्यित रुपये के कारण तो इस से ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। समाजवाद की दुहाई देने वाली सरकार को सोचना चाहिये। अब से दस साल पहले ये ही पम्पिंग सेट्स दो-दो हजार रुपये में मिलते थे जिनके पांच हजार रुपये हो गये। फिर भी कहते हैं कि आपने लाभ उठाया है इस कारण आप दो किश्तों में उनसे वसूली कर रहे हैं और वह भी जैसा कि श्री आर्य ने कहा डण्डे के जोर से वसूली हो रही है तो यह बहुत ही शर्मनाक चीज है....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है डण्डे के जोर से होगी....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के लिये निवेदन कर रहा हूं वहां तरह तरह की वसूलियां हो रही हैं। जहां अभाव है, अकाल है वहां पर भी किसान लोगों से किस्तें वसूल हो रही हैं। आप तो कह रहे हैं कि लगान उनको माफ है लेकिन आपके अधिकारी जबरदस्ती वसूली कर रहे है। पंचायत समितियों की वसूलात हो रही हैं। राजस्व मंत्रीजी आपका प्रशासन किस ढंग का है मैं तो इसको अत्याचारी शासन के अलावा कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामकिशन (वैर) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं ट्रेक्टर और पम्पिंग सेट वालों से और कुओं वालों से आप लगान लेंगे। जब आप अकाल मानते हैं तो किसी से भी वसूली नहीं होनी चाहिये। जिनके पास ट्रेक्टर है या पम्पिंग सेट हैं उनके पास रकबा भी ज्यादा है उनको नुकसान भी ज्यादा होगा। एक वर्ष में यदि ज्यादा कमा लिया तो पहले वर्ष की कमाई तो वह कुए आदि खुदवाने में खर्च कर देता है फिर भी उनसे वसूली होती है तो यह उनके साथ निरन्तर अन्याय है।

पंचायत समिति के कर्जे के बारे में सर्वे करा लिजिये सौ किसानों ने कर्जा लिया उसमें से केवल १५ के ही कुओं में पानी निकला है बाकी के तो केवल गड्ढे ही पड़े हैं। इस बारे में पंचायत राज संगठन ने भी रिपोर्ट दी है। उसने भी कहा कि उनके कुओं में पानी नहीं निकला है उनसे भी आप वसूली करने जा रहे हैं, उनको भी मुनाफा होना चाहिये। इतना होने के बावजूद भी अगर उन लोगों से वसूली होती है तो उनमें ज्यादा गरीबी फैलेगी और उनमें ज्यादा अशान्ति फैलेगी। मन्त्री महोदय ने आदेश तो जरूर निकाला है लेकिन जो कर्मचारी हैं वे तो वसूल करना अपना अधिकार समझते हैं, आप भले ही यह कहें कि सख्ती नहीं बरती जायगी लेकिन वे अधिकारी सख्ती बरतेंगे। आपके आदेशों में भी विरोधाभास है और मन में भी विरोधाभास है। अतः आप सामन्जस्य बिठाकर ऐसा आदेश दें कि अगली अच्छी फसल तक वसूली स्थगित रहनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो फरमाया उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो कुछ मैंने निवेदन किया शायद उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना नहीं है। मेरी कभी भी यह मन्शा नहीं थी पम्पिग सेट्स या ट्रैक्टर के लिये जो कर्जा दिया उनको दो किस्तों में वसूल किया जाय यह मेरा आशय नहीं था। कर्जा दिया जाता है वह पांच सात दस साल को अवधि के लिये दिया जाता है। मैंने इस सम्बन्ध में कहा है कि दो किस्तों से ज्यादा भी किसी पर चढ़ गई है तो वह वसूल नहीं की जायगी ..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खास तौर से गरीबों से न की जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये जो लोन दिया हुआ है वह लम्बी अवधि के लिये होता है अगर किसी पर दो किश्तें भी चढ़ गई हैं तो उसको रिएलाइज नहीं करेंगे।

आपने जो कुए के बारे में फरमाया सिर्फ उन कुओं पर रिएलाइजेशन करेंगे। जिसके जरिये खेती हुई है अगर खेती नहीं हुई है, पानी नही निकला है तो उससे रिएलाइज नहीं करेंगे।

पम्पिग सेट की जो बात कही है वह भी पानी होगा तो पैदा होगा अगर पानी नहीं निकला है तो उससे भी रिएलाइज नहीं करेंगे।

इसके अलावा यह आर्डर इतना क्लीयर है कि वसूली नहीं की जायगी इसमें कोई कोअर्सिव मेथड यूज नहीं किये जा सकते। यह आर्डर स्पष्ट है किसी प्रकार की गलत फहमी नहीं होनी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इरिगेशन वेल्स के लिये जो लोगों को लोन दिया गया है किसी वजह से कुए खोदे ही नहीं क्या उनसे भी नहीं वसूल किया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : इरिगेशन हुआ है वहीं से लेंगे।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : ऐसे आदमी जिन्होंने लोन तो कुओं के लिये लिया और वह पैसा दूसरे कामों में खर्च कर दिया उनसे तो जरूर वसूल किया जाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय विश्नोई जी ने जो समस्या रखी है जिन्होंने कुओं के लिये पैसा लिया और वे खोदे ही नहीं उनसे तो स्काट फ्री लेना चाहिये। इसके अलावा एक किसान बड़ी मेहनत के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी देता है, ठहर-ठहर कर देता है, बहुत मेहनत करता है और फसल तैयार करता है उसके बारे में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। हमारे दक्षिणी क्षेत्र में जहां अधिकांश कुए ऐसे हैं, १०० में से ८० कुए ऐसे हैं जिनमें आधा घण्टा पम्पिग करने से ही पानी समाप्त हो जाता है, ऐसे कुओं के बारे में भी आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। इस समस्या की ओर वास्तविक दृष्टिकोण अपनाकर सहानुभूतिपूर्वक, उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये। आपकी जो नौकरशाही है वह निरंकुश हो गई है जो मनमानी करना चाहती है, गरीब किसान से जबरदस्ती वसूल कर लेती है अगर उसको दस पांच रुपये रिश्वत के मिल जांय तो उसको तंग करना छोड़ देती है आपके कर्मचारियों द्वारा जनता पर ज्यादतियां हो रही हैं। जिसको आप दूर नहीं कर सकते।

Page No 52

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो इनके बस की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : निन्दा प्रस्ताव पर विचार। श्री भैरोंसिंह !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने अध्यक्ष महोदय के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस संबंध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। वह प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं ? वह एडमिट हो गया है या नहीं हुआ है ? कब इस सदन मे विचारार्थ आयेगा ? उसका क्या हुआ इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी प्रक्रिया तो नियमों में लिखी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडमिशन के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिये वह एडमिट हुआ है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस होने के बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिये वह नियमों में दी हुई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उसको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है ? वह किस दिन लिया जायगा, यह तो हमें मालूम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में देख लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नियमावली में तारीख तो नहीं दी है वह तो आपको ही डिक्लेअर करनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये १४ दिन का नोटिस चाहिये, उसके बाद हाउस में आयेगा उस पर रिक्वायर्ड नम्बर ऑफ मेम्बर्स का सपोर्ट होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय चाहें तो चौदह दिन पूर्व भी ले सकते हैं।

अकाल सहायता सबम्न्धी निन्दा प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के विषय को लेकर सरकार के खिलाफ जो निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की भीषण समस्या, यह न सरकार से छिपी हुई है, और न राजस्थान की जनता से छिपी हुई है। सारे देश में राजस्थान की अकाल की स्थिति को लेकर हमने सहायता अभियान चालू कर प्रत्येक नागरिक को यह बताया है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति कितनी भयंकर है। राजस्थान में अकाल कोई इसी वर्ष नहीं पड़ा है। यह अकाल निरन्तर एक साइकिल से चलता आ रहा है। किसी क्षेत्र में हर दूसरे वर्ष तो कुछ क्षेत्रों में हर तीसरे वर्ष, अकाल की स्थिति बनती है बल्कि पिछले वर्ष से कई क्षेत्रों में तो छः छः वर्षों से निरन्तर अकाल पड़ने की स्थिति आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम प्रकृति के ऊपर अपना कन्ट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यह बात भी सही है कि प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिये हम साधन अवश्य जुटा सकते हैं। उस प्रकार की स्थाई व्यवस्था अवश्य कर सकते हैं जिन सबके

(श्री भैंरोंसिंह)

परिणामस्वरूप अकाल की परिस्थितियों पर आसानी से काबू किया जा सकता हो।

मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर साल अकाल की व्यवस्था में राहत काम खोलने के लिये सरकारी धन खर्च किया है। लोगों को मजदूरी भी दी है। कुछ आवश्यक कार्य भी हमने किये हैं। लेकिन इस चीज को महसूस करने के बाद भी कि राजस्थान में हर वर्ष अकाल पड़ता है, राजस्थान का कोई न कोई क्षेत्र अकाल से प्रभावित रहता है, हमने पिछले बीस वर्षों में कोई अकाल का स्थायी समाधान किया जावे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की।

यह उसी का परिणाम है कि इस वर्ष अकाल पड़ने पर हमारी राज्य सरकार भी त्राहि-त्राहि करने लगी। राजस्थान की जनता भी त्राहि-त्राहि करने लगी और हम भी राजस्थान से निकल कर सारे देश में अकाल राहत के अन्दर सहयोग प्राप्त करने के लिये मांगने वालों के रूप में निकले। लेकिन हमने यदि इस बात का कभी विचार किया होता कि प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिये राजस्थान में हमें स्थायी समाधान की व्यवस्था करनी चाहिये तो मेरा ऐसा अनुमान है कि प्रकृति का प्रकोप चाहे कितना ही भयंकर हो, हम अकाल पीड़ित जनता को उस भयंकरता से आसानी से बचा सकते थे।

इस वर्ष राजस्थान में २२,७६६ गांवों में अकाल पड़ा है और सरकार के आंकड़ों के के अनुसार १ करोड़ ३२ लाख जनता इस अकाल से प्रभावित है।

सरकार का यह कहना है कि हमने ७५० राहत के काम खोले हैं जिनमें लगभग ७ लाख मजदूर काम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आठ लाख।

श्री भैंरोंसिंह : आठ तो गवर्नर साहब को बता दिया कि भाषण में न लिखें। ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन आंकड़ों के विवाद में कि कितने सही है और कितने गलत हैं, नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इस सरकार से यह जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर पिछले वर्षों में हमने जो ३५ करोड़ रुपया सन् ६७-६८ तक अकाल के नाम पर खर्च किया है, क्या राज्य सरकार उन ट्यूब वैल्स की बात को छोड़कर यह कहने की सामर्थ्य रखती है कि इस ३५ करोड़ के खर्चे में हमने राजस्थान में अकाल की समस्या का समाधान करने के लिये कोई एक भी स्थाई उपचार किया ? यह ट्यूब वैल क्या बला है, किस प्रकार यह योजना बनी और इसके क्या-क्या पहलू हैं, इसका आगे चलकर उल्लेख करूंगा। इस समय तो मैं सरकार से केटेगोरिकली यह बात पूछने के लिये इस सदन में यह बात रखना चाहूंगा कि ५६-५७ से लेकर नहीं, ५२-५३ से लेकर अब तक ६७-६८ तक जो ३५ करोड़ खर्च किया और अब इस वर्ष अकाल में मेरे अनुमान से लगभग सात करोड़ और खर्च कर पावेंगे तो इन सारे खर्चों को करने के बाद भी अगले साल भी यह कहकर चल सकेगी यह सरकार कि हमने अकाल के सम्बन्ध में अमुक प्रकार का स्थायी काम किया है।

राहत के काम खुले हैं। मजूरी लोगों को मिली। पर यह अकाल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। भूखे को रोटी दे दी। पर भविष्य में रोटी मिलती रहेगी इसकी हमने यदि व्यवस्था नहीं की तो वह रोटी मांगने वाले हर साल भिखारी के रूप

(श्री भैरोंसिंह)

मे खड़े होंगे। टैक्निकली भिखारी नहीं, पर सरकार के कामों की इन्तजार में अपने पेट को भरने के लिये हमेशा इस बात की प्रतीक्षा करके बैठे रहेंगे कि हमारे यहां पर राहत कार्य खुलने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय, राहत और राजनीति इस सरकार की किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान की सरकार ने इस अकाल की समस्या का समाधान करने के लिये एक बार एक स्टडी ग्रूप की नियुक्ति की थी। उसने भी राजस्थान सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। पर मैं तो नहीं समझ पाता कि स्टडी ग्रूप ने जो सुझाव दिये हैं उनके अनुसार इस वर्तमान अकाल में राजस्थान सरकार कोई कदम उठा रही है। ट्यूब वेल्स खुदेंगे यह प्रश्न अलग है। पर बाकी का कौनसा स्थायी समाधान स्टडी ग्रूप की सिफारिशों के अनुसार जो परमानेन्ट मेजर्स सजेस्ट किये हैं कौनसा मेजर अब तक राजस्थान सरकार ने एडोप्ट किया जिससे यह विश्वासपूर्वक कहा जा सके कि प्रकृति का इस वर्ष प्रकोप हुआ है, कोई चिन्ता की बात नहीं, राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता ने, राजस्थान की सरकार ने और भारत सरकार ने करोड़ों रुपया मिल कर इन स्थायी हल पर खर्च किया है और अकाल की समस्या का स्थायी समाधान किया है। हम प्रकृति को चुनौती देते हैं कि इस वर्ष तो उसने तबाही की हैं, पर अगले वर्ष प्रकृति को मुंह की खानी पड़ेगी। हम स्थायी रूप से इसका हल कर पावेंगे। यह कहने की स्थिति में आज भी यह सरकार नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब निन्दा प्रस्ताव रखा गया तो पाली से आने वाले माननीय सदस्य कहने लगे कि ये राहत के काम हमने खोले हैं। कौन इन्कार करता है इससे और कौन कहता है कि नही खोले हैं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। आपने खोले हैं, लोगों को मजदूरी मिली है। पर निन्दा इस बात की की जाती है कि जो राहत के काम खोले हैं उनमें राजनीति और भ्रष्टाचार खुले आम बढ़े हैं। मजदूरों का शोषण किया गया है। राहत कामों में टैक्स पेयर की कमर तोड़ी है। हम नहीं कहते उपाध्यक्ष महोदय, कि राहत के काम नही खुले है, खुले हैं, और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि राहत के काम खोलने में, खोलने के बाद मजदूरों को सही प्रकार से उचित वेतन मिले, इस आवश्यकता की पूर्ति कर दी जावे। राहत के कामों का तो यही मतलब होता है। राहत के कामों में राजनीति नहीं चलती। आप लोग कहते हैं। पर राजस्थान का सरकारी पक्ष इन्कार नहीं कर सकता कि राहत के कामों में राजनीति नही चलती है। आपको याद होगा, मुख्य मन्त्रीजी, को याद होगा कि आम चुनावों में नसीराबाद के क्षेत्र में किस प्रकार से अकाल राहत की आड़ में राजस्थान के मन्त्रियों ने चुनाव जीतने के लिये लाखों रुपया खर्च किया था। इसकी जांच सदन के माननीय अध्यक्ष ने की है और अपनी जांच की रिपोर्ट मुख्य मन्त्रीजी को दे दी है। मैं पूछता हूं आपने अब तक उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इसी तरह से ६७ के चुनावों में डूंगरपुर जिले में अकाल के नाम पर विरोधी दल के नेता महारावल, जो यहां बैठे हैं, उनको हराने के लिये दो करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है। यह मैं नही कहता। राजस्थान में जिस समय अकाल की स्थिति बनी थी यह राजस्थान की सरकार के सामने

Page No 55

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान के एक कमिश्नर ने प्रोपोजल रखे थे कि डूंगरपुर जिले में अकाल राहत काम खोले गये हैं, उनकी जांच की जावे। जांच की गई। जांच के सम्बन्ध में कहा गया कि फाइनेन्स कमिश्नर इसकी जांच करें, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन जांच करें, पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इन्जीनियर जांच करें। पर उनसे नहीं कराई गई। आपने इसके लिये एक अफसर श्री अजमेरा की नियुक्ति की। इस सदन को सुनकर अफसोस होगा और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यदि आप में दम है, अकाल राहत मन्त्रीजी आप उस अजमेरा की रिपोर्ट को सदन में रखें जिसमें लिखा है कि ५० लाख का ओवर पेमेन्ट हुआ है। आज मैं ही नहीं कह रहा हूं, सरकारी अधिकारियों ने जांच कर लिखा है, उस अधिकारी ने लिखा है कि साढ़े तीन हजार मस्टररोल झूठे लिखे हुए हैं। उस सरकारी अधिकारी ने, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने बच्चों के नाम पर दस्तखत करा कर, गलत मस्टर-रोल भर कर पेमेन्ट कराया है। आप किस बात का प्रमाण चाहते हैं अकाल के अन्दर राजनीति नहीं चलती? आज भी कई स्थानों पर सदस्य स्पष्ट कह कर चलते हैं कि हमारे अमुक क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और अकाल राहत कार्य इसलिये नहीं खुला कि वहां से विरोधी पक्ष जीत कर गया है। कई जिले ऐसे हैं जिनमें १०-१० मजदूर काम कर रहे हैं केवल इसलिये कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद वहां राजस्थान की विधान सभा के लिये चुनाव होने वाला है। आज कई क्षेत्रों में अकाल है लेकिन उन क्षेत्रों में कोई काम नहीं खुले हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कल माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हमारे पास शिकायतें आनी चाहियें। मैं आपको प्रमाण सहित कि किस प्रकार मस्टररोल गलत बनाये जाते हैं, किस प्रकार मस्टररोल का गलत पेमेन्ट किया जाता है सब शिकायतें मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से पेश करूंगा और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आज तक इन भ्रष्टाचारियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो पाली से आये हैं वह कान खोल कर सुन लें पाली में राहत काम खोले और पाली की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें एक-एक गेलन पानी १०-२० रुपये का बताया है। उस पर राजस्थान की सरकार ने क्या किया? क्या किसी अधि-कारी के खिलाफ एक्शन लिया? मैं समझता हूं सरकार सो जाती है। यदि सरकार सोती नहीं तो जिन लोगों ने भ्रष्टा-चार का काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लेती। राजस्थान की सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया है। बाड़मेर से आने वाले बाड़मेर के विधायक ने कई बार शिकायत की। मैं स्वयं जहां राहत कार्य चल रहे थे, गया और सरकारी अधि-कारियों को मैंने बताया कि फर्जी मस्टररोल बन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई जानकारी नहीं मिली कि सरकार ने एक्शन लिया हो–एक्शन लें क्यों, राजनीति आती है। आजकल आप भी (मन्त्री महोदय की ओर संकेत कर) घूमते हैं. मैं भी कई स्थानों पर जाता हूं। रामसर से चौहटन सड़क में कई घोटाले हैं या तो वे इस विधान सभा में खड़े होकर साबित करें या मैं पूरे मन्त्रिमण्डल को चुनौती देता हूं कि जो २५ मील में २२ लाख का खर्चा किया गया है, हिन्दुस्तान की कोई सड़क यह साबित नहीं कर सकती

(श्री भैरोंसिंह)

है कि २२ लाख का खर्चा वाजिब है। जो औसत एक मील का निर्माण का खर्चा आता है वह लगभग ४०-४२ के आता है। २२ लाख का खर्चा रामसर से चोहटन तक क्यों हुआ—इसके पीछे कारण हैं, वहां के जो कार्यकर्त्ता हैं, जिन लोगों ने पैसा खाया है वह कांग्रेस के नेता हैं। उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को चुनौती देकर कहता हूं कि जिस दिन असेम्बली में यह सिद्ध कर देंगे कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है तो मैं समझूंगा कि वाकई वजूहात को समझकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें दो कारण हो सकते हैं—सरकारी अधिकारी पैसे खाते हैं या सरकारी अधिकारी राजनैतिक दबाव से काम करते हैं इन दोनों बातों में से एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी या जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसको आप संरक्षण देना चाहते हैं इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं तो जो फेमीन में गड़बड़ी हुई है, उसका मैंने पूरा स्टेटमेंट तैयार किया है, किस-किस श्रेणी में कितना-कितना पैसा खाया गया उसको मैं सदन की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रखता हूं। मस्टर रोल झूंठे बनाये गये, झूंठे मजदूरों के दस्तखत कराये गये, किस प्रकार मजदूरों का शोषण किया गया है। आज निन्दा हम इस बात की नहीं करते कि राहत काम क्यों खोले, आज निन्दा इस बात की नहीं करते कि मजदूरों को पैसे ठीक नहीं मिले। निन्दा इसलिये करते हैं कि राजस्थान के टैक्स पेयर्स और राजस्थान के दानदाता ने जो पैसा दिया है उसका उचित उपयोग और उचित व्यवस्था नहीं कर सके, इसलिये निन्दा की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर यह गड़बड़ी क्यों हुई ? इसके कारण होंगे तो मन्त्रीजी यह कहकर चलेंगे कि हम तो पैसे खाते नहीं हैं, फिर यह पैसा कौन खाता है। या तो मन्त्री महोदय यह स्वीकार करके चलें कि हम तो पैसे खाते नहीं हैं लेकिन हम अयोग्य हैं, खाने वाले को रोक नहीं सकते। जो खाते हैं उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आप अयोग्य हैं और जो बेईमानी करना चाहते हैं, नीचे की श्रेणी के वह ऊपर तक चली जाती है। अगर आप योग्यता का क्लेम करते हैं तो नीचे के स्तर पर जो चोरियां होती हैं उनको रोकिये। आप कहते हैं हम उसको रोकने के लिये सक्षम नहीं हैं और सक्षम नहीं है तो आवश्यकता होती है इस बात की कि सरकार की निश्चित रूप से निन्दा की जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं राजस्थान की सरकार ने कटौती के कानून चालू किये हैं उनको पी. डब्ल्यू. डी. की बेसिक रेट पर किस प्रकार मजदूरी दी जाय। इसकी व्यवस्था यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० और अकाल में बड़ा अन्तर है। पी० डब्ल्यू० डी० में जिस प्रकार काम किया जाता है अकाल में उस प्रकार का काम नहीं हो सकता है। अकाल में राहत देना चाहते हैं, अकाल में काम मानवीय दृष्टिकोण से होता है, उस दृष्टि से आप यह कल्पना नहीं कर सकते अकाल से पीड़ित मानव जितना श्रम करते हैं उतना श्रम एक अकाल पीड़ित मानव कर लेगा यह सम्भव नहीं है। और इसलिये काम खोलने की बात को राहत की संज्ञा दे रहे हैं तो मन्त्री महोदय मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा आपने ५० आदमियों का गैंग बना कर वर्क बेसिस पर पेमेन्ट किया जाय तो मुझे काफी अफसोस हुआ। आज जब फूड एडवाईजरी कमेटी के प्रोसीडिंग्स को देखा तो

(श्री भैरोंसिंह)

मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि उस एडवाईजरी कमेटी में यह बात नहीं आई है, यह किस प्रकार एड की गई और बाकी के मेम्बर्स की सलाह से कोई जिक्र नहीं हुआ लेकिन उसको इन्ट्रोड्यूस किया गया है। अब आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि फूड एडवाईजरी कमेटी......

श्री रामकिशन : फेमिन ऐडवाइजरी कमेटी।

श्री भैरोंसिंह : फेमिन एडवाईजरी कमेटी किस आधार पर निर्णय लेकर चलती है, किस प्रकार यह निर्णय लिया–५० का गैंग जो इस रूप में होता है कि औसतन इतनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी–५० आदमियों में से २० आदमी तो सुपरवाईजर के, कुछ ओवरसीयर के और कुछ इंजीनियर के होते हैं और जब पेमेन्ट का सवाल खड़ा होता है तो सरकारी अधिकारी काम का मापदण्ड लगाते हैं। उन पचास आदमियों का काम वे ३० आदमी कर नहीं पाते हैं इसलिये वेजेज काटते हैं। एक नहीं सारे स्थानों से इस सरकार को शिकायतें मिली हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस बात की जांच की कि मस्टररोल गलत भरे हुये हैं, किस प्रकार उसका असेसमेंट किया जाता है, मस्टररोल की कभी लिस्ट ली? मस्टररोल में सन ऑफ लिखने की आवश्यकता नहीं। मस्टर-रोल में पिता का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। मस्टररोल में उम्र लिखने की आवश्यकता नहीं। खाली नाम लिखकर मस्टररोल बना दिया और मस्टररोल का कटौति करके पेमेन्ट कराया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा यदि आप राहत देना चाहते हैं तो सरकारी अधिकारियों से ठीक प्रकार उनको राहत दिलवायें। एक तरफ उनको अकाल खा रहा है, दूसरी तरफ उनको महंगाई खा रही है, तीसरी तरफ उनको बेकारी खा रही है और चौथे सरकार की मशीनरी उनको खा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों से गलत हार मत खाओ, यदि उनसे हार खा गये तो अभी तो वे जनता को खा रहे हैं और एक समय ऐसा आयेगा कि वे आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कई बार स्वीकार किया कि अकाल में ४० हजार व्यक्ति खुले में सोते हैं। मुख्य मंत्रीजी की स्वीकारोक्ति असफलता का द्योतक है। राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं मानते हैं कि राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, गरीब मजदूरों ने पहनने के कपड़े बेच दिये, खाने के बर्तन बेच दिये और मुख्य मंत्रीजी महसूस करके चलते हैं कि ४० हजार के करीब लोग खुले के अन्दर पड़े हैं। जब यह प्रश्न आया कि इनके लिये सिरकियों की व्यवस्था की जाय, इनके लिये टेन्ट्स उपलब्ध कराये जायें तो सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि इस सरकार के सर्वेसर्वा जो कि मुख्य मंत्रीजी के ऊपर हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नाथूरामजी मिर्धा वह भाषण देते हैं कि सिरकियों के लिये १ लाख रुपया क्यों खर्च किया जाये, केवल तीन महीने की सर्दी है और तीन महीनों के बाद ये सिरकियां बेकार हो जायेंगी। मेरी समझ में नहीं आता उनका तर्क और पहले भी समझ में नहीं आता था। अकाल के समय में कौन-कौन से इम्पलोमेन्ट्स चाहिए इसकी व्यवस्था हो यह भी नहीं मालूम। कान खुल गए उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान के किसी कौने में ऐसे काम नहीं चलते कि

(श्री भैरोंसिह)

फावड़ा नहीं है, परातें नहीं हैं और लोग झोलियों में मिट्टी डाल रहे हैं, जो उनके पास कम्बल थे उसमें भरकर मिट्टी डाल रहे, खाने की जो थालियां थीं उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे कटोरियों को लेकर उससे मिट्टी डाल रहे हैं। अब कटोरी और कपड़ों में क्या कोई काम हो सकता है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सितम्बर के महीने में जब अकाल की स्थिति पूर्णतया सामने आ गयी क्या सरकार ने एस्टीमेट्स बनाये थे कि इतने आदमी अकाल के अन्दर पीड़ित होंगे और इतने अकाल राहत के कार्य खोलने पड़ेंगे? अकाल राहत के कार्यों में इतने इम्प्लीमेन्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इस प्रकार के परात और फावड़े चाहिएं और फिर कहते हैं कि जहां कहीं मिले बम्बई में हुकम दे दिया वहां से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, टानों और जयपुर से यह लिए गए। उस समय अगर एक महीने सोच समझकर पहले खरीद लेते तो शायद यह समस्या आपके सामने नहीं आती, लोग परात और फावड़े के बजाय कपड़े और थालियों में मिट्टी नहीं डालते।

अब उपाध्यक्ष महोदय, कई लोग कहने लगे कि राजस्थान में जो भी इस समय राहत के काम खुल रहे हैं उनकी हमें परमानेन्ट व्यवस्था करनी चाहिए। अब परमानेन्ट व्यवस्था क्या है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में, जोधपुर के कुछ क्षेत्र में मिट्टी डाली जाये–केवल मिट्टी। अब वह मिट्टी बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट आर्गेनाइजेशन (सीमा सुरक्षा) के संबंध में कुछ सड़कों का निर्माण किया। उन सड़कों में से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं ६० लाख रुपये की सड़कें हवा में उड़ गयी। यह अकाल राहत की सड़कें नहीं थीं बल्कि सीमा सुरक्षा की सड़कें थीं जो कि ६० लाख रुपये की सड़कें हवा में उड़ गयीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप यह बता सकते है कि आपने राहत कार्य खोले और उनके अन्तर्गत सड़कें बनाई हैं इस गर्मी में हवा चलने के बाद कितनी सड़कें बचेंगी? क्या किसी भी सड़क के बारे में आप कह सकते हैं कि यह सड़क बचेगी।

श्री परसराम मदेरणा : बचेगी।

श्री भैरोंसिह : कैसे?

श्री परसराम मदेरणा : आप साथ चलें तो बता दूंगा।

श्री भैरोंसिह : साथ भी चलते हैं। अब यह हो सकता है उन पर तम्बू डाल दिये जायें, यह भी हो सकता है कि पुलिस के सिपाही खड़े कर दिये जायें, और पुलिस के सिपाहियों को बन्दूकें दे दी जायें और कह दिया जाये कि कोई सड़क उड़ा कर ले जाता है तो फायरिंग हवा में की जाये। मैं इसको महसूस करता हूं कि सभी स्थानों में कई जगह लोगों को रोजगार देने की गरज से हमें इस प्रकार के काम खोलने पड़ेंगे लेकिन मै नहीं समझता कि जहां रोजगार हम ऐसे खोल सकते हैं जो कि बिल्कुल स्थाई किये जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चोहटन तहसील में चले जायें वहां जो बोर्डर रोड्स प्रोजेक्टस की फर्स्ट ग्रेड और सेकिण्ड ग्रेड में जिन सड़कों का केटेगराइजेशन किया है क्या आप उस प्रकार की सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते? क्या

(श्री भैरोंसिंह)

आप उन पर कन्क्रीट और पत्थर नहीं डाल सकते। जो हमने सड़कों का निर्माण किया है उस पर डामर और कन्क्रीट नहीं डाल सकते ? क्या सड़कों को स्थाई नहीं बना सकते ? लेकिन हम उनको स्थाई नहीं बना रहे हैं इसके पीछे अकाल राहत मन्त्रीजी ने नहीं सोचा कि हमारी सरकार की कृपा है राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की कृपा है वह ब्यूरोक्रेसी आपके दिमाग पर हावी है और यह चाहते हैं कि हम जो राहत कार्य मिट्टी के बनाते हैं इसमें जो पैसा खाने की बात चलती है वह यदि पक्की सड़कें बन गई तो क्या खाया जायेगा....

श्री दौलतराम सारण : चुनावों के लिये खर्चा चाहिए और वह ब्यूरोक्रेसी से वसूल होता है तो वह कैसे निकले यह आप भूल गये।

श्री भैरोंसिंह : खैर आपने याद दिला दिया बहुत अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जहां राहत कार्यों की बिल्कुल आवश्यकता है और जहां दूसरे काम नहीं खोले जा सकते हैं लोगों को रोजगार देना जरूरी है वहां हम ऐसे खर्च को भी सहन करके चल सकते हैं जिसका हमें कोई स्थाई लाभ नहीं होने वाला है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें विचार करना पड़ेगा कि हमने इस साल सड़क बनाई अगली साल अकाल फिर आ गया तो फिर वैसी ही सड़क बनाई और फिर भी स्थाई नहीं बनी तो उस पैसे का क्या उपयोग हुआ। डूंगरपुर में ८-८ फुट मिट्टी एक सड़क पर चढ़ गई। हर साल एक-एक फुट मिट्टी चढ़ती है और वहां उस स्थान पर न तो गाड़ी चलती है, न बस चलती है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बरसात आई तो सब शर्बत होकर बह गई।

श्री भैरोंसिंह : वहां हर साल एक-एक फुट करके ८-८ फुट मिट्टी सड़क पर चढ़ गई...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डूंगरपुर में ऐसी कौनसी सड़क है आप नाम बता दें जिस पर ८-८ फुट मिट्टी चढ़ गई। हम उस सड़क का नाम भी जान लें। वहां पर सड़कों पर से मिट्टी उड़ जाये और पत्थर निकल आये यह तो सुना है....

श्री भैरोंसिंह : आप जरा अजमेरा की रिपोर्ट को तो बता दो ..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से हमारा अनुभव है कि हमारे उस इलाके में मिट्टी उड़कर पत्थर निकल जाते हैं लेकिन सड़कों पर एक-एक फुट मिटी हर साल चढ़ती जाये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये मैं इन्टरेस्टेड हूं कि माननीय सदस्य उस सड़क का नाम बता दें कि वह कौनसी सड़क।

श्री मदनसिंह : आपकी मिट्टी उड़ती है और हमारी जम जाती है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह चाहते हैं कि मैं उस प्रसंग को वापिस लाऊं यदि आपमें दम है तो अजमेरा की रिपोर्ट इस मेज पर रखो उसमें आपको पता लगेगा कि डूंगरपुर में कौनसी सड़क पर कितनी मिट्टी चढ़ी और कितनी पिघल गयी ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने तो बात को टाल दिया।

श्री भैरोंसिंह : टाला नहीं लेकिन वह रिपोर्ट पेश कर दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रोड का नाम बता दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर कदासर और डूंगरपुर-पूचसर, साबला-मिठाऊ सब कच्ची सड़कें हैं। अगर बरसात पड़ जाये तो शर्बत बनकर नदी में बह जायें और मुख्य मन्त्रीजी जाकर आये हैं उन्होंने देख लिया होगा।

एक माननीय सदस्य : आपके जमाने में तो सड़कें ही नहीं थीं और अब जो बन रही हैं वह सुरक्षित है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न आता है। राज्य सरकार ने एक फैसला किया कि यदि किसी समाचार-पत्र में यह समाचार छप जाये कि अमुक क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूख से मर गया तो उन्होंने कुछ प्रोफार्मा साइक्लोस्टाइल्ड करा रखे हैं ..

श्री रामकिशन : पहले से ही करा रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले से ही तैयार पड़े हैं अखबार का नाम, गांव का नाम और अमुक आदमी भूख से नहीं मरा यह प्रोफार्मा तैयार किया हुआ डी० पी० आर० में पड़ा है और उसके अनुसार किसी ने स्टेटमेन्ट दिया तो उसका कान्ट्राडिक्शन निकाल दिया। जब अखबार में निकला कि अमुक आदमी भूख से मर गया तो पहले दिन जो चार्ट तैयार किया हुआ है उसको दूसरे दिन सुबह ही सब्यूंलेट कर देते हैं कि आदमी मरा नहीं।

अब दूसरी तरकीब और चली है कि आदमी मरा तो है लेकिन रोग से मरा है। अब रोग क्यों पैदा हुआ ? इसका तो अभी तक सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया रोग क्यों पैदा हुआ, किस चीज के खाने से पैदा हुआ या किस चीज की कमी के कारण पैदा हुआ ? इस तरह की जानकारी आप कोई नहीं देंगे, लेकिन सरकार यह जरूर कहती है कि लोग मरे नहीं। जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में और बीकानेर जिले में रोगों से लोग मरे, भूख के कारण से रोग उत्पन्न हुए और कुछ लोग भूख से भी मरे हैं। आज मुख्यमंत्रीजी कहेंगे कि कोई आदमी भूख से मरे नहीं। मैंने उसकी भी जानकारी की है और उन जिलों के लिए कहना चाहूंगा कि वहां पर जो व्यवस्था की है जांच कराने के लिए वह इस तरह की है कि दो आदमी भूख से मरे तो एस० डी० ओ० दो दिन में जाकर जबरन लोगों से अंगूठे करा ले कि भूख से नहीं मरा। छापर में एक आदमी राजपूत ७ दिन तक भूख से तड़प-तड़प कर मरा। भूख से मर गया। गांव में मर गया। आप समझते हैं जांच कराने की आवश्यकता है तो करा लें, लेकिन इस तरह की जांच नहीं चलेगी कि ग्राम पंचायत के सरपंच को दबा लिया, प्रधान को बुलाकर धमकाया और एस० डी० ओ० ने बुलाकर लोगों को धमका कर स्टेटमेंट लेकर आ गये कि लोग भूख से नहीं मरे। लेकिन मैंने अब इसका कुछ इन्तजाम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सरपंच की चिट्ठी लाया हूं जो कि जिलाधीश, जैसलमेर को लिखी है और उस चिट्ठी में लिखा है, वह ग्राम पंचायत फलसूंड के सरपंच ने लिखी है उस फलसून्ड में मुख्य मंत्रीजी भी जाते हैं, अकाल राहत मंत्रीजी भी जाते हैं खेतसिंहजी ने तो वहां अपना कैम्प ही लगा रखा है ...

श्री खेतसिंह : वह सरपंच आपकी पार्टी का है।

श्री भैरोंसिंह : वह मेरी पार्टी का है लेकिन आपका रिश्तेदार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खेतसिंहजी, आप तो दोनों तरफ हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे पत्र में लिखते हैं—

"श्रीमान जिलाधीश महोदय,
जिला जैसलमेर, राजस्थान।

नवम्बर, सन् ६८ के मृतकों की नामावली।

परम आदरणीय,

उपरोक्त विषय हेतु निवेदन है कि गत तीन वर्षों में १-२-६५ से ३०-१०-६८ तक कुल मृतकों की संख्या ६४ है"।

मतलब यह है कि तीन वर्षों के अन्दर ६४ आदमी मरे हैं। आगे लिखते हैं—

"नवम्बर, १९६८ से आज तक करीब तीन मास में मृतकों की संख्या १३१ हो गई है। अतः सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।

सरपंच, हुकमसिंह, ग्राम पंचायत
फलसून्ड।

यह है तो उसकी चिट्ठी, और यह है मृतकों की नामावली। अब मुख्य मंत्रीजी आप इसको ले लीजिये और बताइये कि कौन जिन्दा है? आप देख लीजिये इसको अगर कोई जिन्दा हो तो....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि इस पीरियड में इतनी मृत्यु हुई है। भूख से मृत्यु हुई हो यह इससे बात नहीं निकलती है।

श्री भैरोंसिंह : वह आपने कहा है। ये आदमी इतने मरे हैं। आपको कभी सरकार की तरफ से जानकारी इस तरह की मिलि है कि फलसून्ड के इस गांव में तीन महीनों में १३१ आदमी मर गये हैं? यह कभी इत्तिला मिली है सरकार को? यह सरकार को इत्तला नहीं मिली, इसलिए मैं कहूंगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि आपने स्वयं ने कहा है कि मैं फलसून्ड गया था तो किसी ने इस प्रकार की बात मेरे सामने नहीं कही। आज आप कह रहे हैं तो इसकी जानकारी करूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। आप प्रकाश डालेंगे तो मालूम हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रसंग इसीलिए छेड़ा है। आप बहुत बड़े आदमी हैं। आप जाते है तो आपके साथ बड़े-बड़े सरकारी अफसर रहते हैं, आपके साथ बड़े-बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े-बड़े राजनैतिक नेता रहते हैं। कई जगह मुझे जानकारी मिली है, जहां आप स्वयं अकाल राहत के कामों में लगे हुए मजदूरों में घुस गये हैं वहां आपको शिकायतें मिली हैं। जहां सरकारी अफसरों का बेड़ा आपके साथ रहता है तो राहत कार्यों में लगे हुए पीड़ितों को आपसे मिलने नहीं देता है। अगर आप फलसून्ड गये और फलसून्ड में जाकर लोगों को कान्फीडेन्स में लेकर बात करते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जहां मौका पाकर क्षेत्र के लोगों से आपने बात की तो जो सजेशन लोगों ने आपको दिये उस प्रकार के सजेशन फलसून्ड के बारे में आपको मिलते। वहां लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया।

यह रिपोर्ट मैंने आपकी जानकारी के लिए इस सदन की मेज पर रख दी है।

(श्री भैरोंसिह)

अब आप यह कहें कि लोग मरे नहीं तो पिछले चार माह में कितने आदमी राजस्थान में मरे हैं उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई है वह लिस्ट भी मैं सदन को मेज पर रख देता हूं और गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि यह गिनती आती है मेरे पास जो लिस्ट है उसमें ७२ जो कि रात को मैं बना पाया हूं. और इस सदन को विश्वास से कहता हूं कि पूरी लिस्ट अभी कम्प्लीट नहीं हुई है।

अब मैं पूछना चाहूंगा कि भूख से नहीं मरे तो किस कारण से मरे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : बीमारी से।

श्री भैरोंसिह : यह तो मैं मानता हूं कि बीमारी आती है कमजोरी से और यह भी मानता हूं कि कमजोरी आती है भूख से। मैं समझता हूं कि यह मानवता का प्रश्न है। कोई राजस्थान में मरे भूख से और इसलिए मरे कि हम सरकार को कोस सकें, मैं समझता हूं कि कम से कम मैं तो ऐसी इच्छा करने वाला नहीं हूं। कोई आदमी भूख से मरे और राजस्थान सरकार की बदनामी हो इसलिए कहें, मंत्री महोदय, मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूं। यह मौत का प्रश्न है और मौत का प्रश्न है तो कोई भूख से मरा या नहीं और कांग्रेस के लोग यह समझते हों कि २० दिन तक लगातार भूख हड़ताल करके हाथ-पैर पछाड़-पछाड़ कर मरे उसको भूख से मरना कहते है। मैं ऐसा समझता हूं कि भूख के कारण बीमारी फैलती है और बीमारी का सही समय पर इलाज नहीं कर सके और आदमी मर जाय तो वह भी तो कारण भूख का ही है। जयपुर शहर के अन्दर कोई भूख से मरता है उसकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जहां अकाल पड़ा है, जहां समय पर अनाज नहीं मिलता है, जहां समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं, वहां के लोग भूख से मरे, और भूख के कारण पैदा हुई बीमारी से मरे और उन सबकी संख्या उनके नाम माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको मालूम हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास पूरे राजस्थान की मशीनरी है। आप एक बात के आंकड़े इस सदन के अन्दर रख दें कि राजस्थान के अकाल-पीड़ित गांवों के अन्दर १९६८ के सितम्बर से पहले एक साल में कितने आदमी मरे थे और सितम्बर, १९६८ के बाद से लेकर अब तक उन गांवों में राजस्थान भर में कितनी मौतें हुई हैं, तो यह विवाद का विषय नहीं रहेगा। इस सदन को जानकारी मिल जायगी कि वहां पर मृतकों की संख्या बढ़ी है और उस बढ़ी हुई संख्या के प्रति बृजसुन्दर जी शर्मा जाकर कहते हैं कि यहां से डाक्टर्स भेज दिये हैं, लेकिन जाते हैं जब डॉक्टर्स के पास तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास जीपें नहीं हैं। मरीज गांव में मर रहा है और डॉक्टर बिना जीप के शहर में मर रहा है। दोनों का मेल होता नहीं। दवा गांव में समय पर पहुँचती नहीं और मरीज सरकार को रोते-रोते मर जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बीमारी फैल गई और उसके बाद डॉक्टर्स पहुँचे तो क्या लाभ ? आपने (श्री बृजसुन्दर शर्मा) कहा है यह भाषण मेरे पास है। यह आपको सरकार कहती है कि ७ प्रतिशत लोग रोगों से पीड़ित है, ५ प्रतिशत अपौष्टिक आहार के कारण रोगी हैं। यह सरकार का स्टेटमेंट है कि हर हालत में दवा पहुँचाई जायगी। जनवरी, ६९ में रोगों की रोकथाम के लिए १० लाख रुपये की और मांग की गई है।

(श्री भैरोंसिंह)

आपने ५० लाख की मांग कर ली होगी, इससे कोई रोकथाम हुई है क्या बीमारी की ? लोग किसको शिकायत करें। डॉक्टर को जाकर कहते हैं तो डॉक्टर मिलता नहीं है, डॉक्टर मिलता है तो कहता है कि जीप नहीं है, जीप के बिना वह गांव में जा नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्जी, कि यहां बैठे हुए आपके पास कौनसा काम था। बूंदी चले जाते हैं रोज। यहां से जाकर वहां बैठ जाते हैं रेस्ट हाउस में। वहां पर कोई काम नहीं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के स्वास्थ्य मन्त्री के नाते यदि आपने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया होता तो आज बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में सारे राजस्थान के जितने मेडिकल प्रेक्टिशनर्स हैं उनकी टीम बनाकर खुद घूमते और बीमारों का इलाज करते, उनको दवाइयां देते, लेकिन बंगले में बैठे-बैठे भाषण देते हैं कि मैंने १० लाख की मांग मन्जूर करा ली लेकिन मांग मन्जूर होगी उस समय तक तो लोग समाप्त हो जायेंगे और बाद में यों ही मांग करने वाले रह जायेंगे। यह हाल राजस्थान का

(२.०० म० प०)

हो गया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि अकाल क्षेत्र में वैद्य गये हैं, डॉक्टर गये हैं। कितने गये हैं ? जो गये हैं उनको दवाइयां क्या दे दी हैं ? उनके हाथ में बिस्तर हैं। वैद्यजी से पूछा दवाई कहां है ? वह कहते हैं, आती हैं। वैद्य गांव में बैठे हैं। डॉक्टर गांव में बैठे हैं उनके पास दवाइयां नहीं हैं। डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि यह माओ बीमारी है। इसका इलाज दिल्ली में होगा। कोई न कोई इलाज बताकर दवा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का हाल सारे राजस्थान में हो रहा है। बहुत विचार करना पड़ेगा आखिर इलाज क्या है ? हमारे पास उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो ज्वार खिलाती है, उसके नमूने आये हैं। मैंने अभी इस पार्सल को खोला है। मैं एक-एक नमूना मुख्य-मन्त्रीजी को भेंट करता हूं। वह मुख्य-मन्त्रीजी देख लें। भेजने वाले ने जिस दुकान से भेजा है, वहां के १० आदमियों ने दस्तखत किये हैं गवाही में। घास भी है। इन सबको सील किया है। यह ज्वार खिलाते हैं। यह दूसरा नमूना आया है। (ज्वार को दिखा-कर) यह तीसरा नमूना घास का है जो गायों को खिलाते हैं। तीनों नमूने सदन की मेज पर रख दिये जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा सुझाव है कि खाद्यमन्त्री को १५ दिन तक इसे खिलाया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये सांचौर में जाकर ४०० आदमियों के साथ हलुवा-पूड़ी खाते हैं। मजदूरों को ज्वार खाने को नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : लाड़ी गांव के अन्दर ७० व्यक्ति लाल ज्वार से मरे हैं। दिन में मजदूरों में जाकर काम करते हैं। रात में अन्धे खड़े रहते हैं। मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा आपने लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है, सरकार कहती थी कि लोग चोरियां नहीं रोकते लेकिन आपने लोगों की आंखें बन्द कर दी हैं। आपको इस बात के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

धन्यवाद। जब लोगों ने आदत बनाई कि लाल ज्वार ही सही तो आपने उसके भी भाव बढ़ा दिये। बयान किया है कि ट्रान्सपोर्ट पर खर्चा आता है। लोगों ने कहा है। गांवों में रोगों की रोकथाम के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने यह सोच लिया है कि लोग तो मरेंगे। लोगों का मनोबल नहीं गिरे इसके लिए कुछ करना है। मुख्य मन्त्रीजी बोलते हैं, भूख से नहीं मरने दिया। बृजसुन्दरजी बोलते हैं आयन्दा नहीं होने दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की, १२ लाख गायें दुर्भिक्ष से प्रभावित हैं। श्री बरकतउल्ला खां-सहायता के बावजूद १० लाख पशुओं के मरने की आशंका प्रकट करते हैं। सरकारी अधिकृत सूचना के अनुसार बीकानेर जिले की नोखा तहसील में, कुल १२२ गांवों में बीकानेर में अकाल से आये मवेशियों के मरने की आंका है। क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि कितने मवेशी मर गये ? हम इस मौके पर पशुओं को असेस करने का कार्य कर दें, कितने पशु माइग्रेट हुए हैं, कितने मर गये हैं। बाड़मेर सीमा पर १९६५ में जिन्होंने पाकिस्तान का बहादुरी से सामना किया, उस समय भी उनके पशुधन की हानि हुई थी। उन लोगों ने उस अवसर पर देश के लिए कुर्बानी की है। जिन्होंने पाकिस्तानी सेना और मुजाहिदों का सामना किया है, उन लोगों का कोई स्थाई प्रबन्ध कर दें, यह आपने नहीं सोचा है। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों के यह आपके आंकड़े हैं, उनके आधार पर मैं बता सकता हूं कि यहां पर बाड़मेर जिले में, जैसलमेर, और बीकानेर में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बाकी जोधपुर डिवीजन को छोड़कर दोनों जगह सबसे कम खर्चा हुआ। तीसरी योजना में कम खर्चा हुआ। चौथी योजना में आप कहते हैं कि परकेपिटा शायद एक्सपेंडीचर बढ़ जायगा। इकॉनामिक कण्डीशन सुधारने की गरज से आपके पास कुछ नहीं है। जैसलमेर तहसील में ९ वर्ष से अकाल है। बीकानेर की कोलायत तहसील में ९ वर्ष से अकाल है वहां के बच्चे वर्षा की बातें किताबों में पढ़ते हैं। उनको पता नहीं पानी कैसे बरसता है। राजस्थान के इस क्षेत्र में लगातार अकाल बढ़ रहा है। आपने कई बार घोषणा की है, राज्यपाल के अभिभाषण में भी कई बार घोषणा हुई है कि अकाल को रोकने के लिए स्थायी प्रबन्ध किया जाएगा। आपने कहा था कि हम फोडर बैंक की स्थापना करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय अकाल पड़ा तो कहां गया आपका फोडर बैंक ? डाइरेक्टर जनरल बने हैं! हम मिनिस्टर बने हैं! हम राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं! हम राज्यपाल से सदन में भाषण करवा रहे हैं! हम फोडर बैंक खुलवा रहे हैं! मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया आपका फोडर बैंक....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : लिक्वीडेट हो गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या फोडर बैंक लिक्वीडेट हो गया ? उस फोडर बैंक के बारे में आपने घोषणा कर दी लेकिन फोडर बैंक खोलने की घोषणा को कार्यान्वित नहीं करते हैं जबकि राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ रहा है! मैं अपने अनुमान से निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप आज राजा-महाराजाओं की कितनी ही बुराई करें, और

(श्री भैरोंसिंह)

आज भी आप कहेंगे कि राजा-महाराजाओं के जमाने में यह होता था। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जोधपुर डिवीजन के अन्दर जब भी जोधपुर महाराजा के समय में अकाल पड़ा तो पशुओं के माइग्रेशन की साइंटीफिक व्यवस्था होती थी। जिस समय अकाल पड़ता था तो बाकायदा माइग्रेशन स्कीम बनती थी कि अमुक गांवों से पशु निकलेंगे, अमुक रास्ते से पशु जायेंगे, अमुक स्टेट में पशु चरेंगे, अमुक गांवों में चरागाह होंगे और अमुक गांव में खाने का सामान मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने माइग्रेशन ऑफिसर नियुक्त किया उससे पहले राजस्थान के कितने पशु माइग्रेट कर गये थे? आपका राजस्थान का माइग्रेशन ऑफिसर जब छुट्टी अवेल कर रहा था तब कितने पशु राजस्थान से माइग्रेट कर गये थे। आपने पशुओं के जाने का रास्ता तय नहीं किया उसका परिणाम यह निकला कि कहीं पाली में झगड़ा हो रहा था, कहीं टोंक में झगड़ा हो रहा था, कहीं अजमेर में झगड़ा हो रहा था, कहीं नसीराबाद में लाठी चल रही थी, कहीं जालौर में गोली चल रही थी इस सब के लिये कोई और दोषी नहीं है, राजस्थान के खाद्य मन्त्री दोषी हैं, जिन्होंने माइग्रेशन स्कीम पूरी तरह बनाई नहीं थी। आखिर आपने माइग्रेशन स्कीम क्यों नहीं बनाई? आप कहते हैं कि फैमिन कोड है। फैमिन कोड है, उसमें लिखा है कि जिस समय अकाल पड़ने की सम्भावना होगी तो अकाल पड़ने के समय माइग्रेशन स्कीम बनानी पड़ेगी और माइग्रेशन स्कीम बना कर उससे अधिकारी को परिचित कराना पड़ेगा। ढंडो पीट कर रास्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने लेकिन माइग्रेशन की व्यवस्था नहीं की, और व्यवस्था नहीं की इसके कारण लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रियेट हो गई। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थान पर हजार-हजार गायें लेकर जा रहें हैं और दूदू के पास लोग गायों के पीछे लाठी लेकर पड़ रहे हैं। वह कहते हैं, तुमने गायों को हमारे खेतों में छोड़ दिया और इस कारण वह उन्हें तंग करते हैं। और तंग ही नहीं करते हैं उनके पीछे लाठी लेकर पड़ते हैं। मैं अजमेर से बस से आ रहा था। मैंने यह स्थिति देखी तो मैंने बस को रुकवाया। मैंने पूछा बात क्या है? कहते हैं, इन गायों ने हमारे खेत खराब कर दिये हैं। मैंने कहा, खेतों में कुछ है ही नहीं। खेत में कोई घास नहीं है, कोई बाजरी नहीं है, खेतों में और कोई फसल खड़ी हो तो कोई फसल भी नहीं है। फिर इन्हें तंग क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा, हमारी घास खा रही थी। मैंने कहा खेत में घास भी नहीं है। उन्होंने कहा चलो बतायें, तो तीन मील चले लेकिन घास भी नहीं। मतलब उनका सिर्फ इतना कि इन सबको घेरा जाय और इनके डण्डे मारे जायं, और डण्डे मारकर इनसे रिश्वत ली जाय। मैंने इस बात की वहां पुलिस को सूचना दी तो पुलिस उनको छुड़वा कर ले गई। लेकिन बाद में पता लगा कि उन लोगों ने फिर पीछा किया। और पीछा किया इसलिये उनसे तंग आकर एक आदमी ने गोफन से पत्थर मारा तो एक आदमी का का कान निकल गया। फिर उन पर केस चला, उनको जेल में बन्द कर दिया और कत्ल का मुकदमा उनके खिलाफ बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, खाद्य मन्त्री जी, आप आज राजा-महाराजाओं के वक्त से तुलना

Page No 66

(श्री भैरोंसिंह)

करते हैं, आप जोधपुर का इतिहास निकाल लें, बीकानेर का इतिहास निकाल लें, जयपुर का इतिहास निकाल लें और यह बता दें कि माइग्रेशन के टाइम के ऊपर भूतपूर्व रियासतों में लाखों मवेशी माइग्रेट करते थे, लेकिन कभी भी इस प्रकार से झगड़ा पड़ा जैसा आपके राज्य में झगड़ा पड़ा है। झगड़ा पड़ा, इसका कारण यह है कि इन्तजाम ठीक नहीं करते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : आप एक बात बता दीजिये, उस वक्त कैटल की क्या पॉपुलेशन थी, १९१८ में, जिस वक्त के राजाओं के राज्य की बात करते हैं और अब क्या है ? एक....

श्री रामकिशन : कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : १९३८ में बाड़मेर, जैसलमेर से कितने मवेशी माइग्रेट हुए और अब कितने हुए हैं ? दो। यह भी मुझे बता दीजिये कि उस वक्त टोटल माइग्रेशन जोधपुर स्टेट के वक्त क्या हुआ और इस साल क्या हुआ है ? तीन। यह फिगर्स आप बता दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : आप यह जानकारी दे दीजिये कि इस समय राजस्थान का बजट क्या है और उस समय बजट क्या था, और खर्च कितना होता था ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको मालूम होना चाहिए कि १९३८ में जोधपुर स्टेट से जो कैटल माइग्रेट हुए, वह 40 हजार हुए।

श्री भैरोंसिंह : यह चीज मैं बताऊंगा। लेकिन माननीय मंत्रीजी एक बात बता दें, उस वक्त जोधपुर स्टेट का बजट कितना था और अब राजस्थान का कितना है...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : और कितने ऑफिसर हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : गायें माइग्रेशन रूट पर बजट को चरने नहीं जा रही हैं। यह गायों का सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम काउन्टर पोजीशन पूछ रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो बात कह रहे हैं। (व्यवधान) आप सुन लीजिये। माइग्रेशन रूट पर जो परेशानियों की बात कही है, तो आप इस बात को जानते होंगे कि माइग्रेशन रूट के बाद में डेस्टीनेशन भी चाहिए, कि कहां पशुओं को भेजना है, किस जगह वह जायेंगे। पहले के मुकाबले के जो एक दो परसरामजी ने बात पूछी है वह रेलेवेन्ट है, प्लस एक बात और है, पहले ग्रेजिंग के लिए जितने एरियाज अवेलेबल थे उनके कम्पेरीजन के अन्दर इस वक्त क्या पोजीशन थी ?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है। इस बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वीकार करके चलेंगे कि उस समय अकाल और प्रशासनिक व्यवस्था की और आज की प्रशासनिक व्यवस्था में रात-दिन का अन्तर है। पहले न इतने ट्रक थे न इतनी रेल की व्यवस्था थी आज आपके पास हेलीकोप्टर हैं। आज आप हेलीकोप्टर से अनाज डाल सकते हैं। उस समय न हेलीकोप्टर थे और न इतने ट्रक थे। आज आप रोड बनाकर रोड्स के जरिये घास और अनाज पहुँचा सकते हैं, लेकिन उस वक्त इतनी रोड्स भी

(श्री भैरोंसिंह)

...नहीं थी। तो आज जितनी सहूलियत है उतनी सहूलियत उस वक्त रियासतों में नहीं थी। उसके बावजूद भी माइग्रेशन स्कीम बनती थी। माइग्रेशन स्कीम बनाना एक मामूली काम है कि अमुक रास्ते से पशु निकलेंगे। माइग्रेशन स्कीम हमने भी बनाई है। हमने भी पिछले वर्षों में माइग्रेशन स्कीम बनाई है। मैं नहीं कहता कि हमने यह काम नहीं किया। हमने पिछले वर्षों में किया है, माइग्रेशन स्कीम बनी है और उसके अनुसार पशु गये हैं और लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। इसके अलावा आपने कहा कि पहले क्षेत्र निर्धारित थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि विरोधी दल की सरकार को कांग्रेस के नेता गालियां देते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गुजरात के मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमारे राजस्थान में भयंकर अकाल है, हमें आपके राज्य का सहयोग चाहिये। लेकिन वहां से सहयोग नहीं मिला, उल्टे जो ढाई हजार गायें गुजरात में चली गई थीं उनको वहां से निकालने के लिए गुजरात सरकार ने आदेश दिया। निकाल ही नहीं दिया बल्कि कानून भी बना दिया कि गुजरात की सरहद में एक भी गाय खड़ी नहीं हो सकती। वहां पर कांग्रेस की सरकार है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हरियाणा की सरकार को चिट्ठी लिखी जहां पर कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं कि हमारे राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा है इसलिए हरियाणा से कुछ मदद मिलनी चाहिए। मदद मिलना तो दूर उल्टे हरियाणा सरकार ने कह दिया कि राजस्थान के पशु हरियाणा में पांव नहीं धरें। अगर धरेंगे तो जैसे हैं वैसे ही वापिस पहुंच जाय—इस बात की हम गारन्टी नहीं देते हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी कि उसने कहा कि हमारे जो सरप्लस क्षेत्र हैं वहां पर गायों को चरने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन जब वहां जाकर देखा तो वह ऐसा क्षेत्र था जहां पर जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने यू. पी. के गवर्नर को चिट्ठी भेजी तो वहां से जवाब मिला कि हमारे यहां भेजने का नाम लेने का सवाल नहीं है। हम न जाने कैसे यहां कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री जैसे के तैसे बैठे हैं। यह चार सरकारों की बात मैं बता रहा हूं जहां पर दो में कांग्रेस की हुकूमत है और गवर्नर का शासन है। इन सरकारों ने राजस्थान की हुकूमत की मदद नहीं की। लेकिन जब मुख्य मंत्रीजी ने मध्यप्रदेश की सरकार को लिखा, जहां पर कि विरोधी दल की सरकार है, तो उसने कहा कि हमारे यहां दो हजार गायें भिजवा दीजिये और राजस्थान में जहां चारे की जरूरत है वहां चारा ले जाइये, और जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी वह मदद दी जायगी। आपको मध्यप्रदेश की सरकार की तारीफ करनी चाहिए। जबकि गुजरात, उत्तरप्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने राजस्थान को सहयोग नहीं दिया, वहां पर विरोधी दल की सरकार ने सहयोग दिया, सहयोग ही नहीं दिया बल्कि अपना कर्त्तव्य पूरा किया। मैं नहीं कहता कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया, यह काम उसको करना चाहिए और करने की उसकी जिम्मेदारी थी।

अब मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशुधन है तो क्या

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार ने कभी विचार किया है। कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर–इन सीमावर्ती जिलों में पशुधन ही वह कारण है जिस कारण से लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हुए रहते हैं। आप मानें या न मानें, अन्त में आपको मानना पड़ेगा कि अधिकांश पशु मर गये हैं। पशुओं के मरने के बाद उन क्षेत्रों में कौन रहेगा? उनको वहां रहने का अट्रेक्शन क्या देंगे? पशु उनके पास रहे नहीं हैं, इकोनोमिक कन्डीशन उनकी ठीक नहीं है और ठीक इकोनोमिक कन्डीशन नहीं होने के बाद जिस रेतीले क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र जहां गोली और तोप का डर रहता है, वह वहां पर क्यों बसें? केवल मैं ही यह नहीं कहता, राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में इसे स्वीकार किया है कि पानी के अभाव में आदमी और चारे और पानी के अभाव में पशु सीमावर्ती क्षेत्र खाली करते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की वापिस आबादी बढ़े इसके लिए क्या व्यवस्था आपने की है? और सीमावर्ती क्षेत्र सूने रहें–इसका खतरा भी आप नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं, हम भी नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि पशुओं के मामले में न तो हमने माइग्रेशन स्कीम समय रहते तैयार की, न पशुओं के मामले में जो पहले हमें तैयारी करनी चाहिए थी वह तैयारी की। बल्कि उन लोगों की शिकायत तो खाद्य मंत्रीजी से इस बात की है कि आपने भाषण दिया कि रेल्वे वैगन से पशुओं के माइग्रेशन के लिए व्यवस्था की है, लेकिन उनको समय पर पैसा नहीं मिला। किसान ताँन-चार दिन तक फिरते रहे, और आज भी मेरे पास एप्लीकेशन्स हैं, आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा कि उनको समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी हालत में...

श्री परसराम मदेरणा : भुगतान काहे का?

श्री भैरोंसिंह : रेल्वे का।

श्री परसराम मदेरणा : रेल्वे का भुगतान नहीं कर रहे हैं। फ्री भेज रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : फ्री बाद में भेज रहे हैं, उसके पहले।

श्री परसराम मदेरणा : जब फ्री भेजने का प्रबन्ध कर दिया तो भुगतान किसका? मैं समझा नहीं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं आपकी सूचना के लिए अर्ज करूं कि जिस समय यह एलान किया था कि रेल्वे से माइग्रेशन का अरेन्जमेंट करेंगे उस समय फाइनेन्स की व्यवस्था कलेक्टर के पास नहीं पहुंची थी और कलेक्टर ने यह कहा था कि अभी तुम पैसा देकर कर लो, बाद में हम भुगतान कर देंगे। वह आज तक भुगतान नहीं हुआ है।

श्री खेतसिंह : वह तो एक आध केस होगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसमें आपकी कमजोरी नजर आ रही है।

श्री खेतसिंह : बात को वैसी बना कर कहा मत करो। आपके यहां से तो सारी मवेशी चली गई है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भर दो बिलम।

Page No 69

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि सरहदी इलाके में इन्तजाम नहीं किया गया और आज तक छुटकारा नहीं कर सके। तो भूखे और अकाल पीड़ित लोग पाकिस्तान में चले गये हैं और वह पाकिस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रामसर से चौहटन की रोड पर खाद्य मंत्री ने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि ओवरसियर ने एक्स्प्लेनेशन दिया है कि गांव के अन्दर जितने आदमी नहीं है उनसे ज्यादा आदमी लेबर के रूप में लिखे हैं। यह आदमी गांव में नहीं है, यह पाकिस्तान से आते और सुबह मजदूरी के लिए आकर दिन भर मजदूरी करके शाम को वापिस चले जाते थे। ऐसी हालत में मैं आज फिर आपसे कहता हूं कि आज भी राजस्थान की सीमा से कई लोग पाकिस्तान चले गये, पाकिस्तान में आ जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान का आना जाना केवल पेट भरने के लिये करते हों तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं पर लगातार उन लोगों के पाकिस्तान आने जाने से उनके संस्कार कैसे बदलेंगे, इसकी चिन्ता करनी चाहिये।

पानी का हमारी सरकार ने इन्तजाम नहीं किया, हमारी सरकार कहती है कि पानी का पूरा इन्तजाम कर दिया। सरकार ट्यूब वेल्स के नाम से कहती है कि इतने ट्यूब वेल्स खोद दिये। तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितने ट्यूब वेल्स की व्यवस्था करदी है? ई. टी. ओ. ने भारत सरकार के समझौते के मुताबिक २५० ट्यूब वेल्स खोदने की व्यवस्था की थी, उनमें से १५१ ही क्यों खोद पाये? १५१ ट्यूब वेल्स सक्सेसफुल हुए हैं, जब कि समझौता तो यह हुआ था कि २५० सक्सेसफुल ट्यूब वेल्स खोदे जायेंगे। २५० सक्सेसफुल ट्यूब वेल्स खोदने का समझौता था, ट्यूब वेल्स खोदे और सक्सेसफुल नहीं हुए वह नहीं थे, सफल २५० ट्यूब वेल्स खोदने का समझौता हुआ था, उनकी जगह १५१ ट्यूब वेल्स खोदे क्योंकि हमारी प्रोग्रेस सेटिस्फेक्ट्री नहीं थी। हमने पैसा नहीं दिया, इसके कारण ई. टी. ओ. राजस्थान से अहमदाबाद चला गया, मशीनरी ले गया और इस तरह से २५० सक्सेसफुल ट्यूब वेल्स में से हमें केवल १५१ सफल ट्यूब वेल्स मिले कुछ पब्लिक हैल्थ को दे दिये, कुछ ट्यूब वेल्स एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को दे दिये। उनकी ऐसी व्यवस्था है कि ट्यूब वेल्स खोदे पर उनको चलाये कौन, मशीनरी कौन लगाये? मैं समझता हूं माननीय उपमंत्री महोदय खेतसिंहजी जो बार-बार बोलते हैं, यहां खड़े होकर कहें कि कितने ट्यूब वेल्स हैं, वे यह नहीं बता सकते कि कितने ट्यूब वेल्स हैं, मिलिटरी के कब्जे में कितने ट्यूब वेल्स हैं, अब कितने ट्यूब वेल्स खोदे गये कोई पता नहीं जिसको ट्यूब वेल्स का पता नहीं वे क्या इन्तजाम करेंगे? मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि ट्यूब वेल्स का इन्तजाम एक डिपार्टमेंट को दे दें, ट्यूब वेल्स खुदवाना, उनको चलाना, उन पर मशिनरी लगाना यह सब काम एक डिपार्टमेंट के हाथ में दे दें, यह सारा काम एक डिपार्टमेंट के हाथ में रहे तो हम उस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को दबाया तो जा सकता है।

मैं अकाल मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सितम्बर में अकाल पड़ा, उस समय १५१ ट्यूब वेल्स में से कितने ट्यूब वेल्स चालू थे? केवल ६ ट्यूब वेल्स ऐसे थे कि यदि कोई चला जाय तो फौरन पानी निकाल कर पानी पिला दे। कितने दिनों से खुदे हुए यों ही पड़े रहे, क्या यह हमारी गलती

(श्री भैरोंसिंह)

है, क्या यह विरोधी दल की गलती है ? ट्यूब वेल्स भारत सरकार ने खुदवा दिये, टांके आपको बनवाने थे, मशीनरी आपको लगानी थी, पानी आपको निकालना था, पानी आपको पिलाना था। आप कहेंगे कि ट्यूब वेल्स पर मशीनें लगा दी तो मैं आपकी रिपोर्ट से बताऊंगा कि मशीनें लगा दीं पर उनके कल पूर्जे खराब थे इसलिये चालू नहीं हुए, ट्यूब वेल्स खुद गये पर चालू नहीं हुए। अब सरकार कहती है कि १५१ ट्यूब वेल्स चल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ट्यूब वेल्स चल रहे हैं, पानी निकल रहा है पर वहां पानी पीने वाला नहीं है, एक ट्यूब वेल्स का एक गैलन पानी भी खर्च नहीं होता आपका ओवरसियर भी पानी को पीता होगा, वहां गायें पानी नहीं पीती, आस-पास के गांवों के लोग पानी नहीं पीते, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। सरकार कहती है कि ४ हजार गैलन पानी रोज एक ट्यूब वेल से निकलता है। पर वह निकलता किसके लिये है जब कि वहां पर कोई है ही नहीं।

मुख्य मन्त्रीजी कल से एक बात से नाराज हो रहे हैं, कल उन पर खुद पर विपत्ति आ गई थी इसलिये सारे डी० पी० आर० को रात भर झकझोर दिया कि मेरा उदयपुर का स्टेटमेन्ट कैसे छपा ?

इन्कार नहीं कर सकते सारे कटिंग्स मौजूद हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरा सोच समझ कर बोला करो।

श्री भैरोंसिंह : मैंने एक स्टेटमेन्ट दिया कि पलाना में पानी बिकता है, बिकने का मतलब कि पानी पैसे लेकर दिया जाता है, गायें भैंसें, ऊंट पर अलग-अलग हिसाब से पानी के पैसे लिये जाते हैं, मैंने स्टेटमेन्ट दिया, डी० पी० आर० ने उसका खन्डन निकाला कतिपय समाचारों पत्रों में यह समाचार छपा है कि बीकानेर के पलाना क्षेत्र में सरकार पानी बेच रही है, यह समाचार न केवल भ्रामक है बल्कि शरारतपूर्ण प्रचार है।

यह शरारत मैंने की है या डी० पी० आर० ने की है मैं फोटुएं पेश कर सकता हूं जिनमें पानी के पैसे लिये जा रहे हैं, यह मुख्यमंत्री जी देख लें। इतना ही नहीं, यह पानी की बिक्री को रसीदें हैं, यह लिफाफा पूरा भरा है पानी की बिक्री की रसीदों का, यह कहां की रसीदें हैं, ग्राम पंचायत की, यह कहां की रसीदें हैं, जहां पानी बिकता है। वहां की रसीदें हैं। मैंने खाद्य मन्त्रीजी को स्वयं को कहा कि राजस्थान में एक काम तो करिये। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत क्षेत्र हो, यह पानी बेचने की व्यवस्था, यह पानी के पैसे वसूल करने की व्यवस्था, चाहे पंचायतें वसूल करती हों, चाहे नगरपालिकाएं वसूल करती हों, यह तो आपको रोक देना चाहिये। आज मुझे अफसोस है सरकार कहती है, कि ग्राम पंचायतें वसूल करती हैं। आपने ग्राम पंचायतों को मजबूर कर रखा है, नगरपालिकाओं को मजबूर कर रखा है पानी का पैसा वसूल करने के लिये।

कपूरड़ी ग्राम के लोग दूसरी जगह के ट्यूब वेल को पाइप लाइन से अपनी प्यास बुझाते थे, इसके लिये गांव वालों को कहा गया कि पैसे दो गांव वालों को मैंने कहा कि पैसे मत दो, उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनका पानी बन्द कर दिया गया। एक दिन

(श्री भैरोंसिंह)

वे लोग प्यासे रहे। मेरे पास तार आया मैंने साथ मन्त्रीजी को कहा कि पानी उनके लिये चला दूंगा, मुझे खुशी है कि उनको पानी दिया गया, पैसे उनसे लिये गये पर पानी उनको दिया गया। जो पानी हम दे रहे हैं, उसकी पिलाई तो वसूल नहीं करनी चाहिये। पर हमारी सरकार पिलाई वसूल नहीं करे तो राजस्थान सरकार का खजाना खाली हो जाय और सुखाड़ियाजी को ३७ की फौज में से कम करना पड़े। पानी के पैसे के आधार पर मंत्रिमण्डल की तनख्वाह का भुगतान हो रहा है तो मुझे कुछ कहना नहीं।

रिकवरीज के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्रीजी ने कहा कि आदेश निकाल दिये हैं कि रिकवरीज नहीं की जाय। पर मैं कहना चाहता हूं कि जो आदेश अब के नहीं हैं, २ अक्टूबर, १९६८ के आदेश हैं, जिसकी टाइम्स ऑफ इन्डिया में न्यूज निकलती है, जिसमें लिखा कि राजस्थान में तकावी, लेण्ड रेवेन्यू और कॉ-आपरेटिव लोन्स, सारे के सारे वसूल नहीं किये जायेंगे। यह आदेश २ अक्टोबर, १९६८ को दिया फिर यह वसूली कैसे हुई? जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रमाण पेश किये। राजस्व मन्त्री कहने लगे कि अभी-अभी हमने आदेश दिये हैं। कल आदेश दिया और २ अक्टोबर को आदेश दिये उसमें यह अन्तर क्यों?

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरा आदेश फिर रिवाइज हुआ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो अकाल की समस्या है, मुख्य मन्त्री सरकार करेंगे कि अकाल और इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, राजस्थान सरकार इस समय तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से ओवर ड्राफ्ट लेकर एक तरह से राजस्थान को गिरवे रख कर पैसा ले रही है। भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने पैसे की मांग की है, मेरी जानकारी के अनुसार भारत सरकार से राजस्थान सरकार को ९ करोड़ रुपया मिला, ३ करोड़ की ग्रान्ट और ६ करोड़ का लोन। इस साल के अन्त तक २३ करोड़ रुपया खर्च कर पायेंगे, अगले ३ महीनों का अकाल भयंकर है, उसमें निश्चित रूप से ३० करोड़ रुपया खर्च होगा। यह ५५ करोड़ रुपया क्या राजस्थान की जनता सहन कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। क्या भारत सरकार ने ९ करोड़ रुपये की सहायता देकर राजस्थान की जनता के भाग्य का फैसला कर लिया है? मैं सरकार से और सदन से कहना चाहता हूं कि इस सरकार का दुर्भाग्य है, उसके लिये राजस्थान में मुख्य मन्त्रीजी को दोषी ठहराना चाहता हूं। आज किसी भी प्रांत में चले जाइये वहां के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। इस तरह राजस्थान का कोई भी महत्वपूर्ण आदमी भारत सरकार के मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं है। जब से राजस्थान में सुखाड़िया मुख्यमन्त्रीजी बने हैं राजस्थान का कोई भी महत्वपूर्ण आदमी वहां नहीं है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या और मेम्बर्स की संख्या के आधार पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में उनके आदमी होंगे। आपने तसल्ली कर ली कि जगन्नाथ पहाड़िया को मन्त्री बना दिया, वह राजस्थान की अकाल की समस्या का हल हो गया। आज राजस्थान का प्रमुख कांग्रेसी नेता

(श्री भैरोंसिह)

मन्त्रिमण्डल में होता तो निश्चित रूप से श्री देसाई व प्रधान मन्त्री पर दबाव डाला जाता कि जिस राजस्थान में प्राये वर्ष प्रकाल पड़ता है, जो सीमावर्ती प्रदेश है, उस राजस्थान में ९ करोड़ रुपये की सहायता से काम नही चलेगा, भारत सरकार को पूरा खर्चा वहन करना पड़ेगा। सुखाड़ियाजी की चलती नहीं, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में कोई बोलने वाला नहीं, विधान सभा में कभी सामूहिक रूप से प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सुखाड़ियाजी जिस प्रकार आप राजस्थान को गिरवी रखकर रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, यह समस्या कोई एक दिन की नहीं। यदि हमने इस वक्त इतना कर्जा ले लिया तो अगला बजट चाहें १८ करोड़ का डेफीसिट बजट पेश कर मुंह को छिपा लें लेकिन बात यह होगी राजस्थान की गरीब जनता जो अकाल के कारण पहले ही पीड़ित है, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के कारण पीड़ित है, उसका भाग्य ब्लॉक हो जायगा और जिस ३१३ करोड़ की योजना के नाम पर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं वह विकास उससे नहीं होगा। १०० करोड़ तो राजस्थान नहर पर खर्च होगा, ३५ करोड़ पानी व्यवस्था में। ३१३ करोड़ की योजना स्वकीार नहीं होगी और २७५ करोड़ की स्वीकार हुई तो राजस्थान का विकास केवल १०० करोड़ पर होगा। बिजली और उसके प्रावधान के कमिटेड एक्सपेंडीचर को पूरा करने के लिये राजस्थान को योजना का पैसा खर्च हो जायगा, राजस्थान का विकास ब्लॉक हो जायगा और राजस्थान की जनता के भाग्य पर सील लग जायगी। इसलिये मैं सरकार की निंदा करता हूं कि सरकार ने भारत सरकार के समक्ष अपना केस ठीक प्रकार से नहीं रखा ट्यूब वेल्स के बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा ५०० ट्यूब वेल्स खोदे जायेंगे भारत सरकार ने केवल ६० दिये। मार्च के महीने के बाद फिर मिलेंगे। क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि मार्च के पहले जितनी रिग्स हैं दूसरी राज्य सरकारों के पास वह लेकर सामूहिक रूप से, पूरे बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में ट्यूब वेल्स खुदवाये। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी सरकार का प्रभाव नहीं पड़ा। उसका प्रभाव इतना क्षीण हो गया कि मध्यप्रदेश से चारा आता है उसके लिये रेल्वे वैगन्स की आवश्यकता है, रेल मन्त्रालय पर दबाव डाल नहीं सकते। जितनी मात्रा में रेलवैगन्स चाहिये उतनी मात्रा में नहीं दिये गये। इधर राजस्थान सरकार वैगन्स मांगती है और इधर राजस्थान के पशु परमात्मा से मरने का परमिट मांगते हैं। दोनों चीजें साथ-साथ चल रही हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती।

भारत सरकार से सहायता लेने के लिये आप जिस ढंग से चाहे सदन प्रस्ताव पास कर सकता है, सरकार के साथ खड़े होकर भारत सरकार पर दबाव डाल सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता को मारने के लिये, इस तरह कमर तोड़ने के लिये उनको नही छोड़ा जाय। आंध्र के मुख्य मन्त्री ने जैसे घोषणा की थी कि अमुक कारखाना हमारे प्रांत में स्थापित नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, तो आप भी घोषणा कर दें......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मरवाओगे सुखाड़ियाजी को।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान की जनता की सहायता करने के लिये भी आप घोषणा करें कि अगर पूरी सहायता केन्द्र ने नहीं दी तो आप भूख हड़ताल पर न सही केवल धरना देकर ही बैठ जायें तो आपकी चाय और नाश्ते का इंतजाम हम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (झंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने कुछ माननीय सदस्यों का निंदा प्रस्ताव विचाराधीन है मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नांकित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाय।

"इस वर्ष राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा है। राज्य सरकार ने अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हर दिशा में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किए हैं। राज्य सरकार द्वारा अकाल की स्थिति का सफलता-पूर्वक सामना करने के लिए यह सदन उसकी सराहना करता है"

राजस्थान में यह वर्ष विपत्तियों का वर्ष रहा। शुरू से नहीं, जब वर्षा ऋतु आई थी उस वक्त भयंकर वर्षा के कारण बहुत नुकसान राजस्थान के काफी जिलों में हुआ जिसमें झुंझुनूं, सीकर, नागोर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले आदि हैं। उस समय राजस्थान के सामने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक समस्या उत्पन्न हुई। राजस्थान सरकार ने सफलतापूर्वक उस वक्त जनता को राहत पहुंचाई और जो लोग बेघर हो गये थे उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई और उन लोगों को फिर से आबाद करने में सरकार ने मदद की। उस वक्त राजस्थान का ४ करोड़ का खर्चा हुआ। उसके बाद सितम्बर माह में स्थिति ऐसी बन गई कि खरीफ की फसल न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आ गई। तब सरकार ने धैर्य के साथ और होश के साथ और मजबूती के साथ स्थिति को संभालने की चेष्टा की। सरकार ने अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए, लोगों का हौंसला बुलंद करने के लिए काफी प्रयत्न किया। जैसे कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ा है और सरकार ने आंकड़े भी दिए हैं उस हिसाब से राजस्थान में १.३२ करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें पश्चिमी जिलों के अन्दर विशेष तौर से जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर आदि प्रभावित हुए हैं। चूरू और झुंझुनूं भी प्रभावित हुए।

(२.३८ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

१.३२ करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और लोग अकाल का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकें, अकाल की छाया अनुभव न करें, इसके लिए राज्य सरकार ने काफी कदम उठाये हैं। आज हमने देखा है कि सरकार ने अकालग्रस्त गांवों के अंदर जिन जिलों में भयंकर अकाल है, उनमें करीब कैम्प्स खोल रखे हैं। बाड़मेर के अंदर जहां की जनसंख्या ६ लाख है वहां १.२० लाख आदमियों को रोजगार दे रखा है। जैसलमेर जहां की आबादी १.२० लाख है वहां पर ८२ हजार आदमियों को रोजगार मिला हुआ है। आप अन्दाजा लगाइये, सभापति महोदय, कि आबादी के आधे लोग राजस्थान सरकार के काम की वजह से

(श्री रामनारायण चौधरी)

से ही जीवन निर्वाह कर रहे है, जिन्दा रह गय हैं और जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे हैं।

जालोर में ३० हजार आदमी, जोधपुर जिले में १ लाख ५४ हजार आदमियों को काम दे रखा है। बीकानेर में १ लाख आदमियों को काम दे रखा है। चूरू में २८ हजार, झुंझुनू में १० हजार आदमियों को काम मिला है। कुल मिलाकर ७ लाख आदमियों को फेमिन केम्प्स या दूसरी जगह पर सरकारी साधनों से रोजगार मिला हुआ है।

राजस्थान सरकार के सामने लोगों को जिन्दा रखना और उनका जीवन यापन अच्छी तरह से चले यह प्रश्न है लेकिन केटल पोपुलेशन को किस प्रकार से जिन्दा रखा जाय यह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उसके सामने है। केटल आर्थिक दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इसकी जनसंख्या को प्रिजर्व करना था। ३.२० लाख क्विन्टल फोडर का सरकार ने इन्तजाम किया। १८ रु० से २० रु० क्विन्टल के हिसाब से सरकार को देना पड़ता है। सरकार सबसेडाइज करती है। उनको ८) रु० क्विन्टल के हिसाब से दिया जाता है। ४० लाख रुपया फोडर पर राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है जो सबसिडी देने में खर्च हुए हैं।

राजस्थान सरकार ने ६ हजार व्यक्तियों को जो अन्धे हैं, लूले है, अपाहिज हैं या जो ऐसे हैं जो कि केम्प्स में जाकर काम नहीं कर सकते हैं उनको रोजगार देने की कोशिश की है और ७५ पैसे रोजाना उन्हें घर बैठे दिये जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ जो केटल ब्रीड के लिये बहुत आवश्यक हैं उनको किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाय यह भी राजस्थान सरकार के सामने सवाल है। आज जितने भी अभावग्रस्त जिले हैं उन सबमे ३७.५० रु० सब्सिडी के रूप में सरकार दे रही है। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसक आवश्यकता थी। इसके साथ-साथ वालेन्टियर एजेन्सी के रूप में ४८ केम्प्स ऐसे हैं जिन पर ५० प्रतिशत के हिसाब से केटल प्रिजर्व करने के रूप में दे रखी है। जो कमजोर पशु हैं उनके लिये ५० पैसे प्रति पशु के हिसाब से सरकार सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार ४० हजार पशु इन केम्प्स में फीड किये जा रहे हैं।

मेडिकल एड के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकालग्रस्त गांवों में लोगों की क्रय शक्ति नहीं होने के कारण वे अपना स्वास्थ्य रखने में असमर्थ हैं। इसके लिये राजस्थान सरकार ने २७ ऐसे आयुर्वेदिक औषधालय अकालग्रस्त गांवों में खोले हैं और मेडिकल एड देने की व्यवस्था की है।

पीने के पानी की व्यवस्था अकालग्रस्त क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक था। राजस्थान सरकार ने ट्यूबवैल्स के जरिये या जहां पर ट्यूबवैल्स नहीं हो सकते थे उन जगहों पर पानी ट्रकों और रैलों के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की है।

श्री रामकिशन : उप राज्यपाल की हैसियत से कह रहे हो चौधरीजी ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां।

श्री रामकिशन : यह तो राज्यपाल कह गये हैं।

Page No 75

श्री रामनारायण चौधरी : सर्दी से बचने के लिये माकूल व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो निन्दा का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहरता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : श्री गोवर्धनजी सोनी।

श्री गोवर्धन सोनी मेड़ता : माननीय सभापतिजी, अकाल के सम्बन्ध में जो विरोधी दल के माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गत बीस वर्ष में राज्य सरकार कहती है यहां पर विधान सभा में और विधान सभा के बाहर कि सरकार ने यह विकास का काम किया, यह सुधार किया और देश को स्वर्ग बना दिया, सब तरह का श्रेय लेना चाहती है लेकिन जब राजस्थान में भयंकर दुष्काल आया तो यह शासनारूढ़ पार्टी कहती है कि ऐसा दुष्काल तो सौ वर्ष में भी नहीं आया। और इस सरकार ने उसकी जिम्मेदारी सब प्रकृति पर ही डाल दी। अच्छे कामों का श्रेय अपने ऊपर ले और जब दुष्काल आये तो उसकी जिम्मेदारी प्रकृति पर डाल दे और यह कह दे कि प्रकृति के प्रकोप के कारण ही यह विनाश हुआ है, लोग दुःखी हैं और भीषण विनाश हो रहा है यह बड़े ही दुःख की बात है।

हमारी शासक पार्टी की ओर से दो वक्ताओं ने निन्दा प्रस्ताव का विरोध किया और यह बताया कि यह काम किया गया और वह काम किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि दोनों महानुभावों के दिल वैसे पवित्र हैं लेकिन दिल की कमजोरी के कारण उन्होंने राज्य सरकार की वकालात की और विधायक का धर्म नहीं निभाया। अगर वे विधायक का धर्म निभाते तो ऐसी बातें नहीं कहते। जिन लोगों ने अकाल क्षेत्रों को देखा है और जिनको इसका अनुभव है, उन्होंने यह देखा है कि जनता बहुत ही दुखी है, भयंकर विनाश के कगार पर खड़ी है लेकिन राज्य सरकार के कुछ नेता और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के लिये यह सुकाल आया है और अकाल नहीं आया। इस अकाल के कारण उन लोगों ने कई नाजायज फायदे उठाये हैं और जनता पर डाका डाला है यह मैं अपने भाषण में आगे जाकर स्पष्ट करूंगा।

सभापति महोदय, जब से अकाल की छाया राज्य सरकार को मालूम पड़ने लगी और जनता भी अनुभव करने लगी कि भीषण अकाल आने वाला है और लोग कहने लगे कि हमको बचाने के लिये तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये लेकिन उस वक्त राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लाखों पशु काल के मुंह में चले गये और कुछ लोग जब भूखे मरने लगे तो कुछ प्रयत्न शुरू किये। यदि प्रयत्न समय पर शुरू किये जाते तो यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती और लाखों करोड़ों का पशुधन नष्ट नहीं होता और लोग भूख से नहीं मरते। इसके बाद भी जिस प्रकार के नाजायज काम हुए हैं और नेताओं ने लापरवाही बरती है वह भी इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा।

जब कोई प्रोग्राम माननीय मुख्य मन्त्रीजी का बीकानेर का बना और नागौर कलेक्टर

(श्री गोवर्धन सोनी)

के पास जब फरमान आया कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी पधार रहे हैं चारे की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र से चारा खरीदा गया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि पशु को वह चारा डाल दें तो पशु उसके पास से भी नहीं निकलेगा, खाना तो उसको दूर रहा। उस चारे को खरीदा गया १५, १६ और १३॥ रु. क्विन्टल में। जिस चारे की कीमत मिट्टी होनी चाहिये, जिसको कोई खरीदने वाला नहीं था उसको अकाल राहत देने के लिये और भूखे पशुओं को खिलाने के नाम पर १५ रु. क्विन्टल में खरीदा गया। कांग्रेस के सदस्य आंकड़े पेश करते हैं। लाखों करोड़ों की मिट्टी कर रहे हों और आपके इन आंकड़ों की क्या कीमत? कुछ अखबारों में ऐसी बातें प्रकाशित हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं विरोधी दल के नेताओं, विधायकों ने कहा लेकिन यहां के मन्त्रियों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। कांग्रेसी विधायक श्री अमृत नाहटा ने कहा कि लोग भूख से मर गये। तब राज्य सरकार के कई जगह आदेश पहुंचे कि किसी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जायेगा। हमारे यहां अकाल सहायता समिति की मीटिंग एस० डी० एम० ने मेड़ता में बुलाई। उन्होंने बताया कि ऐसे आदेश है कि उन लोगों को २५ रुपये की तात्कालिक सहायता दी जायेगी। हमने उनको कई चिट्ठियां लिखी, शिकायतें की कि परिवार के परिवार भूख से मर रहे हैं। उनको अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है। पटवारियों से कहा तो उन्होंने हमें यह बताया कि जो २५ रुपये की तात्कालिक सहायता दी जायेगी, उसकी कोई हिदायत हमारे पास नहीं है। तो आपकी यह हिदायत कागजों में है। आप कहते हैं कुछ और बातें और वास्तविक बात कोई और है। जनता पर तो वास्तविक बात का ही असर पड़ेगा।

इसके सिवाय माननीय श्री भैरोंसिहजी ने कई बातें कही हैं। सदन के सामने उन्होंने कुछ नमूने ज्वार और माइलो के पेश किये। यह आम बात है और अखबारों में इस बात की चर्चा होती रही है कि जो माल सप्लाई किया जाता है वह बुरा है और हल्की किस्म का है और उसके साथ अध्यक्ष महोदय (सभापति), उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस भाव से लोगों को, अकाल-पीड़ितों को सप्लाई किया जा रहा है। जब अकाल मण्डरा रहा था, तो मैंने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि सस्ती अनाज की दुकानें खोली जायं। उन्होंने कहा कि हमारे पास माल नहीं है। माल का एक-दो लॉट आ रहा है तब खोलेंगे। जो ज्वार आ रही है वह ८२ पैसे किलो रखी जायेगी। जिला परिषद् नागौर की मीटिंग में जब हमें यह बताया गया तो मैंने इसका अपोजीशन किया और कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारा जमाना हुआ, हमारे यहां फसलें अच्छी हुई तो गत वर्ष राज्य निगम ने ५० रुपया क्विन्टल बाजरा खरीदा और उसमें तीन रुपये क्विन्टल और काट लिये। ४६, ४८ रुपये क्विन्टल में ज्वार खरीदी और इसमें तीन रुपये क्विन्टल काट लिया। तो ४५,४४ के एवरेज में यह ज्वार आपने खरीदी और आज आप उस ज्वार को ८२ रुपये क्विन्टल में खोल रहे हैं। यह तो जनता के साथ में मजाक है। उसके धन पर डाका है और उसकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जब इसका अपोजीशन किया तो कलेक्टर साहब ने गवर्नमेन्ट से लिखा-पढ़ी की और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा

(श्री गोवर्धन सोनी)

कि ७४ रुपये क्विन्टल के हिसाब से यह ज्वार अकाल राहत कैम्पों में दी जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गत साल हमारे राजस्थान में अच्छी पैदावार हुई था तब किसानों से ४७ रुपया क्विन्टल बाजरा खरीदा गया था, जो राजस्थान की मुख्य पैदावार है, वह तो वितरित नहीं की जा रही है और ज्वार दी जा रही है, जो ४४ रुपया क्विन्टल ली गई थी और अब ७४ रुपया क्विन्टल के हिसाब से वितरित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गरीब जनता पर डाका है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके घर में ज्वार है उसको आप निकलते नहीं हैं। इस तरीके से तो आप काम करते हैं और जब सरकार लोगों को ज्वार देकर गरीब लोगों का भरण-पोषण करती है तो आप कहते हैं कि....

एक माननीय सदस्य : गरीब लोगों से जो मुनाफा कमावे वह गरीबों में ही बांट दिया जाये।

श्री गोवर्धन सोनी : इस तरह यह सरकार कर्त्तव्य-विमुख हो रही है। सरकार ने निगम के माध्यम से ४४ रुपया क्विन्टल ज्वार खरीदी और ७४ रुपये के हिसाब से बेचे तो यह आपत्तिजनक बात है, यह शर्म की बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लाखों रुपये ब्लैक के कमा कर आपने घर लिये हैं और यहां अफसोस की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो नाथूराम जी से पूछो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कितना पैसा ब्लैक का आपने कमाया है? लोगों का शोषण किया है, यह आपके ध्यान में है।

(२.५४ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और आप अपने भाषण में कह रहे हैं कि यह बुरा है, अन्याय हो रहा है। यह बात आप सोच समझ कर कहें।

एक माननीय सदस्य : ४४ रुपये में ज्वार लेकर ७४ रुपये में आपने बेची है। इससे बड़ी शर्म की बात और नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर!

श्री गोवर्धन सोनी : मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री परसराम मदेरणा : मैं एक बात कह दूं कि सरकार ने इसमें कोई मुनाफा नहीं कमाया है। बजट में आंकड़े साफ रखे हैं। सरकार जो अनाज का व्यापार कर रही है स्टेट ट्रेडिंग कर रही है, वह नो लोस नो प्रोफिट पर कर रही है, इसलिये मुनाफाखोरी का यह चार्ज गलत है।

एक माननीय सदस्य : ५० रुपये क्विन्टल खरीदा और ८० रुपये क्विन्टल आपने नहीं बेचा?

श्री विजयसिंह (मकराना) : X X X X X X X X X X X

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज।

श्री गोवर्धन सोनी : आप स्वयं महसूस नहीं करते हैं कि ४४ रुपये में खरीदी और

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री गोवर्धन सोनी)

७४ रुपयों में बेची तो फिर यह मुनाफा नहीं है ? आपके पास खर्चे के कई तरीके हैं। कई उल्टे-सीधे काम होते हैं और उसका जुल्म यहां की जनता क्यों भुगते। यह आपको भुगतना चाहिये। इसलिये आप इस्तीफा देदें क्योंकि आपके राज्य में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। व्यापारियों ने आपको कहा था, किन्तु व्यापारियों की कोई बात आपने नहीं सुनी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और खाद्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि दसवें महीने में कुछ व्यापारियों ने ५७॥ रुपये के हिसाब से जो राजस्थान के प्रभावग्रस्त इलाके में वितरित करने के लिये आपके यहां टेंडर दिये थे लेकिन आपने उनकी सुनवाई नहीं की। अगर आपकी जनता के प्रति सद्भावना होती, जनता को सहूलियत देनी होती तो व्यापारियों का यह टेंडर मन्जूर करते परन्तु आप निगम की ७४ रुपये क्विन्टल ज्वार बिकवाते हैं और व्यापारियों का ५७॥ रुपये क्विन्टल का जो टेन्डर मन्जूर नहीं करते हैं और बिना वजह ही किसी बात को लेकर उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह अकाल राहत के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। मैं यह कह रहा था कि जिस समय सुखाड़िया साहब के बीकानेर पहुंचने का फर्मान पहुंचा था, जिलाधीश नागौर के पास यह समाचार आया कि जल्दी से जल्दी वहां चारा भेजना है। इसलिये वहां से जो चारा खरीदा गया है, वह महंगे भाव में, ऊंचे भाव में खरीद लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी हुआ परन्तु ५०-५० क्विन्टल चारा एक-एक ट्रक में भर कर भेजा गया और १५ क्विंटल चारा वहां जाकर उतरा उस ट्रक से मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर चारा पूरा भर कर नहीं भेजा गया था। वह कम भेजा गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के प्रति क्या आपको नहीं दर्द है ? अकाल पीड़ितों के लिये यह दर्द है आपके दिल में ? राष्ट्रीय धन को क्या इसी तरह से खर्च किया जाता है ? इस तरह से राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं; जो अकाल राहत के लिये कार्य खोले गये हैं उनमें भी गड़बड़ी हुई है। कई जगह सड़कें खोली जाती हैं। उसका जिक्र मैं करूंगा। सांभू ग्राम के पास एक सड़क का कार्य खोला गया है। इसके लिये जो मेन रास्ता था, वह सीधा पड़ता था गांव से। वहां से यह सड़क नहीं खोली गई। लोगों को परेशान करने के लिये दूसरे रास्ते से एक मील का चक्कर खाकर के इस सड़क को खोला गया। इसका मतलब यह है कि ओवरसीयर इसके बीच आने वाले खेतों के किसानों को तंग करें और उनसे पैसा बटोरा करें और उनसे नाजायज फायदा उठा सके। इस तरह से काम अकाल राहत के नाम पर किये जाते हैं। जनता को अकाल राहत के नाम पर ऊंचे भाव से अनाज खिलाया जाता है। जब अकाल पड़ता है तो जनता सरकार से दो बातों की अपेक्षा करती है। पहला यह कि अकाल राहत कार्य खोले जायं और दूसरा यह कि सस्ते भाव पर अनाज दिया जाये। परन्तु यहां तो इन दोनों कामों में गोलमाल है। फिर जनता को राहत कैसे मिलेगी, यह सोचने का विषय है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कामों पर सरकार ने अनाप-

(श्री गोवर्धन सोनी)
अनाप पैसा खर्च किया है और कर रही है उनमें नेताओं की बड़ी दस्तन्दाजी है, वे चाहते हैं जैसा काम करवा लेते हैं।

कल एक कांग्रेसी विधायक बोल रहे थे वे कह रहे थे कोई भी गलत काम हो गया तो उसके लिये आपने शिकायत क्यों नहीं की। मैं उनसे पूछता हूं जो शिकायत करते हैं उनको क्या कभी जवाब भी जाता है? खाद्य मन्त्री जी को किसी शिकायत के बारे में चिट्ठी देते हैं तो उसका जवाब तक नहीं देते। अफसरों को सार्वजनिक कामों के बारे में पत्र देते हैं तो उसका जवाब तक नहीं मिलता। सन् ६७ का चुनाव मैंने लड़ा इस मामले में जितनी धान्धलियां हुई उनकी शिकायत की लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मुख्य मन्त्रीजी को शिकायत की उन्होंने भी किसी शिकायत के बारे में इन्क्वायरी नहीं की। जब एक विधायक द्वारा की हुई शिकायतों की जांच नहीं होती है तो आम जनता का तो सुनने ही वाला कौन हो सकता है। हमें किसी बात की आलोचना करने में आनंद नहीं आता लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको अवश्य निवेदन करेंगे।

यह जो अकाल हर वर्ष हमारे यहां पड़ता रहता है उसके हल करने का एक मात्र तरीका यही है कि सिंचाई के साधन हम बढ़ावें, ट्यूब वेल जो खुदे हुए हैं उनका उपयोग करें, कुओं के लिये बिजली का प्रबन्ध करें यदि हम इस तरफ ध्यान देते तो आज राजस्थान को यह दुर्दिन नहीं देखने पड़ते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यदि जनता को वास्तव में अकाल से राहत देना चाहती है तो सिंचाई के साधन बढ़ावें, कुओं को गहरा करने की और ध्यान दें तभी जो राष्ट्रीय आय हम खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार के खिलाफ जो निन्दा प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री रामकिशन : पटवारी जी क्या फरमा रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से एक निन्दा प्रस्ताव को लेकर उसके माध्यम से राजस्थान के भयंकर अकाल की चर्चा हो रही है। कल विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने निन्दा प्रस्ताव रखा मैं उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और अभी जो प्रस्ताव प्रशंसा का रामनारायणजी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कहने के लिये कुछ भी कहा जा सकता है इस सदन में हमको सब छूट है अपनी आचरण के मुताबिक चाहे कोई कुछ भी कह दे। इसमें दो राय नहीं है आज राजस्थान में जो भीषण अकाल पड़ा है उसकी भीषणता को केवल राजस्थान ने ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के हर नागरिक ने स्वीकार किया है और इस भीषण अकाल में हर नागरिक अपनी शक्ति के अनुसार मदद देने को तैयार और उत्सुक है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इतना भयंकर अकाल गत सौ सालों में भी नहीं पड़ा। यह इतना भयंकर अकाल है कि इससे करीब-करीब सारा राजस्थान ही प्रभावित है इस अकाल में राजस्थान का हर नागरिक ही नहीं बल्कि

(श्री हंसराज आर्य)

भारत का हर नागरिक अपना सहयोग देने के लिये उत्सुक है यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

यह कहना कि इस भयंकर अकाल में कहीं कुछ गल्ती नहीं हुई हो यह तो हो नहीं सकता जहां राजस्थान का इतना लम्बा-चौड़ा भाग अकाल से ग्रसित है उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कहीं कुछ काम खुले हों। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं की अनाप-शनाप काम हम खोल सकें। इससे ही यह कह देना कि सरकार अकाल के काम में असफल रही है, सही नहीं है, यह केवल कहने के लिये कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिस तरीके से अकाल के कार्यों को अपने हाथ में लिया है वह अत्यन्त सराहनीय है। मैं उस काम की तारीफ करता हूं। हमारा गंगानगर का इलाका अकाल से प्रभावित है वहां के अकाल के हालात को देखते हुए कभी का राहत कार्य चालू करना चाहिये था यह सरकार का न्याय नहीं है। गंगानगर जिले के भूखे लोगों की बड़ी भारी उपेक्षा है ऐसा नहीं करना चाहिये हालात वहां पर भी बड़े गम्भीर हैं। वहां पर २३ फरवरी तक कोई काम नहीं चालू किया गया। लेकिन इसके मायने यह नहीं कि हमारे जिले में काम शुरू नहीं किया गया तो सारे राजस्थान में कहीं काम नहीं हुआ यह सही नहीं है।

अभी जनसंघ के नेता भैरोंसिंहजी ने कुछ अनाज का नमूना पेश किया। इस तरह के नमूने पहले अकालों में भी आये थे। जब १६५२ में राजस्थान में अकाल पड़ा था बीकानेर डिविजन के कुछ लोगों ने एक प्लान बनाकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया कि बीकानेर के लोग भुरट की रोटियां, पेड़ों की छाल की रोटियां खा रहे हैं। वे रोटियां लोक सभा में भी पेश की गई थीं। वहां भी निम्बीयार सारंगधरदास और अन्य सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान में जो अकाल है उसके कारण वहां के लोग पेड़ों की छाल की रोटियां और भूरट पीस-पीस कर उसकी रोटियां बनाकर खा रहे हैं लोगों को आटे की रोटियां नहीं मिल रही हैं। इसकी जांच करने के लिये वर्त्तमान मुख्य मन्त्रीजी उस समय राजस्व और अकाल सहायता मन्त्री थे, वे उस क्षेत्र में गये मैं भी साथ में था। पहले जिस कैम्प पर हम पहुंचे उनके सामने वे ही रोटियां पेश की गई जिनमें तुम्बों के बीज लगे हुए थे, भूरट के बीज लगे थे, पेड़ों की छाल मिली हुई थी लेकिन रोटी बनाने वाले को यह जानकारी नहीं थी कि वह कैसे बनायी जाती है। वह नकली थी। इस तरह की रोटियां उनको पचास कैम्पों पर बतलाई। हम इस बात के लिये हैरान थे कि यह रोटियां आई कहां से। सब रोटियां एक समान, सब के नमूने एक सर खे, सब का साइज एक सा आखिर यह आयां कहां से ? इस बारे में तीन दिन जांच करने के बाद सरदार शहर के पास मोमासर गांव के एक कैम्प पर पहुंचे वहां भी एक मजदूर ने उसी तरह की रोटियां पेश कीं। हमने उससे पूछा कि ये रोटियां कहां बनी पर उसने उत्तर दिया कि मेरे घर पर बनी हैं, आटा कहां पीसा गया तो उत्तर था कि मेरी घर की चक्की में पीसा है। मैंने उसके घर में जाकर देखा और घट्टी का ऊपर का पाट उठाकर देखा तो जो चीज चक्की में पीसी गई थी उसका कुछ न कुछ भाग उसमें जरूर रहता

(श्री हंसराज आर्य)

है लेकिन जो वह कह रहे हैं वह वहां नहीं थी। पेड़ की छाल का नमूना नहीं था, न भूरट के बीज का नमूना था। आखिर हमने उससे पूछा बताओ असलियत क्या है तो उससे पता चला कि रामराज्य परिषद् वालों ने बीकानेर में बैठकर रामगोपालजी मोहता के यहां ये रोटियां बनवाई थीं और पांच हजार रोटियां बनाई गई थीं, उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि सरकार को बदनाम किया जाय। उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिये यह घृणित काम किया था।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप उस मजदूर का नाम और उसकी वल्दियत और कहां का निवासी था बता सकते हैं ? आपने जब इतनी इन्वेस्टीगेशन की हैं तो यह भी आपको पता होगा ? आपको तो सारी बदमाशियां कहां होती हैं यह भी पता होगा ?

श्री हंसराज आर्य : १७ साल के बाद आप नाम पूछें तो मुझे याद थोड़े ही है लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सही बात कह रहा हूं।

श्री विजयसिंह : सही नहीं यह तो फरजी बात बना दी।

श्री हंसराज आर्य : मजदूरों ने यह भी बताया कि सड़क के किनारे के जितने भी पेड़ थे उनकी सब की छाल उतार दी गई थी। मजदूरों ने कहा कि ये सब रामराज्य वालों ने छुलवाये हैं। पेड़ों को छीलकर कह दो कि आटा नहीं मिलता इसलिये, इनको छाल को पीस कर खाते हैं। उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि गीली छाल भी पीसी जा सकती है या नहीं।

दूसरा यहां पर श्री भैरोंसिहजी द्वारा अनाज भी पेश किया गया है हो सकता है यह भी उसी तरह का हो जो बाजार की किसी दुकान से सड़ा हुआ ले आये हों।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बाड़मेर जिले में गया हूं मैंने वहा जो बोरियां आयी थीं उनसे यह नमूना लिया है। मैं ट्रेजरी बेन्चेज के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, सही बात को वे स्वीकार करें और सरकार को उसके लिये बाध्य करें कि इस प्रकार की चीजें होती हैं, वह सरकार पर कलंक है।

श्री हंसराज आर्य : जहां तक सही तथ्यों का प्रश्न है उनको स्वीकार करने में कोई इन्कारी नहीं है। इतने लम्बे चौड़े कामों में कोई गल्ती हो सकती है, हाजरियां फरजी हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। यह बात भी सही है कि जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनको रोजाना नहीं तो सात दिनों के बाद मजदूरी मिलनी चाहिये। जो पन्द्रह दिनों में भी मिल जावे तो यह न्यायसंगत नहीं है भी सही है कि मजदूरी करने वाले, मिट्टी गिराने वाले लोगों को एक महीने में आठ किलो अनाज दिया जाय इससे काम नहीं चल सकता, उसकी मिकदार को बढ़ाना चाहिये। यह भी सही है कि सड़कों पर काम करने वाले पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी जैसा कि कल दौलतरामजी कह रहे थे धांधलीवाजी करते हैं। उसे रोका जाना चाहिये। जहां तक अव्यवस्था इसमें है उसको स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिये। पर जितने

(श्री हंसराज आर्य)

बड़े पैमाने पर यह राहत कार्य चल रहा है वह संतोषजनक है। जितनी मांग है उतनी नहीं पहुँचाई जा सकती, क्योंकि राजस्थान सरकार के साधन सीमित हैं। जब काम नहीं होता है तो यह कहा जाता है कि काम चालू नहीं करते हैं पैसा तो सारा सेन्टर से आ रहा है, जब अन्य मुल्कों से पैसा आता है तो कहां जाता है यह सरकार राजस्थान को अडाने रख रही है। करजा बढ़ाया जा रहा है। तो कहने के लिये कुछ भी कहा जा सकता है। इसकी सबको खुली छूट है।

जिस तरह की व्यवस्था इस अकाल में यह सरकार कर रही है, उस तरह की हमने तो देखी नहीं। कम से कम तीन चार अकाल हम भुगत चुके हैं। बीकानेर डिवीजन में १८८६ की साल में अकाल पड़ा। उसमे ६८ परसेन्ट पशु मर गये थे, उनकी हड्डियां उठाने वाला नहीं था। लाखों आदमी मर गये थे। २,४६,७८० लाशें वहां पड़ी थीं। यहां श्री भैरोंसिहजी उस जमाने के शासकों को तारीफ कर रहे थे कि आज हमें उन राजाओं के राज याद आते हैं। वह राज्य मुबारिक हों उनको। हम तो वह राज सपने में भी नहीं देखना चाहते। इसके बाद १६०१ में जिसे ५६ का काल कहते हैं लोग, पड़ा। लोगों के पास अनाज तो था, पर पशु और मानव इसलिये मर गए थे कि शासकों की ओर से जनता को दिलासा देने वाला कोई नहीं था हौंसला और हिम्मत नहीं थी। लोग डर रहे थे कि क्या पता इस काल में क्या होगा। केवल साधन ही नहीं, ऐसे अवसरों पर साहस भी काम करता है। इस अकाल में हमारी सरकार के माननीय सदस्यों ने और खास कर हमारे अकाल सहायता मन्त्री व मुख्य मंत्रीजी को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने साहस के साथ लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इस अकाल में किसी को भूख से मरने नहीं दिया जावेगा। दिन-रात एक करके सब जगह घूम-घूम कर उन्होंने अकाल राहत के काम की व्यवस्था की और देखभाल की। अन्य मन्त्रीगण एक-एक गांव में घूमे और यह विश्वास दिलाया कि सरकार को कुछ भी करना पड़े वह किसी को इस अकाल में भूख से नहीं मरने देगी। २३ हजार गांवों में काम चल रहे हैं और एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है। और यदि भूख से मर भी जाता तो•••

श्री बालसिंह : मरे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सितम्बर मास में आप और वृद्धिचन्दजी ने एक वक्तव्य में कहा था कि पचास आदमी भूख से मरे हैं जिसमें हमारे मदेरणा साहब भी जानकारी रखते हैं। आपके वक्तव्य अकतूबर में पढ़े है। वृद्धिचन्दजी ने भाषण दिये हैं कि ५० व्यक्ति मरे आपका भी वक्तव्य है। और आप इस तरह से कहते हैं तो उन वक्तव्यों के बारे में यहां स्पष्ट घोषणा करें कि वह वक्तव्य सही था या गलत था।

श्री परसराम मदेरणा : अगर ऐसा होता तो आप स्वयं उनसे पहले कहते।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उन्होंने जो प्रश्न रक्खा•••••••••

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको चैलेन्ज करता हूं कि भूख से नहीं मरे। अगर मरे हों यह मैं साबित कर दूं तो वे स्तीफा दे दें, नहीं तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री हंसराज आर्य : मरे हुए आदमियों की लाशें विरोधी सदस्य जयपुर में उठाकर आप ले आते।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका चैलेन्ज एक्सेप्ट करता हूं।

श्री विजयसिंह : उधर तो स्तीफा देने वाले ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : महारानी गायत्री देवी जैसलमेर जाकर आयीं। उन्होंने प्रेस स्टेटमेन्ट में कहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरा। उसको भी आप नहीं मानते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : आप मन्त्री पद पर होते हुए समझदार होते हुए गायत्री देवी का प्रश्न यहां लाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उनका स्टेटमेन्ट प्रेस में गया है।

श्री हंसराज आर्य : यह कहा गया फलां गांव में फलां तारीख को भूख से आदमी मर गया यह बिल्कुल असत्य है कोई आदमी भले ही बीमारी से कमजोर होकर मरा हो पर कहते हैं, भूखा था इसलिये कमजोर होकर मर गया। ऐसे आदमियों को भी सूची में दर्ज कर लिया गया जो गलत है। कोई भूख से नहीं मरा है। इसके बाद १९७९ का काल पड़ा। उसमें क्या हालत हुई सब जानते हैं, तो यह सब इसलिये कहना पड़ रहा है जबकि आप उन राजा-महाराजाओं की तारीफ करते हैं। उन्होंने क्या किया ? १९७९ में बीकानेर रियासत में अधिकांश हिस्सों में काल पड़ा था। लाखों गायें मर गई थीं उनको उठाने वाला नहीं था। आदमियों को मरते समय पानी पिलाने वाला नहीं था। अकाल की समाप्ति पर जब अषाढ़ के महीने में लोग जो बच कर बाहर चले गए थे वे वापिस आये तो उस वक्त कोई उनको खेती के लिए तकावी लोन आदि देने वाला नहीं था, उल्टा लोगों को चारपाइयों पर चढ़ा दिया गया था इसलिये कि लगान की वसूलियां करनी थीं। इस तरह से वसूलियां की जाती थीं। बीकानेर रियासत का मैं पूरा इतिहास बता रहा हूं कि किसी भी अकाल में बीकानेर स्टेट ने एक पैसा खर्च नहीं किया।

श्री जयनारायण सालोविया : झूठ भी बोलो तो थोड़ा कम बोलो।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : लोगों के कानों में से बालियां तक निकाल ली हैं इस कांग्रेस सरकार ने तो।

श्री हंसराज आर्य : कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। पर मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने बड़ी मुस्तेदी के साथ में अपनी हिम्मत से ऊपर उठकर भी राहत दी है।

यह कहा गया कि आज तक इन बीस सालों के शासन में कांग्रेस ने अकाल पर नियन्त्रण नहीं किया। मैं कहता हूं राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है, जितना यहां का अधिकांश हिस्सा मरुस्थल है उसको देखते हुए बीस साल में भी पूरे राजस्व का भी सारा पैसा खर्च करके भी अकेली राजस्थान सरकार काबू नहीं पा सकती है।

गंगानगर के अधिकांश गांवों में उधर आज भी पीने का पानी नहीं है। दस-दस और बारह-बारह मील से पीने का पानी नोहर-भादरा से लाना पड़ता है। राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्सों में कुओं की हालत क्या है

(श्री हंसराज आर्य)

यू० पी० और बिहार में जहां एक कुआ दो हजार में बन सकता है, वहां, उस रेगिस्तान में एक कुआ एक लाख रुपये से कम में नहीं बन सकता।

अब यह कहना कि बीस साल तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया यह भी सही नहीं है सरकार ने बहुत किया है राजस्थान की सरकार अपने सीमित साधनों से तो पचास साल भी रेगिस्तान पर काबू नहीं पा सकेगी यदि भारत सरकार पूरी भरपूर सहायता दे तो।

इन शब्दों के साथ मैं इस निन्दा प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं, और जो प्रस्ताव प्रशंसा का रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने विरोधी दल की तरफ से इस अकाल में सरकार राहत पहुँचाने में असफल रही इसके बारे में एक निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और विगत दो दिनों से उस पर विचार विमर्ष हो रहा है, मैं उस पर कुछ कहने को खड़ा हुआ हूं।

मास सितम्बर, १६६८ में इस सदन में इस अकाल के बारे में दो दिनों तक चर्चा चली और जैसलमेर के बारे में मैंने भी सही स्थिति सदन के सामने रखी थी। उस समय राज्य सरकार की ओर से मन्त्री महोदय ने बड़े सारे आश्वासन दिये थे और यह ऐलान किया था कि राज्य सरकार किसी को भूख से मरने नहीं देगी।....

एक माननीय सदस्य : थोड़े जोर से बोले आप।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह प्रेक्टिस कब से शुरू की ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : काय की प्रेक्टिस, काम कुछ नहीं किया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : तो यह ऐलान किया था कि जल्दी ही सब अरेन्जमेंट कर लिया जायगा और जैसलमेर में काम खोल देंगे क्योंकि वहां लगभग ७ वर्षों से अकाल पड़ रहा है। फिर एक महीने से मन्त्री महोदय की ओर से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। जो अकाल राहत कार्य पहले खोला गया था वही कार्य चालू रखा गया एक महीने तक दूसरा कोई कार्य नहीं किया गया। उसके बाद मुख्य मन्त्री जी मय केबिनेट के फेमीन क्षेत्र का दौरा करने निकलते हैं। बराबर अकाल क्षेत्र में घूमते हैं, जैसलमेर का मुख्य मन्त्री जी ने दौरा किया तो दौरा तय होता है शेरगढ़ का जो शेरगढ़ जैसलमेर का एक थोड़ा सा हिस्सा लगता है, उसको टच करते हुये बाड़मेर चले जाते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी और अकाल मन्त्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या संकोच था जो आप जैसलमेर नहीं जा सके थे।

श्री रामकिशोर व्यास : आप खुद ही फलसूंढ़ में मिले थे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं वहां गया हुआ था क्योंकि मैं वहां से चुना हुआ हूं इसलिये गरज थी। मुझे मुख्य मन्त्रीजी और अकाल मन्त्रीजी का कोई प्रोग्राम नहीं मिला, केबिनेट पूरी आई थी मैंने सोचा कि शायद सारा डिसिजन यहीं हो जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपको इत्तला क्यों देते ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं वहां गया था खास तौर से इसलिये कि पूरी केबिनेट गई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां तो आपने सन्तोष जाहिर किया था।

श्री रामकिशन : आप ज्यादा आदमी साथ ले जाते हो क्या करें लोग डर जाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके लिये आपको धन्यवाद लेकिन मुश्किल तो यह होती है कि कार्यक्रम क्या होता है–उस कार्यक्रम से अवगत नहीं कराते हैं, यह बात जरूर कहूंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उस दिन आपकी पूरी केबिनेट थी, अकाल राहत मन्त्रीजी थे, राजस्व मन्त्रीजी थे। बिना सूचना होते हुये भी मैं वहां फलसूंढ पहुँचा। गांव में बड़े भाषण दिये गये....

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी भी थे कि नहीं वहां पर ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : इनकी कथनी और करनी में बड़ा फरक है। उस समय अकाल राहत मन्त्रीजी ने यह कहा था कि कलेक्टर, जैसलमेर बिना अप्रूवल लिये गवर्नमेंट से जो वाजिब समझें कार्य आरम्भ कर सकता है कोई भी अकाल राहत कार्य शुरू कर सकता है, कलेक्टर महोदय भी वहां पहुँचे थे, मैं भी वहां था भाषण के बाद क्या होता है जब गाड़ियां रवाना होती हैं तो अकाल मन्त्रीजी कहते हैं इतना कार्य खोल मत देना हमारे पास पैसा नहीं है। स्थिति इस तरह रही कि टास्क वर्क जिस तरह किये जाते हैं उस तरह का कार्य किया गया। यह अकाल राहत कार्य खोलने की व्यवस्था है। उस समय माइग्रेशन का एलान किया गया। मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा रेल द्वारा, ट्रकों द्वारा हम माइग्रेशन की व्यवस्था करेंगे। माईग्रेशन एक डेढ़ माह बाद हुआ। और फिर ऑफिस में माईग्रेशन का जो रूट तय हुआ है उससे आपकी सूझ-बूझ का और पता लग जायगा। आज जैसलमेर का सीमा क्षेत्र पशुओं के लिये प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पशु सीमा पर हैं। यह जैसलमेर से प्रारम्भ किया जाता है जो सीमा क्षेत्र से जेसलमेर ८०-८०, ६०-६० मील दूर हैं वहां से आपने पशु लाने की क्या व्यवस्था की ? वे माइग्रेशन सेन्टर तक कैसे पहुँचते हैं जहां से आगे माईग्रेशन आरम्भ किया जाता है। नवम्बर के मध्य में आपका माईग्रेशन प्रारम्भ किया जाता है उसके बाद १५ दिन तक ऑफिस वाले उसे क्रियान्वित नहीं करते हैं। इससे पहले बहुत कुछ पशु मर गये थे और बाकी बचे खुचे लोग मवेशी लेकर जाते हैं वह भी रास्ते में ही मर जाते है। मैं गुजरात की एग्जाम्पिल दूंगा। जालौर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट से गुजरात का रास्ता है इसलिये बाड़मेर जैसलमेर के कई पशु वहां पहुँच गये और गुजरात सरकार ने मना किया इसलिये वहीं मर गये।

आज आपको यह मालूम नहीं है कि हमारे पास घास कहां और कितना है। हमारे भैरोंसिंह जी ने जैसा बताया कि लोगों का प्रोसीक्यूशन किया जा रहा है. केस दायर किये जा रहे हैं मुख्य मन्त्री जी अकाल राहत मन्त्री जी जहां कहीं गये तो वहां ये तुलना करते हैं राजाओं से, अगर आपको

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

तुलना करनी है तो इजरायल और अमेरिका से कर—राजाओं से आप क्या तुलना करते हैं, राजस्थान में आप उन्हीं से तुलना करते हैं और किसी से आपको तुलना करना मिला ही नहीं। आपकी जो प्रगति है वह तो इसी से जाहिर है। अमेरिका और इजरायल को आप भूल रहे हैं और कहते हैं हमने बीकानेर में यह किया, जोधपुर में यह किया। जोधपुर और बीकानेर की व्यवस्था को याद करते हैं। ७ वर्षों से वहां बराबर अकाल होने के कारण खाने को जरा सा दाना भी नहीं है। इसके पहले लोग बाड़मेर से ली कर खाते थे मुख्य मन्त्री जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फूड मिनिस्टर जब पधारे तो लोगों ने अपनी मांग की और मुख्य मन्त्री जी ने कहा इनकी मांग तो वाजिब है लेकिन हम ८ किलो अनाज देने में लाचार हैं। उसके बाद आप करते क्या हैं गत वर्ष माइलो के भाव ४५ रु० क्विन्टल थे वह आज ६९ हो गये उसके बाद जो गेहूं के भाव ५६ के थे वह आज ९८ रु० क्विन्टल के कर दिये जा रहे हैं और ज्वार, बाजरा जौ ७१ के भाव में बाजार में वह मिलता था आज सरकार ७४ के भाव बेचती हैं। फूड का स्टफ भी आप देख लीजिये। इसका एक नमूना मैं सदन के सामने रखता हूं। यह हमारे भगवानदास जी जो खादी परिषद् व कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा लाया गया है। उस गांव की औरत ने जब यह दिया तो उसने अपनी ओढ़नी फाड़कर उसमें यह नमूना बान्ध कर दिया और कहा कि खोज जाय इस राज्य का जिसके कारण हमारी यह हालत हुई। हमारे भाई कई मर गये हैं और अब हम भी कितने दिन के महमान हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से, अकाल मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसको खाना तो दूर रहा इसको सूंघ कर ही देख लीजिये। वहां इस बात की पाबन्दी है कि अगर यह माइलो नहीं लेंगे तो और कोई चीज नहीं मिलेगी ६० पर्सेन्ट यह दिया जा रहा है और ४० पर्सेन्ट ठीक दिया जा रहा है, यह है हालत।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : खोज जाय इस राज्य का यह खूब कहा।

श्री **बालसिंह सोढ़ा** : माननीय भैरोंसिंह जी ने जो लिस्ट दी है उससे पता लगेगा कि लोग कैसे मरते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी के सामने यह रखता हूं कि भूख से कैसे मरे हैं। मैं नाम बताता हूं एक ग्राम है पियोड़ाई वहां पूनमा चौधरी है जिसके घर में ८ सदस्य थे, उसकी औरत, वह और उसके ६ बच्चे। जिसमें सबसे बड़ा बच्चा है वह मवेशी मर गई तो वह घर छोड़ गया और शेष ७ सदस्य ७५ मील दूर जाकर धतरेल में राहत कार्य पर आगये। उसकी १५ दिन की मजदूरी के बाद जब १० दिन और बीत गये तब भी उसको पेमेंट नहीं हुआ। ५ सदस्य दो आदमी के काम पर निर्भर थे और एक लड़का जिसका नाम सुरा था उसका बीमार पड़ गया। उनके पास खाने को धान भी नहीं था। चार दिन तक गौ सेवा द्वारा जो भूसा दिया जाता है उसको खाकर बिताये और चौथे दिन उसकी मृत्यु हो गई।

श्री **खेतसिंह** : कौनसा गांव है ?

श्री **बालसिंह सोढ़ा** : पियोडाई।

श्री **खेतसिंह** : कौन से गांव के पास है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : सतरेल केम्प में मरे हैं। वहां के लोग जो काम करते हैं, उनका कहना था कि उसके पास खाने को, पहनने को कुछ भी नहीं था। उसके दाह संस्कार के लिये भी लकड़ी नहीं थी। लकड़ी के लिये वहां एक यूसूफ नाम का मेट था उसने चन्दा किया और चन्दा करके उसका दाह संस्कार किया। बाकी बची राशि से शेष सदस्यों को अनाज भी दिया और वस्त्र भी दिये गये।

दूसरा उदाहरण जो माननीय भैरोंसिंह जी ने पहले भी बताया छायण गांव का एक आदमी था नाहरसिंह, पुत्र श्री जेठमलसिंह और उसका भाई और उसकी औरत तीनों मर गए और आज भी उनके पीछे ४ अनाथ बच्चे हैं। इस नाहरसिंह के बच्चे को खाने को नहीं मिला तो जो कोठा होता है उसका दरवाजा बन्द करके अन्दर ही मर गया। अब माननीय अकाल श्री जी कहते हैं कि एक भी नहीं मरा, अब इनके मरने की परिभाषा क्या है यह तो आप ही जान सकते हैं। जैसलमेर में मृत्यु के पहले के आंकड़े ले लें और आज के भी ले लें। यह जो ज्वार सप्लाई की जाती है, वह भी ८ किलो और मंहगे भाव पर। पेमेन्ट लोगों को समय पर नहीं होता है और पूरे समय पर काम नहीं खोले जाते हैं और लोग मर जाते हैं तो कह देते हैं कि बीमारी से मरा।

अब मैं आपकी चिकित्सा व्यवस्था के बारे में कहूंगा। यह उस समय का उदाहरण है कि जिस समय बलाड़ा, राजमथाई काम पर एक चौधरी परिवार काम कर रहा था। एक ही दिन में उस परिवार के ३ आदमियों की मृत्यु होती है। डॉक्टर पहुंच जाता है, डॉक्टर वहां बहुत लगा रखे हैं लेकिन उनके पास दवाइयां नहीं हैं। डॉक्टर कहते हैं "I can not help" मेरे पास दवाई नहीं है और उस परिवार के ३ सदस्य वहीं मर जाते हैं और उनका दाह संस्कार नहीं होता है। गांव वाले एक-एक लकड़ी इकट्ठी करके उनका दाह संस्कार करते हैं। यह आपकी चिकित्सा व्यवस्था का नमूना है।

अब घास की व्यवस्था के लिए कहूंगा। जिस समय हमारे क्षेत्र में प्रधान मंत्रीजी का दौरा हुआ और जिस रूट से वह निकलने वाली थीं वहां तो अकाल राहत के कार्य खोल दिये गये थे, घास के डिपो भी खोल दिये गये थे और जहां मरे हुए पशुओं की हड्डियां पड़ी हुई थीं उनको हटा दिया गया था। अब आपको सबसे बड़ा उदाहरण तो इसका यह दूंगा कि जैसलमेर में डाबला गांव है वहां हड्डियों का ढेर था जो सड़क के बिलकुल पास में ही एक डिपो हड्डियों का था तो उसे माननीय मंत्री महोदय ने देख लिया कि प्रधान मंत्रीजी इसे देखेंगी तो क्या कहेंगी। तो वहां पर हड्डियां उठाने वाला कोई नहीं था तो पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि रातों-रात यहां से हड्डियों को हटाया जाये। यह है आपकी कारगुजारी। और जैसे ही वहां से इन्दिराजी पधार जाती हैं तो १५ दिन के बाद ही घास रफा दफा हो जाता है उसके बाद में एक स्पेशल सेक्रेटरी का अपॉइन्टमेन्ट किया जाता है कि घास का इन्तजाम उनके द्वारा किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या घास की समस्या आज खतम हो गयी? क्या आज जैसलमेर में या बाड़मेर में या राजस्थान में कहीं भी घास की जरूरत नहीं है? वह स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट खतम कर दी। इसका कारण क्या हो सकता है

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। हो सकता है कहीं तालमेल नहीं बैठा हो। अब हमारे मुख्य मंत्रीजी बड़े कारीगर हैं और उन्होने हिन्दुस्तान भर में ऐलान किया कि जैसलमेर वाले मर रहे हैं और गायों के नाम से और जैसलमेर के नाम से लोगों ने लाखों रुपया दिया। अब यह रुपया भी कहीं लगाना है तो राजस्थान में २५–२६ डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल घोषित कर दिया। ऐसी व्यवस्था आपको नहीं करनी है कि यह अकाल हमेशा के लिए खत्म हो जाये। आज स्थिति यह है कि लोगों ने हजारों क्विटल घास मुफ्त दिया और वह घास इस सरकार ने पैसे लेकर बेचा। वह क्यों बेचा इसका एक ही कारण है कि जो सरकार के ठेकेदार हैं उनकी क्षति-पूर्ति करनी थी क्योंकि जो डोनेशन का घास है उसका अकाउन्ट नहीं पूछते हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं होता है। उसके बाद में आज स्थिति यह है कि १५–२० दिनों तक डिपो में घास नहीं जाती है। गौ सेवा के लिए कल भी कहा था और राज्य-पाल महोदय के भाषण में भी कहा गया है कि इसको हम ५० पर्सेन्ट सहायता देते हैं। आज १॥ महीने से उनका बिल रुका हुआ है इसलिए गौ सेवा ने अपना काम बन्द कर दिया है और जो चारे की व्यवस्था गौ सेवा कर रही थी वह बिलकुल अस्तव्यस्त हो गई है क्योंकि आपकी व्यवस्था ही ऐसी है आप ऐलान तो ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं।

जैसा अभी पहले भी निवेदन हुआ था कि फेमिन कोड में प्रोवीजन है कि कैसे भी ड्यूज हों, जहां फेमिन है वहां रिकवरी नहीं की जायेगी किसानों से। और सिविल कोर्ट्स में भी ऐसा प्रॉवीजन है कि अगर कोई ड्यूज हैं तो उनको भी सस्पेन्ड कर देते हैं लेकिन आज जैसलमेर में कई रिकवरीज चल रही हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जैसलमेर की जो आर्थिक स्थिति थी और जो वहां का पशुधन था वह अब नहीं के बराबर रह गया है और १० वर्षों के लिए जैसलमेर की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है और जो हमने राज्यपाल महोदय का भाषण सुना उसमें ऐसा कहीं नही है कि सरकार उसके लिए क्या कुछ कर रही है।

अब ट्यूब वैल्स के बारे में कहूंगा। जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार ने ट्यूब वैल सैंक्शन किये पर आज साल भर में कितने खुद गए और कितने चल रहे हैं और कहां-कहां खुद रहे हैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी जानते हैं। मैं एक और उदाहरण अकाल राहत कार्य के लिए देना चाहता हूं......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप क्या जानते हैं कितने खुदे हैं ?

श्री बालसिंह सोढा : मैं अकाल राहत कार्य का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पोकरन पधारे और वहां पर तालाब का काम शुरू किया गया। हमारे वहां एस० डी० एम० हैं वह कहता है कि यह अकाल का काम मैं चाहूंगा उस रोज खत्म कर दूंगा। वहां पी० सी० सी० के प्रेसिडेन्ट का दौरा होता है और श्री खेतसिंहजी उनके साथ थे और उससे दो दिन पहले वहां के ५०० मजदूरों को निकाल दिया जाता है और महज इसलिए कि कांग्रेस का चन्दा नहीं दिया ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका प्रूफ हो तो पेश कीजिए।

श्री खेतसिंह : बात ऐसी नहीं थी। उनको निकाला नहीं गया था बल्कि उनको शिपट करके खडीनों मे लगाया गया है। × ×××××× ×××××× ××

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह खडीनों की इम्पोरटेंन्स नहीं समझते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : हां आप बहुत समझते हैं। पी० सी० सी० के प्रेसिडेन्ट को थैली भेंट करनी थी। जब उन्होंने चन्दा नहीं दिया तो काम बन्द कर दिया और आज भी बन्द पड़ा है। जैसा खेतसिंहजी ने अभी कहा है कि वह काम ऐसा नहीं था मैं कहूंगा कि जब वहां के मजदूरों ने कहा कि हम नाथूरामजी की मीटिंग नहीं होने देंगे तब आपने कहा कि कल वापिस रख दूंगा और उन आदमियों को वापिस रखा गया।

श्री खेतसिंह : मैं बालजी आपसे यह उम्मीद कतई नहीं करता था कि यहां आकर आप इतना ××× अपोजीशन का काम है आप अपनी ड्यूटी अन्जाम दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपन्ज कर दिया जाये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उसका निवारण आपके कहने से नहीं हो सकता। इसी सदन के ४ सदस्यों का एक कमीशन बैठा दिया जाये और पोकरन वाली बात की जांच कराई जाये कि इसमें कितना तथ्य है।

श्री दौलतराम सारण : तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आखिर में अकाल-राहत मंत्रीजी को दो सजेशन मैं देना चाहता हूं। आज तक इन बीस वर्षों में सरकार ने फैमीन के परमानेन्ट हल के लिए क्या व्यवस्था की है ? जो जैसलमेर का आर्थिक आधार पशु धन है वह खत्म होता जा रहा है। यह समस्या तो अगले वर्ष भी बरसात हो या नहीं हो आने वाली है। जैसलमेर के लोगों को उजड़ना पड़ेगा। उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है और कोई परमानेन्ट हल नहीं निकाला गया तो यह सीमा हमेशा के लिए खाली हो जायगी। पशु धन का अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा और अगर कोई सोर्स नहीं रहेगा तो लोगों का वहां रहना मुश्किल हो जायगा। एक तो वैसे ही पास मे पाकिस्तान आ गया है उसका खतरा हमेशा बना रहता है। उसके बाद में अगर रोटी का सोर्स भी नहीं होगा तो यह सीमा खाली होने वाली है। इसके लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए थी ताकि फैमीन हमेशा के लिए मिट जाय और हमारी सीमा भी बस जाय। मैं इसके लिए दो सजेशन देना चाहता हूं। एक तो यह है कि वहां पर ट्यूब वैल बनायें, और उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करके आस्ट्रेलिया की तरह अच्छी भेड़ें और अच्छे गाय और बैल पाले जायं। दूसरा आल्टरनेटिव राजस्थान नहर का है। राजस्थान नहर के लिए केन्द्र पर दबाव डाल कर उसको जल्दी से जल्दी लाया जाय तो वही एक ऐसा हल हो सकता है जिससे अकाल जैसलमेर के इलाके से ही नहीं बल्कि बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान का जितना रेगिस्तानी इलाका है उसको बचाया जा सकता है। डिफेन्स के पॉइन्ट से और इकोनामिक पॉइंट से भी लोगों के बसने के हिसाब से यह बहुत जरूरी है।

इस प्रकार राजस्थान सरकार फैमीन की समस्या को साल्व करने में असफल रही है इसकी मैं निन्दा करता हूं, और खेतसिंहजी

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

Page No 90

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
से यह कहता हूं कि यदि आप चाहें तो एक कमीशन बिठाकर जांच करा लें कि जितने तथ्य मैंने कहे वे सच हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकार की निन्दा करते हुए हम लोगों ने प्रस्तुत किया है उसमें हमारा मकसद जैसा कि और भी माननीय सदस्यों ने कहा वह यह नहीं है कि अकाल के बारे में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मेरा मकसद इस प्रस्ताव के रखने से यह भी कहने का नहीं कि जो प्रयत्न सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं वे पुराने राजाओं के राज्यों से खराब हैं या कम हैं। जिस दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव पर मैंने हस्ताक्षर किये हैं और प्रस्तुत किया है उसमें मुख्य तौर से जिस बात पर मैं विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं, और इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि केवल प्राकृतिक प्रकोप कहकर और इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न न करना बुनियादी तौर से समस्या के हल करने को टालना मानते हैं।

प्राकृतिक प्रकोप राजस्थान में अकाल का हमेशा से रहा है। यह प्राकृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति हमें मिली है। हम लोगों की काबलियत, एक संगठित सरकार की काबलियत, एक मोडर्न गवर्नमेन्ट की एफिशियेन्सी, केपेसिटी इस बात से आंकी जायगी कि वह इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में रहते हुए, इस प्रकार की प्राकृतिक स्थिति में रहते हुए, अपने इलाके, अपने प्रान्त की जनता को विकास के पथ पर लगातार अग्रसर होते हुए प्रकृति के प्रकोपों से किस तरह से बचाकर उसने शानदार राजस्थान बनाया, इस रूप में मुझे निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान सरकार ने जब से इस हुकुमत की बागडोर सम्भाली है, तबसे उससे यह उम्मीद की जा सकती थी कि जब कि राजस्थान तमाम इन्टेग्रेट हो कर एक प्रान्त बन गया, जब उसके आर्थिक साधनों में भी कुछ क्षमता आई, जब कि पोलिटिकल तौर पर हिन्दुस्तान एक सत्ता के रूप में आया, एक फेडरल गवर्नमेंट बनी, केन्द्र की जिम्मेवारी प्रान्तों को सहायता देने की, उनकी समस्याओं का सहयोग के साथ हल निकालने की बनी, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की जो भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति थी उसमें किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि राजस्थान का यह जो हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान है, जो मरुप्रदेश है, इसके विकास का, इसको आगे बढ़ाने का रास्ता तभी हो सकता है जब कि इस इलाके को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाया जा सके। किसी भी सरकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिए था कि यह सिर्फ राजस्थान की ही समस्या नहीं है, यह राजस्थान एक सीमाप्रान्त है, एक ऐसे देश से इसकी सीमा लगी हुई है जिसमें लगातार होस्टिलिटी रहती है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से हम इमर्ज हुए हैं, जिससे लगातार हम २० वर्षों से कन्फ्लिक्ट में गुजर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से किसी भी केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि इस राजस्थान के इस मरु-क्षेत्र को केवल राजस्थान की समस्या नहीं समझ कर इसको डिफेन्स की दृष्टि से, एक राष्ट्रीय समस्या के तौर से समझने का प्रयत्न किया जाता। न केवल यहां की सरकार को कहा जाता, न केवल यहां की सरकार क्या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मदती है इस बात पर वे एक्ट करते, बल्कि केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेवारी थी कि वह खुद इनीशियेटिव लेकर खुद मदद देकर राजस्थान की इस समस्या को हल करके हिन्दुस्तान के डिफेन्स को मजबूत किया जाता ।

जो प्रस्ताव हमने रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमारा यह निवेदन करना है कि हमारी राजस्थान सरकार ने इस दृष्टिकोण से अपनी सरकार की नीतियों को नहीं बनाया। हमारी राजस्थान सरकार ने और केन्द्र की सरकार ने जो तीन योजनाएं मन्जूर की, उन तीनों योजनाओं में यह दृष्टिकोण नहीं है। राजस्थान की इस भौगोलिक स्थिति का, राजस्थान में लगातार इन प्राकृतिक प्रकोपों का बुनियादी तौर से हल करने की दृष्टि से इस दिशा में कदम नहीं उठाये गये है। वास्तविकता तो यह है कि न केवल इस बात को नजरअन्दाज किया गया बल्कि इस तरह से अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई है जिसमें कि इस क्षेत्र का, इसका जो वास्तविक रूप से जो वास्तविक हक था, अगर आबादी को भी दृष्टि से देखें तो जो आबादी बहुत थोड़ी इन क्षेत्रों के अन्दर है उस रीजनल बेसिस पर, पर केपिटा बेसिस पर भी देखें तो राजस्थान का एवरेज एक्सपेन्डीचर पर केपिटा आता है, चाहे वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान हो, चाहे सैकण्ड फाइव इयर प्लान हो, चाहे थर्ड फाइव इयर प्लान हो, जहां होना तो यह चाहिए था कि इस एरिया के पिछड़ेपन को देखते हुए, इस एरिया के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, इस एरिया के ह्यूमन प्रॉब्लम को देखते हुए, और राजस्थान को प्रोग्रेस में इसके महत्व को समझते हुए इस ऐरिया को विशेष इमदाद दी जाती, इस एरिया को विशेष तौर से सामान्यतः इवरेज खर्चे को निकाल कर विशेष मदद विकास कार्यों के लिए की जाती। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, निन्दा की बात यह है इस सरकार के बारे में कि इस सरकार ने डेमोक्रेटिक तरीके से अपने प्रान्त का तमाम प्रान्त का विकास, तमाम प्रान्त की जनता के हित की दृष्टि से, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नहीं किया। रीजनल दृष्टि से किया है। इस तरीके से तीनों पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। हमारे प्रान्त में रीजनल इम्बैलेंस पैदा कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अपने देश में इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं, जैसा कि आंध्र और तैलंगाना में हुआ। जहां श्री रामुलू आन्ध्र के लिये शहीद हुए थे। आज तेलंगाना के लोग कहते है कि हमें अलग करो। आंध्र में हम को न्याय नहीं मिला है। यही पश्चिमी राजस्थान के लोग देखते हैं। जिस प्रकार से शासन चला है, खर्चे चले। जिस तरीके से यह सब बना है। आज हम को अफसोस से कहना पड़ता है, यह गवर्नमेंट सब लोगों का विकास करने की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को ज्यादा सहायता न देकर रीजनल तरीके से चली है। जिसने इम्बैलेंस बढ़ाया है। जिसने प्रकृति को प्रकोप करने का अवसर दिया है। जिसके कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जिले जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हुए हैं अकाल से जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, या जयपुर डिवीजन के कुछ जिले, सीकर और झुंझुनूं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये तीन हिस्से हैं। जनसंख्या थोड़ी है इसके बावजूद प्रति व्यक्ति इन जिलों में क्या खर्चा हुआ है। उस पीरियड में उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के द्वितीय

Page No 92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और तृतीय प्लान में प्रति व्यक्ति १४९.८४ पैसा खर्च किया। १४९.८४ रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा आया है। यह एवरेज आया है सालाना। तो यह उचित था कि इस हिसाब से पैसा लगाते। लेकिन बाड़मेर में खर्चा हुआ ४९.८१ प्रति व्यक्ति। जालोर में यह खर्चा हुआ ४८.८१, चूरू में खर्चा हुआ ९९.९९, झुंझुनूं में ९१.७६, सीकर में ५२.४३, नागौर में ५४.०४, पाली में ७२.३३ प्रति-व्यक्ति, बीकानेर में और जोधपुर में यह खर्चा आवश्यक ज्यादा है जब कि जोधपुर में ११३.६५। बीकानेर में १६३.६९। इन दोनों जिलों को देखें तो वह खर्चा ज्यादा आवश्यकता में होने की वजह से और एरिया से मात्रा अधिक आयी है। मेरा जो आरोप सरकार पर है जिसके कारण हम निन्दा करना चाहते हैं वह यह है कि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में जो नारा दिया था देश के विकास का, सब लोगों को आगे बढ़ा-कर लेजाने का, हमारी राजस्थान सरकार ने उसके विपरीत कार्य किया है। इसी का भयंकर परिणाम हम आंध्र में देख रहे हैं। यह फिसिपरेस टेण्डेंसी है जो हम देख रहे है आज वहां के विद्यार्थी कह रहे हैं कि हैदरा-बाद की उस्मानियां युनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को निकाल दो क्योंकि तेलंगाना का है। इस प्रकार लोग कहते हैं कि उदयपुर का चीफ मिनिस्टर है इसलिए विकास नहीं होने दिया है। अगर इधर का होता तो यहां भी विकास हो जाता उस इलाके के विकास के लिए राजस्थान कैनाल है। ये योजनाएं खटाई में पड़ जायें। ये योजनाएं लम्बी बढ़ती चली जायें। और विचार भी नहीं हो। और कुछ योजनाओं में प्लानिंग कमीशन के एप्रूवल के पहले खर्चा शुरू हो जाये। काम शुरू कर दिया जाये यह नहीं है कि विरोधी पार्टी एक तरफ रहती है। यह नहीं है इसी लिए करने वाले एक तरफ रहते हैं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि आप समस्या की बुनियाद में जाने की कोशिश करें। जो काम चलते रहे हैं, उनमें कमियां और खामियां हैं। उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आप कितना ही खर्चा कर लें, आप लगातार इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। मेरा पहला आरोप यही है इस सरकार पर। बुनियादी समस्या को लेकर यह सरकार चलता है। इरिगेशन योजना पर ध्यान नहीं दिया गया। उन योजनाओं को हाथ में नहीं लिया गया। और इसीलिए इस इलाके में अकाल की समस्या को हल करने की दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय और सदस्यों ने कहा है, ३५-४० करोड़ रुपया इस अकाल के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने अकाल राहत में खर्चा किया है अब भी राजस्थान सरकार खर्च कर रही है। इससे यह हो सकता है कि इण्टेरिम तौर पर लोगों को राहत देने में कामयाब हो ही जायें लेकिन हम स्थायी तौर पर आगे बढ़ रहे है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इस सवाल से डाइवर्शन क्यों हो रहा है। हमारे सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): ऑन ए प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर। विरोधी पक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव आया है सदन के समक्ष हम यहां कुछ प्रश्नों को लेकर चल रहे है। मैं उसको पढ़ कर सदन के सामने रखूंगा।

एक माननीय सदस्य: क्यों सदन का समय खराब करते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और जो यह है। जो इतनी प्रकार की बातें, जो संभव नहीं है, वह जान लें ; मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं...

श्री दौलतराम सारण : नहीं। यह बता रहे हैं कि हम स्वयं अकाल हैं। इसलिये अकाल का प्रमाण पेश कर रहे हैं। इसलिये इरेलेवेंट है।

(४ म० प०)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस वर्ष राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में, भीषण अकाल से लाखों पशु तथा सैंकड़ों मनुष्य काल के ग्रास बने हैं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : रेलेवेन्सी भी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का विषय हो सकता है ?

श्री नत्थीसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की बात सुनाइये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है या नहीं हो सकता–यह बतायेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस वर्ष राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में. भीषण अकाल से लाखों पशु तथा सैंकड़ों मनुष्य काल के ग्रास बने हैं। एक तो यह मुद्दा सामने रखा है। राज्य सरकार इस अकाल का सामना करने में पूर्णतः विफल रही है। दूसरा यह है। तीसरा यह रखा है आपने, अकाल निवारण के निमित्त जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें मानवता की भावना के बजाय दलगत स्वार्थ को ध्यान में रखा गया है। चौथी बात आपने यह कही है, जब हम यह कहते हैं....

श्री जयनारायण सालोदिया : क्यों टाइम खराब कर रहे हो ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कोई आदमी या पशु मरा है तो राज्य सरकार पशुओं व मनुष्यों के मरने के समाचारों का खण्डन करने मात्र में ही अपने कर्तव्य की इति श्री समझ रही है। और कोई काम नहीं कर रही है। इन बातों को, इन तीन बातों को प्रस्ताव में रखा है। शायद जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस चीज को मन्जूर किया है कि काम सब हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं ...

श्री नत्थीसिंह : लेक्चर दे रहे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर आपको यह सब बाते कहनी थी तो आपको इन सारी बातों का उल्लेख करना चाहिये था। लेकिन आपने इन सारी बातों का उल्लेख नहीं किया। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत दे दें तो आप बोलिये, जितना कहना चाहें कहिये। लेकिन बेटर यह होता कि यदि इस समय यह बातें आपको कहनी थी तो इस प्रस्ताव की भाषा में इसे ले आते।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कौनसी बात कर रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री नत्थीसिंह ; अकल का अकाल डालना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुन्दर यह होता, कल जिस समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस समय आप यहां उपस्थित रहते। लेकिन आप तो सो सो कर जागते हैं।

Page No 94

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस समय प्रस्ताव पर बहस हो रही है तब मैं उपस्थित हूं।

श्री नत्थीसिंह : अपनी हाजिरी से अवगत कर दिया सबको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव की सीमा के भीतर ही अपने वाद-विवाद को सीमित रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह बता रहा था ..

श्री नत्थीसिंह : आप जोधपुर से वापिस आ गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको आप प्राकृतिक प्रकोप बता कर इस समस्या की जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं और इस समस्या को केवल ऊपरी तरीके से अस्थाई तौर पर हल करके इसका समाधान करना चाहते हैं—यह दृष्टिकोण दुरुस्त नहीं है, और यह दृष्टिकोण इस समस्या को ज्यादा व्यापक और ज्यादा भयंकर बनाने का कारण बना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस समस्या को स्थाई तौर से हल करने के लिये राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि प्रारम्भिक रूप में सन् १९५१-५२ में श्री कंवर सेन जी ने बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले को क्रॉस करके कांडला बन्दरगाह तक बनाने की योजना बनाई थी, उसी रूप में राजस्थान कैनाल को पूरा किया जाय। इससे ही इसका स्थाई हल हो सकता है। इसके साथ जो नल कूप खोदे जाने के बाद माही और नर्बदा योजना को इसके साथ पूरा किये जाने की बात थी, यह इस चीज को, इस समस्या को स्थाई तौर से हल करने के लिये और समाधान करने के लिये हो सकती थी। आज ऐसा मान कर चल रही है यह सरकार जैसे कि वह तो हमारे वश की बात ही नहीं है, जैसे कि वह तो होना सम्भव ही नहीं हैं, जैसे कि उसके लिये एफर्ट्स कर सकना हमारे लिये मुमकिन ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि उस योजना को उसी प्रारम्भिक रूप में लिया जाना चाहिये और उसको सारे राजस्थान का ही सवाल नहीं बनाया जाना चाहिये, बल्कि उसको एक राष्ट्रीय सवाल बनाया जाना चाहिये। अब की दफा लोकसभा के अंदर इस फैमिन, राजस्थान के फैमिन पर बहस हुई तो राजस्थान की राजस्थान कैनाल को एक राष्ट्रीय योजना के रूप में लिया जाय, यह वहां पर कांग्रेस के सदस्यों ने कहा, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने कहा, वहां पर एस० एस० पी० के सदस्यों ने कहा और दूसरी पार्टी के सदस्यों ने भी कहा। इस तरह से लोकसभा में यह प्रश्न उठा इस रूप में ही इसका स्थाई तौर से प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक समस्या हल नहीं हो सकती और तब तक हम केवल राहत कार्य खोल कर, सड़कें बना कर अस्थाई तौर से इस समस्या को हल करके नहीं चल सकते। हमारी पार्टी की ओर से गवर्नमेंट को, भारत सरकार को श्रीमती इन्द्रा गांधी को बाकायदा लिखित प्रिन्टेड मेमोरेन्डम पेश किया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने स्वयं जाकर वह मेमोरन्डम पेश किया, उसमें मांग की है कि राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय योजना मानकर केन्द्र के द्वारा सारे खर्च को वहन करके इस चीज को किया जाना चाहिये तब ही इसका हल निकल सकेगा। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान और राजस्थान सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का फर्ज था कि जब राजस्थान के फैमिन को सारे हिन्दुस्तान में महसूस किया गया था कि बहुत भयंकर अकाल है, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में राजस्थान की तमाम जनता का हमें जहां सहयोग मिला था, राजस्थान की तमाम जनता अकाल राहत कार्यक्रमों में सहयोग दे रही थी, तो इस सवाल को दुबारा और जोर से प्रेस किया जाना चाहिये था और प्रेस किया जाकर इसको तमाम हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय प्रश्न बनाया जाना चाहिये था, राजस्थान के तमाम एम० पी० वहां पर विराजते हैं वह राजस्थान की जनता को संगठित करके भारत सरकार के सामने इस प्रश्न को रखते। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस इनीशियेटिव को नहीं लिया बल्कि इसको डिस्करेज किया है, इसको फू-फू किया है, इसकी खिल्ली उड़ा कर, और तरह करके एक तरह से इसे गया गुजरा सवाल मान कर इसको छोड़ दिया, इसलिये मैं सरकार की इस बात की निन्दा करता हूं और जरूरत समझता हूं कि वास्तव में सीरिअसली इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमको इस राजस्थान कैनाल के क्वेश्चन को राजस्थान का राष्ट्रीय प्रश्न मान कर चलना चाहिये।

(४.०६ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

तमाम पार्टियों के जो भी दृष्टिकोण हैं या जो भी विचार इस सम्बन्ध में हैं–उसमें कहीं मतभेद नजर नहीं आता है। इसलिये इस प्रश्न को लेना चाहिये और तमाम के तमाम लोगों को मिल कर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिये भारत सरकार से मांग करनी पड़ेगी, और ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि भारत सरकार को मजबूर बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस ओर कदम न उठा कर भयंकर गलती की है। सभापति महोदया, जहां इन नीतियों के दृष्टिकोण से आज इस समस्या की भयंकरता हमारे सामने आई है वहां हमने यह भी देखा कि इस राजस्थान के मरु क्षेत्र में, गंगानगर जिला, जिसकी तीस वर्ष पहले ऐसी हालत थी, आज वह जिला न केवल राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान के उन उपजाऊ जिलों में है जिस पर कोई भी नाज कर सकता है। आज वहां रेन फाल कोई बढ़ नहीं गई है, प्राकृतिक प्रकोप जिस चीज को हम मान कर चलते हैं वह प्रकोप कोई कम नहीं हो गये हैं लेकिन इन इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से, कैनाल सिस्टम की वजह से इन तमाम प्राकृतिक प्रकोपों को बदल दिया गया है, प्रकृति पर काबू कर लिया गया है और इस तरह से आज उसका फेस बदल दिया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इन दूसरे जिलों में भी यह स्थिति पैदा की जा सकती थी। मैं दौरे में जहां राजस्थान का बोर्डर पड़ता है, ग्राम रणजीतपुरा, भीकमपुरा में गया। मेरे पास राजस्थान कैनाल का वह नक्शा था जिसमें यह गांव बिल्कुल उस कैनाल पर पड़ते हैं। उस गांव वालों ने देखा कि राजस्थान कैनाल हमारे गांव में आने वाली है और हमारे गांव की स्थिति गंगानगर जैसी हो सकती है। लेकिन जब उनको पता लगा कि इसको कट कर दिया गया है तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा, उनके दिल में कितना दुःख महसूस हुआ होगा कि हमारा जो भविष्य उज्ज्वल होने वाला था, जो उज्ज्वल हो सकता है, उसको आज समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जा रहा है। ऐसा उन्होंने महसूस किया होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो इस तरीके की इन योजनाओं के जरिये राजस्थान सरकार ने अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिये हमारी सरकार ने इस प्रकार का प्रचार किया है कि इसमें हमारी सरकार क्या करे, यह तो भगवान इन्द्र देव ने वर्षा नहीं की, इसमें अगर गलती है तो भगवान की गलती है, सुखाड़िया सरकार की गलती नहीं है और अगर किसी को हटाने की मांग करो तो सुखाड़िया सरकार को हटाने की मांग मत करो, भगवान को हटाने की मांग करो, जिसने कि अकाल पटका है, इस तरह का अन्ध विश्वास, भ्रामक विश्वास लोगों में पैदा करने की कोशिश की है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि हवन करवाओ वर्षा हो जायेगी। ऐसे लोग जो लोगों में धार्मिक भावनाएं जबरदस्ती बनाना चाहते हैं, लोगों में अन्ध विश्वास पैदा करना चाहते हैं उन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया कि लोगों में धर्म खत्म हो गया है इसलिये वर्षा नहीं होती है, इस तरह रूढ़िवादी विचारों को और जमाने का प्रयत्न किया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसने किया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हम हमारा खोला बचाने की कोशिश कर लें, लोगों को भ्रान्ति में डालने की कोशिश कर लें पर सही दिशा में राजस्थान की जनता को संगठित करने के लिये आपने कोई सही एफर्ट नहीं किया है। सही एफर्ट यह है कि जो भौगोलिक स्थिति हमारी है, इस पर काबू पाने की हम भरसक कोशिश करें, इस पर काबू पाना कोई गैर मुमकिन नहीं है। अगर हम एफर्ट करें, साधनों को जुटायें, जनता को इसके लिये मोबिलाइज करें, केन्द्र को मजबूर करें, इससे इस समस्या का हल कर सकते है। सरकार यह एफर्ट कर नहीं रही है। सही दिशा मे हम यह कर सकते हैं कि आन्दोलन करके केन्द्रीय सरकार को मजबूर करने के लिये कदम उठावें, भारत सरकार इसको मन्जूर कर ले तो ठीक नहीं तो आन्दोलन करके भारत सरकार को मजबूर करें।

मैं समझता हूं, इस अकाल में अकाल राहत कार्यों के लिये हमें दूसरे प्रान्तों से चन्दा और चारा मिला है, मदद मिली है, उसी तरह से राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाय, केन्द्रीय सरकार इसका सारा खर्चा भुगते, इसमें हमें हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों से हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से मदद मिलने वाली है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि जो खाद्यान्न राजस्थान कैनाल से पैदा होंगे उनसे पी. एल. ४८० बन्द हो सकता है, वे इसलिये हमारी इस कार्य में मदद करेंगे क्योंकि हमारी सीमा कमजोर है और इस कारण हम वहां पाकिस्तान का अच्छी तरह से मुकाबला करने में असमर्थ होते हैं, इस लिहाज से भी भारत के दूसरे प्रान्त हमारी इस कार्य में मदद करेंगे।

सारे बोर्डर पर ३० मील की दूरी पर राजस्थान कैनाल बन जाय, कांडला बन्दरगाह तक और फिर उसके पैरेलल में रेल्वे लाइन चल जाय, यह नहर नेवीगेबल नहर के तौर पर बन जाय तो राजस्थान की शक्ल ही बदल जाय, राजस्थान का सारा बैलेंस ही बदल जायगा। जिस मरु क्षेत्र को अविक-

Page No 97

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सित मान कर वहां जाने की इच्छा नहीं करती वहां टूरिस्ट्स सेन्टर बना कर लोग जाने लगेंगे। यह राजस्थान का भविष्य का नक्शा है, यदि हम हिम्मत के साथ राजस्थान से अकाल को हमेशा के लिये भगाने का प्रयत्न करें।

मुझे खेद है कि इसमें एक पोलिटिकल एंगल, इस समस्या को बनाये रखने में सरकार का निहित स्वार्थ आज मालूम पड़ता है। राजस्थान में यह अकाल पड़ा, उस अकाल को सरकार ने पहले तो छोटा करने की कोशिश की, उस समय असेम्बली चल रही थी तो इस प्रकार की खबरें आ रही थीं तः सरकार ने एक दम असेम्बली को स्थगित करके इस समस्या को टालने की कोशिश की। सरकार का निहित स्वार्थ इसमें यह है कि इस अकाल से कुछ पैसा मिल जाय और उस पैसे से एक्स्ट्रा तरीके से कुछ अपने क्षेत्र बना लें, अपनी कान्स्टीट्युएन्सीज बना लें कुछ अपने लोगों को खुश कर लें, कुछ कान्स्टीट्युएन्ट्स को खुश कर लें और इस तरीके से राहत कार्यों को चलायें। मैं समझता हूं यह राजस्थान की जनता के प्रति अन्याय है, देश के प्रति अन्याय है। इस तरीके से इस समस्या को लेना देश के साथ द्रोह है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी समस्या का हम अकेले वाजिब तौर से हल नहीं कर सकते, सारी जनता का, सारी पार्टियों का सहयोग इसमें आवश्यक है। सभी पार्टियों ने और जनता ने इसमें सहयोग दिया। पर किस प्रकार का सहयोग सरकार पार्टियों से और जनता से चाहती है, इस रूप में चाहती है कि ऊपर की कमेटी बन जाय और बात करले, चन्दा और चारा इकट्ठा हो, इसमें आप सहयोग चाहते हैं। आप इसमें सहयोग नहीं चाहते कि फेमीन डिक्लेयर हो तो किस नीति और उसूल को लेकर फेमीन डिक्लेयर हो, रिलीफ वर्क खोले जायं उनमें सुपरविजन किस प्रकार से हो, इसमें आप सहयोग नहीं चाहते। आप जनता के सहयोग को मोबिलाइज करने में असमर्थ रहे हैं, असफल रहे हैं, जनता ने पैसे से चारे से हर तरह से मदद दी है, वार फुटिंग पर जिससे सब लोग इस कार्य में जुट जाते, इस तरह से आप जनता को मोबिलाइज करते, पर आप इस तरह से जनता को मोबिलाइज करने में असमर्थ रहे हैं, आपने केवल नौकरशाही के हाथों में ताकत दी है, और उस ही का नतीजा है कि उसमें डिलेज, करप्शन और और बातें जो माननीय सदस्यों ने कही है उनको दिया है।

आज मैं यह मानता हूं कि आज आप जितना काम इसमें कर रहे हैं, आज अगर अकेले राजस्थान कैनाल के काम को खोल दिया जाता तो उस पर लाखों लोगों को काम पर लगाया जा सकता था। आप कहते हैं कि आपने काम खोले और लोग वहां जाना नहीं चाहते यह बात सही है, लोग मरने के लिये नहीं जाना चाहते क्योंकि लोग जिन्दा रहना चाहते हैं। वहां कड़कती सर्दी में न कोई छप्पर का इन्तजाम है न कोई टैंट का इन्तजाम है। लोगों को राशन नहीं मिले, वेतन नहीं मिले, उनके लिये दवाइयों का कोई इन्तजाम नहीं और आप उम्मीद करें कि लोग वहां तीस, चालिस मील पर चले जायं। मैं यह नहीं कहता कि ५ मील के रेडियस में ही लोगों के लिये काम हो। अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप राजस्थान कैनाल पर इस तरह का काम शुरू करें और लोगों के रहने का प्रबन्ध, दवाई का प्रबन्ध, राशन और वेतन का प्रबन्ध करें तो राजस्थान के हर हिस्से से लोग वहां पर काम करने के लिये आयें, केरल से लोग वहां आकर काम करने को तैयार है। वेतन, राशन, दवाई अगर वहां काम करने वाले लोगों को मिलती है तो हजारों मील की दूरी से लोग काम पर आने को तैयार हैं तो फिर राजस्थान से क्यों नहीं आयेंगे। पर काम तरीके से होना चाहिये।

मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, श्री कंवरसेनजी जिन्होंने राजस्थान कैनाल का प्रारूप बनाया था वे चायना गये थे। फ्लड कन्ट्रोल वहां किस तरह से किया, किस तरह इसके लिये वहां जनता को मोबिलाइज किया, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि इस तरह से वहां जनता को मोबिलाइज किया कि उन क्षेत्रों में बस्तियां बस गई, जैसे मैला सा लगा हो, वहां पर रेस्टोरेंट्स खोल दिये, रिक्रियेशन के सब साधन, सिनेमा वगैह चला दिये, इस तरह साइट पर सब चीजों को मोबिलाइज कर दिया। इससे जनता का इतना जबरदस्त सहयोग मिला कि जनता ने वहां बस कर काम किया। आप लोगों को कहें कि जो लोग राजस्थान कैनाल पर काम करेंगे उनको वहां जमीनें मिलेंगी यह इतना टुकड़ा खोदो निश्चित रूप से आपको २ मुरब्बा जमीन यहां पर मिलेगी, फिर देखिये कि कितने लोग राजस्थान कैनाल पर काम करने के लिये आने को तैयार हो जाते हैं। मैं अपने इलाके से भूमि हीनों को भेजने को तैयार हूं। आप यह ऐलान कर दीजिये कि एक फेमिली को २ मुरब्बा जमीन वहां पर मिलेगी, फिर देखिये कि कितने लोग वहां पर काम करने को आते हैं।

पर आप इस तरीके की नीति न अपना कर आप वहां की जमीन को नीलाम करेंगे और जो लोग वहां काम करने के लिये जायं वे लोग वहां भूखों मरेंगे तो वे लोग वहां क्यों काम करने के लिये जायेंगे। इसलिये मैं इस सरकार की निन्दा करता हूं इस बात पर कि जिस तरह आपने काम किया उसमें काम के एग्जीक्यूशन में आप जनता को मोबिलाइज नहीं कर सके। जनता ने आपको हर तरह से सहयोग दिया पर आपने नौकरशाही पर भरोसा करके नौकरशाही के हाथों में ताकत दी, जनता को मोबिलाइज नहीं किया।

नवम्बर के दूसरे सप्ताह में मैं बीकानेर जिले में गया वहां बियापरा में काम हो रहा था, हम चारे के डिपो पर गये तो वहां पर पता लगा कि वहां पर चारा नहीं मिल रहा है। उन लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा कि ३ दिन से कैश मीमो नहीं है। हमने कहा कि कोलायत से क्यों नहीं लाये तो उन्होंने कहा कि कोलायत में भी नहीं हैं, डिपो बन्द पड़े हैं। हमने उनसे कहा कोई और बुक बनवा लेते, कच्चा बनवा लेते ताकि लोग और मवेशी तो नहीं मरते। सरपंच से दस्तखत करवाते लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हुक्म नहीं है। तो यह नौकरशाही का तरीका है।

जिस तरह से आपने इन राहत कार्यों को अपने हाथ में लिया उनमें यह बात सही है कि लंबे चौड़े कामों में अव्यवस्था होती है लेकिन केवल थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो तो

Page No 99

(श्री रामानन्द अग्रवाल) :

बाले बर गुजर की जा सकती है लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने काम जब शुरू किया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कितना समय और देंगी ?

श्रीमती सभानेत्री : जल्दी समाप्त करें ४-५ मिनट में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक तो रोक नहीं थी इसलिये मैं चल रहा था, मैं सोचता था कि आप बार-बार घंटी को देख रही हैं शायद यह देख रही हैं कि घंटी ठीक है या नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सुबह से तो समय की पाबन्दी नहीं थी लेकिन अब क्यों ?

श्रीमती सभानेत्री : बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ तो उसूल राज्य सरकार को मानकर चलने चाहिए थे, जैसे पानी मुफ्त देने के बारे में। मुझे देख कर खेद हुआ कि सरकार ने घोषणाएं की कि जो माइग्रेटरी कैटिल हैं उनको फ्री चारा दे रहे हैं, उनके लिये मुफ्त पानी का इन्तजाम कर रहे हैं लेकिन मैं जब बीकानेर गया ५ नवम्बर से १२ नवम्बर तक तो उससे पहले भी माइग्रेशन हो चुका था जबकि आपके चारे के डिपोज नहीं खुले थे परन्तु चारा नहीं था। वहां पर सरकार की तरफ से नल कूप चल रहे थे, उन पर भी पैसा लिया जा रहा था। मवेशियों के मालिकों से पैसा लिया जा रहा था और जो माइग्रेटिंग कैटिल हैं उनको फ्री देने के बजाय उनके मालिकों से डेढ़ा पैसा वसूल किया जाता था। मैंने अकाल मन्त्री को वापस आकर फोन किया था। गांव वालों से जो वहां के रहने वाले हैं उनसे एक रेट एक रुपया या सवा रुपया और जो मवेशी लेकर आये थे ५ हजार के करीब लोग बसे हुए थे उनसे एक गाय पर डेढ़ा पैसा लिया जा रहा था मैंने कहा कम से कम जो सरकार की तरफ से स्पान्सर्ड हैं उनसे तो पैसा नहीं लो। जो लोग घरों में टूंटी लगाते हैं उनसे पैसा लिया। जयपुर का एक नागरिक बगैर अकाल के फ्री पानी ले सकता है लेकिन अकाल क्षेत्र में पानी देने के लिए लोग पैसा दें, यह कहां का न्याय है ? यह बेसिक उसूल जो आपने बनाया है, गलत है। अकाल ग्रस्त जनता के साथ अकाल की स्थिति के अन्दर आपने न्याय नहीं किया है। मुझे खेद है कि इस तरह से जिन लोगों से कुएं चलवाए गये वहां पर भी, जैसे राज्यपाल महोदय ने कहा है, १२-१/२ से ५० रुपये तक देंगे जो उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया ? जहां पानी नहीं रहा, जहां सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती, वहां पर अकाल पीड़ित लोग अकाल पीरियड में अपने खर्चे से पानी निकालेंगे। आपने बयान तो दे दिया कि भूखे नहीं मरने देंगे। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। कुएं अक्टूबर से चल रहे हैं लेकिन आज तक पैसा उनको नहीं मिला।

नयासर ४० रु० प्रति दिन, मोटासर ४० रु० प्रति दिन, अमसर, कालासर, दुर्बना १० रु० प्रति दिन, जेतासर ३५ प्रति दिन देना था लेकिन न तो सरकार और न गांव वाले ही पैसा देते हैं। मन्त्रियों का कौनसा कुसूर किया था कि एक पैसा भी उन्हें नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिला है। श्री रामचन्द्र ने यह सूचना अपने क्षेत्र की दी है, यह नामुनासिब बात है। इस तरह पानी की समस्या आज भी हल नहीं हुई। मेरे पास चिट्ठी मौजूद है। भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है। अभी वर्षा दूर है और पानी सूखता जा रहा है। सरकार को पूरे खर्चे की जिम्मेदारी लेना चाहिये थी।

चारे के बारे में मेरे पास में रात को ही लूणकरणसर से फोन आया। उन्होंने बताया कि वहां पर कई गांवों में १५ रोज से चारा नहीं मिला है और कल लूणकरणसर में कुछ किसानों ने अपने बोरों के अन्दर घास भर ली थी लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता आ गये। तहसीलदार ने उन बोरों में से घास निकलवाकर नेताओं के बोरों में डलवा दिया। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस वालों को चारा नहीं मिले, वे भी अपना पेट चारे से भरें। तो इस तरह चारे, अनाज और राशन के मामलों में अगर दलगत तरीके से सोचेंगे आप लोगों से कहेंगे कि कांग्रेसी हैं तो राशन मिलेगा, घास मिलेगी तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप मौत के साथ सौदागरी कर रहे हैं, यह आपको महंगी पड़ेगी यह तिजारत महंगी पड़ेगी, गरीब की आह, भूखे की आह बहुत तीखी होती है, गहरी होती है।

सरकार कहती है कि मिट्टियों का इन्तजाम कर दिया है, टैंक्स का इन्तजाम कर दिया। मैं खुद नवम्बर में कोलायत गया था, एक टीबे पर लोग सोते हैं, वहीं गर्भवती स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं आज भी मेरे पास चिट्ठी है। बाड़मेर जिले में लाखों गांव है वहां केवल ७६ सड़कियां दंटा हैं। हजारों लोग काम कर रहे हैं। हजारों लोगों के अन्दर इतनी मिट्टियां कैसे काम करेंगी? लूणकरणसर तहसील में कालू के अन्दर पिछले चार साल से अकाल है। वहां के लोग मांगते हैं कि रिलीफ वर्क्स खुलें। यह नहीं है कि स्थाई तौर पर वहां इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, वे लोग कालू से लूणकरणसर तक सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं लेकिन वहां के इलाके के लोग चूंकि राजनैतिक तरीके से ठीक नहीं पड़ते, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आपको इस मामले में सब विरोधी दल सहयोग देते है, हालांकि आप पर कोई एहसान नहीं करते। सबको मिलकर काम करना है....

श्री परसराम मदेरणा : लूणकरणसर से ४-५ मील दूर लिफ्ट इरिगेशन का काम चल रहा है राजस्थान कैनाल पर। अब आप मजदूरों की बात कर रहे थे, कालू से तो दस मील है, आप कह रहे थे कि इस इलाके की काया पलट देंगे। उन लोगों को वहां क्यों नहीं भेजते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आप इस तरह का इन्तजाम करें कि वहां स्थाई तौर पर लोग रह सकें तो जायेंगे लेकिन आप इन्तजाम उस प्रकार का नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि शाम को लोग वापस चले जायें तो इस तरह दूर के लोग नहीं आ सकते। यह ह्यूमनली पॉसीबुल नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री दौलतराम सारण : कालू बेल्ट पर लिफ्ट इरिगेशन पर मजदूर गऐ उनको हटा दिया और कहा कि जगह नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अपना भाषण जारी रखते हुए) नौकरशाही तरीके से

Page No 101

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काम चल रहा है। आपने सात लाख आदमियों को काम देने की बात कही। खुद सुखाड़िया जी ने कहा था कि ३२ हजार में से २५ हजार गांव अकाल पीड़ित हैं और हम को १५ लाख लोगों को काम देना पड़ेगा। आपके आंकड़ों के अनुसार सात लाख का फीगर सही मान लिया जाय तो जिन लोगों को काम देने की जरूरत है उनमें से ५० प्रतिशत को ही दिया है। मस्टर रोल के जरिये कितने बेमानी लोग काम कर रहे हैं उसका एक उदाहरण देकर बताने का प्रयत्न करूंगा। बाड़मेर का भीमड़ा केम्प है काम दिया वहां पर। अधिशासी अभियन्ता ने शिकायतों की जांच की तो ४० गांवों में से चार के मस्टर रोल देखे। ५५ की जगह १८ दूसरे में मिले २२, तीसरे में मिले १६ और चौथे में मिले २२। यह पचास परसेन्ट भी नहीं। ४० परसेन्ट को मजदूरी मिली। आपके अनुसार ही ७ लाख लोगों को काम पर लगाया तो इस हिसाब से कितना परसेन्टेज हुआ? कितने बोगस फीगर हैं और कितने सही फीगर हैं?

इन केंपों पर जनता की मिली जुली कमेटी बना देते, उनमें आपके लोगों को भी रखते और दूसरे लोगों को भी रखते, मस्टर रोल का पेमेन्ट उनकी देख-रेख में करवाते, पंचायत समितियों के सरपंच, एम. एल. ए. और दूसरे कार्यकर्ताओं की एक सुपरवाइजरी बॉडी बना देते तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन आप उन लोगों को नजदीक नहीं आने देना चाहते। विरोधियों से आपको डर लगता है यह माना लेकिन आपको तो अपने लोगों से भी डर लगता है उनको भी नजदीक नहीं जाने देना चाहते। सुना है आपके क्षेत्र में काफी झगड़े हुए हैं, दूसरों की तो क्या कहें। आपको अपने कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास नहीं है। और नौकरशाही पर ही विश्वास करके चलते हो तो धन का दुरुपयोग होना अस्वाभाविक नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरशाही से जिस तरीके से आपने यह काम चलाया है धन का उपयोग जिस प्रकार से होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

मेरे पास कितनी ही जगहों की शिकायतें हैं जवार के बारे में। जवार के नमूने यहां पेश किये गये। इसकी सरकार को जांच करानी चाहिये थी। इस के खाने से रतुन्दा होने की आम शिकायत है और पेट में गड़बड़ हो कर दस्त लगने की शिकायतें हैं। अगर आप इनको वैसे ही दर गुजर करके चलते हैं जैसे हमारे आर्यजी ने आपको एक कहानी कही कि एक हजार की पांच हजार रोटियां तैयार की। यदि इन कहानियों पर आप चलना चाहते हैं, तो करप्ट मशीनरी को आप को प्रोत्साहन देना चाहिये क्यों कि आपके अनुसार तो रामराज्य चल रहा है. सब जगह अमन चैन है और विरोधी पक्ष वाले असंतोष फैलाने के लिये झूंठी बातें कह रहे हैं। यदि ऐसी बातें करते हैं तो आप अपोजिशन के सही रोल को नहीं समझ रहे हो। आप इन्क्वायरी कराइये। केवल पांच हजार रोटी को बीस वर्ष की बात समझ कर पोलाइटली इसको खत्म कर दिया तो यह दुरुस्त नजरिया नहीं है।

इन शब्दों के साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस पीरियड में जब कि अकाल आया है कान्ट्रेक्टर्स को सरकार ने लेबर को एक्सप्लायट करने का मौका दिया है। जहां मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत

Page No 102

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सड़कों पर काम करने वाले मजदूर हैं, जिनके डेली वेजेज मुकर्रर हैं २)३१ पैसे, उनको वह देने के बजाय मैंने स्वयम् ने आंखों से देखा है और मजदूरों से जो वहां पर काम कर रहे थे उनसे पूछा है अनूपगढ़, तहसील बीकानेर में वहां पर जो फेमीन रेट दे रहे थे १।।) वह ही ठेकेदार उन मजदूरों को भी दे रहा था। मजदूर यह समझ रहे थे सरकारी रेट दे रहा है हम ज्यादा क्यों मांगे। इस प्रकार उनको डेढ़ रुपये की मजदूरी दी। सरकार के नोटिस में यह मामला लाये, बयानात अखबारों में दिये, मिनिस्टरों के नोटिस में लाये लेकिन यह बात अभी तक नजर में नहीं आयी कि इस बारे में कार्यवाही की हो और एक्स्प्लोइटेशन को रोका गया हो।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल का मुकाबला करना है, निश्चित तौर से करना है, आपने २१ करोड़ रुपया चालू खर्च के लिये रखा है और तीस चालीस करोड़ रुपया और खर्च होंगे सही तरीके से राहत दिलायेंगे तो, अस्थायी खर्चे का बोझा ही जहां बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहले ही आप डेफिसिट में चल रहे हैं पहले ही सारे विकास कार्यों को रोका है इस खर्चे को भी राजस्थान के बजट पर डाल कर कैसे चल सकते हैं। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है उनको कुछ भी कहना सैक्रेलियस है, अधार्मिक है इस भावना को छोड़ कर चलना पड़ेगा। जनता के सही दृष्टिकोण को लेकर आपको चलना पड़ेगा केन्द्र पर इस खर्चे को उठाने के लिये एम्फेसाइज करने के लिये। इस अकाल की छाया को दूर करने के लिये केन्द्र खुद सारा खर्चा भुगते राजस्थान नहर का सारा खर्चा केन्द्र भुगते इसके लिये आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आपको इसके लिये सारे सदन का समर्थन मिलेगा आप आवाज उठाइये सदन के अन्दर, सदन के बाहर और जहां आप इसके लिये आवाज उठाना चाहें उठाइये, वरना इस तरह से अकाल की समस्या को आप हल नहीं कर सकेंगे। चूंकि आपका दृष्टिकोण एक तंग दृष्टिकोण है, अस्थायी है, थोड़ी दूर से देखने का दृष्टिकोण है इसलिये मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता और आपके इस दृष्टिकोण की निन्दा करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : सभापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन के सामने एक मूल प्रस्ताव है और उसके साथ में अमेन्डमेन्ट्स भी हैं। प्रस्ताव रखने वाले और उसका समर्थन करने वाले तो बोल रहे हैं लेकिन अमेन्डमेन्ट्स वालों को कोई अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। इसलिये आसन की ओर से यह व्यवस्था दी जाय कि एक उधर से बोले प्रस्ताव पर और एक इधर से बोले अमेन्डमेन्ट्स पर। वरना तो केवल प्रस्ताव के ऊपर ही बोल रहे हैं जिससे एडजस्टमेन्ट नहीं होता है इसलिये इसको एडजस्ट करने के लिये आसन की व्यवस्था क्या है ?

श्रीमती सभानेत्री : व्यवस्था तो बाद में बता दूंगी।

श्री शिवनाथसिंह : जिनका कोई अमेन्डमेन्ट ही नहीं है उनको बोलने का अवसर दिया जा रहा है।

Page No 103

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : जो सरकुलेट हो गया वह हो गया।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य (श्री शिवनाथसिंह) आप बोलें। व्यवस्था क्या है वह स्पीकर साहब से पूछ कर बता दी जावेगी।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदया, जो निन्दा प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें मेरे निम्न संशोधन हैं:—

पैरासंख्या १ में शब्द 'राज्य सरकार इस अकाल का सामना करने में पूर्णतः विफल रही है' के स्थान पर शब्द 'राज्य सरकार ने इस अकाल का सामना करने में जो तत्परता दिखलाई है वह सराहनीय है। प्रतिस्थापित किये जावें।

(२) पैरा संख्या १ में शब्द के बजाय दलगत स्वार्थ, को विलोपित किया जावे।

(३) पैरा संख्या २ विलोपित किया जाय।

(४) अन्तिम पैरा के शब्द "न कर सकने के ...निन्दा करता है" के स्थान पर शब्द "करने में राज्य सरकार सफल हुई है जिसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है" प्रति स्थापित किये जावें।

जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा वे और राजस्थान का हर नागरिक इस बात को मानता है कि राजस्थान में भयंकर अकाल है। हम यह मानते है कि पिछले सौ सालों में भी इतना भयंकर अकाल नहीं पड़ा। इसके असर दूरगामी हो सकते हैं इसका असर हमारे बजट पर और अर्थ व्यवस्था पर भी पड़ेगा। विरोधी पक्ष की तरफ से जो निन्दा प्रस्ताव पेश किया गया है उसकी मन्शा दूसरी है, राज्य सरकार जो अकाल का सामना करने में सफल हुई है, सरकार ने जो कार्य किये हैं उससे अकाल पीड़ित जनता का विश्वास प्राप्त किया है, कहीं जनता कांग्रेस से प्रभावित न हो जाय इसी डर से विरोधी पक्ष ने निन्दा का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह से अकाल की स्थिति के बारे में पहले भी प्रस्ताव आया था जिस पर भी दो दिन तक वाद-विवाद चला। उस समय भी यही आरोप लगाये गये थे कि राज्य सरकार दलगत भावना से राजनीतिक आधार पर कार्य करती है. उस समय भी इस बात का आंकड़ा बता कर खंडन किया गया था कि यह उचित नहीं है। विरोधी पक्ष के नेताओं से भी इस अकाल की स्थिति का सामना करने के लिये सहयोग की अपेक्षा की गई थी आपका सहयोग चाहा गया था, आपने जो भी इस सम्बन्ध में सुझाव दिये उनका स्वागत करते हैं। अभी सदन में यह भी कहा गया कि राहत के कार्य जो खोले गये उनमें दलगत भावना का आधार रखकर किया गया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राहत कार्यों के लिये जिला राहत कमेटी बनी हुई है एस० डी० ओ० लेवल पर, तहसील लेवल पर कमिटियां बनी हुई हैं। जिला कमिटियां तय करती हैं और फिर राज्य सरकार उनकी सिफारिश पर राहत कार्य खोलती है। जिन माननीय सदस्यों ने आलोचना की है उन्होंने एक भी उदाहरण पेश नहीं किया जहां जिला कमेटियों ने सिफारिश की हो और उसको सरकार ने नहीं माना हो। एक भी उदाहरण आप बता दें तो हम मान सकते हैं। लेकिन एक भी उदाहरण आपने नहीं बताया केवल-मात्र आलोचना करने के लिये आलोचना करना चाहते हैं, केवल भ्रम फैलाना चाहते

(श्री शिवनाथसिंह)

हैं कि दलगत भावनाओं से अकाल में भी काम किया गया है। आज जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा काम किया गया है, अगर कांग्रेसी उम्मीदवार को लाभ पहुँचाने का ख्याल होता तो जैसलमेर जिले में जहां विरोधी पक्ष का सदस्य आया है वहां इतना अधिक खर्च नहीं किया जाता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय सदस्य वह तो बोर्डर है।

श्री शिवनाथसिंह : आप सही बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। अकाल के बारे में आप बजट के समय भी कह सकते थे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी कह सकते थे। आप केवल मात्र जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह निन्दा का प्रस्ताव आया है मानो उनको ही राजस्थान के अकाल की चिन्ता पड़ी है। लेकिन जब सही स्थिति जनता के सामने आयेगी तो जनता उन आंकड़ों के आधार पर परखेगी कि राज्य सरकार ने इस भयंकर अकाल के निवारण के लिये क्या क्या कार्य किये। केवल राज्य सरकार के कार्य हैं उनकी ओर ध्यान बटाना चाहते हैं। सरकार ने जिस तत्परता से कार्य किया, हमारे खाद्य मंत्री ने, मुख्य मंत्री ने और केबिनेट के सदस्यों ने जिस तत्परता से रात-दिन परिश्रम करके रात-दिन हर क्षेत्र में घूम-घूम करके जो जनता का मनोबल ऊंचा किया जो राहत पहुँचाई है वह अभूतपूर्व है। इस पर भी निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय इससे अधिक खेद की बात और क्या हो सकती है। इसमें किसी ने कभी दलगत भावना से काम नहीं किया। सभी ने एक जूट होकर अपने नेता के कहने के मुताबिक काम किया।

राजस्थान में पिछले बीस सालों से कांग्रेस का शासन रहा है इनके शासन काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जनसंघ के नेता कह रहे थे कि आज के शासन से तो राजाओं का शासन अच्छा था। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। जोधपुर महाराजा के बारे में कहा जाता है उन्होंने अकाल के समय बहुत अच्छा काम किया लेकिन उस समय की अकाल की तुलना आज के समय से नहीं की जा सकती, उस समय के काम में और आज के काम में आकाश पाताल का अन्तर है। मैं गलत नहीं हूं तो उस समय ७५ प्रतिशत मवेशी मर गयी थी। आज हमने मवेशियों की रक्षा की है, मध्य प्रदेश से गुजरात से चारा मंगाकर उनकी रक्षा की है। फिर भी मवेशियां मरी हैं। हर मवेशी को बचाने की कोशिश की। २६ जिलों में अकाल है उसके कारण मवेशी मरी भी हैं यह नहीं कहता कि कोई मवेशी मरी नहीं। लेकिन सरकार ने घास पानी के कारण किसी को मरने नहीं दिया।

श्री श्रवणलाल : उस समय भीख नहीं मांगी जाती थी आज तो भीख मांग रहे हो।

श्री शिवनाथसिंह : आश्चर्य तो इस बात का है कि पहले भी अकाल पड़े थे उसमें भी सरकार ने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया ही है। पहले की अकाल की अपेक्षा आज का भयंकर अकाल है। इसमें राज्य सरकार ने जिस प्रकार से इन्तजाम किया वह सराहनीय है। इतने भारी अकाल के बाद भी कहीं भी भीख मांगने नहीं गये, मजदूर नहीं गये आज उनको पर्याप्त मजदूरी के साधन हैं। पर्याप्त मजदूरी दी जा रही है। रोजाना साढ़े सात लाख मजदूरों को काम मिलता है। २६ जिलों

(श्री शिवनाथसिंह) :

में पड़े हुए अकाल को कन्ट्रोल करना आसान बात नहीं है। जहां कहीं से भी मन्त्री महोदय के पास शिकायतें आयी हैं उनको दूर करने का सरकार ने बराबर प्रयत्न किया है। विरोधी दल के सदस्य भी इस बात को मानते हैं कि हमारे टेलीफोन पर जांच की गई। यह एक नमूना बताया है उनकी क्षमता का। अनाज के बारे में जो शिकायतें की गई हैं, हो सकता है उनमें कुछ अंश में सत्यता भी हो। जहां से अनाज आया हो वहीं से खराब आया हो लेकिन जब कभी अनाज के बारे में शिकायत आयी है उस जगह दूसरा अनाज भेजा गया। इस बारे में अकबर बीरबल के समय का किस्सा याद आता है...

एक माननीय सदस्य : हम भी यही कहते हैं कि अकबर का राज्य है आम लोगों का नहीं।

श्री शिवनाथसिंह : अकबर का किस्सा याद आ गया है। रामकिशनजी ने और दौलतरामजी ने आरोप लगाया था कि हम एक नेता के अण्डर में काम कर रहे हैं एक ही आदमी के हाथ में काम सेन्ट्रलाइज्ड कर रखा है यह ठीक हमें हमारे नेता पर गर्व है, हम सब एक साथ एक नेतृत्व में काम करना जानते हैं, अनुशासित रहना जानते हैं। मुख्य मन्त्री की इच्छा से सब काम होता है

श्री दौलतराम सारण : आप तो आपस में एक-दूसरे से लड़ते हैं यह सभी जानते हैं ..

श्री शिवनाथसिंह : आप में एकता की कमी है विरोधी पक्ष एक होता तो आज यहां का नक्शा दूसरा ही होता। आपको एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है इसी कारण विरोधी पक्ष की यह गति हुई है उसको आपको स्वीकार करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं, जैसे कि रामानन्दजी ने, वे अगर सुझावों के रूप में आती तो अच्छा रहता। लेकिन निन्दा की चर्चा करते वक्त हमको देखना चाहिये कि पिछले २० सालों में सरकार ने अकाल निवारण के लिये उपाय किये या नहीं। मैं यदि गलत नहीं हूं, राज्य के अन्दर जो जल श्रोत हैं उनमें से ८० प्रतिशत हमने सिंचाई के लिये कन्ट्रोल कर लिये हैं। यह बहुत बड़ा अचीवमेन्ट है। यह राजस्थान नहर, भाखरा नहर और जगह-जगह बांध बनाये हैं, ये सब कांग्रेस सरकार के कार्य हैं। इस हिसाब से...

श्री रामचन्द्र आर्य : ये कांग्रेस के नहीं हैं, यह तो प्रजातन्त्र की महरबानी है।

(४.५२ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शिवनाथसिंह : मैं मानता हूं कि जो उपाय कर लेने चाहियें, वे जरूर करने चाहिये। लेकिन कोई यह मानकर नहीं चल सकता कि भविष्य में कभी अकाल पड़ेगा ही नहीं। कोई भी देश या सरकार इस तरह का दावा नहीं कर सकती। जिस परिस्थिति में राजस्थान था और जिस परिस्थिति में आज है उसमें राज्य सरकार जो कुछ कर सकती थी, वह किया है। हमें गर्व होना चाहिये कि पिछले बीस सालों में राज्य सरकार ने जो कुछ अकाल निवारण के लिये किया है उसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। हो सकता है कि इस साल जो

(श्री शिवनाथसिंह)

अकाल पड़ा है उसमें हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ा है, लेकिन साधारण सालों में हमारा प्रान्त आत्म निर्भर है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो शिकायतें करते हैं कि पिछले बीस सालों में अकाल निवारण के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया, यह गलत है। पिछले सालों में कई काम किये गये हैं।

गुजरे साल यह कहा गया था कि कच्ची सड़कें बनाई जाती हैं वह अच्छी बात नहीं है तो इस साल अकाल कार्यों में सरकार ने पक्की सड़कें बनवाई। लेकिन इस पर भी शिकायत है कि पक्की सड़कें क्यों बनाते हैं। वैसे अकाल निवारण के लिये कच्ची सड़कों का बनवाना ही बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले बीस सालों में बिजली का विस्तार भी बहुत ज्यादा हुआ है और उसको देखते हुए हम आशा करते हैं कि वह दिन बहुत जल्द आने वाला है जबकि अकाल राजस्थान और सारे हिन्दुस्तान से खत्म हो जायगा।

अब सवाल आता है कि इस साल अकाल के निवारण के लिये राज्य सरकार ने तत्परता दिखाई या नहीं। जैसे ही अकाल हुआ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई गई, गांवों से रिपोर्ट मंगवाई गई और जैसे-जैसे जरूरी समझा गया अकाल घोषित किया गया। आज २६ जिलों को ही अकालग्रस्त घोषित किया गया है। इतने बड़े काम में कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन इसके लिये राज्य सरकार को निन्दा का पात्र बनाना, यह उचित नहीं है। तो इसलिये मैंने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, उसको माननीय सदस्य मन्जूर कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है। साढ़े पांच बजे सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस निन्दा प्रस्ताव पर इस सदन में बहस हो रही है उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इस अकाल ग्रस्त क्षेत्र का, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि का दूर किया था। वहां पर जो अकाल की स्थिति मैंने देखी उसके सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे ज्यादा अगर इस अकाल का असर किसी पर पड़ा है तो वह अनुसूचित जाति के लोगों पर पड़ा है। जिनके पास पहले से ही न जमीन थी, न साधन थे और न मकान थे, उन गरीबों पर इस अकाल का प्रकोप इस तरह से पड़ा कि वे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा वे लोग थे, बीमारों में भी उनकी ही संख्या सबसे अधिक है, और इसी तरह बेरोजगारों में भी उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। उनके साथ-साथ दूसरे लोग भी थे, लेकिन उस क्षेत्र में क्योंकि वहां गुजरे पांच-आठ साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है, और उन लोगों को कभी, घी, दूध, फल, सब्जी उपलब्ध नहीं हुआ जो कि स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हैं, इसलिये वे लोग सबसे ज्यादा इसके शिकार हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भाषणों की समय सीमा १५ मिनिट होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : पोकरण में मेरी एक डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने भी

Page No 107

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कहा कि इस बीमारी का एक मात्र कारण यही है कि वहां लोगों को जरूरी पौष्टिक पदार्थ खाने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वे धीरे-धीरे कमजोर होकर, बीमार होकर, मर जाते हैं। सरकार इस बात को मानती नहीं। सरकार के मानने का क्या माप दंड है? सरकार की समझ में यह बात क्यों नहीं बैठती? सरकार शायद भूख से मरने वालों की संख्या में केवल उनको गिनती है जो कि यह कह कर मरें कि हम भूख से मर रहे हैं।

लोगों की, उपाध्यक्ष महोदय, हालत क्या है? उनके शरीर पर कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं, रहने को मकान नहीं, पकाने को बर्तन नहीं। खानाबदोश लोगों की तरह वे लोग बरसों से अपनी जिन्दगी व्यतीत करते आ रहे हैं। तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि बरसों की आजादी के बाद राजस्थान की जनता के लिये इस अकाल का हल निकाले? सरकार को इस अकाल के मामले पर गम्भीरता से सोचना चाहिये और इस कार्य को फौजी मुकाबले की तरह हाथ में लेना चाहिये।

हमारे मंत्री महोदय अकालग्रस्त क्षेत्रों का टूर करते हैं तो वहां पर सरकारी आदमियों से मिलकर वापिस आ जाते हैं। मजदूरों से कभी यह नहीं पूछते कि उनको कोई शिकायत है क्या। वहां पर मजदूरों को मेट और सुपरवाइजर तन्ग करते हैं, काम बन्द करने की धमकी देते हैं, उसका कुछ नहीं होता। कुछ जगहों पर यह भी मिला कि मजदूर लोग सही बात बताने में डरते हैं। हमने पूछा कि मेट कहां है, या सुपरवाइजर कहां है, तो दबी जवान से या तो यह कहते थे कि है नहीं या यह कि दूसरी गैंग में गया हुआ है। सुपरवाइजर कहीं मिल गया तो उसके पास मस्टर रोल नहीं मिला, उसने कहा कि ओवरसियर के पास है, और ओवरसियर से मिले तो उसने कहा कि मस्टर रोल पास होने के लिये गया हुआ है। हमने मस्टर रोल के फार्म भी देखे। कच्चे रजिस्टर में मस्टर रोल भरा जाता है। कहीं-कहीं पर तो तीन-तीन दिन की एन्ट्रीज मस्टर रोल में नहीं थी और मस्टर रोल खाली था। बाद में कैसे भरा जाता है यह तो भगवान जाने। तो इस तरह की बातें भी देखने को मिलीं

(५.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रजाइयों की बात आपको बताता हूं। यह कहा गया कि इतनी रजाइयां लोगों को बांटी गईं और उनको मौत से मरने से बचाया। मैंने स्वयं ने मौके पर जाकर देखा तो बहुत कम लोगों को रजाइयां और सदरियां मिली। बहुत कम ही टीन की चद्दरें वहां देखने को मिलीं। रजाइयां तो नहीं मिलीं, टीन की चद्दरें भी उनको नहीं मिलीं। ये देखने को कहां मिली ओवरसीयर के कैम्प पर, डाक्टर के झोंपड़े पर। इस तरह से जो उनके मेट हैं, उनके झोंपड़े पर ये चद्दरें पड़ी हैं। जो आम मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर हैं उनके लिये इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। रहने, सहने के लिये इस तरह की कोई छाया की व्यवस्था वहां नहीं थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी के कारण शार्ट में ही निवेदन कर देना चाहता हूं। घास के डिपो भी हमने देखे हैं। सबसे ज्यादा कमी जो हमें महसूस हुई तो वह घास की हुई। कई डिपोज ऐसे हैं जिनमें घास नहीं है। लेकिन सरकार इस घास की

(श्री जयनारायण सालोदिया)

स्थिति को सम्भालने में भी असमर्थ रही है। जब सरकार को घास फ्री में मिली, उसको भेजने में भी सरकार ने बदइन्तजामी की। यह सरकार के लिये निन्दनीय और सोचनीय है। सरकार इतना भी इन्तजाम नहीं कर सकी कि जो घास फ्री में मिलती है, वह समय पर लोगों को नहीं पहुँचा सकी। मैंने स्वयं रामदेवरा कैम्प को देखा है। यह कैम्प अभी खुला था। लोग कहते हैं कि नेता लोग आते हैं तो कैम्प खुल-जाता है और नेता लोग आते हैं तो इसका निरीक्षण हो जाता है और जब नेता लोग चले जाते हैं तो कैम्प खतम हो जाता है। रामदेवरा के कैम्प से हमें चार किलो घास लेने के लिए पोकरण से आना पड़ता है और पोकरण-रामदेवरा की दूरी ८-१० मील है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, वहां जो खाद्य पदार्थ ज्वार मिलती है, वह बिल्कुल इस तरह की है जिसके बारे में मैं क्या निवेदन करूं। इसके कई नमूने आपके यहां आ गये हैं। राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में कुछ भी सभ्यता का माद्दा हो, उसको यहां की जनता के साथ सहानुभूति हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो ज्वार इकट्ठी हो गई है, वह मेरे पास भी है। मेरे पास इसकी रोटियां भी है। यह सारी ज्वार मन्त्रिमण्डल का कोई भी सदस्य दो दिन खाले और उसके बाद उनकी क्या हालत होती है, तो यह स्वतः ही मालूम हो जायेगा कि यह कैसी ज्वार है? मैं इसकी इन्क्वायरी नहीं कराना चाहता हूं। इसका तो अपने आप ही टेस्ट हो जायेगा। मन्त्रिमण्डल के किसी भी सदस्य को दो दिन यह खाने को दी जाये तो उससे अन्दाजा हो जायेगा कि उनकी कैसी हालत होती है। आप तो हलवा पुड़ी खावें और इन गरीब लोगों को यह ज्वार खिलावें, मजदूरों को खिलावें यह आपकी इन्सानियत है। यह तो आपकी डिक्टेटरशिप हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह ज्वार तो आपके सामने रखूंगा ही, इसके साथ साथ एक और मामला रखने वाला हूं। वह है भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में। माननीय मन्त्री महोदय जो यहां नोट कर रहे हैं, मैं उनकी तवज्जह इस तरफ खींचना चाहता हूं। यहां यह कहा गया कि कोई ऐसा फेक्ट नहीं दिया गया कि उनकी मृत्यु भूख से हो गई। मैं इस तरह का एक फेक्ट पेश करना चाहता हूं। खायण गांव के निवासियों के हस्ताक्षर की एक एप्लीकेशन हमें दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तहसीलदार, एस. डी. एम. को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने खाली कागज पर अगूंठे करवा लिये जिसमें उनसे यह लिखवाया कि यह सारी बात झूंठी है। जो उन्होंने पत्र में लिखा है, वह मैं यहां पढ़कर सुना देता हूं।

"विषय–खायण निवासियों में दो व्यक्तियों की भूख से मृत्यु को छिपाने में तहसीलदार फलौदी के काले कारनामे।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि पहले हम ग्रामवासियो ने आप से उक्त दो व्यक्तियों की मृत्यु एवं उसके परिवार की रक्षार्थ सरकार का ध्यान दिलाने हेतु अर्जी दी थी उससे एस. डी. ओ., पोकरन ने उन्हें एक मुश्त कुछ आर्थिक सहायता दी एवं स्थायी प्रबंध हेतु जोधपुर जिले के कर्मचारियों का भी ध्यान आपने आकर्षित किया। परन्तु वे अपने हल्के में भूख से मृत्यु को बदनामो को अपने ऊपर न लेकर टालने के लिये एवं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इस घटना को छिपाने के लिये हमारे ग्रामवासियों को फुसलाकर दस्तखत, अंगूठे करवा लिये एवं यह कहा कि आपके घास का डिपो खोलने की रिपोर्ट है, फेमिन की रिपोर्ट है, गांव पिपाई होगी, आदि रिपोर्ट है दस्तखत करो, अंगूठे करो। इस प्रकार अंगूठे एवं हस्ताक्षर करवा लिये एवं हम ग्रामीण जनता को सही स्थिति से वाकिफ नहीं किया।

विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वे रिपोर्टें नहीं थी उनमें हमारे में से ही चन्द व्यक्तियों के नाम लिखकर मनमाने बयान लिखकर हम अशिक्षित लोगों के झूंठे हस्ताक्षर, अंगूठे करवाये हैं एवं उनमें लिखा है कि उन व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बीमारी थी। भूख से मृत्यु नहीं हुई। यह सर्वथा हम ग्रमीणों के साथ एवं उस परिवार के साथ तहसीलदार फलोदी ने घोर अन्याय किया है यदि यही रवैया चलता रहा एवं उस परिवार का सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं हुआ तो सारा परिवार जिसमें ८ बच्चे व २ महिलाएं हैं जिसमें भी एक बीमार है, कमाने वाला कोई नहीं हैं, भूख से नष्ट हो जायेगा।

इस अकाल स्थिति में श्रीमान् तहसीलदार, फलौदी के यह कारनामे हम सहन करने से सर्वथा असह्य हैं। वास्तविक स्थिति छुपाकर भोली जनता के साथ इस तरह का व्यवहार जिम्मेवार व्यक्ति को शोभा नहीं देता...''

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गांव वालों की भाषा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक पैराग्राफ और है वह भी पढ़ देता हूं। मुझे श्री गिरधारीलाल व्यास की बुद्धि पर तरस आता है। जिन लोगों के हस्ताक्षर है उनसे आप खुद जाकर इन्क्वायरी कर लीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरी बुद्धि पर तरस खाने की बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि जो भाषा आप बोल रहे हैं वह गांव वालों की भाषा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गांव वाले भी पढ़े लिखे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : "अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को इस ओर ध्यान दिलावें एवं सही जांच करावें। वास्तव में रूप सिंह वल्द जेठमलसिंह सोलंकी छायण तथा जमना बेवा नारसिंह सोलंकी छायण की मृत्यु भूख से ही हुई है। जो हम सभी ने तहसीलदार साहब को भी कहा था और अब भी ग्राम का बच्चा बच्चा यह कहने को तैयार है।''

इस तरह की यह एप्लोकेशन है। इस पर ग्राम पंचायत के सदस्य के हस्ताक्षर हैं और ग्राम जनता के भी हस्ताक्षर हैं। यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी भयंकर स्थिति है जहां आदमियों को अपनी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा है। यह सरकार कान खोलकर सुन लें। इस पर भी इस सरकार के रवैये में, खर्च में, फिजूलखर्ची में, बइन्तजामी में, इस प्रकार की लापरवाही में कोई फर्क नहीं आता है तो जनता को सोचना पड़ेगा कि इस सरकार को हमारे ऊपर रहना चाहिये? इस सरकार को हमारे ऊपर काम करने का

Page No 110

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अधिकार है, यह जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार का तो एक ही तरीका है, जो तरीका अंग्रेजों ने इस देश में अख्तियार किया था वही आज इस कांग्रेसी सरकार ने इन २१ सालों के बाद अख्तियार कर लिया है। लोग गरीब रहेंगे, तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लोग भूखों मरेंगे तो कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे। बाद में चुनाव के वक्त फेमिन का काम देकर लोगों के वोटों का सौदा करेंगे। तो जनजीवन के साथ कांग्रेस यह खिलवाड़ कर रही है। इससे कांग्रेस को बाज आना चाहिये। जनता अब इतनी भोली नहीं है जो आपके इन फरेबों को न समझती हो।

सरकार इस अकाल की स्थिति को कितना सीरियस मानती है इसका नमूना मैं अपने जिले का देता हूं। टोंक जिले में भी कुछ हिस्सों में अकाल का प्रकोप है वर्षा न होने से। इस बारे में मैंने कई बार सरकार को लिखा। सरकार ने तीन चार महीने पूर्व जवाब भी दिया कि जल्दी ही अकाल राहत कार्य चालू करने वाली है सरकार। पर अब तक वे काम चालू नहीं किये। अब ७० में वहां बाई-इलेक्शन होने वाला है, उस अवसर पर अकाल राहत की आड़ में इलेक्शन के लिये सरकार पैसा खर्च करना चाहती है। इतने दिन राहत काम नहीं खोलकर चुनाव के वक्त चलाने की बात करने का स्पष्ट मंशा है कि आप वोट खरीदना चाहते हैं।

२३ तारीख को अकाल राहत की जिला कमेटी की मिटिंग रखी। उसमें गृह मन्त्री जी भी पधारे। इस अवसर पर किसान सम्मेलन भी रखा जिले की पचासों सरकारी गाड़ियों का वहां ठाठ लगा रहा पचासों अफसरों की फौज का जमघट लगा। सब वहां से चार मील की दूरी पर किसान सम्मेलन में इकट्ठे हुए। भिलाई में। इतवार का दिन। शाम को चार बजे जिला राहत कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें अनापशनाप खर्च हो रहा है सरकारी गाड़ियों के आने-जाने में टी० ए० और डी० ए० में। उन गाड़ियों से किसानों को लाने और ले जाने का काम किया गया। तो अकाल जैसे कामों में भी इस तरह की बातें करें। मन्त्रीजी इस तरह की बातें करें ऐसे निर्लज्ज मन्त्रीजी को क्या अधिकार है सरकार में बैठें।

पोकरण में उपाध्यक्ष महोदय, जिला नवयुवक कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं। भंवरलालजी उनका नाम है। उनके सामने न ओवरसीयर की बात चलती है, न इन्जीनियर की। वहां तो भंवरलालजी की हुकूमत है। जैसे सरकार की सारी जिम्मेदारी भंवरलाल जी की हो। वे और एस० डी० एम० दोनों मिलकर चलते हैं। जो मजदूर काम उनके कहने के अनुसार नहीं करते, उनको काम पर से हटा देते है। बैठे रहते हैं, काम नहीं करते पर उनकी खुशामद में रहते हैं उनकी हाजरी लगा देते हैं। इस तरह राजनैतिक आधार पर अकाल राहत काम वहां चल रहे हैं। ऐसे समय जब कि बच्चे बच्चे को अपने तमाम भेदभाव छोड़कर अकाल का मुकाबला करना चाहिये, ऐसे समय ये कांग्रेस के मन्त्री, कांग्रेस की यह पार्टी और यह हुकूमत इस तरह की हरकतें करती हैं इससे बढ़कर लज्जा की बात दूसरी नहीं हो सकती।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं :

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पोकरण में एक तालाब है। उसमें अभी तक ३॥ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। वहां हमें यह भी देखने को मिला कि वहां लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसके अलावा एक भय सब लोगों में लगा रहता है कि कहीं यह राहत काम तो सरकार बन्द नहीं कर देगी। बन्द हो गये तो हम तो भूखों मर जावेंगे। यह भय और आतंक सारे कैम्पों में मिला। सब कह रहे थे कि यह तालाब का काम तो पूरा होने को है, सरकार का इसी में ३॥ लाख रु० खर्च हो गया अब यह काम बन्द होने जा रहा है। सरकार का दिवाला निकल गया। ३॥ लाख खर्च हो गया। कुछ काम बचा है। अगर सरकार इसी समय बन्द करना चाहती है तो यह ३॥ लाख भी मिट्टी में मिल जावेगा। मैं बी० डी० ओ० और एस० डी० एम० आदि से मिला। कहने लगे काम नहीं होता पूरा। काम कैसे हो। सभी आपके खुशामदी लोग भरे पड़े हैं। जैसे कई माननीय सदस्यों ने बताया हाजरियां फरजी लगा देते हैं, वास्तव में आदमी कम होते हैं तो फिर काम का परसेन्टेज कम बैठता है और उन काम करने वाले वास्तविक लोगों को कम मजूरी मिलती है यह रुकना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा भीम) : गृहमन्त्रीजी पर आरोप लगाये वे सब गलत है। किसान सम्मेलन हुआ था। उसको चार महीने हो गये। सरकारी गाड़ी कोई किसानों को लेने पहुंचाने नहीं गई थी। किसान अपनी मरजी से आये गये। ये हमेशा गलत आरोप लगाते हैं सरकार पर।

(शोरगुल, लगातार शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य! ऑर्डर!

श्री जयनारायण सालोदिया : धन्यवाद।

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं पिछली बातों में गया नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, माह जनवरी को मेरे कुए पर लग गया....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। श्री रघुनाथ विश्नोई-

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : विनाश काले विपरीत बुद्धि ..

(तीनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे, अश्रव्य : शोरगुल)

श्री जगन्नाथ पटेल : सरकार पर आरोप लगाते हैं, वे सब झूंठे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनको समय मिलेगा ?

श्री मदनसिंह : जहां तक कांग्रेस दल का सवाल है उसके सदस्य यही कहेंगे कि जो सरकार ने किया वह अच्छा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप विराज जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री जगन्नाथ पटेल से) आप सदन का समय ले रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिम्मेदार सदस्य होकर आप ऐसा करते हैं। आपका नाम पुकारें तो बोलिये।

श्री मदनसिंह : मैं तो उपाध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूं। आपके फरमाने से बैठ जाऊं शायद यह तो दोनो सदस्यों के अधिकार के बाहर की बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी विरोधी पक्ष की ओर से जो निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और सरकार की निन्दा करने की कोशिश की है। एक तरफ माननीय सदस्य यह भी कह रहे हैं कि राजस्थान में अकाल भयंकर है और ऐसा अकाल पिछले १० सालों में नहीं पड़ा, दूसरी ओर सरकार राजनीतिक पार्टी के रूप में राज्य करती है तो उसे राज्य का काम भी चलाना पड़ता है। और पार्टी को भी चलाना पड़ता है। यह प्रजातान्त्रिक प्रणाली का स्वरूप है। सरकार जो भी कार्य कर रही है राजनैतिक दृष्टिकोण से कर रही है। दूसरी ओर जैसलमेर से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने कहा है कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें छोटी-मोटी गलती है, हालांकि वे विरोधी पक्ष की ओर से जीतकर आये हैं, सबसे ज्यादा खर्चा जैसलमेर में हो रहा – यह राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है। सारा काम हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से किया जाता है। वेलफेअर स्टेट में कितनी ही अच्छी बात क्यों न हो प्रजातन्त्र में सरकार की आलोचना होती ही है। शुरू में सितम्बर माह में जब कि विधान सभा का सत्र खतम होने वाला था उस समय मुख्य मंत्रीजी ने और अकाल राहत मंत्रीजी ने शायद कलेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और सब जिलों का असेसमेंट किया था, जो महीनेवार बरसात के आंकड़े आये जहां एक भी बूंद नहीं बरसा था उस जिले को सबसे ज्यादा अकालग्रसित लिया है इसलिये साफ है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर काम खोले गये हैं। जिन जिलों में ४–४,५–५ साल से अकाल है जहां तक मेरी जानकारी हैं उनमें काम बन्द नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार का इरादा यह कतई नहीं था कि जहां अकाल है वहां काम नहीं हो, जहां अकाल की स्थिति विद्यमान है वहां काम न हो। वहां काम होता रहता है। इसके अलावा जो जिम्मेदार सदस्य हैं, वे इसको राजनैतिक दृष्टिकोण बताते हैं यह कहां तक न्यायसंगत है। माननीय रामकिशनजी और माननीय भैरोंसिंहजी ने सारे काम को राजनैतिक दृष्टिकोण से करना बताया है। दूसरी तरफ यह कहने लगे भरतपुर से चारा भेजा है, हमारी सराहना की है. यह बात वाजिब है। अच्छा काम करते हैं तो मुख्य मंत्रीजी की सराहना करनी चाहिये। राज्यपाल महोदय ने जितनी अकाल सम्बन्धी बात कही है उसमें सहयोग की प्रसंशा की है।

व्यक्तिगत तौर पर मानवीय दृष्टिकोण में जो भी संस्था जो भी इन्डीविज्युअल और समाज योगदान देता है वह मानवीय दृष्टिकोण से है। गायों को बचाने के लिये, मनुष्यों को बचाने के लिये खाद्य की व्यवस्था के बारे में जिस तरह का सहयोग आया है, मेरे ख्याल से राज्य सरकार ने उस ओर हाथ बढ़ाया है। इसके बावजूद भी यह कहते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में काम ज्यादा क्यों हो रहा है। और वहां पर सड़कों का काम ज्यादा क्यों हो रहा है। माननीय उपाध्यक्षजी पश्चिमी राजस्थान मे ऐसा रेगिस्थानी इलाका है जहां परमानेन्ट तौर पर स्टैंडी टीम के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अनुसार कार्य नहीं होता। सेन्टर की भी स्टैडी टीम आई उसने भी कुछ निश्चित कार्यक्रम रखा था। माननीय सदस्यों को मालूम है कि जैसलमेर, बाड़मेर, ये ऐसे इलाके हैं जो पूरे रेगिस्तानी इलाके हैं। यहां कौन-सा सॉइल कन्जरवेशन का काम हो सकता है, दूसरा सिंचाई का काम आता है उसके लिये वहां कोई स्कोप नहीं है, तीसरा काम अपने स्टेशन का है, ट्यूब वैल्स की रेगिस्तानी इलाके में बड़ी कठिनाई है ? वहां ब्लास्टिंग का भी फैसला किया है। पहले एक हजार की सहायता दी जाती थी अब तीन हजार की बढ़ा दी गई है। यह कहना कि परमानेन्ट तौर पर कार्य नहीं हो रहा है, यह कहां तक न्यायसंगत है ? २० सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह इधर बैठने वालों का कहना गलत है। निन्दा करना उनका अधिकार है, वे करें लेकिन मैं इसको मानने वाला नहीं हूं कि २० सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया।

जो तथ्य हैं वह सामने हैं जहां बांध बने हैं, कई जगह पावर लाइन्स लगी हैं, नदियों पर बान्ध बने हैं। राजस्थान में सालो साल अकाल पड़ता है, पेय जल की गंभीर समस्या को सुलझाने के लिये कई सदस्यों ने प्रस्ताव रखे इसमें आपको जितनी चिन्ता है उससे ज्यादा चिन्ता हमको है क्योंकि हम राज्य में बैठे हैं। हमारी राजनैतिक पार्टी जरूर है। जनता ने हमें बहुमत दिया है उससे हम राज्य करते हैं।

एक माननीय सदस्य : बहुमत की बात करते है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर बहुमत नहीं होता तो आप इन कुसियों पर बैठते।

श्री नत्थीसिंह : वह तो सम्पूर्णानन्दजी ने दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह : हमने ही सम्भाला है राज्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान की आर्थिक स्थिति भंयकर होते हुए और राजस्थान के अकाल को देखते हुए फेमीन मिनिस्टर ने और मुख्य मन्त्रीजी ने जिन्होंने हर क्षेत्र का दौरा किया है। पांच जिले अकाल से ग्रसित हो चुके हैं उनमें गांव-गांव में दौरा किया है, वहां के मजदूरों की हालत देखी है। अभी जैसा ज्वार का नमूना पेश किया है। ये कोई स्टोर्स में पड़े रह गये हैं, मेरे इलाके में भी ऐसी ज्वार आई थी। मैंने भी शिकायत की है यह किस प्रकार सड़ गई है यह तो पता नहीं लेकिन यह भेजने वालों की गलती है। कहीं मस्टर रोल फर्जी बनाये हैं इसके लिये अगर दरख्वास्त दी होती तो इन्क्वायरी होती यह कहना कि मुख्यमन्त्री जी ने, चीफ इंजीनियर ने, अकाल मन्त्रीजी ने जानबूझकर एन्क्वायरी नहीं करवाई यह मैं नहीं मानता। राज्य सरकार का पूरा मानवीय दृष्टिकोण है। यह सब नहीं हो सकता है, नीचे के स्तर के बेईमान हो सकते हैं सब पार्टियों का एक ही दृष्टिकोण है। अगर पार्टीबाजी के आधार पर काम होता है तो आप कह सकते हैं प्रजातन्त्र राज्य के अन्दर निन्दा करना आपका काम है। जैसे निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटि छंवाय, बिन पानी साबुन के मैल ही देत धुपाय...।

श्री मदनसिंह : आप शुरू करें....।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर सरकार की मशीनरी के अन्दर मेल है तो आप निन्दा करिये, लेकिन निन्दा कान्सट्रक्टिव हो...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय दौलतरामजी कह रहे थे कि सारा काम फर्जी हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या कर्मचारियों को सस्पेन्ड कराना चाहते हैं ? क्या सुपरवाईजर और मेट को हटावें ? यह प्रोसीजर है उसके अलावा और कौनसा तरीका हो सकता है, आपके काम का क्या मकसद हो सकता है, किसके अनुसार काम किया जा सकता है दूसरी ओर यह कहें कि अर्थ वर्क हो रहा है पक्का काम नही हो रहा है। पक्का काम तो राज्य सरकार ने किया है। फेमीन में मेटल रोड ज्यादा बनी हैं इसमे मेहनत वगैरह ज्यादा होती है, बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते हैं, उसमे भी आप ऐतराज करते हैं। कहां राजस्थान केनाल में भेजा जाता है तो आप कहते है पार्टीबाजी करते हैं, इतनी दूर-दूर भेजते हैं, अगर लिफ्ट ईरिगेशन में लगाने की बात करते हैं तो आपका जवाब है वहां क्यों भेजते हैं। आपकी तरफ से क्या हो रहा है माफ करिये आपका कोई मकसद नहीं है। हर राजनैतिक पार्टी को अपनी-अपनी चिन्ता है मैं कांग्रेस से आता हूं तो कोई गुनाह नहीं करता हूं, आप दूसरी पार्टी से आते है तो आपको जनता चुनकर भेजती है लेकिन वेग एलीगेशन लगाना और सारी व्यवस्था को बिगाड़ना, सारी मशीनरी को डिमोरेलाइज करना ताकि सेन्ट्रल गवनमेंट तक आपकी आवाज पहुंचे कि राजस्थान में बेस्ट कार्य हो रहे हैं, कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि फेमीन की इन्टेनसिटी कम है। सारे आॅफिसर्स ईमानदार हैं, यह मैं नहीं कहता, इसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल हो सकते हैं यह दोनों का मामला है। सारी जनता ईमानदार है यह भी मैं नहीं कह सकता हूं, सारे आॅफिसर्स बेईमान हैं यह भी नहीं हो सकता है। यह तो एक सामाजिक ढांचा है इसमें हम सबको मिलकर सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए स्टेडी टीम की रिपोर्ट के अनुसार और जो भी स्टेडी टीम ने कहा है उसी के अनुसार प्रायोरिटी फिक्स की है। रोड की प्रायोरिटी पांचवें स्थान पर सबसे कम है लेकिन जहां दूसरे काम नहीं हो सकते, मेटेरियल दूरी से आता है, मैं श्री दौलतराम जी से पूछना चाहता हूं कि चूरू में कहां मेटेरियल मिलता है। कहीं भी चूरू के आसपास रोड मेटेरियल नहीं मिलता और सैकड़ों मील से लाकर मेटल्ड रोड बनाई जाये तो क्या खराबी है, इसके अलावा अगर ईरिगेशन के साधन हैं तो जालोर जिले में, सिरोही मे, और दूसरे जिलों में जैसे पाली वगैरह में जहां स्कोप है ईरिगेशन को प्रायोरिटी दी गई है, बांधों को प्रायोरिटी दी गई है, सॉइल कन्जर्वेशन को प्रायोरिटी दी गयी है। हालांकि व्यवस्था जमने में शुरू-शुरू में कमियां हो सकती है। मैं घास की व्यवस्था के बारे में कहूंगा। मवेशी बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा हैं यह हम मानते हैं लेकिन अकाल के बावजूद भी हमारे लोग जाट और मुसलमान पशुपालक हैं वह सैकड़ों मीलों तक दूर-दूर फिर कर अपने मवेशियों को चराते हैं। हम अपने मवेशियों को मरने नहीं देना चाहते हैं लेकिन अगर ईश्वर का प्रकोप है तो इसका

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हम क्या कर सकते है। नीचे से पानी का एक्सप्लाइटेशन करके ट्यूबवैल के जरिये पानी बाहर निकाल कर और घास की परमानेन्ट व्यवस्था हो इसलिए राज्य सरकार ने यह काम किया है कि सैकड़ों एकड़ के अन्दर ऐसे इलाके में प्राइवेट व्यक्ति को जमीन दी जा सकती है और लोग ट्यूबवेल अपना खुद का लगाकर इस जमीन को डेवलप कर सकते हैं, यह भी राज्य सरकार ने निर्णय किया है। तो इस बारे में प्राइवेट एन्टर-प्राइज, सरकार के सोर्सेज और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का को-ऑपरेशन यह सारी बातें देखकर राज्य सरकार की यह भावना है कि यह अकाल पुख्ता रूप से हमेशा नहीं आये और इसकी चिन्ता हमको भी है और आपको भी है। शुरू-शुरू में गल्तियां हुई तो वह बोनाफाइड है और जानबूझ कर लोगों को मारने की नीयत हो ऐसा नहीं हो सकता और हम भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य जितने जोरों से कहते हैं उससे दुगने जोर से हम भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान में १४ करोड़ रुपया तो खर्च हो चुका है और ३०—३५ करोड़ रुपया और खर्च होने की सम्भावना है। तो इसकी राष्ट्रीय समस्या के रूप में हल करने के लिए आगे आने वाली वर्षा और फसल है उसके आने तक केन्द्रीय सरकार हमें लिबरली धन दें और जितना खर्च होता है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कन्ट्रीब्यूट करके राज्य सरकार की समस्या को हल करे। उसी जोर से हम केन्द्रीय सरकार के ऊपर इस सदन के जरिये आवाज पहुँचाना चाहते हैं। इस बारे में राजनैतिक दृष्टिकोण होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और जो भी खराबियां हैं, जैसे घास पहुँचने की, जिला जालोर में और विशेषकर सांचोर तहसील में कांकरेज ब्रीड के पशु हैं वहां ११—२ महीने से घास नहीं पहुँचा है और हम बराबर इसके लिए दरख्वास्त देते हैं, तो घास की वहां समस्या है। तो राज्य सरकार के पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद भी व्यवस्था नहीं जमी है। परन्तु कोई भी बात किसी डिफिकल्टी की वजह से हल नहीं होती है तो उसको राजनैतिक दृष्टिकोण देना अन्याय करना है, और जनता के साथ अन्याय करना है। इस प्रॉब्लम की जो गम्भीरता है उसको कम करना है, यह मैं मानकर चलूंगा।

जो जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री की विजिट पर वहां जो हड्डियों का डिपो था वहां से पुलिस के जरिये हड्डियां हटा दी गयीं। अगर ऐसी बात थी तो आप फेमिन मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत करते प्राइमिनिस्टर से। आपने क्यों नहीं दरख्वास्त दी। आपको अधिकार है इस प्रकार की दरख्वास्त देने का और आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन सदन में कहना और वातावरण पैदा करना इस प्राब्लम की इन्टेन्सिटी को कम करना है। ऐसा करना आपकी ओर से भी उचित नहीं है और हमारी ओर से भी उचित नहीं है। जो चीज सही है उसको कहा जाये और जो कमियां हैं उनको दूर करने में सहयोग दिया जाय। अगर सब पार्टीज का को-ऑपरेशन हो और अच्छा सहयोग प्रदान हो तो मैं विश्वास करके चलूंगा कि राज्य सरकार के हाथ हलके होंगे। आज राज्य सरकार इस पार्टी की है और कल दूसरी पार्टी की भी हो सकती है। अभी मिड टर्म इलेक्शन हुए उसमें बिहार के अन्दर कोइलीशन गवर्नमेन्ट बनी, उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और बंगाल के अन्दर कोइलीशन गवर्नमेंट बनी।

Page No 116

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनने से उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं जितनी हमारी हैं। अगर विरोधी दल वाले अच्छे सजेशन्स देते हैं तो अच्छा होता है। इसलिये इस काम में आपकी निन्दगी करने में मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन राजनैतिक दृष्टि से यह बात कहना न्यायसंगत नहीं है। आपने कहा कि जनता का को-ऑपरेशन नहीं है, जनता का विश्वास नहीं है। मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर राज्य सरकार बनने के बाद दौसा का इलेक्शन, चौमू का इलेक्शन, जालोर का इलेक्शन हुआ। महारावल साहब भी जालोर स्वयं पधारे थे और उन्होंने निष्पक्ष रूप से भाषण दिया था और कोई ऐसी बात नहीं थी ....

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार से इस्तीफा दिलाकर फिर चुनाव लड़कर आये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्नोईजी के विचारों को बड़ी आदर की दृष्टि से देखता हूं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं। यह तो एक चिन्ता का प्रश्न है कि इसमें पार्टीवाद नहीं आना चाहिये लेकिन माननीय सदस्य से मैं बड़े अदब के साथ यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का क्या प्रचार था ? जालोर में कांग्रेस का यह प्रचार था कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो विकास बन्द हो जायेगा और विनाश हो जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बात नहीं है। यह कार्यकर्ता के उपर डिपेन्ड करता है। अगर आपका कार्यकर्ता अन्धाधुन्ध प्रचार करता है तो उसके लिये तो पूरी छूट है और और हमारा कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार की बात कह देता है तो उसको आप फौरन यहां कह देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन पर कोई बोलने की जरूरत नहीं है। गलत काम होते हैं तो उनको यहां खोल सकते हैं....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : महारावल साहब ने स्पष्ट कहा और इस तरह से कि विकास बन्द हो जायेगा और किसी कार्यकर्ता द्वारा आपके कानों में आवाज पड़ गयी तो आप सच हो सकते हैं मैं इन्कार नहीं कर सकता लेकिन कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ऐसी बात नहीं कह सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भैंसवाड़ा ठाकुर साहब बैठे हैं इन्होंने क्या-क्या प्रचार नहीं किये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतने ही शब्दों के साथ में निन्दा प्रस्ताव जो पेश हुआ है उसका खण्डन करता हूं और तथ्यों के आधार पर जो वास्तविक अकाल के अन्दर सुन्दर कार्य किये गये हैं उनके लिये राज्य सरकार की प्रशंसा तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिये इससे जनता का मनोबल ऊंचा होगा और केन्द्रीय सरकार से अधिक सहयोग मिलेगा और वहां से ज्यादा धन मिलेगा और हमारी प्राब्लम का परमानेन्ट रूप से हल होगा यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ६ बजे सरकार की ओर से उत्तर शुरु होगा।

(५.४९ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा भाई।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निन्दा प्रस्ताव जो कल से पेश हुआ है....

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ५॥ बजे माननीय मंत्रीजी जवाब देने वाले थे। मैं इस बीच में एक-दो और वक्ताओं को एडजस्ट कर सकूंगा इससे ज्यादा नहीं। इसलिये आप जो बोलें वह बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री हीराभाई : अकाल पर बोलूंगा, संक्षेप में ही बोलूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऐसा होना चाहिए कि एक उधर का बोले और एक इधर का।

श्री अध्यक्ष : यह नीति भी निर्धारित कर ली जायगी।

श्री हीराभाई : जब यह निन्दा-प्रस्ताव यहाँ हाउस में लाने के लिए विरोधी दल इतना मजबूर हुआ इसको यह सदन ही नहीं जानता है राजस्थान की पूरी जनता जानती है। हम लोग जहां २० साल के बाद भी अकाल की छाया में से गुजर रहे हैं उसके बारे में हमारे प्रस्तावक महोदयों ने सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ऐसी-ऐसी बातें हुई हैं कि नहीं कहना चाहिए लेकिन कहे बिना सफाई भी नहीं होती है ..

श्री अध्यक्ष : नहीं कहना चाहते हैं तो मत कहियेगा आप।

श्री हीराभाई : कहने का मतलब यह है कि अकाल सब मानते हैं। ६ साल से अकाल पड़ रहा है वह भी हम मानते हैं। ७ लाख मजदूरों को मजदूरी दे पाये हैं वह भी हम मानते हैं, सत्तारूढ़ दल वाले भी मानते हैं, लेकिन जितने लोग पीड़ा से मर गये हैं वे नहीं मानते हैं। ये भारत सरकार को गुमराह कर सकते हैं, हजारों मिनखों को मरवा वाला उसी तरह से जिस तरह से एक बहन गर्भवती है वह पेट ढक कर अपनी लाज छिपाती फिरे लेकिन आखिर में दाई के सामने तो लाज खोलनी ही पड़े। इसी तरह से ये कांग्रेसी सदस्य महोदय अकाल की छाया को ढक-ढक कर भारत सरकार के पास हमारी अवाज जाय तो उस आवाज को दबाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि भारत सरकार मदद नहीं दे रही है। कहां से मदद देगी, साहब, जब आप एकदम यह कह रहे हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कि हजारों मिनख मरे हैं। वह छिपायें नहीं। अकाल से मरे हैं, सुखाड़िया साहब। उसको न आप पकड़ सकते हैं और न हम पकड़ सकते हैं।

निन्दा-प्रस्ताव की मन्शा यह थी कि २० साल में तो हम हरग (स्वर्ग) से भी पानी बान्ध लाते, पाताल से पानी निकाल कर सिंचाई के साधन से पूरे जोड़ देते तो सदा के लिए अकाल की समस्या हल हो जाती। सवाल सिर्फ इस बात का है कि हमने अरबों, खरबों रुपया खर्च किया है उसका कम से कम ५० परसेन्ट सिंचाई के साधनों को जुटाते तो यह अकाल हमें भुगतना नहीं पड़ता। सवाल यह है कि इस तरह से ढिंढोरा पीटे और पार्टीबाजी की बात करें तो पार्टी वहां नहीं हो रहे है। आपका पड़ौसी इलाका है जो जिला बांसवाड़ा है तो उस बांसवाड़े की क्या हालत है। वहां तो आप बरदाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम समाजवादी ही उसको बरदाश्त कर

(श्री हीराभाई)

रहे हैं कि वहां की क्या हालत है। वहां जितने मेट बनाये जाते हैं वे सारे कांग्रेसी होते हैं। जब तक वह सफेद टोपी नहीं लगाये, इकरारनामा नहीं लिखे तब तक उसको मेट नहीं बनाया जाता है। जब तक वह कसम नहीं खायेगा तब तक मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है। क्या बात करते हैं, साहब ? कहां तक पेट को ढकेंगे ? आखिर नायन के सामने तो बताना पड़ेगा। अगर वहां पर कोई उग्रवादी दल होता तो कुछ होता मजदूरी नहीं देने वालों का सर तोड़-तोड़ कर फेंक देते। हम समाजवादी हैं और हमारा अहिंसा पर विश्वास है, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं कि अपने राजनैतिक प्रभाव को गलत ढंग से पालकर इस तरह का दुरुपयोग करें। यह दुरुपयोग कभी छिपाया नहीं जा सकता आप लोग चाहें किसी तरह का कन्ट्रोल करें। शिकायत करने के लिए कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर कहता है कि क्या करें, साहब, हम तो, वे नये आदमी हैं यहां का वातावरण ही ऐसा है। जोशीजी तीन दिन पहले आये थे सब कर गये होंगे। क्या बात करते हो साहब ? यह बात छिपाई नहीं जा सकती।

वहां के कम से कम दो लाख आदमी अकाल से पीड़ित हैं और वहां पर जो है २५,००० की लिमिट कर दी, सीलिंग कर दी। यह बात ठीक है कि देश में धन का अभाव है तो धन के अभाव से लिमिट की है, लेकिन कम से कम आप किन आदमियों को मजदूरी पर लगा रहे हैं यह तो बता दें। यह आपको तय कर लेना चाहिए कि सही मायने में कौन आदमी भूखा है, किसके पास में नाज है, किस के पास में और धन्धा निकल सकता है, दूसरे धन्धे में लग सकता है, वह आदमी कौन है, और किस आदमी को राज्य सहायता दे। यह तो कम से कम आपको जांच करवा लेनी चाहिए। अगर लिमिट करें तो करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। दो लाख आदमी भूख से तड़प-तड़प कर गुजरात में जा रहे हैं तो गुजरात में से भी आनन्द और सूरत में से उनको निकाला जा रहा है। वे मध्यप्रदेश में जा रहे हैं, मालवे में जा रहे हैं, और वहां पर आधा किलो ज्वार लेकर मजदूरी कर रहे हैं।

आपको यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं जातिवाद को मानने वाला नहीं हूं। मैं हमेशा आदमी और बैरा दोनों में विश्वास रखता हूं। किसी जाति में विश्वास करता नहीं। सही मायने में अगर हम हिन्दुस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो वहां पर इसाई मिशीनरीज काम कर रही है। रिलीफ का इसाई मिशीनरी काम कर रही है। अब हमारे लोगों में जितने हैं उनमें प्रमुख साहब ने चिट्ठी लिखी कि यहां पर तीन दिन पहले जोशीजी साहब पधारे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीन दिन मीटिंग होने के बाद फिर जो मेड़बन्दी का काम चल रहा था तो जो ५० आदमी समाजवाद को मानने वाले थे लिस्ट ले जाकर वहां के फील्डमैन ने उनको निकाल दिया। उसके लिए मैं गया। मैंने जाकर कहा कि अगर उनके घर में नाज हो तो आप देखलें। कलेक्टर से कहा कि अगर इनके घर में नाज हो तो आप इनको निकाल दें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं मदद करूंगा। नाज नहीं है। भूखों मर रहे हैं फिर भी उनको क्यों निकाला ? उन्होंने कहा कि साहब

(श्री हीराभाई)

यह काम तो नेताओं का है। कलेक्टर ने खुद ने यह कहा है। मैं सुप्रिन्टेन्डेन्ट के पास गया और कहा कि आप जान-माल की रक्षा करने के लिए हैं। ये आदमी भूख से मर गये और कांग्रेस वाले इनको मरवा रहे हैं तो क्यों न आप इनको भारत का विद्रोही कह कर कांग्रेस वालों को गिरफ्तार करें। काला बाजार करने वाले लोगों के लिए तो कानून है लेकिन भूखे आदमियों को कांग्रेसी लोग धक्का मारकर निकालें उसके लिए कानून नहीं हैं क्या? उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए उनको बाड़मेर, जैसलमेर देखना पड़ेगा। किस के सामने शिकायत लेकर जांय। परिस्थिति तो यह है। इस तरह से राजनैतिक शोषण होगा तो जिस तरह से राजा-महाराजाओं ने बड़ी गलती की और गलती की तो धक्के खाये और धक्के जनता ने दिये और वे पाताल तक चले गये, लेकिन फिर भी वे कितने ही साल तक रहे, लेकिन आपको तो २० साल के बाद भी धक्का जनता ने दे दिया। इन्होंने तो कुछ साल निकाले, लेकिन २० साल में ही जनता आपको धक्का मार रही है और बहुत कम मयाद है इसमें जितना अन्याय करना हो जल्दी कर लें जिससे आपकी आयु जल्दी खत्म होगी और जनता आप को फेंक देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन अगर परिस्थिति का मुकाबला करना है तो राजनैतिक दलबन्दी को छोड़कर काम करेंगे तो आप स्थिति को गम्भीरता से सुलझा सकेंगे और हम भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन परिस्थिति यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि एक बात यह है कि अब दो लाख बांसवाड़े और डूंगरपुर के लोगों के लिए केन्द्र में यह वातावरण पैदा हुआ था तो वहां पर चार लाख आदमी पीड़ित माने हैं तो उसमें २५ हजार बांसवाड़े के लिए और २५ हजार डूंगरपुर के लिए दिये और उदयपुर के लिए ५० हजार दिये। आप देखें तो सही अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। आप लिस्ट उठाकर देखिये। मुख्य मन्त्री जी उदयपुर के हैं सो वहां तो दिया जाय और बांसवाड़े के लोग भूखे मरें। उदयपुर से मुख्य मन्त्री और भीलवाड़े से सिंचाई मन्त्री जी तो वहां पर काम हों और बाकी दुनिया जाय भाड़ में। भीलवाड़े में तो दूसरे काम हैं नहर, का काम है, परमानेन्ट सिंचाई का काम चल रहा है और बांसवाड़ा में तो सिर्फ माही डेम का काम है। तो उदयपुर में तो ५० हजार रुपया और बाद में ६०-७० हजार हुआ और बांसवाड़े में २५ हजार और मार्च में होगा तो ३० हजार हो तो इस तरफ से आप लोगों ने ५०० आदमियों को इसाई मिशनरियों की गोद में रख दिया। इसी प्रारम्भ के महीने में उन्होंने ८० कुए और मकान बना दिये उन्होने उनके मन्दिर में जाने का इकरार कर लिया है। इसी तरह से अगर आपको यह करना है तो कीजिये, वहां मेरी आपसे अपील है कि वहां पर कम आय वाले लोग हैं, बांसवाड़े में ६ बीघा, १० बीघा, ५ बीघा और २ बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है, और पूरा जो जैसलमेर और बाड़मेर में अकाल है वही का वही अकाल बांसवाड़े में है। उस को अभावग्रस्त कह कर के न टालें और वहां के जितने भी भूखे मनुष्य हैं उनको रोजगार पर लगाया जाय। अगर आपको इनका दर्द है तो कलेक्टर को आदेश दें कि जितने

(श्री हीरा भाई)

आदमी हैं और सही मायने में भूखें हैं और जिनके पास धन्धा नहीं है उन सबको लगायें। लेकिन वहां जितने भी सुपरवाइजर हैं वे कांग्रेसी हैं और उनके घर में कुछ न कुछ धन्धा है। जितने भी मुखिया हैं, पुराने मुखिया हैं और जिस तरह के सुपरवाइजर मेट हैं वे आधा पैसा खा जायेंगे। और गरीब लोग भटकते रहेंगे। इसलिए उनको समझा बूझा कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। कुशलगढ़ एक भूखा एरिया है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) जिस तरह से काम चलता है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। आइन्दा के लिए आप रोक थाम करें। अकाल मन्त्री पर विश्वास है। वहां का एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री गिरधारीलाल।

कृपया ५ मिनट से अधिक समय न लें।

एक माननीय सदस्य : हमारे दल को समय नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर!

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशन जी ने जो निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिन्होंने निन्दक के रूप में प्रस्ताव रखा है, मैं उनका घोर विरोध करता हूं।

श्री रामकिशन : और आप का काम ही क्या है?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां सदियों से ऐसा समय आता रहा है जब कि राजस्थान के अन्दर रहने वाले को समय-समय पर, पांच-पांच, दस-दस साल में, इस आपदा को सहन करने का अवसर मिला है। मैंने देखा है, १०० सालों के भीतर जब कि हमारा राजस्थान और हिन्दुस्तान स्वतन्त्र नहीं था, उस समय क्या व्यवस्था थी। और उसी व्यवस्था में जो आज बार-बार आकर बात कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने अकाल निवारण के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है उनको मालूम होगा कि जिन लोगों के पास सदियों तक और हजारों सालों तक शासन इस प्रान्त का रहा है, उन्होंने इस राजस्थान के लिए क्या किया? मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग जिन्होंने हजारों सालों तक शासन इस प्रान्त में किया है, ऐसी बातें करें उन लोगों के सामने, जब कि यह स्पष्ट है कि इन २० सालों में इस प्रान्त को आगे बढ़ाने में किस प्रकार का प्रयत्न किया है। यह हमारे निन्दक महोदय, जिन्होंने निन्दा का प्रस्ताव किया है, वह जानते हैं कि ८० प्रतिशत नहरों को बांधकर पानी खेतों में पहुँचाने का प्रयत्न किया है। थोड़ी देर पहले माननीय अग्रवाल साहब ने कहा है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, ऐसे लोग भी यह कहते हैं। अकाल के सम्बन्ध में जिस तरीके से काम होना चाहिए, उसी तरीके से हमारी राजस्थान सरकार ने काम किया है। राजस्थान कैनाल जो कि देश का बड़ा प्रोजेक्ट है उसको इसीलिए पूरा किया जा रहा है कि इस प्रकार अकाल की जो भयंकर स्थिति आती है, तो वहां के निवासी उसका मुकाबला कर सकें। जब आप जानते हैं कि इस प्राजेक्ट को पूरा करने का काम एक दो साल में ही नहीं हो सकता

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

है फिर भी हमारे माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे अपने हाथ में लेकर वहां यह काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने भी कई बार ऐसा कहा है। किसी भी प्रकार यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाये ताकि रेगिस्तानी इलाके में जो कि दो तीन साल के बाद अकाल के कारण तकलीफ होती है वह न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन उसका एक एक्चुअल नतीजा यह है कि हर साल उसका खर्चा कम होता जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसा अवसर आयेगा जब कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूरा होकर सारे इलाके को हराभरा बनायेगा। सारा इलाका हराभरा नजर आयेगा। हम चाहते हैं कि यह सारे के सारे इलाके में जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर तक राजस्थान कैनाल पहुंचे और वहां जो अकाल छाया हुआ है, उस अकाल की छाया को दूर कर दें। इसके साथ-साथ और भी कई योजनाएं सुचारुरूप से चलानी पड़ेंगी। इसके पहले भी डेजर्ट डेवलपमेंट प्राब्लम पर विचार किया है उसको किस प्रकार दूर कर सकते है यह करना पड़ेगा। अभी जैसा कि माननीय राज्यपालजी ने भी कहा है कि बिना स्थायी हल के अभी हम कितना ही पैसा लगा दें तो भी दूर नहीं कर सकते। इसीलिए हम थोड़े सालों में इसे दूर कर सकेंगे। इसलिए जितने भी विधान सभा के सदस्य हैं, सभी को इस सम्बन्ध में जोर देना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार अपने अधीन ले। यहां पर किसी प्रकार का जंगल लगायें। पानी पहुंचायें। ट्यूबवेल खोदकर इस डेजर्ट को मिटाने का प्रयत्न करें। यह एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को अकेला राजस्थान सदियों तक पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़े साधनों की आवश्यकता है। आप निन्दा का प्रस्ताव लायें, उससे अकाल दूर नहीं हो सकता है। हमने अपने साधनों के अनुसार आर्थिक सहायता करने का प्रयत्न किया है। राजस्थान सरकार ने जो किया है, वह प्रशंसा की चीज है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, इरिगेशन का सवाल है, एनीमल हजबैन्डरी का सवाल है, आंकड़े दिये हैं। जितनी भी प्रगति राजस्थान ने की है, आप कह सकते हैं कि हम जितना डवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने साधनों के अभावों के कारण उतनी प्रगति नहीं कर पायें हैं, मगर २० सालों में हमने जो काम किया है उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अच्छा काम नहीं किया है। अगर अच्छा काम नहीं किया हो तो निन्दा का प्रस्ताव रखने का आप को अधिकार है। जब कि कुछ लोगों की आदत होती है निन्दा करने की। उसके मुंह से कभी अच्छा शब्द निकल नहीं सकता है। उसकी निन्दा करने की आदत पड़ जाती है। जैसा कि रामकिशनजी ने कहा है कि एक लाख मन चारा इकट्ठा किया है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि आप दौरे लगाकर किस गांव में गये। आप ने जो यह प्रकट किया है इससे कोई चीज हल होने वाली नहीं है।

(१ म० प०)

श्री रामकिशन : यह आप के मन्त्रीजी

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन लोगों ने रात दिन एक करके चारा इकट्ठा किया है। मगर इसका सेहरा आप बांधना चाहते हैं। आपको चाहिए था कि आपके इलाके के

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कांग्रेसी उम्मीदवारों ने महनत करके १ लाख ५ हजार टन चारा इकट्ठा किया उनकी आप तारीफ करते। आपको इस सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए कि उसने आपके इन क्षेत्रों से मदद लेकर भूखे पशु और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया है।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के सम्बन्ध में सब तरह की बातें कही गई....

श्री मदनसिंह : हमारे भी पांच आदमी बोलने वाले हैं साहब।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं एक दो ही मिनिट और लूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने निन्दा के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिसका नाम लेकर, वोट लेकर जीत कर आये हैं उसके सम्बन्ध में आपने क्या किया ? मैं पूछना चाहता हूं कि अकाल के समय, आप किसी भी जिले में चले जाइये, कांग्रेस के हर व्यक्ति ने, हर आदमी ने, हर सदस्य ने सहयोग देकर वहां चारा इकट्ठा किया, रुपये इकट्ठे किये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब खा गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : परन्तु जनसंघ के इन साथियों से....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हमारे पेट भरे हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं पूछना चाहता हूं, क्या कहीं पैसा इकट्ठा करने में, चारा इकट्ठा करने में मदद की, कहीं गाय की रक्षा करने में मदद की है। आप गऊ का नाम लेकर वोट लेकर यहां बिराजे हुए हैं, लेकिन आपकी वही हालत होगी जो कि यू. पी. में हुई है, सब स्थान से आप रवाना हो जायेंगे ...

श्री नत्थीसिंह : अभी कार, कोठी नहीं मिलेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको राजनैतिक शक्ल न दें बल्कि राजस्थान की बहुत बड़ी प्रॉबलम समझ कर सब एक दूसरे से मिल कर इस प्रॉबलम को किस तरह ठीक कर सकते हैं ...

श्री नत्थीसिंह : बस बैठ जाओ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : किस तरह इसका समाधान कर सकते हैं, इसके लिए सब एक दूसरे का योगदान देंगे तो ही यह प्रॉबलम समाप्त होगी वरना इस प्रकार के निन्दा प्रस्तावों से फायदा नहीं होने वाला है और आपको भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि दुनियां जान गई है कि गऊ का नाम लेने वाले गऊ की रक्षा करने वाले नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस निन्दा प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जेब भरी हुई है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मतदान जब तक नहीं हो तब तक के लिए आगे बढ़ाई जाती है।

श्री आईदानसिंह।

पांच मिनिट।

श्री मदनसिंह : पांच मिनिट के बारह मिनिट जैसे गिरधारीलाल जी बोल गये वैसे ही इजाजत दे दी जाय।

श्री प्राईदानसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, पानी के अभाव में जो हो जाय वह अकाल है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि पानी के होते हुए भी अगर अकालग्रस्त इलाका हो जाय तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सं० २०२३ में जब अकाल पड़ा था और इस सदन में जब अकाल पर बहस हुई थी तो मैंने एक नम्र निवेदन, एक सुझाव राज्य सरकार को दिया था, वह यह था कि जालोर जिले में इतना पानी उपलब्ध है कि अगर उसको सिंचाई के काम में लिया जाय तो यह अकाल तो क्या, इस जैसे सात अकाल पड़ जायं तो वहां का पानी खूटेगा नहीं। उसके लिए राज्य सरकार ने महरबानी करके दो सौ नल कूप की योजना बनाई थी। समयाभाव में उस योजना का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा। वैसे वह योजना आपकी बनाई हुई है, मगर वह कोल्ड स्टोरेज में या वेस्ट पेपर बास्केट में गई होगी, इसलिए आपको मालूम नहीं होगा उसके बारे में। योजना में साफ लिखा है:—

"As per advice of the Planning Commission, data was collected by the State Government to identify backward areas on the basis of selected indicators, of development. The information so collected revealed that the Jalore district was one of the most backward areas of Rajastnan inspite of its rich agricultural potential. The investment proposed in the scheme therefore will also further the social objective of removing regional disparity."

जिसके बारे में जनसंघ के नेता ने कहा कि हमारे यहां रीजनल डिस्पेरिटी इतनी है कि आप पहली और दूसरी फाइव-ईयर प्लान उठा कर देखिये, शायद जालोर में जितना कम खर्चा हुआ है उतना कम छब्बीस जिलों में से किसी में नहीं हुआ होगा ..

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: बाड़मेर।

श्री प्राईदानसिंह : बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर उससे नीचे हैं They are not the last, but last but one. और उन तीन में जालोर शामिल है। इस तथ्य को राज्य सरकार भली भांति जानती है। आगे इस स्कीम में लिखा हुआ है ..

श्री अध्यक्ष : वह लिखा हुआ पढ़ दीजिये

श्री प्राईदानसिंह : The present scheme, by improving the general economic conditions of the region, will also go long in reducing the distress and occurence of drought and it will act as permanent measure against the famine in this area. To this extent it will also reduce the burden of the State exchequer in the year of drought on account of famine relief operations.

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि अगर राज्य सरकार इस जिले को फेमिन से मुक्त करना चाहती है तो दूसरी इधर-उधर की बातों में न जाकर यह एसर्ट करूंगा कि जो स्कीम १९६६ में बनी थी और १९६८ की जुलाई में स्कीम को पूरा होना था, वह आज तक शुरू नहीं हुई है। तो मेरा यह सुझाव है कि महरबानी करके इसको इस फेमिन ईयर में शुरू करके एक साल में खत्म करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मदनसिंह या मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में अकाल की स्थिति है और खास तौर पर राज्य का पश्चिमी इलाका बहुत ज्यादा अकाल से प्रभावित है। सरकार ने इस विषय स्थिति का सामना करने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाये हैं लेकिन यह इतना भयंकर अकाल है जो इतिहास में पहला ही उदाहरण है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूं कि इस पहले उदाहरण को आखिरी उदाहरण में बदल दिया जाय ताकि आने वाले वर्षों में राज्य सरकार को फिर से ऐसी विषम स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। अकाल राजस्थान के लिए नई बात नहीं है। बराबर पड़े हैं। और पड़ रहे हैं लेकिन ऐसा अकाल जो कि इस वर्ष पड़ा है, पिछले सौ वर्ष में भी नहीं पड़ा। यह एक वास्तव में बहुत ही अनहोनी घटना घटी है कि राज्य का काफी बड़ा क्षेत्र पिछले सात वर्षों से प्रभावित है और काफी बड़ा क्षेत्र गत तीन-चार वर्षों से अकालग्रस्त है। इस वर्ष तो लगभग सारा ही राजस्थान अकाल की चपेट में है लेकिन ऐसी अनहोनी स्थिति को भी राज्य सरकार ने बहुत ही कुशलता से मीट आउट किया है। प्रत्येक सरकार अपने राज्य में घटने वाली दुर्घटनाओं के लिये तैयार रहती है लेकिन वह केवल साधारण दुर्घटनाओं की तैयारी कर सकती है, अनहोनी घटनाओं के लिए तैयारी करना न सम्भव है और न अच्छा ही प्रतीत होता है। अगर यह निराशावादी रुख कोई सरकार रखे तो कभी भी कोई रचनात्मक कार्य वह हाथ में नहीं ले सकती। इस विषम स्थिति का सरकार ने जिस धैर्य और पक्के इरादे से मुकाबला किया है उसके लिए हमें सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। इसके साथ ही केन्द्र सरकार के प्रति, कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रति और देश के उन दानवीरों के प्रति, जिन्होंने खुले हाथ से सहायता दी है, भी इस सदन की ओर से आभार प्रकट किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि जो राहत कार्य आज सरकार कर रही है उस पर बिल्कुल ही पैसा व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। मैं इस सदन से निवेदन करूं कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में तो हर मुसीबत एक वरदान का रूप लेकर आती है। जो छोटा-बड़ी सड़क, जो तालाब इस अकाल के समय में तैयार हुए हैं वह सम्भवतः सामान्य वर्षों में नहीं बन सकते थे।

बहुत बड़ी संख्या में सारे पश्चिमी इलाके में ट्यूब वैल्स की खोज की जा रही है, ट्यूब वैल्स खोदे जा रहे हैं और बहुत अधिक खर्चा करके उनको कमीशन किया जा रहा है मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले कुछ ही वर्षों मे पश्चिमी इलाकों में नल कूपों का एक जाल सा बिछ जायगा।

ऐसी विषम स्थिति का मुकाबला राजस्थान सरकार ने किया है, इसको सम्हाला है यह सब इस बात का प्रमाण है कि वह इसके लिये पहले से ही तैयार है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को काम दे रही है और वह काम भी लोगों को उनके घरों के पास दिया है काम की जगहों पर पानी सप्लाई किया, अनाज पहुँचाया, दवाईयां और इलाज की व्यवस्था की और उनके पशुओं के लिये चारा पहुँचाया।

Page No 125

(श्रीमती मदन कौर)

एक बात मैं जरूर मानती हूं कि इस वर्ष पशुधन की क्षति बहुत अधिक हुई है और जो जिले पशुधन पर ही आधारित हैं, उनकी अर्थ व्यवस्था का आधार पशु ही है, उनकी अर्थ व्यवस्था को एक धक्का लगा है। गत कुछ वर्षों से पशुओं की जन-संख्या ज्यादा ही बढ़ती गई, धरती पर पशुओं का कुछ ज्यादा ही बोझा बढ़ा, हमारे मौजूदा सामाजिक ढांचे में पशुओं को जन संख्या की नियन्त्रण करना आवश्यक है...

श्री रामकिशन (बैर) : पशुओं की जन-संख्या ही नहीं, पशु संख्या ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, टोलेरेट कर लीजिये।

आप आरम्भ रखिये।

श्रीमती मदन कौर : जितने पशु मरे हैं वे आज की दृष्टि से अन प्रोडक्टिव हैं, अच्छी नस्ल के जितने पशु थे, उनको पशु-पालकों ने राज्य सरकार की सहायता से बचा रखा है। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जो पशु अब बचे रह गये हैं वे अच्छी नस्ल के हैं, उनका पालन पोषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिये, उनके लिये प्रजनन की व्यवस्था की जानी चाहिये और उनके लिये पौष्टिक दाना और चारा पूरी मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता !

श्रीमती मदन कौर : मैं एक ही मिनिट बोलूंगी, मैं तो कभी कभी ही बोलती हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं आपकी आज्ञा मानूं या ..

श्री दौलतराम सारण : बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सहानुभूति है सदन की। इनके बाद आप बोलें।

श्रीमती मदन कौर : अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस समस्या के समाधान के लिये एक समिति का निर्माण किया गया, उस समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को राज्य सरकार अपने वित्तीय साधनों के अनुसार क्रियान्वित करना चाहती है। इस सम्बन्ध में "वित्तीय साधन" शब्द निराशाजनक प्रतीत होता है। बार-बार इस प्रकार की स्थिति बनती रही तो वित्तीय साधन जुटाने की बात राज्य सरकार को फिर वित्तीय संकट में डाल देगी। इस काम को हमें दृढ़ संकल्प के साथ करना है। उसको दृढ़ संकल्प के साथ यदि हम करेंगे तो हम इस समस्या का स्थाई हल निकाल सकेंगे।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने इस महान् संकट को पार किया है, इस संकट के स्थाई हल के लिये प्रयास किया है. इसलिये सरकार के प्रति निन्दा का प्रस्ताव पास न किया जा कर प्रशंसा का प्रस्ताव पास करना चाहिये, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अकाल के प्रश्न को लेकर चार पांच वर्षों से इस सदन में अकाल की बातें चली हैं पर अबकी

(श्री मदनसिंह)

बार माननीय सदस्यों में इतनी तीव्रता क्यों आई ? इतनी चेष्टा क्यों हुई ? इसका कारण है। राजस्थान में कहावत है :

"जिसकी फटी नहीं बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।"

अब की बार करीब-करीब सभी सदस्यों को वही हालत हो गई है जैसी कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में थी। बाकी ७ वर्षों से जहां जैसलमेर में अकाल पड़ रहे हैं वहां कोई अच्छी स्थिति नहीं है, जैसलमेर की जनता के लिये कोई बड़ा काम हो गया हो, ऐसी बात नहीं है, जैसलमेर के लोगों को कोई बड़ी राहत मिल गई हो, ऐसी बात नहीं है। अभी रामानन्दजी ने फरमाया ईश्वर का काम नहीं है कि ऐसा करे, इसके साथ ही यह बात भी कही कि मनुष्यों को तकलीफ देने से ऐसी चीज हो जाती है। आज जैसलमेर के इलाके में रहने वाले लोगों की सरकार ने आदत कर दी है कि वे भूखे रह सकते हैं, वे नंगे रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, यह सारी चीजें वे लोग ७ वर्षों से भुगत रहे हैं, उनको स्लो पोइज़निंग किया गया है, जैसे सर्कस वाले शेर को आदत पटक देते हैं, सरकार ने ठीक वैसी ही स्थिति वहां पैदा कर दी है। एक कुटुम्ब में किसी का पिता मरता है, उसके बाद कुछ वर्षों के अन्तर से स्त्री मरती है, उसके दस वर्ष बाद पुत्र मरता है तो उसको दुःख कम होता है। पर इस वर्ष ने क्या किया कि जैसलमेर में जो ७ वर्ष से चल रहा था वही सीकर में एक वर्ष में कर दिया, उदयपुर में दो दिन में वही कर दिया, इसलिये यह चिल्लाहट है। कोई यह समझे कि जैसलमेर के प्रति अच्छी भावना है, तो ऐसी बात नहीं है। आज सभी कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, यह हल्ला हो रहा है, जब सभी में वह कष्ट आ पड़ा तो वह आवाज उठ रही है। उस आवाज के लिये गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, उस सम्बन्ध में मुझे अविश्वास है। जैसलमेर में ७ वर्ष में जो हुआ वह मेरी सीकर डिस्ट्रिक्ट में दो रात में हो गया, जिनके रहने को मकान नहीं, साधन नहीं, वे एक दो रात में ही खत्म हो गये, उनके लिये क्या प्रबन्ध कर दिया, क्या कोई मन्त्री महोदय बता सकते हैं ? एक दांता रामगढ़ कान्स्टीट्युएन्सी है, जिसके लिये इतना एलान हुआ, सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिये इतना एलान हुआ, क्या वास्तव में वहां वे चीजें हो गईं ? नहीं हुईं। असेम्बली में ज्यादा हल्ला किया जाता है। उसके लिये लोगों को विश्वास दिला देते हैं पर उनको जा कर सम्हाला तक नहीं सरकार का रुपया गया पर वह कहां खर्च हुआ, किसके पास पहुँचा, क्या इसकी आज तक आपके पास कोई रिपोर्ट है ? उसकी आज तक आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। राज्यपाल के भाषण में वह डिटेल पाते नहीं हैं कि किस इलाके में किस को राहत मिलनी चाहिये थी, उनको राहत नहीं मिली। मेरे इलाके में बड़ी बुरी हालत हरिजन बस्तियों की है। उनके बारे में बार-बार अकाल मन्त्रीजी से कहा, मुख्य मन्त्रीजी से कहा, आपके जरिये कहलाया, उन्होंने वादा भी किया था कि सीकर जिले में एक मन्त्री इसके लिये डिटेल किया जायगा जो वहां जाकर देखेगा कि राहत मिली है या नहीं। वहां हरिजन भाई जो बलाई हैं, भंगी हैं, उनकी सबसे ज्यादा क्षति हुई है। आप ताज्जुब करेंगे कि उनके घर आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, उनको आश्वासन दिये जाते हैं

(श्री मदनसिंह)

पर उनको सम्हाला नहीं जाता है। आप कहते हैं कि जनसंघ क्या करता है, जनसंघ ने अपनी योजना से जिन हरिजनों को बसाया है, पुलिस के जरिये उन हरिजनों को वहां से हटा कर तीन-तीन मील दूर पटक दिया। वे लोसल के पास तीन मील दूर पड़े हैं जिसके लिये मदेरणाजी ने कहा, मुख्य मन्त्री ने कहा, जल्दी ही मन्त्री भेज रहे हैं, उनकी देख-भाल करेंगे। आज उन हरिजनों के तीन मील दूर बिस्तर पड़े हुए हैं, इसलिये उनको पुलिस से उठवा कर दूर फेंका गया कि जनसंघ ने, जनसंघ के सरपंच ने उनको ठीक अच्छी जगह क्यों दे दी। ऐसी हालत में इस सरकार से क्या आशा करें ? आप कहते हैं एक-एक मिसाल दो, मैं कहता हूं हजारों मिसालें दी जायेगी तो हजारों आदमी असेम्बली में भर जायेंगे, फिर आप कहेंगे कि कानून के विपरीत किया। यहां ज्वार लाई गई, हजारों नमूने ऐसे हैं, जिनको आटा सामान नहीं मिला है, आज भी वे लोग बेघरबार हैं, उनको असेम्बली में लाया जा सकता है, उनको एक ठीक जगह बसाया तो पुलिस के जरिये उठा कर फिकवा दिया गया।

जहां अकाल घोषित करवाया गया उन अकालग्रस्त गांवों के लिये एलान हुआ कि वहां लगान नहीं लिया जाय। दो रुपया लगान देते हैं, उसको माफ कर के गवर्नमेंट समझती है, कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे इलाके में माजीपुरा, भिराना ऐसे गांव हैं वहां १४००-१४०० रु० वहां के लोगों को कुड़की नीलाम कर के रु० वसूल किया गया, इसकी सूचना मन्त्रीजो को दी आज एलान होता है कि तकाबियां माफ होंगी, माफ क्या खाक होगी, उनके घर नीलाम हो गये, आज का आॅर्डर उनके लिये मुफीद हो सकता है जिन्होंने हठ से तकावी नहीं दी। गवर्नमेन्ट में विश्वास नहीं होता छोटीसी बात के लिये भी, आप छोटीसी बात का भी प्रबन्ध नहीं कर सकते। जहां रुपया आ रुका गया है, वह रुपया उन गरीब लोगों को नहीं मिला, जिन गरीबों के लिये रुपया गया आज भी वह रुपया कलेक्टरों के यहां पड़ा हुआ है। उसको बांटने के लिये न एस० डी० एम० जाता है, न तहसीलदार जाते हैं। सबसे पहले सरकार की कमी है व्यवस्था की। सीकर जिले में मेहता कलेक्टर साहब माने हुए कलेक्टरों में से थे। नेताओं को जंचा नहीं, उनको नहीं रहने दिया क्योंकि विरोधी पक्ष के लोग उनके पास जाकर अपने विचार रखते थे, उनको पूरा काम करने नहीं दिया, और वह ट्रांसफर हो गए। जहां एस० डी० एम० ने प्रयत्न किया वह ट्रांसफर हो गए, तहसीलदार ने प्रयत्न किया उनका ट्रांसफर हो गया और नई मूर्तियां गई हैं जिनको पता नहीं गांव कौनसा है। इसलिए ये बातें क्यों होती हैं। आपको जब मालूम है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिये। फिर निंदा प्रस्ताव न रखा जाय तो क्या करें ? राजस्थान में एक आदत है जब तक गालियां न दें तो सुनते नहीं। एक डोकरी के खेत में रोज गायें जाती थीं, वह कहती थी कि मेरे खेत में नहीं चराएं। मैं खुद सुनता था रोज। दूसरे रोज उसने इतनी गालियां दी कि उस रोज से गायें नहीं आई। तो राजस्थान सरकार को आदत पड़ गई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यहां पर श्री अग्रवाल ने प्रस्ताव रखा, श्री भैरोंसिंहजी ने भी रखा, कोई ठोस योजना जब तक नहीं लेंगे तब

(श्री मदनसिंह)

तक काम नहीं होगा। आज अमरीका और रूस के पास काफी अन्न है, लेकिन भारत को नहीं देना चाहते। वे चाहें तो भारत को साधन संपन्न कर सकते हैं लेकिन वे समझते है कि भारत धनवान हो गया तो क्या होगा। इसी तरह सरकार भी समझती है कि लोग धनवान हो गए तो जो वोट मिलने वाले हैं वे भी नहीं मिलेंगे। यही नीति रही तो निन्दा ही नहीं घृणा के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मैं अपने इलाके के लिये निवेदन करूंगा क्योंकि मेरे इलाके में जो अन्याय हो रहा है वह नहीं मिटेगा। आप घृणा प्रस्ताव के लिए भी तैयार रहें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : विरोधी दल की तरफ से अकाल सम्बन्धी मामलों को लेकर सरकार के विरुद्ध जो निन्दा प्रस्ताव पेश किया गया, उसका मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के जो हमारे प्रतिनिधि जो कांग्रेस के अन्दर बैठे हैं मुझे तो उन पर ज्यादा तरस आती है क्योंकि श्री हंसराज आर्य ने पिछले दिनों अखबारों में स्टेटमेन्ट दिया कि यदि अमुक तारीख तक कार्य चालू नहीं किया गया तो धरना दे दूंगा और आज प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। इस प्रकार के दबू नीति के लोग शासन में आ गए, इन्हीं के कारण पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्य चल रहे हैं।

गंगानगर में ५ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें पानी नहीं लगता और दो साल से भयंकर अकाल है। आज तक कोई राहत कार्य नहीं चालू किया। कुछ गांवों में पानी पीने के कुए खुदवा दिए गए। वे चल रहे है लेकिन २५ से ऊपर जिन कुओं में बोली हुई उन मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं दी गई। फिर भी श्री हंसराज कहते हैं काम तो जरा ठीक होता है, तो फिर स्टेटमेन्ट अखबारों को देने का क्या कारण है ? मुख्य-मन्त्री जब आ जाते हैं तो लोग....

श्री हंसराज आर्य : मैंने कहा कि जो राहत कार्य नहीं किये गए, वह किये जाने चाहिये लेकिन जो किये गये उनकी तारीफ होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर का नाम आपने नहीं लिया। रायसिंहनगर और अनूपगढ़ का नाम नहीं लिया। मैं जानता हूं आपके सामने परिस्थिति है जब मुख्य मन्त्री विराजते हैं तो जैसे मदारी डुगडुगी बजाता है तो सारे के सारे लोग हिलते हैं और दबू नीति के कारण सही बात मुख्य मन्त्री के सामने नहीं रख सकते। गंगानगर जिले से लाखों रुपये मांग कर लाए हैं और हजारों टन घास चारा इकट्ठा किया और दूसरे इलाकों को भेजा और आप यह नहीं कह सकते कि इस जिले के अन्दर ५ तहसीलें ऐसी हैं जहां भयंकर अकाल की स्थिति है तो यह रुपया और चारा यहां रख लिया जाय जिससे लोगों के सामने कठिनाई न आये लेकिन यह कौन कहे ? ये मुख्य मन्त्री की प्रशंसा के पात्र बनने के लिये रात दिन दौड़ते फिरते हैं....

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर जिले में....

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरी बात सुन लीजिये।

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर जिले में....

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर जिले के अन्दर जो बारानी क्षेत्र है वहां खारा पानी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है। एक बार आदमी एक लोटा पानी पीले तो उसकी मृत्यु हो जाय, उस पानी के अन्दर जहर है। वहां कभी भी नहर का पानी नहीं जा सकता और वहां आज तक न अनाज दिया गया न मजदूरी का प्रबन्ध किया है और जिन कुओं का चालू किया गया उनमें १० कुए ऐसे हैं जहां ४ महीने से मजदूरी नहीं मिली। इस सम्बन्ध में माननीय श्री रामानन्दजी ने भी जिक्र किया था। हम नहीं चाहते कि अकाल के मामले में कोई विवाद खड़ा करूं और सरकार को बदनाम करूं लेकिन हम चुप भी नहीं रह सकते। मैंने मुख्य मन्त्री और अकाल सहायता मन्त्री को भी पत्र लिखे। यहां तक हुआ है कि राजस्थान कैनाल के नजदीक लगने वाले बारानी गांव हैं, उनको पीने का पानी नहर से आज तक नहीं दिया गया। मैंने बार-बार अकाल सहायता मन्त्री, मुख्य-मन्त्री और सिचाई मन्त्री को पत्र लिखा सिचाई मन्त्री ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है लेकिन नहर की बन्दी आ गई। मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार गंगानगर को लोग सोने की चिड़िया समझते हैं लेकिन वहां इतनी गरीब आबादी है कि ५ तहसीलों के अन्दर पीने का कोई पानी नहीं। भाखरा क्षेत्र में कुछ पानी आया है। फसल सारी सूख गई। बरसात न होने के कारण गंगानगर जिले में रुपये में से ४ आने की फसल हुई है ..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस प्रस्ताव के बारे में जो कुछ यहां के और वहां के सदस्यों ने विचार रखे हैं मैं समझता हूं कि इधर के लोगों ने कुछ तथ्य रखे हैं आपको स्वीकार करने चाहिये थे। उधर के सदस्यों ने जो इसका विरोध किया उनको भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये था कि कहां तक यह सत्य है या नहीं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ये कहते हैं कि झूठ है। इसमें कोई सार नहीं है। राजस्थान इतना बड़ा लम्बा चौड़ा इलाका है। २ करोड़ जनता अकाल से प्रभावित है। इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर प्रबन्ध करना सरकार के बस की बात नहीं। लेकिन जहां तक पक्षपातपूर्ण तरीके से जो कार्य चालू किये जायें उनके लिये हमको दुख होता है। तो इस सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास होना चाहिये....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ये सदस्य मुख्य मन्त्री को सही हालात की जानकारी नहीं देते हैं और....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मन्त्री और अकाल सहायता मन्त्री से निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले की जिन ५ तहसीलों में कुओं की मजदूरी नहीं मिली है अकाल पीड़ितों को पानी पिलाने की, उनको शीघ्र ही दी जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या को हल करने में किस प्रकार राज्य सरकार विफल रही है इस पर तो मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने आंकड़े ही आंकड़े हैं। लेकिन सात वर्ष के अनुभव के आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलने वाले हैं, उन्हें मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं

Page No 130

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कि आप आंकड़ों के इन्द्रजाल हैं और आप आंकड़े बता कर कह देंगे क्योंकि आप हमेशा यह अपेक्षा करते हैं कि दलगत राजनीति को आधार बना कर सदन में चर्चा करते हैं। जो तथ्य और आंकड़े विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने रखे हैं, और स्पष्ट रूप से इस गहन समस्या को देखते हुए सदन के सामने आप विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कम मजदूरी देने में, गलत मस्टररोल बनाने में और खाने को रद्दी अनाज देने में और अपने पदों का दुरुपयोग करने में जिन-जिन अधिकारियों ने गलत काम किये हैं, आप मुख्य मंत्री होने के नाते कोई एक्शन लेने को तैयार हैं? यदि आप इस बात का विश्वास दिला देंगे तो शान्ति का अनुभव होगा। हम भयभीत इसलिये हैं कि आपके आंकड़ों का इन्द्रजाल खुलेगा और आप भाषण देंगे कि फलां जगह इतना खर्च कर दिया और फलां जगह से इतना अनाज ले आये और फलां जगह से इतना धन ले आये और हमने राजस्थान से अकाल को दूर भगा दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं समयाभाव में अधिक नहीं कह सकता सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि—

"सात समुद्रों मसी करूं,
लेखनी सब वनराय।
धरती को कागज करूं,
तेरो अवगुण लिख्यो न जाय॥"

आपको अवसर है आप इस पर विचार करिये। विरोधी पक्ष के नेता ने निन्दा प्रस्ताव पर बोलते हुए बड़ी नम्रता के साथ यह कहा था कि यह देशव्यापी समस्या है और वे उसको राजनैतिक समस्या नहीं मानते। एक तरफ विरोधी पक्ष के नेता के चरित्र को देखिये और दूसरी तरफ सदन के नेता के, दोनों की तुलना करने के बाद विश्वास दिलायें कि जिन्होंने दुरुपयोग किया है अपने पदों का उनके विरुद्ध निष्पक्ष रूप से चाहे उनमें आपके हितैषी भी हों और आप उनका पक्ष भी लेना चाहते हों, क्या आप एक्शन लेने के लिये तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक मिनिट में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : जो दल बदलू हैं उनको यह मानना चाहिये ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहुत से विस्तार के प्रश्न यहां उठाये गये हैं उसके सम्बन्ध में तो इससे सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय विस्तार से प्रकाश डालेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव के अन्दर मुख्य आधार इस बात का रहा है कि इन पिछले बीस वर्षों में राज्य सरकार ने अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये और अकाल से जनता को तकलीफ न हो उसके लिये आवश्यक कदम नहीं उठाये हैं इसलिये आज की परिस्थिति पैदा हुई है।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के बहुत लम्बे-चौड़े हार्ड डेजर्ट की समस्या को मैं समझता हूं, एक वाद-विवाद की बात अलग हो जाती है लेकिन उसकी गम्भीरता और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उस गम्भीर समस्या को हल करने-वाली बात को बहुत ही गम्भीर दृष्टि से विचार करना होगा।

हम सब इस बात को जानते हैं कि यह रेगिस्तान इन बीस वर्षों में नहीं बना है। हजारों वर्षों का इतिहास इसके पीछे है। न मालूम कितने वर्षों की भूगोल इसके पीछे है, न मालूम कितने प्राकृतिक कारण इसके पीछे हैं जिसके कारण इतना लम्बा-चौड़ा रेगिस्तान का इलाका बना। पीने के पानी की तकलीफ, नहरों का अभाव, सिंचाई के कुए नहीं। यह सारी समस्या इन बीस वर्षों की नहीं, लेकिन उन समस्याओं की ओर निगाह डालें तो हजारों वर्षों की समस्या है जो इस इलाके में चली आती है।

आज जैसलमेर के इलाके में हम गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या की चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जैसलमेर खुद, बाड़मेर खुद इस बात पर निर्भर करता था कि अगर पानी पड़ गया तो तलाइयों में पानी आ गया या रेल के डिब्बों से पानी पहुँच गया अकाल के ज़माने में तो लोगों को पीने के लिये पानी मिल सकता था वरना और कोई रास्ता नहीं था। हजारों वर्षों के इतिहास में यह चीज हुई है।

जैसलमेर और बाड़मेर की बात जाने दीजिये जोधपुर में ही मुझे याद है, सन् १९५२-५३ की शायद बात है जब वहां पर बारिश की कमी हो गई थी तो यह प्रश्न पैदा हो गया था कि जोधपुर के डेढ़ दो लाख आदमियों को कहां भेजा जाय क्योंकि पीने का पानी वहां नहीं था। अजमेर में आये दिन यह समस्या खड़ी होती थी कि पीने के पानी की क्या व्यवस्था हो, नसीराबाद की यह समस्या थी। जालोर के उन गांवों में यह समस्या पैदा होती थी। माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि राजस्थान के अन्दर जहां पानी नहीं था तो सबसे पहला काम सरकार के सामने यह था कि इस समस्या को हल करने के लिये किस प्रकार आगे बढ़ा जाय। हमने एक्स्प्लोरेटरी ट्यूब वेल्स, अन्डर ग्राउण्ड वाटर सोर्स के लिये सबसे पहले जांच कराने का काम हाथ में लिया कि यहां की धरती के नीचे पानी है या नहीं, है तो कैसा पानी है, पीने के लायक है या नहीं। सरकार के द्वारा यह काम किया गया। २० वर्ष में बड़े पैमाने पर इसको हाथ में लिया गया। आज सौभाग्य से उन इलाकों के बारे में कहने की परिस्थिति में है कि राजस्थान के रेगिस्तान कई जगहों पर पाताल तोड़ पानी कहें, अन्डर ग्राउन्ड पानी कहें वहां पर उपलब्ध है। यह चीज साल दो साल या ६ महीने में परिणाम लाने वाली समस्या नहीं, हजारों साल से फैला हुआ रेगिस्तान, उसके नीचे पानी, खारा या मीठा, पीने लायक है या नहीं, उस को हल करने के लिये सबसे बड़ी ताकत लगाने की बात आती है। ६३-६४ में जब फेमीन हुआ था, डॉ० रामसुभगसिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उस समय हमने यह कहा कि अन्डर ग्राउन्ड कुए खुदवाने के लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की ओर से विशेष प्रयत्न कीजिये और उन्होंने कुए खुदवाने के लिये काम शुरू किये और उसके बाद २५० कुओं का ड्रिलिंग हुआ। सक्सेसफुल कुओं का जहां तक सवाल है यह बात सही है कि जो सक्सेसफुल हुए वह १६३ के करीब हुए, ११८ कुओं को ड्रिलिंग होने के बाद छोड़ना पड़ा। कुछ

Page No 132

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अनसक्सेसफुल में और सक्सेसफुल में दो केटेगरी हैं, एक ड्रिंकिंग वाटर के लिये और दूसरा इरिगेशन के लिये ।

माननीय अध्यक्षजी, एक तरफ तो यह सवाल था । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रीजनल इम्बेलेन्स हमने क्रियेट कर दिया और रेगिस्तान के और अकाल के लिये हमने विचार नहीं किया । मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति और दलबन्दी को सोचकर इस पर बात करें क्या यह सच नहीं है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति कहां कितना खर्च हुआ है तो गंगानगर इलाके में सबसे अधिक हुआ है। हम यह मानकर चलें कि बाड़मेर, जैसलमेर इन इलाकों की समस्या को हल करना है तो साधन क्या है। जानने वाले जानते हैं कि पश्चिमी इलाके में नदी नहीं बहती, जहां से बांध-बांध कर पानी ला सकें । पंजाब की तरह कुए नहीं मिलते, वैसे कुए नहीं मिलते कि बीस तीस फीट नीचे ही पानी मिलता हो। इसलिये उतनी आसान समस्या वह नहीं है। उन समस्याओं के अन्दर राजस्थान कैनाल योजना को हाथ में लिया गया। यह योजना गंगानगर तक सीमित नहीं रहेगी। गंगानगर में ११ लाख एकड़ तक सिंचाई होगी तो बीकानेर में ८ लाख एकड़ तक सिंचाई उससे होने वाली है। ८ लाख एकड़ जमीन एक जिले के अन्दर सिंचित राजस्थान के अन्दर आज मैं समझता हूं कुछ वर्षों के बाद बीकानेर का जिला दूसरा जिला होगा जहां पर कि एक ही जिले में ८ लाख एकड़ में सिंचाई होगी। उसके कुछ अर्से बाद ही जब कि एक संगठित विकास का काम हाथ में लिया जा रहा है हम उम्मीद करते हैं कि जैसलमेर के इलाके में जहां इतनी बड़ी भारी परेशानी खड़ी हो रही है, ११ लाख एकड़ जमीन के ऊपर सिंचाई होने वाली है। सिर्फ एक ही जिला नहीं है तीन जिले जो हमारे क्रिटिकल के जिले हैं, उनको हाथ में लिया है। इनके लिये नर्बदा योजना के बारे में जो प्रश्न हमने उठाया है कि हमें भी इसका पानी मिलना चाहिये, मध्यप्रदेश सरकार कहती है कि नर्बदा से राजस्थान का क्या सम्बन्ध ? फिर भी हमने इस बात को उठाया है कि आज हमारा जो राजस्थान का इलाका है, वह पाकिस्तान से लगा हुआ है और उसमें दूसरी तरफ भयंकर अकाल सा पड़ता है, इस वजह से हमने एक योजना रखी है उसके पीछे दृष्टिकोण यह रहा है कि वहां से हमको पानी मिले और हम माही और नर्बदा योजना की एक इन्टीग्रेट योजना बनावें और उसे क्रियान्वित करें डाक्टर खोसला ने जो रिकमन्डेशन दी है कि इस प्रकार से काम किया जाता है तो इसका परिणाम यह होता है कि ११ लाख एकड़ में सिंचाई होगी और नर्बदा का जो पानी उपलब्ध होगा उससे ७ लाख एकड़ के आस-पास और जो माही की योजना है जिस माही की योजना से गुजरात को पानी जाता है, अपर कैनाल के जरिये बाड़मेर और जालोर जिले को पानी उससे दिया जा सकता है। इन दोनों योजनाओं को मिला कर ८,९ लाख एकड़ के करीब सिंचाई की जा सकती है। मैं समझता हूं कि दूरदृष्टि से रेगिस्तान को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में हमारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये हमने अपनी तरफ से अपनी बात रखी है। बाड़मेर के लिये योजना है। जैसलमेर के लिये, बीकानेर के लिये और गंगानगर जिले के इन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इलाकों के लिये भी योजना है गंगानगर में मैं जानता हूं इस बात को कि जहां पानी आ गया वहां तो लोग सुखी है और जहां पानी नहीं है, वह इलाका भी वैसा ही है जैसे जैसलमेर, जालोर के इलाके हैं, इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। इन योजना को हाथ में लिया गया है और हम चाहते हैं कि तेजी से इनके ऊपर आगे बढ़ें। हमारे पास कल्पना का काम नहीं है। हम इन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में अकाल को जो मुश्किलें हैं वे राजस्थान के पश्चिमी इलाके तक ही सीमित नहीं है। आज जो अकाल की मोटी विभीषिका पड़ती है, पड़ी है, वह दूसरे इलाकों तक भी है। इसी वजह से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अकाल पर जो खर्च किया है वह अन- प्रोडक्टिव काम पर खर्च किया है। वे विस्तार से इसके विश्लेषण में गये हैं। मैं समझता हूं और वे भी जानते हैं इस बात को कि जो धन हमने खर्च किया है, वे अकाल क्षेत्र ही है और उन क्षेत्रों के अन्दर तालाबों के ऊपर खर्च किया गया है। उसके बाद उन क्षेत्रों मे सोइल कन्जरवेशन के ऊपर धन खर्च किया गया है। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर, चितौड़, भीलवाड़ा, अजमेर पाली के इलाकों में जहां तालाबों की सम्भावना थी, इस बात की कोशिश की है कि तालाबों पर पहले खर्च किया जाय। अध्यक्ष महोदय ऐसा भयंकर अकाल पड़ा है, उसमें क्या परिस्थिति हो सकती है इस बात की कल्पना कर सकते हैं। पहले जब अकाल पड़ता था तो उसके भयंकर परिणाम निकले थे। मैं निवेदन करूं कि सन् १९५१-५२ के अन्दर इस राजस्थान में २९ लाख टन खाद्यान पैदा होता था। अभी इतना भयंकर अकाल होते हुए भी, राजस्थान के अन्दर इस साल २६-२७ लाख टन खाद्यान पैदा होगा इतनी भयंकर परिस्थिति होते हुए भी। इसकी वजह यह है कि पहले राजस्थान के अन्दर सारे ९ लाख एकड़ जमीन पर ही सिचाई होती थी। अब सभी साधनों को मिलाकर जो सिचाई होती है राजस्थान में वह २७ लाख एकड़ में होती है। और इरिगेशन की नई पोटेन्शीयल्टी डेवलप हुई है २४ लाख एकड़ में। इस अकाल के साल में भी इसके जरिये सिचाई करने की सम्भावना होगी। पहले कुओं और सिचाई के साधनों के जरिये करीब २७ लाख एकड़ में सिचाई होती थी, इसके बजाय अब ५० लाख एकड़ में कुओं से और दूसरे साधनों से सिचाई करने की सम्भावना होगी। इससे उत्पादन के अन्दर भी फर्क पड़ा है। जो साधन हैं वे आपके सामने हैं। इन योजनाओं का काम हाथ मे लेने से हम आगे बढ़ पाये हैं और इसकी वजह से ही यह अन्तर पड़ा है। यह जो समस्या है, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, ५० लाख एकड़ के अन्दर सिचाई करने की योजना है। राजस्थान कैनाल के अन्दर २९-३० लाख में, नर्बदा से पानी मिल जाय तो ८-९ लाख एकड़ में और भाखरा, गंग कैनाल इन सब योजनाओं को मिलाकर हम हिसाब लगाये तो ५० लाख एकड़ में सिचाई हो सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सारे रेगिस्तान में से ८ हजार ८ हजार स्क्वायर मील का एरिया ही सिंचित हो सकेगा। इसके बाद हजारों वर्गमील का जो एरिया बाकी रहता है उसकी आप कल्पना करें। आप कहते हैं कि डेजर्ट की समस्या आसानी से हल की जा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आस्ट्रेलिया गया था मैंने वहां के सेन्ट्रल आस्ट्रेलिया को देखा। उसके आसपास के डेजर्ट को देखा। वहां की सरकार के पास साधन कम नहीं है। दुनियां में जो तीन, चार देश हैं, पर केपिटा इन्कम वाले देश, मैं समझता हूं आस्ट्रेलिया भी उनमें से एक देश है। अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां तशरीफ ले गये हैं। बीच में जो सेन्ट्रल आस्ट्रेलिया है, उसके डेजर्ट को आपने देखा है, कैसा पड़ा है। वहां की हालत आज यह कि वह डेजर्ट ही पड़ा हुआ है। उसके अन्दर वे काम नहीं कर पाये हैं।

आज जो कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उनके कई कारण हैं। परम्परा भी इसका एक कारण है। पुराने तरीके से जो चीजें चली आती हैं वे भी एक कारण हो सकती हैं। बहुत इलाके ऐसे हैं जहां घास होती है और वे घास काट कर इकट्ठा कर लेते हैं। पहले के जमाने में जैसलमेर के इलाके में, बीकानेर के इलाके में, बाड़मेर के इलाके में वहां पर घास काट कर स्टाक करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा जमाना हो जाय तब भी नहीं करते थे। उनकी माइग्रेटिंग हैबिट्स थीं। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाके के लोग सिन्ध के इलाके में आमतौर पर मवेशी ले जाते थे। तब उनके सामने मध्यप्रदेश और दूसरे इलाके में जाने का प्रश्न नहीं था। एक समय निकल जाता है तब बहुत-सी बातों को हम भूल जाते हैं। इस समस्या के प्रति, सितम्बर, ६८ में इस प्रकार की चिन्ता देश भर में व्याप्त हो गई थी। यू. पी. में, हरियाणा में, मध्यप्रदेश में तैयारियां हो गई थी कि अकाल सामने आ रहा है। गुजरात में अकाल की परिस्थिति थी। हरियाणा में, मध्यप्रदेश में हम गायों को भेजना चाहते थे। हमने उनको चिट्ठियां लिखी। उनका जवाब आया कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। हरियाणा का भी जवाब आया की हमारी स्थिति ठीक नहीं है। गुजरात ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है यू. पी. ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है। तब हमारे सामने समस्या यह थी कि किस जगह पर हम गायों को भेजें। गुजरात के अन्दर, जालौर की तरफ से, बाड़मेर की तरफ से गायें जाती थीं। गुजरात ने कहा कि हमारे प्रांत के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल की सी स्थिति है। उनकी खुद की मवेशी है। हम मध्यप्रदेश के आभारी हैं कि बाद में जाकर के उन्होंने इसके सम्बन्ध में सहयोग का रुख लिया और आज हमारी बहुत-सी गायें मध्यप्रदेश में गई हैं। उनको सहूलियत पहले इस बात में थी या नहीं, यह मैं नही जानता। मध्यप्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकार है जिसने हमें सहयोग दिया है। हम उनके सहयोग की बात को मान कर चलेंगे। जब उन्होंने ना कहा तब भी उनका अच्छा ही इरादा था, हम यह मानकर चले हैं। सितम्बर में सारे देश में ही इस तरह की हालत पैदा हो गई थी जिसकी वजह से सारे देश में एक सस्पेंशन का पीरियड हो गया था। उसके बाद मध्यप्रदेश को एक राहत मिली। इस सब के बावजूद मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि बिहार में पिछले साल जैसा अकाल पड़ा था, राजस्थान में वह कहीं भयंकर है जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के अन्दर है। जो निंदा का प्रस्ताव लाने वाले हैं वे यह जानते हैं ..

श्री दौलतराम सारण : यह अकाल भयंकर है, यह आप मानते हैं तब आपने अकाल घोषित क्यों नहीं किया ? हम यह

(श्री दौलतराम सारण)

जानना चाहते हैं कि आपने अकाल घोषित क्यों नहीं किया ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं मानता हूं कि आज जो परिस्थिति है, वह बिहार से कहीं ज्यादा परेशानी की है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, यहां पर पालियामेन्ट के मेम्बर्स का जो डेलीगेशन आया, दूसरे लोग जो यहां पर अकाल की स्थिति देखने आये कई समाज सेवी संस्था के लोग भी आये उन्होंने सब ने माना है कि राज्य सरकार के जरिये इस अकाल की परिस्थिति का जिस हिम्मत के साथ मुकाबला किया जा रहा है, उसकी उन सब ने प्रशंसा की है। अकाल की जो आज राजस्थान में स्थिति है उसके बारे में आलोचना करना तो बहुत सरल है लेकिन जो लोग इस अकाल की स्थिति में मुकाबला कर रहे हैं उनको जिन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ रहा है वे ही इसकी भयंकरता को जान सकते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सड़कों का काम हो रहा है वह काम तो बेकार जायगा। सड़कों का काम हाथ में नहीं लिया जाय तो अच्छा है। लेकिन जब हम इलाकों में जाते हैं लोगों को यह कहते सुनते हैं कि हमें काम चाहिये, स्टडी टीम जब यहां आयी उसके एडवाइजर आये उन्होंने भी कहा सड़कों का काम लेना ठीक नहीं है। हमने भी उनसे कहा कि इसमें हमारा भी सिद्धान्ततः कोई मतभेद नहीं है लेकिन सवाल यह आता है कि उस जगह काम क्या दिया जाय ? कौन सा काम प्रोडक्टिव है जो दे सकते हैं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से भी हमने कहा है कि खड़ीनों का जहां काम हो वह लीजिये उसके बाद सड़कों का काम हो वह लीजिये जैसलमेर के एम० एल० ए०, हैं उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमारे यहां अमुक काम लेने के बजाय खड़ीनों का काम लिया जाय। बाड़मेर में सड़कों का काम मत लीजिये, पक्की सड़कों के काम के लिये इस बार हमने निर्णय लिया जो कि हमने पिछले फेमीन के समय नहीं कराई। ये पक्की सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी भारी विडम्बना है हमारे जैसलमेर जिले के अन्दर जहां की आबादी १ लाख ३० हजार है उसमें ८२ हजार लोग मजदूरी में लगे हुए है। वहां एडल्ट पोपुलेशन से ज्यादा लोग लेबर के काम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार बाड़मेर और जोधपुर के इलाके में भी है प्रत्येक जगह पर कौन खोलकर खाना दिया जाय, मजदूरी क्या दी जाय. ये सब सवाल आते हैं, हमारे मिनिस्टर्स भी कई दफा कहते हैं कि हमें इनसे कोई प्रोडक्टिव काम लेना चाहिये, मैंने उनसे कहा क्या प्रोडक्टिव काम हो सकता है लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो इन सड़कों के अलावा और कोई काम ऐसा नहीं दिखता जो उनसे लिया जा सके। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तालाब के काम हाथ में लिये हैं लेकिन देखा है वहां पर इन कामों के लिये बड़ी तादाद में लेबर आते नहीं ऐसी हालत में इन इलाकों में भी सड़कों का काम लेना पड़ता है। हम खुद चाहते हैं जहां तालाब के खोदने के सवाल हों, कुओं को गहरा करने का सवाल हो, यह काम ले सकते हैं ट्यूबवेल और दूसरे काम जो स्थायी नेचर के हों उनको पहले लिया जाना चाहिये। हमें ट्यूब वेल्स के बारे में बड़ी गंभीरता से चिन्तन करना होगा जब अच्छी वर्षा हो उन दिनों में ट्यूब वेल्स का उपयोग क्या होगा, ट्यूब वेल्स से जो पानी निकलेगा उसकी कोस्ट क्या पड़ेगी, ट्यूब वेल्स से पानी निकालने में जितनी कोस्ट लगती है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जब उसको रियलाइज करने का सवाल आयगा तब जाकर यह भी समस्या आने वाली है। आज हमारे सामने यही ध्येय है कि पीने को पानी मिल सके उसके लिये ज्यादा धन उपलब्ध हो सके। इस ओर हम प्रयत्नशील हैं। चौथी योजना में आप लोग जानते हैं कि हमारे सामने गंभीर संकट है, हम इस ओर लगे हुए हैं कि हमारी जो चौथी योजना हो वह आज की हालात को देखकर बनायी जा सके इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। इसमें रिपेमेन्टस का भी सवाल है, और योजना के लिये साधन जुटाने का भी सवाल है, अगर इसमें लोन का कम्पोनेन्ट ज्यादा होता है तो वह चौथी योजना में हम अपने रिसोर्सेज से कितना लगा पायेंगे यह भी देखने की बात है। भारत सरकार की तरफ से जो वित्त कमीशन नियुक्त हुआ था हमने उनसे भी कहा है हमें स्पेशल असिस्टेन्स की तौर पर पांच करोड़ रुपया हर साल रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिये दें, इस समस्या को विशेष महत्त्व दें। खास तौर से प्लान पेटर्न के अनुसार हम ध्यान देते हैं कमिटेड एक्सपेण्डीचर में भी कमी करने का सवाल सामने आने वाला है। इसके अलावा, डेजर्ट डेवलपमेन्ट का भी सवाल हमारे सामने हैं हम देखते हैं आस्ट्रेलिया जैसे जगह मे भी जहां के लोग इतने आगे बढ़े हुए हैं। वहां पर पूरे डेजर्ट को वे भी डेवलप नहीं कर सकें हैं उसके मुकाबले राजस्थान तो बहुत पिछड़ा हुआ है, यह अपने साधनों से ही डेवलप करलें यह नामुमकिन है अपनी ताकत से इस डेजर्ट को डेवलप करना मे समझता हूं यह असंभव कार्य है। भारत सरकार डेजर्ट डेवलपमेन्ट का काम अपने हाथ में ले, इस ओर हमारे प्रयास चालू हैं भारत सरकार यदि लेती है तो भी इस कार्य में वक्त लगेगा उसमें भी सब को मिलकर काम करना होगा।....

श्री भैरोंसिंह : क्या डेजर्ट डेवलपमेन्ट के काम को भारत सरकार ने टेक अप करने का निर्णय ले लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाया है उसके जरिये कुछ कामकाज हाथ में लेते हैं। पूरा डेजर्ट डेवलपमेन्ट का काम भारत सरकार ने हाथ में ले लिया हो ऐसा निर्णय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह बोर्ड तो पहले से ही है आपने नये प्रयास क्या किये हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आपने आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया वहां पर भी डेजर्ट है इसमें दो राय नहीं हो सकती। आस्ट्रेलिया का उदाहरण राजस्थान पर लागू नहीं होता वह इसलिये नहीं होता कि आस्ट्रेलिया की जनसंख्या को देखा जाय तो वहां पर लैण्ड पर इतना प्रेसर नहीं है इसलिये उनको आवश्यकता नहीं डेजर्ट को रिक्लेम करने की। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इजराइल को लीजिये वह भी वेस्टर्न डेजर्ट के माफिक देश है वहां की और हमारी मूलभूत समस्या एक समान है वहां पर आप देखेंगे चारों ओर स्माइलिंग फील्डस् ही दिखाई देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह ठीक है इजराइल हमारे जितना बड़ा देश है उन्होने डेजर्ट की समस्या को हल किया है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साधन उपलब्ध किये उनके मुकाबले राजस्थान के पास साधन नहीं....

श्री नत्थीसिंह : साधन तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपके इरादों में फर्क है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप उसका उदाहरण तो दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संबन्ध में वह उदाहरण नहीं लिया जा सकता ये सब चीजें साधनों और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। राजस्थान के पास जितने साधन हैं वे बहुत सीमित है उसके अनुसार हमने प्रयत्न किया है आज भी राजस्थान केनाल के जरिये इस समस्या को हल करने के लिये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इसी वजह से चौथी योजना में राजस्थान केनाल को जितना महत्त्व हो सकता है उतना हम दे रहे हैं। भारत सरकार को जोर दे रहे हैं। पोंग डेम और दूसरे डेम के साधनों की आवश्यकता है, राजस्थान अपनी क्षमता के अनुसार साधन दे रहा है जिस से शक्ति धीरे धीरे बन सके और काम आगे चल सके। तो माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : कौन सुनता है आपकी बात।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या ये साधन आपके बढते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बढ़ते जा रहे हैं। एक-एक पंचवर्षीय योजना पहले वाली से बड़ी बनती जा रही है। इस के द्वारा जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गये, हमारे साधन भी बढ़ते गये और साधन बढ़ने की बात कही तो जहां राजस्थान के हजार वर्षों के इतिहास में ६ लाख एकड़ का इरिगेशन डवलप हुआ था वहां इन पिछले बीस सालों में ६ लाख के बजाय २७ लाख एकड़ का इरिगेशन इस राजस्थान में डवलप हुआ है। जो माननीय सदस्य जयपुर से आते हैं उन्होंने कहा कि कुछ रतोंधी आई लोगों को माल न्यूट्रीशन है लोगों को। इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें तो हम मानेंगे कि हमारे देश में फेमीन न हो तब भी माल न्यूट्रीशन तो है। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज के दिन हम इस लेवल पर नहीं पहुँचे कि माल न्यूट्रीशन की समस्या का पूरा समाधान कर पाते। फिर आज जितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। और सब बातों को जाने दीजिये। जितनी जगह काम चले हैं उनको देखते हुए किसी जगह काम न हो और इसकी वजह से स्टोवेशन डेथ हो सके, वह नहीं हो सकती। जब काम है और जिस को भूखों मरने का सवाल आवेगा तो वह दस मील छोड़कर पचास मील पर चला जावेगा पर काम किये बिना भूख से तड़प कर मर जावे यह इन्सान के स्वभाव के खिलाफ है। तब यह और भी असम्भव है जब कि गांव-गांव में पंच, सरपंच प्रधान और प्रमुख हैं, एम. एल. एज. हैं राजनैतिक चेतना और समाजिक चेतना है उस जमाने में भूख से कोई एक दिन में नहीं मर सकता। कई दिन तड़पता है। तो आज मरने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : एक-एक महीने तक पेमेन्ट नहीं होता, वह क्या खाक खावेगा ? उससे मृत्यु होती है। उस पर यह बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हीराभाई : पैसा नहीं मिलता है। आप बात करते हैं लम्बी चौड़ी....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारी) : अगर जरा सी भी आप में ईमानदारी है तो आप मांग स्वीकार करें। इस प्रकार से....

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह (बांता रामगढ़) : माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : हम मानेंगे नहीं जब तक सभी बातों का जवाब न दें ठीक ढंग से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री देवदीत्त गाड़िया : कुर्सी छोड़कर भाग जावेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यदि प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं आपको बाद में इजाजत दे दूंगा इस समय इन्टरप्ट न करें। (निरन्तर सदस्यों के बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य, कोई भी प्रश्न मुख्य मन्त्रीजी के भाषण के सम्पन्न होने के बाद आप पूछ सकेंगे। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष मैं इस बात पर कतई सहमत नहीं हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। (पुनः बोलते रहने पर)

मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं।

स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री मदनसिंह : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से....

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बताएं...

श्री अध्यक्ष : दो नहीं, एक माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : मैं कह रहा था मुख्य मन्त्रीजी ने फरमाया कि इस तरह से आदमी नहीं मर सकता, मैं इससे सहमत हूं। पर इसका कारण है उनको हमने बचाया। गवर्नमेंट के कामों के कारण नहीं बचे। उन लोगों ने पंच, सरपंच प्रधानों और प्रमुखों के घर खाना खाया है। १५ सौ आदमियों ने एक साथ खाना खाया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं खड़ा होता हूं, आप भी खड़े हो जाते हैं। आपको भी खयाल रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय। भाषण आरम्भ रखें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप..

Page No 139

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप मुझको ही खड़ा रखना चाहते हैं क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो वे साफ स्पष्ट यह बताएं कि कितने अकाल राहत कैम्प खोले हैं, और उनमें जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनमें से कितने बीमारी से और अन्य कारणों से मरे हैं या लाल सड़ी ज्वार खाने से मरे हैं और कितने भूख से मरे हैं। आप यह बता दीजिये। आपके पास रिपोर्ट यह जरूर है। पचास, सौ मरे, किससे मरे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) : माननीय अध्यक्षजी, मैं दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम एक सत्य की बात कही कि भूख से मरा कोई नहीं। फिर प्रयत्न भले ही पंच के रहे हों, सरपंच, प्रधान या एम. एल. ए. के रहे हों। आपके रहे हों। पर किसी की मृत्यु नहीं हुई यह खुशी की बात है।

श्री मदनसिंह : मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को। सरकार के कारनामों ने तो नहीं बचाया। जनता ने बचाया। और फिर मर भी गये तो गिनती नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के अन्दर जितने बड़े पैमाने पर अभाव की स्थिति इस बार थी और जितने बड़े पैमाने पर काम पर लोग लाखों को लगाने की जरूरत एक साथ आई तो उस सब की व्यवस्था करने में काफी परेशानियां सामने आईं। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता कि इस भयंकर अभाव की स्थिति में भी राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने एक साहस, धैर्य और विश्वास का प्रदर्शन किया है। साथ-साथ राजस्थान के सभी लोगों ने इस मौके पर काफी सहयोग दिया है। मैं आप से निवेदन करूं कि राजस्थान के बाहर भी मैं जहां-जहां गया और धन एकत्रित करने की अपील की, तो जो राजस्थान में १६ लाख के करीब चीफ मिनिस्टर फण्ड आया है, उसमें जो बड़े-बड़े सेठ लोग हैं बम्बई, कलकत्ता या मद्रास के उनके जरिये काफी धन आया। इसमें वह राशि नहीं है। इसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर ने पांच लाख भेजे उनके हम आभारी है। वे इसमें हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड का एक लाख है। बाकी के तीन लाख सारे राजस्थान के बाहर से आये हैं। बाकी राजस्थान में एकत्रित हुए हैं। आम तौर पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जो स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं राजस्थान में उनके जरिये ही बहुत से आयोजन का काम करवा कर उनके जरिये काम कराने का प्रयत्न किया गया है।

माननीय अध्यक्षजी, भरतपुर के चारे के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसलिये कि भरतपुर के लोगों ने सहयोग नहीं दिया इसलिये नहीं कहा गया। दिया उन्होंने और भी बहुतों ने दिया सहयोग। उन सबके हम आभारी हैं। इसमें शक नहीं है कि ३५ हजार क्विटल का सहयोग उनसे मिला। ३० हजार क्विन्टल के लगभग गंगानगर से भी मिला। लोगों ने न सिर्फ दूसरी जगह के ही लिये वहां दिया, पर वहां पर भी काफी गायें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जानवर गये हैं उनको भी दे रहे हैं। कोटा से भी मिला। चित्तौड़ से भी मिला। जयपुर जिले मे भी मिला। सवाई माधोपुर, अलवर जिले से भी मिला। एक एक जगह से कम्पेरेटिवली कम ज्यादा मिला यह कहते, इसके बजाय आम तौर से सहयोग प्राप्त हुआ इस तरह से जिक्र किया है। तो जिन लोगों ने भी सहयोग दिया हो हम उस के लिये सब के आभारी हैं। मैं इसके बारे में यह कहकर नही चलना चाहता कि हमें बाहर से सहयोग नहीं मिला। मिला है। इसके अलावा भी रजाइयों के जरिये, गायों के काम में लोगों ने काफी काम किया है। मैं तो यह नवेदन कर सकता हूं कि जो रिलीफ के काम-काज यहां पर खोले गये हैं सिवाय एक चीज के कि फ्रि किचन खोलने वाली बात शुरू में की जाती, वह हमने राजस्थान में जानकर नहीं की, नीति के तौर पर नहीं किया कि हम कोई फ्री किचन खोल कर आने वाली भीड को प्रोत्साहन दें। पर बाकी और तरह के चाहें पानी का हो, रसोड़ाग्रस रिलिफ वेजेज का हो और कई प्रकार के सवाल हो दूसरी जगह जो प्रयत्न किये जावेंगे उसमें राजस्थान में कमी नहीं की गई।

श्री दौलतराम सारण : आपने कुर्किया करके बकाया वसूल की है लोगों से फेमीन एरिया में लोगों की महनत की मजदूरी काट ली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको देखते हुए इस सारी लम्बी चौड़ी व्यवस्था में कहां खामियां हो सकती हैं। कोई खामी नहीं रही, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टूल्स और प्लान्टस की कमी थी और इस की वजह से और तरह से काम लिया गया। हो सकता है ऐसा हुआ हो कुछ जगह क्यों कि प्रश्न यह था कि जो लेबर सामने आगई है उसको यह कहते कि तुम्हें अभी काम पर नहीं लगाते टूलस् और प्लान्ट आवेंगे तब लगावेंगे तो हमारे पर इल्जाम लगावेंगे कि टूल प्लान्ट में देर लगी इसलिये काम नहीं दिया।

मानवीय दृष्टिकोण से उनको खाने को मिल सके, इस के लिये कुछ कदम उठाये हैं...

(एक माननीय सदस्य द्वारा व्यवधान करने पर)

उसमें ढीले हो सकते है जितने बड़े व्यापक तरीके से इस काम को किया गया है, जो समस्या सामने आती है और जो उसे हल करने के लिये प्रयत्न करने पड़ते हैं, इतने सारे हालात पैदा हो गये हैं कि आसानी से नही चल सकता है। मैं यह कहता हूं कि बहुतसी चीजों के बारे में फैसले किये हैं। फोडर खरीदा गया है कहीं फोडर सस्ता भी मिला है, कहीं मंहगा भी मिला है, में उसको बताऊं तो ज्यादा क्रिटिसाईज करने की बात आ जाय। स्पाट पर फैसले करने पड़ते हैं। किसी तरह उनका जीवन बचाने के लिये किये हैं। आज भारत सरकार से वेगन ज्यादा मिले हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं और मिलेंगे। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हम असर डालें, प्रभाव डालें। और यहां जिन्क स्मेल्टर का जिक्र किया है मै निवेदन कर दूं कि मे पोलीटिकल प्रेसर के जरिये देश के अन्दर अलग-अलग प्रदेश काम करने लगे मैं समझता हूं वह उपयुक्त स्थिति नहीं होगी, रीजनल चीजें होंगी तो देश का भविष्य ज्यादा सुदृढ़ नही होगा। मैं जिन्क स्मेल्टर के लिये कोई कल्पना करके नहीं चलता केवल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसी दृष्टि से कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो रा–मेटेरियल है उसको बाहर से लावें और फोरिन एक्सचेन्ज खर्च करके लायें और स्मेल्टिंग करे उसके बजाय देश के अन्दर जहां अवेलेबिल है उसको डेवलप करना चाहिये। उसी दृष्टि से और एक रीजनेबल लोजिक के आधार पर रखो है।

राक फास्फेट जो सीकर जिले में उपलब्ध है, फर्टीलाईजर फैक्टरी राजस्थान में हो सकती है कम्पीटीशन और राइवलरी की भावना नहीं होनी चाहिये यह दूसरे प्रदेश के विरुद्ध है, उस दृष्टि से नहीं, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, सोर्सेज पूरे एक्सप्लाईट न हों और बाहर से लाकर इम्पोर्ट करें तो वह देश के हित में नहीं होगा। मैं उससे राजस्थान का सम्बन्ध जोड़कर चलता हूं, मैं राजस्थान के अन्दर यह उम्मीद करके चलता हूं कि वैगन में और सहूलियत होगी। मैं ज्यादा वक्त न लेकर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी अभाव की स्थिति इस साल रही है मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता- मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता २८–२९ के अकालों में ५०–५० पर्सेन्ट केटिल हैल्थ पेरिश हुई है। जो पुराना अकाल था उसमें एक-तिहाई पापुलेशन पेरिश हुई है–इस प्रकार के फीगर हैं। मैं उन स्टेटस के नाम में नही जाना चाहता उन्होंने भी अपने एफर्ट्स किये होंगे जो कमियां रही होंगी, लेकिन जो हालात आज हैं उनमें जो कुछ बेस्ट कर सकते हैं, किया है। कमियां जो हैं सुझायें, कोई आज इस मामले में यह प्रश्न नहीं है, आज तो किसी प्रकार से यह संकट निकले और संकट से निकल कर खुशहाली हो राजस्थान में। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं राजनैतिक दृष्टिकोण से काम करने की बात कही जाती है-डूंगरपुर का बार-बार उदाहरण दिया जाता है। राजनैतिक वेस्ट हो यह हम नहीं चाहते। हम टास्क तय करते हैं, कई माननीय सदस्य कहते है टास्क तय नहीं होना चाहिये टास्क तय नहीं करें तो एक मील सड़क पर कार्य ज्यादा बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा तो फिर कहा जायगा यह बोगस है। टास्क तय करने में मस्टर रोल कुछ गलत बने हुये हैं तो वेजेज कम मिलने लगता है इससे तुरन्त पता चलता है कि आया काम कम किया या मस्टर रोल की वजह से वेजेज कम मिले। इसलिये टास्क को फिक्स किया, टास्क को फिक्स करके ज्यादा काम ले उसके बारे में प्रयत्न किया जाय, कई लोगों ने कहा काम बढ़ा दिया, हमने जनरल से फेमीन में काम करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुये टास्क फिक्स किया है, उनसे एक नारमल वैज और नारमल टास्क का काम लिया जाता है, जनरल से कम है लेकिन टास्क जरूर फिक्स होना चाहिये, जिससे इन लोगों के काम का अन्दाज किया जा सके और जो शिकायतें होती हैं कि वेस्टेज होती है उसको कम कर सकें। हम इस बात को कम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कई माननीय सदस्य यहां पर बोले और उसके साथ साथ जो मृत्यु की और बहुतसी बातें उठाई जाती हैं, मुझे क्षमा करेंगे जो लोग उधर से हैं उन्होंने शिकायत की है कि मस्टर रोल गलत बन रहे हैं, ज्यादा आदमियों का काम किया जा रहा है लेकिन बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि काम पर आने की एन्क्वायरी नहीं की जा रही है तो उस हालत में मैं यह बात कह दूं ..

श्री दौलतराम सारण : यह लिखित शिकायत की जाती है।

Page No 142

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज जो मृत्यु की बात सुनाई जा रही है।

(श्री विट्ठल भाई, श्री हीरा भाई और श्री नत्थीसिंह के साथ-साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों ने यही कहा कि बांसवाड़ा वालों ने यह कहा है ..

श्री हीरा भाई : गत वक्त मार्च में कितने काम कर रहे थे और आज मार्च में कितने इन्सान काम कर रहे हैं, वापिस नहीं भेजा जाता यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य मैं यही कह रहा हूं कि बांसवाड़ा के माननीय सदस्य ने कहा कि कम आदमियों को काम मिल रहा है, बाकी दूसरे इलाकों वालों ने यह प्रश्न नहीं उठाया है, यही निवेदन करना चाहता हूं। बहुतसी बार यह प्रश्न खड़ा होता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में भील इलाकों में या अजमेर में रावत इलाके में ज्यादा मजदूर क्यों लगाये जाते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है। आज भी बांसवाड़ा मे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, पीपलखूंट में ज्यादा काम हो रहा है, हरदेवजी जोशी या नाथूरामजी के इलाके में ज्यादा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : जोशीजी यह कहां तक सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन कर रहा था जैसलमेर के इलाके में माननीय बालसिहजी उस पक्ष में बैठे हुए हैं, पापूलेशन के आधार पर सबसे ज्यादा लेबर उस इलाके मे लगी हुई हैं जहां से कांग्रेस जीत कर नहीं आई है। जो तथ्य है उससे क्या इन्कार करेंगे। मेरा मतलब विवाद में पड़ना नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि हम इस प्रश्न को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। भीलों की हालत कमजोर होती है, हमने उन इलाकों में काम शुरू किया है और ज्यादा आवश्यकता होगी उन इलाकों मे और कदम उठाये जायेंगे जिससे लोगों को ज्यादा काम मिल सके, बेकारी दूर हो सके। भीलो इलाके में काम करने की बात होगी तो उसको और देखेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, आज अकाल का काम अच्छा चल रहा है, इसका सबूत है कई विरोधी पार्टी अकाल में चुनाव नहीं करवाने के पक्ष में है, वे कहती हैं चुनाव इस समय मत करवाना तो यह कहने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। आज काम सन्तोषजनक गति से हो रहा है। कई सदस्य इन क्षेत्रों में गये हैं, मैं भी गया हूं, कई माननीय सदस्य आते-जाते रहते हैं। लोगों को सन्तोष है। जो यहां पर निन्दा का प्रस्ताव लाये हैं वह इसी वजह से लाये हैं कि सरकार की काफी प्रशंसा हो चुकी है अब दो रोज तो कम से कम निन्दा हो जाय। इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है तो मैं आशा करता हूं कि आपने अपने कहने की बात कर ली लेकिन उसके आगे इस पर कुछ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय...

Page No 143

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीश्री ने जो यह बात कही कि आदिवासी इलाकों में काम खोले गये हैं और बहुतायत से खोले गये हैं, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बात यह कह गये कि सब जगह जहां पर काम खोले गये हैं वहां किसी से भी यह नहीं कहा जाता कि तुम वापिस जाओ और काम नहीं खोले जायेंगे, यह अवास्तविक है। बहुत सी जगहों पर लोगों को ना कहा गया है और यह स्वाभाविक है सरकार के बस की बात नहीं है कि सब को काम दे। यह हो ही नहीं सकता। यह नैक्स्ट टू इम्पॉसीबल है। दूसरे मैं इतना आरोप जरूर लगाऊंगा कि जहां भी काम होते है वहां पर यह कहा जाता है, चाहे मुख्य मन्त्रीजी को पता हो या नहीं लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि कांग्रेस एक हद तक यश ले सकती है। वह कह सकती है उनको कहने का अधिकार है कि यह कांग्रेस की सरकार है यह सब जगह विकास के काम करा रही है लेकिन यह कहना कि लोग कांग्रेस की सरकार का साथ नहीं देंगे तो विकास वन्द हो जायगा, विनाश हो जायेगा। यह प्रचार है, यह जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा का दम घोटना है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहता हूं कि इससे भी लाभ उठायें तो वह उठायें लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। यह स्वस्थ जनतन्त्रीय परम्परा नहीं है और इसका विरोध करना हमारे लिये स्वाभाविक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कांग्रेस की नीति का हिस्सा है कि हम डेवलपिंग इकानामी में विश्वास करते हैं और क्षमा करें आपकी पार्टी विश्वास नहीं करती है इसलिये हम कहा करते है कि कांग्रेस को वोट देना विकास करना है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन हमारी पार्टी योजनाओं में विश्वास नहीं करती है इसके बारे में मैं कल स्पष्टीकरण करूंगा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान और, अध्यक्ष महोदय हमारी पार्टी की बात शासनारूढ़ दल ने झक मार कर मानी है और किस हद तक मानी है वह मैं कल बताऊंगा।

श्री नत्थीसिंह : बिहार में तो कॉइलीशन गवर्नमेन्ट बना दी।

श्री अध्यक्ष : अकाल मन्त्री महोदय !

श्री हीरा भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से एक आश्वासन चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। अब कोई प्रश्न नहीं होगा।

(श्री हीरा भाई के अनवरत बोलने पर)

ऑर्डर-ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री हीरा भाई : मैं केवल आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर-ऑर्डर। अकाल मन्त्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। निन्दा का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ था और सरकार की ओर से मुख्य मन्त्री महोदय से ज्यादा अधिकृत जवाब देने वाला कोई नहीं हो सकता। अगर मन्त्री महोदय को कोई उत्तर देना था तो वह उनसे पहले देते। मुख्य मन्त्रीजी के जवाब के बाद सरकार की ओर से कोई मन्त्री जवाब दे यह पूर्णतया अनुचित है। इसलिये जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनका जवाब होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। स्थान रखिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : परम्परा का सवाल तो है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री रामकिशन : उनका महत्व कम करने के लिये मुख्य मन्त्रीजी बीच में कूद पड़े।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात बताई जाये कि आपने माननीय मन्त्री महोदय को यह कह कर सम्बोधित किया कि अकाल मन्त्रीजी अब जवाब देंगे....

श्री अध्यक्ष : उसमें भी वह सहायता गुप्त है।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये तो हम निन्दा कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : अकाल की सहायता गुप्त है, तो यह तो आप मानते हैं।

श्री हीरा भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। एक अर्ज यह कर रहा था कि हमारे माननीय खनिज मन्त्रीजी बारम्बार कहते हैं कि उनके बारे में कम से कम मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहें ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ! यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह व्यवधान का प्रश्न जरूर है।

श्री हीरा भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर-ऑर्डर।

मन्त्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष मोहदय जो निन्दा का प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने रखा है उसमें खास तौर से उन्होंने राज्य सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति बताई है और यह जो अकाल है यह प्रकृति का प्रकोप नहीं है लेकिन राज्य सरकार का चक्कर है ऐसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और उसके साथ ही साथ सरकार पर यह आरोप लगाया है कि ऐसा भीषण अकाल राजस्थान में है तो राज्य सरकार ने टाइमली और स्विफ्टली एक्शन नहीं लिया और उसके साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया कि अकाल राहत के जो कार्य हैं वह दलगत राजनीति के आधार पर खोले गये हैं और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि अकाल के कार्य मंत्रियों के और कांग्रेस वालों की कान्स्टीट्यूएन्सी में उनको नरिश करने के लिए खोले जा रहे हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि हमने जो दान में चारा दिया था

(श्री परसराम मदेरणा)

उसको आपने कीमत पर क्यों देवा और जो आपने राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं वह राहत राजस्थान की अकाल से प्रभावित जनता को नहीं मिलकर दूसरे लोगों की जेबों में वह पैसा जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राज्य सरकार के आफिसरों से जनता को राहत दिलाई जानी चाहिए। मैं प्रारम्भ से निवेदन करना चाहता हूं सब मुद्दों पर और उसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं मैं एक-एक मुद्दे का जवाब देना पसन्द करूंगा।

मैं यह सोचकर चलता था कि इस साल राजस्थान में भयंकर अकाल है और उस अकाल की व्यापकता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व में जब कभी भी राजस्थान में अकाल पड़े तो ११,००० से ज्यादा गांव अकाल से प्रभावित नहीं हुए और उन ११ ००० गांवों में रहने वाली जनता की जनसंख्या थी वह ४५ लाख से कभी ज्यादा नहीं हुई। इस वर्ष का जो अकाल है जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया है कि राजस्थान में करीब २३,००० गांवों में अकाल है और १ करोड़ ३२ लाख के आस-पास जनता इस अकाल की चपेट में आई है और मैं यह सोचता था कि जो भी राज्य सरकार द्वारा इतने व्यापक और विशाल अकाल की समस्या को हल करने में हमने टाइमली या स्विफ्टली एक्शन लिया है वह विरोधी दल के माननीय सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है और मैं यह सोचता था कि इस वक्त अकाल के बारे में जो उसकी कमियां है उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित किया जायेगा लेकिन सरकार की अकाल के मामले में राहत दिलाने में कमियां रही हैं यह पहले रोज हो और सत्र के प्रारम्भ में ही निन्दा की जायेगी इसका मुझे स्वप्न में भी अनुमान नहीं था। इसलिए नहीं था कि इस अकाल के समय में जितना टाइमली एक्शन लिया है उतना कभी नहीं लिया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह काम खोले गये हैं। किसी भी कान्स्टीट्यूएन्सी में मैं आपको बता सकता हूं कि हमने खोले हैं या नहीं खोले हैं मैं खुद कह दूं आप कान्स्टीट्यूएन्सी की बात करते हैं जोधपुर जिले में १ लाख १५ हजार लोग सड़क पर या ईरिगेशन के बन्धों पर, साइल कन्जर्वेशन के काम पर और अफॉरस्टेशन के राहत कार्यों पर काम कर रहे हैं और मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में ५ रोज पहले जब मैं आया हूं ३,००० लोग ही काम कर रहे हैं। यह इसका सबूत है कि हमने यह कभी कोशिश नहीं की कि फैमीन का एक्सप्लाइटेशन कान्स्टीट्यूएन्सीज को नरिश करने के लिए किया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सड़कों पर कितना किया ?

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये तो सही।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि कहना तो बड़ा आसान है कि आपने सड़कों के काम क्यों प्रारम्भ कर दिये, और भरतपुर और वैर से आने वाले माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि अगर इस तरह इसे रेत डालते गये तो हम राजस्थान की जनता को विद्रोह के लिये आह्वान देंगे। मैं नहीं चाहता कि सड़कों का काम प्रारम्भ किया जाय और अभी जो ७११ काम प्रारम्भ किये गये हैं उनमें इरिगेशन के ६११ हैं। साइल कन्जर्वेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

के ५६ काम हैं, फारेस्ट के ५६ काम हैं और रेवेन्यू के जो हैं ५६ काम हैं—तालाब वगैरह खुदाने के व दूसरे और सड़कों के जो काम लगाये गये हैं वे २८१ हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि २८१ जो काम हैं वे ५० पर्सेन्ट से कम काम सड़कों के हैं और ५० पर्सेन्ट से ज्यादा के जो काम है वे प्रोडक्टिव हैं। हम नहीं चाहते है कि सड़कों के काम प्रारम्भ कर दिये जायं, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जहां पर अकाल की व्यापकता ज्यादा हैं, जिस तरह की इसकी सीवयोरिटी है, उस इलाके में प्रोडक्टिव नेचर के काम नहीं हो सकते हैं, और जब प्रोडक्टिव नेचर के काम नहीं हो सकते हैं तो दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं है कि लोगों को जिससे जिन्दा रखा जाय और मजबूरी की हालत में सड़कों के काम खोलने पड़े हैं, हांलाकि भारत सरकार की स्टडी टीम ने भी ऐसे काम नहीं खोलने की सिफारिश की थी और मंत्रिमंडल में इस बात की चर्चा हुई थी, और उस इलाके के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है, लेकिन करने के बाद पूछते हैं कि दूसरा कोई आल्टरनेटिव वर्क उस एरिया में है नहीं। इरिगेशन का काम नहीं हो सकता है और जहां इरिगेशन की पासिबिलिटी है हमने फर्स्ट प्रिफ्रेन्स उसको दिया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस सदन की मन्शा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं हैं कि सड़कों का काम नही खोलें और दूसरे जितने प्रोडक्टिव नेचर के काम की सिफारिश करेंगे चाहे तकनीकी रिपोर्ट आने में देर भी लगे और तकनीकी रिपोर्ट आने के अभाव में काम की सेन्क्शन को नही रोकूंगा, और उस काम को तुरन्त ही प्रारम्भ कर दूंगा।

यहां पर यह बात कही गई हैं कि जो राहत कार्य खोले गये हैं या जो राहत-कार्य हैं वे यह कहकर खुलवाये गये हैं कि हमको समर्थन दोगे या नहीं तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अकाल है सबसे ज्यादा इसकी विषमता, व्यापकता, और इसका असर राजस्थान के पश्चिमी इलाके के अन्दर है, और पश्चिमी इलाके में जितने भी काम खोले गये हैं, जो पांच वर्स्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पूरे के पूरे काम जो किये गये हैं वे किसी की रिकमन्डेशन के बिना किये गये हैं, किसी की सिफारिश पर नहीं खोले गये हैं और सबके सब काम मैंने खोले हैं। और यह कहना कि लोगों को यह कहकर कि आप सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं कांग्रेस या कांग्रेस की सरकार को और उसके बाद खोले गये हैं यह सही नहीं है। और इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना पसन्द करूंगा कि हमने टाइमली एक्शन लिया या नहीं यह सदन इस पोजीशन में होना चाहिये कि जिन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार थी और हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, इस राजस्थान राज्य का जो पिक्यूलियर फिजिको-ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिकल फीचर है उस संदर्भ में इसको आपको आंकना चाहिये कि क्या काम किया है और राजस्थान सरकार की असफलता उसमें किस हद तक रही है।

हमने सबसे पहले जो चार जिले सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे—जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चार जिलों में पिछले साल भी अकाल था उन चार जिलों में जो ३८ काम चल रहे थे अगस्त एण्ड तक जबकि वे जुलाई तक काम चालू रखे जाते लेकिन जब बरसात नहीं हुई तो उनकी मियाद

(श्री परसराम मदेरणा)

३१ अगस्त तक रखो और ३१ अगस्त के बाद में भी जो ३४ काम पिछने साल में लगाये थे उनको चालू रखा। इस तरह से इससे इस बात का संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने इस चीज की अहमियत को, या इस चीज के असर को नहीं समझा है यह बात सही नहीं है।

डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे फेमीन कोड के बारे में तो फेमीन कोड के अनुसार ३१ अक्तूबर तक फर्स्ट रिपोर्ट भेजनी होती है और उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट १० नवम्बर तक भेजते हैं। आपने कहा कि अगर ऐसा अकाल था तो फेमीन कोड को बराये ताक क्यों नहीं रखा। मैं उनकी जानकारी के लिये और सदन की जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि फेमीन कोड में यह जो प्रोवीजन है इस अकाल के सम्बन्ध में और इस अकाल के एरिया के सम्बन्ध में तो उसके असर को कम करने के लिए हमने जितने भी एक्शन लिये हैं उनमें फेमीन कोड का डेवियेशन ज्यादा किया है, फेमीन कोड के पालन में नहीं। फेमीन कोड राज्य सरकार के लिये कोई टुथ कोस्पल नहीं है। वह सरकार की मशीनरी किस तरह से काम करे उसके लिये गाइडेन्स है। इसलिए हमने देखा कि इन दिनों बरसात नहीं हुई है और जहां पर बरसात नहीं हुई है वहां पर फसल खड़ी खड़ी जल रही है तो हमने सबसे पहले तो यह डिसीजन लिया सितम्बर के महिने में और जो डिसीजन हमने लिया सितम्बर के महीने में वह ९ तारीख को लिया है। ९ तारीख को हमने यह डिसीजन लिया जब कि सदन चल रहा था कि टेस्ट वर्क प्रारम्भ कर दिये जायं और जिन जिलों में अकाल की स्थिति बन रही है वहां पर जो टेस्ट वर्क चल रहे हैं उनको चालू रखा जाय उसके साथ-साथ पेय-जल की व्यवस्था के लिये और कुछ इलाकों में चारा खरीदने के लिये २५ लाख रुपये इन जिलों के कलेक्टर्स को दिये। उसके साथ-साथ हमने यह भी तय किया कि जो दूसरी मीटिंग हुई २-१० को, यह सदन १७ सितम्बर तक चला है तो उससे पहले फोडर परचेज करने का आॅर्डर निकाल दिया। फोडर जो है वह राजस्थान के बाहर नहीं जाय उसके लिए भी भारत सरकार को २ तारीख को लिख दिया। राजस्थान के बाहर नाज नहीं जाय यह १० सितम्बर को जबकि सदन चल रहा था लिख दिया। चूंकि यह सिक्रेट था इसलिए सदन में डिसक्लोज नहीं कर सके थे। लेकिन ज्यों-ज्यों स्थिति खराब होती जा रही थी टाइम टू टाइम हम स्टेप लेते गये। उसके बाद दो अक्तूबर को हमने इस तरह का निर्णय लिया कि राजस्थान नहर, भाखरा और चम्बल से सिंचाई के क्षेत्रों को छोड़कर जितने भी लगान और दूसरी रिकवरीज हैं उनको बन्द कर दिया जाय। यह इसलिए किया कि गिरदावरी के आने में देर लगेगी और जब आये तो फाइनल तौर पर खराब है या नहीं वह स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाय उसके पहले ही लगान और दूसरी तकावी नहीं ली जाय उसकी रोक लगादी। उस रोक लगाने के बाद ३१ अक्तूबर को पहली रिपोर्ट मिल जानी चाहिए और बाद की रिपोर्ट फेमीन कोड के अनुसार ३० नवम्बर को मिलनी चाहिए तो हमने राजस्थान के ५ जिलों को २-१० की केबिनेट के निर्णय के अनुसार अकालग्रस्त घोषित कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभावग्रस्त किया या अकालग्रस्त ?

श्री परसराम मदेरणा : अभावग्रस्त और अकालग्रस्त दोनों को एक मान रखा

(श्री परसराम मदेरणा)

है। सब को वही सहूलियत दे रखी है जो कि फैमीन में दी जाती है। जब उसी तादाद में काम खोलते हैं तो अकाल मानने की बात है। इसलिए हमने अभावग्रस्त घोषित किया। उसके बाद बाकी बचे हुए १६ जिलों को २५ नवम्बर को घोषित कर दिया जब आखिर रिपोर्ट हमारे पास ३० नवम्बर तक आनी चाहिए उसका हमने इन्तजार नहीं किया और बाकी बचे हुए जितने ६ जिले थे उन ६ जिलों में से ३ जिलों को ३० नवम्बर तक घोषित कर दिया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ तीन जिले ऐसे थे जिनको हमने ३० नवम्बर तक इन्तजार में रखा है और ३० नवम्बर के बाद स्क्रूटिनी होती है वह दूसरी बात है और उसकी फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आती है २ तारीख को तो हमने ज्यादा स्क्रूटिनी करने में टाइम नहीं लिया। इसकी इसलिए स्क्रूटिनी करनी पड़ी क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि नसीराबाद के मामले को लेकर काफी चर्चा हुई थी और जहां ५० परसेन्ट खराबी नहीं हो तो अकालग्रस्त क्यों घोषित कर दिया, और उसके क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और यह देखने के लिए कि वास्तव में वहां खराब है या नहीं क्योंकि जब कोई रिपोर्ट आती है तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट की कोआर्डिनेशन कमेटी और दूसरे सब मिलकर निर्णय लेते हैं और उसमें दो दिन से ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स तो एक दिन में डिक्लेयर करवाये हैं, इससे आप लोगों को मालूम होगा कि फैमीन कोड के अनुसार स्केयरसिटी डिक्लेयर नहीं की गई है इस साल लेकिन ज्यादा तत्परता बरती इसमें है। यहां पर यह भी बात कही गई है।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब है कि फैमीन एक्ट बेकार है।

श्री दौलतराम सारण : आप ने अकालग्रस्त क्यों नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, हमने मुख्य मन्त्री से जानना चाहा उसको टाल गये हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार यह मानती है कि १०० सालों से इतना भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। वह ऐसा बताती है तो वह अकालग्रस्त घोषित क्यों नहीं करती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर फेमीन डिक्लेयर कर देते तो कई कानूनी चीजें लागू हो जातीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, फेमीन और स्केयरसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्केयरसिटी और फेमीन क्या एक ही शब्द है ?

एक माननीय सदस्य : आप क्यों घबराते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : आप तो सुनना पसन्द नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय मन्त्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : स्केयरसिटी डिक्लेयर कर दो या फेमीन डिक्लेयर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिक्रीज माफ रखी गई है। चाहे कोई भी डिक्री हो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है।

Page No 149

श्री लक्ष्मीसिंह : जी, कुर्कियां हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : सदन को आप गुमराह नहीं करें। वह डिक्री हो नहीं लेकिन तकावी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

आप कृपया नोट करें और अन्त में क्लेरीफिकेशन दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने हमेशा ही पहले निर्णय लिया है। १६ अक्टूबर से पहले निर्णय ले लिया। २ अक्टूबर को निर्णय ले लिया था। जिन बच्चों को २५ पैसे दे रहे थे उनको ७५ पैसे देने का निर्णय २ अक्टूबर को ले लिया। इसके साथ-साथ माइग्रेट रूट में जो पशु जाते हैं उनको ४ किलो मुफ्त चारा दिया जाना चाहिए। माइग्रेट रूट पर पशुओं के साथ जानेवाले लोगों के लिए आधा किलो आटा का इन्तजाम किया तकावी देने का निर्णय २ अक्टूबर को ले लिया। जो पशु वीक हो गये हैं, उनको रेल द्वारा ले जाने का निर्णय ले लिया। यहां पर यह कहा गया है कि यह दलगत भावना से चल रहा था। यह निराधार है। यहां पर जो एक सदस्य ने यह कहा है, मैं उसका जिक्र कर देता हूं।

श्री रामकिशन : मैंने तो राजनैतिक कहा है।

एक माननीय सदस्य : श्री अमृत नाहटा ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ही मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। जैसे कोई रेडीमेड फार्मूला हो।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह नहीं कहा है कि मैंने इन्क्वायरी कर ली है। जांच कर ली है। मैंने यह कहा है कि २४ अक्टूबर की बात है। २२ से २५ अक्टूबर तक जो एम० पीज आये थे। मैं उनके साथ गया था। मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेशन के साथ जब मेम्बर्स का डेलीगेशन जोधपुर आया तो प्रेस ने कन्फर्म किया कि आपने कहा था भूख से मृत्यु हुई ? तो उन्होंने कन्फार्म किया, भूख से मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमको एक जगह एक कैम्प में यह कहा था कि यहां पर एक आदमी अपौष्टिक भोजन से मर गया। उन्होंने कहा कोई दूसरा आदमी था। तो कहा हम अलग खड़े हुए थे। खेतसिंहजी तो मेरे साथ मौजूद थे। डिप्टी मिनिस्टर पावर। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा है। जोधपुर के दो अखबार हैं, 'लोकजीवन' और 'ललकार'। उन्होंने एम० पीज के स्टेटमेंट की काफी खिल्ली उड़ाई है। उस कान्फ्रेंस में जो कहा है उसकी कटिंग हमारे पास है। आप लेना चाहें ले सकते हैं। भूख से मरने वाला आदमी जैसा कि डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। जिस जिले में राहत कार्य बराबर चालू रहे हों, नौ-दस कार्य चल रहे हों और जहां पर ८२ हजार आदमी लगे हुए हों और चार हजार एक कार्य पर और लगे, तो ८६ हजार लोग लगे हुए हों, जिस जिले में इतना खर्चा हो रहा हो, वहां रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल में कोई आदमी भूख से मर जाय—यह सम्भव नहीं हो सकता। यह बात मैंने वहां कही थी और आज भी मैं कह रहा हूं...

श्री बालसिंह सोढ़ा : ज्युडिसियल इन्क्वायरी करा लीजिये अगर मरा नहीं है तो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खुद एडमिट कर लिया गया है इसमें क्या बात है। आपने खुद एडमिट कर लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने और आदित्येन्द्रजी ने कहा कि अकाल की बीभत्सता को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अकालग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान में दो फाइनेंशियल इयर्स में, एक फाइनेंशियल इयर में पचास करोड़ खर्चा हुआ, वहां मैंने स्टेटमेंट दिया कि इस पर दो करोड़ खर्चा हुआ। मैं समझता हूं कि यह इमेजनरी बात है। मैंने यह कभी नहीं कहा। मैं जो कुछ कहता हूं वह सोच समझ कर कहता हूं और मुझे मालूम है कि कितना खर्चा होगा, कितना नहीं होगा। और इसका तकमीना मैंने आज ही नहीं, जब से असेम्बली चल रही थी, उन दिनों से मैं केलकुलेट करता हुआ जा रहा था और मेरी भैरोंसिहजी से बात हुई थी। उस समय उनको मैं बराबर कहता रहा कि खर्चा ज्यादा होगा, करीब पचास करोड़ के आसपास की बात खर्च की है। इसके अलावा स्टडी टीम को जो हमने रिपोर्ट दी है उसमें भी साठ करोड़ के आसपास का तखमीना लगाया है। इसलिए यह कहना कि मैंने दो करोड़ का स्टेटमेंट दे दिया था, गलत है। मैं ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं सकता। मैं अफीम का डोडा पोढ़ा भी नहीं पीता हूं...

श्री नत्थीसिंह : इनके पास भी नहीं बैठते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर हूं...

श्री भैरोंसिंह : फिर यह कहें कि यह बात खेतसिंहजी कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो कौन-कौन पीछे हैं आपके मंत्रिमण्डल में ?

श्री रामकिशन : भैरोंसिंह से पूछ जो पचास करोड़ का मतलब नहीं समझे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि जो मस्टर रोल हैं उन मस्टर रोल में जितने नाम लिखे होते हैं उतने व्यक्ति काम पर नहीं होते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा कारण इसका यह बताया कि उस पर पैरेन्टेज नहीं लिखा जाता है, बाप का नाम, साकिन नहीं लिखा जाता है, पता नहीं होता है। यह बात ध्यान में आई तो बीकानेर के एस. ई. को मैंने २८ जनवरी को नागौर में बुलाकर इस बात की हिदायत दी थी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : खूब तारीख याद है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कहा था कि नाम लिखना चाहिये ताकि काम बन्द होते ही कुछ लोग अनपेड नहीं रह जायें। इसमें करप्शन की भी गुंजाइश है। इसके अलावा जोधपुर के इलाके में भी इस सबको सख्ती से लागू किया गया है। मैं यह चाहता हूं और इस सदन के माननीय सदस्यों का कोपरेशन इस मायने में चाहता हूं। फर्जी मास्टर रोल की इस बीमारी को, इस एडमिट को खत्म करना चाहते है तो टास्क के अलावा चारा नहीं है। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, १९६४ में टास्क था, १९६६ में भी टास्क था....

Page No 151

श्री भैरोंसिंह : यूनिट बेसिस पर।

श्री परसराम मदेरणा : आपको पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पिछली बार भाषण दिया था, फेमिन कोड...

श्री परसराम मदेरणा : पिछली बार के भाषण का नहीं कह रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, बीकानेर की बात आई वहां टास्क नहीं की, डेली बेसिस पर वेजेज दे रहे थे। उसको पी० डब्ल्यू० डी० से कन्फर्म किया। उनको मैंने कहा कि राज्य सरकार का आदेश कहां है कि टास्क के बेसिस को नहीं रखा है। वह मान गये कि राज्य सरकार का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि रिलीफ का काम कर रहे थे तो हमने सोचा कि वह ऐसे ही चलता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वही हम कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कई मौकों पर गया हूं और वहां मैंने देखा है। अगर डेली अटेंडेंस पर मुनहस्सर रहे तो आप माफ करना, फेमिन के सम्बन्ध में जितने दूसरे लोग हैं, वह काफी लोग, काम करने वाले लोग पी० डब्ल्यू० डी० से मिल जाते हैं। तो इस बीमारी को दूर करने का दूसरा इलाज नहीं रहता। राजस्थान के टैक्स पेअर का एक भी पैसा खराब हो या किसी दूसरे की जेब में जाय, यह बिल्कुल खराब चीज है, इसको बन्द किया जाना चाहिये। और वह तब ही बन्द हो सकता है जब कि टास्क को इम्पलीमेन्ट करते हैं। टास्क हमने लगा दी है और मैं कहूं कि वह पी० डब्ल्यू० डी० से अग्री फोर्थ है। मैंने यह इन्सट्रक्शन दे रखे हैं कि अग्री फोर्थ है, उसमें पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट थोड़ा रहे तो कोटा नहीं जाना चाहिये। लेकिन काफी लोगों की आदत हो गई है कि आने के बाद कतई काम नहीं करते हैं। मैं गया हूं देखने के लिये, और मैं आपसे कहूं कि जाने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने कई टेक्टिक्स एडाप्ट कर ली है, जैसे हम भी एडाप्ट करते हैं सदन के अन्दर और बाहर भी। टास्क पूरा नहीं हुआ, तो मैंने पूछा कि यह काम क्यों नहीं किया है। यह मेटल वर्क है, पांच हजार वर्कर काम नहीं हैं, दो महीने से काम कर रहे हैं और यह सड़क भी नहीं बनाई है। तो लोग जय बोलने लग जाते हैं। मेरी जय बोलने लग जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह : खेतूलाई बोले।

श्री परसराम मदेरणा : खेतूलाई नहीं, कई जगह बोलने लग जाते हैं, यह इसलिये नहीं कि काम बन्द कर दिया था। १९६४ में हालांकि मैं डिप्टी मिनिस्टर फेमीन नहीं था लेकिन चीफ मिनिस्टर ने मुझे जोधपुर डिवीजन में राहत कार्यक्रम की देख रेख के लिये लगाया था। मैं चार महीने तक घूमता रहा। उस समय जो सबसे पहले काम बन्द किया था वह मैंने मेरे गांव में ६४ में काम बन्द किया था। जब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे गांव वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके बाद वहां चार साल तक काम नहीं खोला। अब खोला गया है। आपके वहां तो लास्ट, इयर बढ़िया क्राप थी, बहुत बढ़िया लेकिन मेरे गांव में, लास्ट इयर फलौदी, शेरगढ़ में अकाल पड़ा और पांच वर्ष से अकाल है, उनमें मेरा गांव भी था।

श्री भैरोंसिंह : आप जितनी बार चुने जायेंगे, अकाल पड़ेगा।

Page No 152

श्री परसराम मदेरणा : यह गड़बड़ी है यह कमी है इसको दूर करने के लिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्टेप्स लूंगा सख्ती की है कुछ स्टेप्स लिये हैं, लोगों को पुल अप भी किया है, डांटा है, ट्रान्सफर भी किये हैं। एक नजरिया मेरे दिमाग में है, जो यह राहत कार्य हों इनमें, राजस्थान के भीषण अकाल में, हाईएस्ट पब्लिक मोरेलिटी के स्टेन्डर्ड को रख कर काम करना है और मैं अपने पर्टीक्यूलर प्रिन्सिपल्स से कभी नीचे नहीं आने वाला हूं। लेकिन आज खराबी है, आप खुद जानते हैं, बीमारी कहां पर है, उस बीमारी को दुर करने के लिये मैं आप सबका कोआॅपरेशन चाहता हूं। जो भी विधानसभा के सदस्य मिले हैं उनको मैंने बराबर कहा है कि आप भी बराबर इन सड़कों के काम पर जाइये और जहां कहीं गड़बड़ी हो रही है, उसके बारे में जिलाधीश को कहिये। और जिलाधीश को ही नहीं, हमने इस साल स्टेप लिया है पहली दफा लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं कि हमारा चैकिंग करेंगे बार-बार तो डिमोरेलाइजेशन आ जायगा। लेकिन मेरा पिछले साल का बीकानेर का अनुभव था और १९६४ का मेरे गांव का अनुभव था इसलिए हमने निर्णय लिया कि दो सौ पचास से नीचे जिस काम पर जहां मजदूर काम करते हैं वहां तहसीलदार, बी. डी ओ. चैक कर सकता है। दो सौ पचास से ऊपर जहां मजदूर हैं वहां कलेक्टर, डी. एम., डी. एस. ओ. मजिस्ट्रेट या गजटेड आफिसर है वह किसी भी वक्त जाकर चैक कर सकता है। मैं आपसे कहूं कि गजेटेड आॅफिसर गये हैं और उन्होंने जाकर चैक किया है और चैक करने के बाद जैसे कि बेसरदेसर की बात कह रहे थे, डूंगरगढ़ वाले क्लेक्टर वहां गये और चैक किया। उन्होंने देखा कि लोग एबसेन्ट हैं। तो उसकी डिटेल्ड एन्क्वायरी कराने के लिए, और किसकी रैस्पान्सिबिलिटी है यह फिक्स अप करने के लिए एस. डी. ओ. को जांच अधिकारी मुकर्रर किया है। उन्होंने जांच कर ली है और वह कह रहे थे कि एक दो दिन के अन्दर रिपोर्ट को राहत विभाग के अन्दर भेज देंगे। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि यहां पर एक बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि अजमेरा को रिपोर्ट का क्या हुआ? आपने अजमेरा को लगा दिया है? वह इसलिए नहीं लगाया कि वह छोटे दर्जे का आदमी है बल्कि इस लिए लगाया था कि वह इन्टेग्रिटी का आदमी है और उसकी इन्टेग्रिटी पर कोई आदमी डाउट नहीं कर सकता। अजमेरा एक अफिसियेन्ट ए. ओ. है और, क्योंकि वह अकाउन्ट्स का मामला था इसलिए उसे वहां भेजा। उसने वहां जाने के बाद जो देखा उसकी रिपोर्ट पेश की और उसके बाद पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी है।

श्री भैरोंसिंह : कितने मामले की रिपोर्ट है ?

श्री परसराम मदेरणा : पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : यह बताने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसने यह लिखा है कि पचास लाख का ओवर पेमेन्ट किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करूं कि मैंने आॅर्डर दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे छिपाना चाहता होऊं। आखिर इतना बड़ा काम है, राजस्थान के अन्दर

(श्री परसराम मदेरणा)

किसी अकाल में कभी पांच हजार से पच्चीस हजार से ज्यादा लोग नहीं आये। अब यह कहना कि मुख्य मंत्री तो पन्द्रह लाख कह रहे हैं, तो मुख्य मंत्रीजी ने पन्द्रह लाख की जो बात कही है, और मैंने भी प्रेस कान्फ्रेन्स में यह स्टेटमेंट दिया था कि जब पीक पीरियड आयेगा, वह आगे मन्थ में आयेगा, मई, जून के पीरियड में, उसमें हम मान कर चलते हैं कि जो हम पन्द्रह लाख की बात कह कर चल रहे हैं, यह तो काम शुरू कर दें तो बीस लाख हो जायेंगे। और हम अन्दाज करके चलते हैं कि इन दो-तीन महीनों में यह एवरेज रहने वाला है, पहले और पिछले महीनों में तो पन्द्रह लाख हो सकते हैं लेकिन बारह लाख का एवरेज रह सकता है इस आधार पर कि जो आज मजदूरों के नम्बर की प्रोग्रेस हो रही है।

यहां पर एक बात कही गई कि घास जो है वह पहले डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आता है, उसके बाद दूसरी जगह जाता है। ज्यादातर हम घास भेज रहे हैं वह रेल से भेज रहे हैं, जहां रेल के स्टेशन हैं, जैसे कोलायत में जाता है, नोखा में जाता है, बीकानेर में जाता है, लूणकरणसर में रेल से जाता है। लेकिन जहां हमने देखा कि रेल से नहीं पहुंच सकता तो कई दफा ऐसा भी निर्णय लिया है जैसी जैसलमेर में हालत २६ सितम्बर को आई थी तो अब हमने निर्णय लिया है २७ सितम्बर को, २५ सितम्बर को मुख्य मंत्रीजी मिले थे तो उसके बाद बाड़मेर में जाकर निर्णय लिया कि कैटल माइग्रेशन हो गया है और कैटल फीडिंग कैम्प है, वहां तक जो घास हमारे पास है उसको पहुंचाने में देरी लगे, या घास खरीदने में देरी हो गई तो जो मौजूदा रिपोर्ट कलेक्टर की थी उसके अनुसार इमी जियेटली स्पोट पर डिसीजन लिया है और २७ सितम्बर को इतला की है कि वास मार्केट रेट पर खरीद सकते हैं। डूंगरगढ़ वाले माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यह फेमिन कोड में नहीं है, लेकिन फाईनेंसियल रूल्स और रेगुलेशन्स हैं और उनके अनुसार २ अक्टूबर को कैबिनेट ने इसको कन्फर्म किया है। इसके अलावा जैसे जैसलमेर रेल से जा सकता है तो इमीजियेटली जोधपुर से इन्तजाम करके ट्रक से भेजा हालांकि शेरगढ़ और फलौदी वाले मांग कर रहे थे लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कुछ ठहरा सकते हैं।

इसी तरह से, २,००० क्विन्टल घास खरीद कर बीकानेर ट्रक से भेजा, एक-एक दिन में बीस, बीस ट्रक्स गई हैं। जब से रेल में प्रॉपरेशनल एविलिटी को हासिल कर लिया, क्षमता हासिल कर ली कि कन्ट्रोल में है सिच्युएशन, रात में केबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो हमें सूचना मिली कि ६०० वैगन फुलेरा स्टेशन पर रखे हैं क्योंकि स्टेशन में केपेसिटी नहीं है. रेलवे वाले यह बात कहते हैं कि हमारा दूसरा माल भी हाई रेट से फ्रेट वाला है उससे हमें रेवेन्यू कम हो रही है। उन्होंने हमें अलग-अलग तरह से रेट दिलाए पंजाब की तरफ से, कोटा खांदा की तरफ से, आगरा की तरफ से, रतलाम की तरफ से, सवाई माधोपुर की तरफ से रेट अलग अलग-अलग कही। तो यह बात सही नहीं है कि भारत सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। १२० वैगन्स मीटर गेज की ७० से ८० वैगन्स ब्रोड गेज की है २०० के आसपास डेली मीटरगेज की आवश्यकता है, आवश्यकता इसलिये है कि वहां वे लोग आज घास खरीद रहे हैं। जैसलमेर से आने वाले माननीय

Page No 154

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य कह रहे थे कि वहां सब गायें मर गई हैं, अब वहां कुछ नहीं रहा है, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि वहां १००० क्विन्टल घास रोज दिया जा रहा है, वह किसके लिये दिया जा रहा है ? राजस्थान में ३ गांव ऐसे हैं, गोट्ठ, बजू और रणजीतपुरा जो ४ साल से अकाल से इफेक्टेड हैं, मैं अक्टोबर में वहां गया, उन गांवों में आप जाते तो केटल नहीं दिख रहा था वे फलोदी में अपने मवेशी ले कर आ गये थे क्योंकि फलोदी में उनकी रिश्तेदारी है। वहां आज केटल कितना है इसकी एसेस हमने पटवारियों से करवाई तो उसके मुताबिक बारह सौ, १३०० और १४०० के आसपास उन तीन गांवों में पशु जिन्दा हैं और अब वे लोग मवेशी वहां ले आये हैं, क्योंकि वहां ट्यूब वेल भी खुद गया है .

(८.०१ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

घास का डिपो भी वहां खोल दिया है इसलिये फलोदी से वे उधर आ गये, फलोदी में पानी की सुविधा थी पर घास नहीं था इन गांवों में ट्यूब वेल भी खोद दिया गया और घास का डिपो भी खोल दिया इसलिये वे लोग वापिस वहां पहुंच गये हैं।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दलगत राजनीति से काम कर रहे है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, आपके गांव मे ट्यूब वेल खोदा है .

श्री खेतसिंह : आपके घर के सामने।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि इन्सानियत की बात है, दूसरी बात कह रहा था कि सबसे पहले ट्यूब वेल खोदा है ..

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री खेतसिंह : आप नहीं बोल रहे हैं, मीठा पानी बोल रहा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : किस प्रकार से खोदा है, यह मैं बताऊं आपको। फाइनेन्स मिनिस्टर के यहां मीटिंग होती है कि ट्यूब वेल नहीं खोदा जाना चाहिये पर वह तो तब तक खुद ही गया।

श्री परसराम मदेरणा : ट्यूब वेल की स्कीम यहां से मंजूर होती है, हमको सब मालूम होता है। नौखा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लीजिये, उन्होंने कहा कि मेरे गांव में से सड़क जानी चाहिये तो हमने वहां से सड़क निकाली।

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि दलगत राजनीति के आधार पर ट्यूब वेल्स नहीं खोदे जाते तो शेरगढ़ के चाबा गांव में ट्यूब वेल खुद रहा था, जोधपुर हिज हाइनेस ने उस गांव की यात्रा की तो मंत्रीजी नाराज हो गये कि गांव वालों ने हिज हाइनेस को क्यों बुलाया और चाबा में ट्यूब वेल बन्द करके शेरगढ़ में ट्यूब वेल खुदवाया, इसका क्या कारण है ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिये नहीं तो दो जवाब देने पड़ेंगे। यह कुआ भी खोदा तो आपने राजनैतिक दृष्टिकोण से खोदा है ताकि आप यह कह सकें कि हमने विरोधियों के गांव में भी कुआ खोदा है। कोई गरीब के यहां कुआ खोदा हो तो कहिये।

श्री परसराम मदेरणा : चित भी मेरी और पुट भी मेरी।

चाबा के ट्यूब वैल के बारे में मैं निवेदन कर दूं। १५ अक्टूबर को जैसलमेर में मैं और मुख्य मन्त्रीजी थे, मैं पहले वहां गया था तो लोगों ने कहा था कि जैसलमेर के पाली गांव के एरिया में घास इतना-इतना खड़ा है, पर वहां पानी नहीं है। हमने इन्जीनियर को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट है कि पाली एरिया में पानी नहीं है। हमने कहा कि रिस्क लेकर भी हम वहां कुआ खुदवाना चाहते हैं, कुदरतन वहां पानी निकल आया, ५००० मवेशी को वहां १२ महीने बचा सकते हैं। इसके लिये हमने रिस्क ली, हालांकि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन दूसरी ही थी। वहां पानी निकल आया, हालांकि पानी इतना मीठा नहीं है फिर भी मवेशी पी सकते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन के खिलाफ दो ट्यूब वैल्स खुदवाये वे फैल हो गये।

चाबा में २५ अक्टूबर को मुख्य मन्त्री जी ने पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया था कि ट्यूब वैल खुदवायेंगे, मैंने उस समय कहा था कि इन्जीनियर्स की रिपोर्ट दूसरी है। वहां बालेसर से पानी जा रहा था जो चालीस पचास मील दूर था, हमने रिस्क ली पर जैसे पहले दो कुए फैल हो गये, वहां पर भी फैल हो गया। बाड़मेर बालोतरा के पास कालूड़ी में भी कहा कि पानी खारा निकलेगा वहां के सरपंच विरोधी हैं, मैं जब कभी वहां से निकलता था तो देखता था कि आज टंकी नहीं आई है. टांका रास्ते पर है, उसमें कई दफा पानी मैंने डलवाया था। मैंने देखा कि वहां पानी की काफी परेशानी है इसलिये मैंने कहा कि वहां कुआं खुदवाया जाय, वहां ट्यूब वैल खोदा पर पानी नहीं निकला। चाबा में एक्सपर्ट कहते हैं कि पानी नहीं है इस पर भी आप चाहें कि हजार फीट खोदा जाय तो मैं वहां मशीन भेज दूंगा, पर यह फेमिन के पैसे का वैस्टेज होगा। हिज हाईनेस आये, मैं एक बात कह दूं हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था। वे राजगद्दी पर बैठे हैं, बालिग भी नहीं हुए, हमको लिख कर वे टूर में गये थे, इन्होंने मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी है, जोधपुर दरबार ने उसमें उन्होंने लिखा है "हरकुलियन एफर्ट राजस्थान सरकार कर रही है, उसके लिये बधाई की पात्र है।" यह लेटर पड़ा है, उसमें लिखा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपके सारे कारनामे उनको देख लेने दीजिये फिर आपको चिट्ठी नहीं लिखेंगे।

श्री खेतसिंह : आप काले दिल के आदमी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक माननीय सदस्य ने कहा कि पानी के १२॥ रुपये दिये जाते हैं. वह कम हैं, शादी में ५० रुपये के आसपास खर्चा आता है। २ अक्टूबर को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि १२॥ रुपये देने का कलेक्टर को पहले अधिकार था उसकी जगह २५ रुपये देने का अधिकार कर दिया। हमने देखा कि पानी की किल्लत आने वाली है इसलिये हमने कलेक्टर को १२॥ के स्थान पर २५ रुपये देने का पावर दिया और राज्य सरकार को २५ रुपये देने का पावर था वहां ५० रुपये सार्वजनिक वैल को देने का अनुदान तय किया। मैंने चूरू कलेक्टर से पूछा था कि २५ रुपये तक दे सकते थे वह क्यों नहीं दिया, इसके जवाब में वे

Page No 156

(श्री परसराम मदेरणा)

लिस्ट तो नहीं भेज सके हैं पर उन्होंने बताया कि बहुत से गांवों को २५ रुपये दिये हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से कुओं में २५ रु. ये दिये हैं और मेरा उत्तर यही रहा है कि जहां पानी गहरा है और आबादी ज्यादा है, वहां पर २५) दिये हैं। जहां कम हैं वहां १२.५० रु० इतना ही नहीं हमने सितम्बर के महीने में देखा कि अकाल पड़ गया है तो पानी की किल्लत मई और जून में ज्यादा होने वाली है और मई व जून में को-स्टेप लिया गया तो कारगर साबित होने वाला नहीं। इसलिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ५० ट्रक्स खरीदें। एक ट्रक की कीमत ९२ हजार रुपये हैं। हमने उन पर टैंकर्स माऊंट किये हैं। हमने पहले ट्राली पर टैंकर्स भेजे थे लेकिन वे रेगिस्तान में नहीं जा सकते थे। ५० में से ३० ट्रक्स चालू की है। ३० में से ९ जैसलमेर गई हैं और ९ की कीमत ५ लाख रुपये हैं पूरे दूसरे इलाके में २१ और आपके इलाके में ९। इसलिये-इसको दलगत राजनीति कहना ठीक नहीं है। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा राहत पहुंचाई है।

मुद्दे की बात तो मुख्य मन्त्रीजी ने कही है। मैं तो आपको संतोष देने की बात कह रहा हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह बीकानेर गये थे और वहां डिपोज में कतई घास नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ। वहां भी बीकानेर पावर में ५ डिपो है, १,५०० क्विटल घास पड़ा है। लालगढ़ में १,०५० क्विटल, फतेहसर गेट १०५ क्विटल, बीनासर गेट २५ क्विटल, रानी बाजार में ६१ क्विटल। इसलिये यह कहना कि वहां पर घास नहीं, बीकानेर को नजरअन्दाज किया है यह सही नहीं है। काफी मवेशी वहां जाते हैं, रहते हैं इसलिये हमने सोचकर बीकानेर की म्युनिसिपल एरिया में ५ डिपो खोले हैं जो किसी दूसरी म्युनिसिपल एरिया में नहीं, यह जानकर कि पिछले सालों में अकाल था इसलिये लोगों को मदद मिलनी चाहिये।

यहां यह भी कहा गया कि राजाओं के राज में तालाब और दूसरी चीजें थीं और हम उनको नही ले रहे हैं। ७५९ में से इरिगेशन के २९१ काम हैं लेकिन तालाब नहीं ले रहे हैं यह स्थिति नहीं है। अगर तालाब नहीं लेते तो बाड़मेर का जो डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड कहता है कि इन तालाबों को लिया जाना चाहिए क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। ऐसे तालाबों को बीकानेर जिले में लिया है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में भी लिया है।

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तालाब खोदने के बारे में कहा। सवा तीन लाख का वह तालाब है, पीने के पानी का। हमने तालाबों का काम पहले इसलिए ज्यादा नहीं लिया कि मिट्टी खुदाई का काम १५ और २० दिन तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु के आखिरी दिनों में जब किसान अपने घर के नजदीक रहना पसंद करेगा और जहां दूसरा सोर्स पानी का नहीं है एडीक्वेट सोर्स नहीं है वहां तालाब का काम भी हाथ में ले लेंगे।

यहां कहा गया कि लोंग-टर्म प्लान का क्या कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार का दृष्टिकोण हमेशा परस्पेक्टिव रहा है और हमने इरिगेशन वेल्स खोदने के लिए जो तकावी दी है वह ९९ लाख के आसपास की है इस साल अकाल में सिंचाई के कुएं खोदने के लिए दिया है ..

Page No 157

श्री दौलतराम सारण : कहां दिया है ? चूरू जिले में तो जिला सहायता समिति ने स्कीम बनाकर दी है और एक पैसा भी आपने दिया हो तो बता दें ।

श्री परसराम मदेरणा : जिला सहायता समिति ने तो क्या बनाई है । प्लान बनाकर हमारे पास भेजा है । चूरू जिले को २ लाख दिए हैं ।

श्री दौलतराम सारण : कब ?

श्री परसराम मदेरणा : तारीख नहीं बता सकता । इन दिनों में ही । कुल मिलाकर सब जिलों में, भरतपुर में तो नहीं दिया, गंगानगर जिला है उसको भी नहीं दिया । बाकी सभी जिलों को दिया है । भरतपुर को इसलिए नहीं दिया कि आप न तो पानी से दरिद्र हैं और न और किसी बात में । पानी बहुत है । आपने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, राज्य सरकार उसके लिए आपकी शुक्रगुजार है । मुख्यमंत्री आपको बता रहे थे कि राजस्थान में जितना फोडर डोनेशन से आया है उसमें भरतपुर का सबसे ज्यादा डोनेशन है ३१,०४४ क्विंटल । गंगानगर दूसरे नम्बर पर है । उसने ५ लाख मुख्य मन्त्री कोष में भी दिया है । सवाई माधोपुर का १० हजार है, अलवर २० हजार, बाकी सब जिलों का ८ हजार के आसपास है ।

एक बात और कही गई कि जो दान में चारा लिया गया है उसको बेचते क्यों हैं ..

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर जिले ने मदद की इसलिए वहां अकाल पीड़ितों की ज्यादा सहायता नहीं की है ।

श्री परसराम मदेरणा : एक तरफ अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गंगानगर इलाका जो रेगिस्तानी था वही हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया जिला होगा । नहर की बात आपने कही । नहर भी आ जायगी । मैं डेजर्ट का रहने वाला हूं और मेरे गांव का रकबा २ लाख बीघा है उसको सिंचित करना चाहें तो एक हजार नलकूप खोदने चाहिए । क्योंकि वहां नलकूपों का डिस्चार्ज ज्यादा से ज्यादा १५ हजार गैलन है । वहां २०० बीघा से ज्यादा जमीन सिंचित नहीं होगी । राजस्थान का ३/५ हिस्सा डेजर्ट है । यह समस्या राजस्थान कैनाल से हल हो जाती तो गंग कैनाल....

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां पानी इस साल नहीं मिला गंगानगर में....

श्री परसराम मदेरणा : भाखरा से आ गया । उसके बाद राजस्थान कैनाल पर पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर हमने १०० करोड़ रुपये खर्च किए, गंगानगर जिले में । उसके बाद भी अकाल है । इसलिए यह कहना कि जो क्षेत्र सिंचित होगा वह अकाल से बच सकता है यह सही नहीं । बाकी वाले उसी जिले के अन्दर ३/४ हिस्सा है । वह सिंचित क्षेत्र है वहां प्राइवेट मजदूरी मिल रही है लेकिन अब कुछ काम खोले हैं । एक हंसराज जी के क्षेत्र में और एक आपके क्षेत्र में । तो यह दलगत राजनीति नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : २१ तारीख को खोला है । २४ तारीख को विधान सभा का अधिवेशन होने वाला था । आपको मालूम था कि झगड़ा होगा ...

श्री खेतसिंह : आपके झगड़े से नहीं डरते ।

Page No 158

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फरसू में दो आदमी मर गए। मैं इसकी जांच करूंगा। लेकिन फरसू पोकरन सड़क पिछले दो साल से लगातार चल रही है और जैसलमेर जिले में जो ८२ हजार लेबर है सबसे ज्यादा लेबर हैं उसमें से फरसू से शेरगढ़ और फरसू से पोकरन, दोनों सड़कों को मिलाकर १५ हजार लेबर है। इसका मतलब कम से कम १/५ हिस्सा पूरी लेबर स्ट्रेन्थ का जिस गांव में बसा हुआ हो उस गांव में भूख से मौत हो जाना, मैं समझता हूं यह संभव नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फेमीन फैला हे हो आप।

श्री नत्थीसिंह : भाषण तो जरूर चले लेकिन यहां खाद्य पदार्थों की समस्या को हल कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : आज हम आपको तसल्ली करवा कर छोड़ेंगे।

श्री नत्थीसिंह : सवेरे के ८ बजेंगे आपको। इन्तजाम कर लेना।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि आप राजस्थान की जनता से विद्रोह करायेंगे कि लॉंग टर्म काम नहीं लिये। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि ७६ लाख रुपया ट्यूब वैल्स के लिये यह लॉंग टर्म नाम नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन योजना को हाथ में लिया यह परमानेन्ट नेचर का लॉंग टर्म काम नहीं है ? राजस्थान कैनाल बहुत बड़ी योजना है दुनिया में, क्या यह लॉंग टर्म काम नहीं है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल में जितना रकबा पड़ा है उसी को सिंचित क्यों नहीं कर देते ?

श्री परसराम मदेरणा : ८० ट्यूब वैल्स हम मार्च तक खोदने जा रहे हैं और ३६ ट्यूब वैल्स पर अटेम्पट कर लिया है और सक्सेसफुल हुए हैं। पहले जितने ट्यूब वैल्स खोदे हैं उनमें से १२८ को कमीशन किया है। यह परमानेन्ट नेचर के काम नहीं हैं तो क्या है ? पहले कलेक्टर को यह अख्तियार दिया हुआ था कि जहां पर ड्रिंकिंग वाटर की संभावना है वहां पर एक हजार रुपया ड्रिलिंग के लिये ले सकते हैं। उस अमाउन्ट को एक हजार से तीन हजार कर दिया गया और अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से पता लगा लिया है कि ६०-७० कुओं पर कम्प्रेशर चला रखे हैं। पानी आया लेकिन कम है वहां पर विशाल मात्रा में पानी हो जाय इसकी व्यवस्था की गई है जिससे डिफिकल्टी न हो।

थोड़े दिनों पहले मंत्रिमंडल ने फैसला लिया, सबसे पहले विकास कार्य को प्रायोरिटी दी। मेकिंग की चार प्रायोरिटी बनायी गयी। इरिगेशन, साइल कन्जरवेशन, अफोरस्टेशन और रोड्स। रोड्स को पांचवां रख लेते हैं और ड्रिंकिंग वाटर को राहत कार्यों में कर लिया। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि स्टडी टीम की क्या रिपोर्ट है। उसमें रिकमन्डेशन हैं। रीजनल पाइप लाइन्स, ड्रिंकिंग ट्यूब वैल्स, नये कुए खोदना, फोडर बैंक, साइल कन्जरवेशन और बड़े-बड़े तालाब। २४ करोड़ का एस्टीमेट बना कर जून में वह रिपोर्ट भेजी थी स्टेट के कानूनी डिपार्टमेंट को। प्लान का फाइनल आउट ले क्या रहेगा, क्या

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रारूप बनेगा, स्टडी टीम की सारी की सारी रिकमन्डेशन्स को इनकोरपोरेट कर ली इसलिये परमानेन्ट या लॉग टर्म से नहीं सोच रहे हैं यह कहना ठीक नहीं है।

जयपुर से आने वाले या किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि रोड रोलर्स नहीं हैं। चीफ इन्जीनियर को यह कह दिया गया है कि रोड रोलर्स की यदि रिपेयर्स करानी हो तो वह भी करायेंगे। अगली केबिनेट मिटिंग में यह भी निर्णय लेने जा रहे हैं कि पचास हजार की लागत के रोड रोलर्स मिलते हैं तो यह काम फेमीन में पूरे होने चाहिये और ज्यादा सड़कों का काम कर सकें वह किया जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक लाख का रोड रोलर बैठे हैं भैसवाड़ा पीछे।

श्री परसराम मदेरणा : तीन चार बातें बतायीं। बाड़मेर की पाइप लाइन ली है। सांचोर की पाइप लाइन योजना इस साल सेंक्शन की। कई वर्षों से पचपद्रा सिटी से साल्ट में, यह काम पड़ा हुआ था उसको हाथ में लिया। इमिडियेटली ट्यूब वैल्स खोदने की बात कही। फलौदी के पास में नमक का एरिया है वहां पानी की कमी है, वहां पर महिने भर बाद पानी खतम हो जावेगा। ऋण में पानी नहीं है, उसके आसपास है तो टेक्निकल एक्सपर्ट बतायेंगे कि वहां पर ट्यूब वैल्स शुरू किये जा सकते हैं तो वह काम हाथ में लिया जावेगा।

डूंगरपुर में प्रोडक्टिव नेचर का काम है। वहां पर पांच लाख के परसियन व्हील लगाने के लिये दिये गये हैं। वहां पर उनको लगाने की चेष्टा करेंगे, १९ लाख ट्यूब वैल्स में दिये तो डूंगरपुर में भी दिये।

मेरे गांव की ट्यूब वैल्स की बात की। ३/५ हिस्सा राजस्थान का डेजर्ट है। परमानेन्ट बारिश न हो और प्रकृति को बिलकुल जेब में रखना चाहते हैं तो यह काम डेजर्ट एरिया मे दो हजार करोड़ की योजना से हो सकता है जो सरकार के वित्तीय साधनों से परे की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके वश की बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कम्युनिस्टों के लिये पचास वष भी नहीं। रूस में फेमीन पड़ा तो अमेरिका से अनाज मांगने लग गया था।

फेमीन में डेजर्ट एरिया में पानी सबसे बड़ी चीज है। इन्द्र भगवान की गलती नहीं इन्दिरा की गलती है यह कहा गया। आपकी गवर्नमेंट कभी दिल्ली और स्टेट्स में बन जाय, हिन्दुस्तान में ये बन्ध खाली पड़े रहे, केचमेंट एरिया में पानी नहीं आवेगा तो क्या पाताल तोड़ कुओं से पानी आजावेगा ? वहां पानी कहां से लाओगे ? बहुत सी जगह पाइप लाइन ले जानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है। बीस-पच्चीस मील तक पानी ले जाना पड़ेगा। बायेतू का प्लान है। २२ लाख की योजना है। हमने सोचा कि ट्यूब वैल्स खोद लें। वह सक्सेसफुल हो जावेगा तो डिस्टेन्स पाइप लाइन की कम हो जायगी। दूसरी जगह भी ट्यूब वैल्स लगा रहे हैं इन फेमीन की जगहों में कई जगह कुए हैं उनके बारे में भी हमने लॉग टर्म का ध्यान रखा है। अकाल केवल मात्र पानी की कमी की वजह से ही नहीं पड़ते। रेगिस्तान में बद किस्मती से टिड्डियों का प्रकोप भी

(श्री परसराम मदेरणा)

बढ़ता जाता है उसको भी कन्ट्रोल करने के लिये जोधपुर में हमने जितना बड़ा ओरगेनाइजेशन कायम किया है उसके बारे में मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज के प्रतिनिधि वर्ल्ड कान्फ्रेंस में भाग लेने आये थे उन्होंने इस बात की सराहना की है कि इतना बड़ा ओरगेनाइजेशन मिडिल ईस्ट में नहीं है।

श्री मदनसिंह : अनाज होता तो टिड्डियें आवें अनाज तो होता नहीं फिर टिड्डियें कहां से आयेंगी।

श्री श्रवणलाल : सफेद रंग की टिड्डियां जरूर आती है..

श्री परसराम मदेरणा : वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि लांग टर्म पॉइन्ट ऑफ व्यू से क्या-क्या किया। मैं बताना चाहता हूं जैसलमेर में पहली दफा हजार वर्ष बाद रेलवे लाइन गई है उससे क्या फेमीन में राहत नहीं मिली? उसके कारण घास, अनाज आदि पहुँचाने में बहुत मदद पहुँची है। इसके जरिये काफी सस्ती दर पर हम घास पहुँचा पाये हैं। इसके साथ-साथ जितनी भी डिफेन्स की सड़कें हैं जो डिफेन्स पॉइन्ट ऑफ व्यू से बनी है उनसे भी घास और पानी पहुँचाने में मदद मिली है। हमने कई काम ऐसे लिये हैं, लांग टर्म पॉइन्ट ऑफ व्यू से लिये हैं जो अकाल के समय काम किये जा सकते थे वे हमने लिये हैं।

इसके अलावा वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने मोरेलिटी की बहुत बात की है। उन्होंने कहा है कि जिला परिषद् में हमने तय किया इतना डोनेशन दिया, हमारा भी कुछ काम कर देते। मैं इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भरतपुर के कलेक्टर ने जो इन्फोरमेशन दी है जिस कलेक्टर के बारे में उनको ज्यादा विश्वास है हालांकि उनको मेरी एबोलिटी में डाउट है, उनकी दी हुई सूचना मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना है कि एक रुपया पर क्विन्टल ट्रान्सपोर्टेशन शेड पर लाने का लगा है, दो रुपया क्विन्टल शैड से गोदाम तक ले जाने का लगा है, उसके बाद गोदाम से लोडिंग अनलोडिंग, रेलवे फ्रेट वगैरह दो रुपया और दिया है। आपके घास के डोनेशन के बाद भी उसको यथा स्थान पहुँचाने के लिये पांच लाख रुपये खर्च का अनुमान आया है..

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इतना खर्चा आ नहीं सकता इसमें डी. एस. ओ. ने गड़बड़ी की है इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो खर्चा उनके कहने से बताया गया है जैसलमेर तक पहुँचाने का ३ रुपया आता है कन्सेशनल फ्रेट के बाद। बीकानेर पहुंचाने में २ रु. १५ पैसे खर्चा आया। कलेक्टर से हमने सूचना मांगी है जैसलमेर डिपो से एवरेज लेकर बताया है १० रु. ९ पैसा खर्च आया था। बीकानेर में ६.१५ पैसे आया है उसके बाद बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां उस घास को पहुँचाया गया, जहां इससे भी ज्यादा खर्च आया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने ये सारे गलत आंकड़े दिये हैं एक क्विन्टल पर केवल एक रुपया खर्च आता है इस बड़े खर्चे की आपको जांच करनी चाहिये। यह सारा खर्चा गलत है। यह हिसाब कागजों पर है जो प्रेक्टिकल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जैसलमेर और बीकानेर की बात बतायी। रेल का

(श्री परसराम मदेरणा)

खर्चा भरतपुर से डेस्टीनेशन तक पहुँचाने का आपके डोनेशन के बाद भी यह पड़ा है। जैसलमेर में १० रु. २ पैसे और बीकानेर तक ६.१५ पैसे इसके बाद भी आगे पहुँचाने का खर्चा आया है वह अलग है। बीकानेर से तो चूंकि कलेक्टर मौजूद नहीं थे सूचना नहीं मिल सकी। जैसलमेर में जो एवरेज आ रहा है वह ६.७५ पैसे आ रहा है। कुल मिला कर करीबन दस हजार क्विन्टल के आसपास बीकानेर गया है अट्ठाईस हजार करीब क्विन्टल जैसलमेर में गया है।

यह भी मामला हमारे सामने आया था कि जिन लोगों ने कर्त्तव्यपरायणता बता कर यह कार्य किया है उनकी प्रशंसा भी की जाय इनमें प्रधानों का सहयोग रहा है उनमें कांग्रेस के भी प्रधान थे। मैं उनको क्रेडिट नहीं देना चाहता खास तौर से यह सब क्रेडिट भरतपुर की जनता को है जिन्होंने इतना डोनेशन दिया। मैं समझता हूं आप भी क्रेडिट लेने के लिये तैयार नहीं केबीनेट में जब यह मसला आया, आपकी भावना को ठेस नहीं लगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां पर जो घास आ रहा है वह माईग्रेशन रूट पर तीन किलो देने का प्रावधान है। रेलवे के जरिये जो हमने घास मंगाया था वह दो लाख क्विन्टल घास आया हम उसी रेट से वह दे रहे हैं। इसके लिये हमने ए. टी. एस. को डेपूटेशन पर लिया है कई जगह यह मालूम नहीं रहता कि घास कौनसा है डोनेट किया हुआ है या मंगाया हुआ है या कन्ट्रावटर द्वारा सप्लाई किया हुआ घास है। इसको डिफ्क्रिमोनेट नहीं कर पा रहे थे। माइग्रेट रूट पर अब हमने पर कैटल तीन की जगह चार किलो कर दिया इसमें से भी आफोर्थ माइग्रेशन रूट पर डालने वाले हैं। बाकी का जो है वह डोनेशन का समझा जायगा।

आठ रुपया क्विन्टल बेचने पर भी सरकार इसको सबसीडाइज कर देती है। १.६ हजार क्विन्टल घास बाहर से मंगाया गया है और ३८ हजार क्विन्टल आपने डोनेट किया है। इस पर खर्चा ज्यादा आ रहा है इसका कारण यह है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में सड़कें नहीं है, सड़कों का अभाव है इसीलिये सड़कों का काम शुरू किया है।

इसके अलावा बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्य-मन्त्रीजी को पत्र लिखा था कि मथुरा और वृन्दावन के लोग गायों के लिये चारा देने को तैयार थे ...

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर जिले से तुड़ी आयी है बीस-बीस मन का किराया उनको पूरा दिया गया है। ट्रक जो आये हैं उनमें बीस मण से अधिक तुड़ी नहीं आयी है। कितनी तुड़ी आई इसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : कल मैंने अखबार में पढ़ा जिसको सेन्सेशनल न्यूज तो मैं नहीं कहता ..

कल मैंने अखबार में पढ़ा था....

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई आपको सही राय दे उसको आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप सब यहां हा हा हा–ही ही ही कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल मैंने अखबार में पढ़ा था, सेन्सेशनल न्यूज तो

(श्री परसराम मदेरणा)

वह नहीं है, हां वह पालियामेन्टरी पद्धति के बारे में है। दो दिन पहले लखनऊ में बी. के. डी. से जीते हुए जो लेजिस्लेटर हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी और उसके नेता चौधरी चरणसिंह ने एक शैडो केबीनेट बनाई है ताकि किसी वक्त पावर में आ जाय तो उसे लेने को तैयार रहें। इसलिये एक-एक को एक-एक सब्जेक्ट में स्पेशीलाइज करना चाहिये। इसलिये मैं माननीय बी.के.डी. के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी यहां पर एक शैडो केबिनेट बनावें और उनमें हरेक को अलग-अलग वर्क एन्ट्रस्ट करें और खास तौर से श्री रामचन्द्र आर्य को फेमीन रिलीफ का डिपार्टमेन्ट दीजिये।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कांग्रेस के लिये यह अभिशाप है। आप लोग इस तरह से आपके सामने सही बात कहें, तो हा हा हा-ही ही ही करने लगते हैं और हा हा-हा-ही ही ही में वह बात खत्म कर देते हैं।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं। आज की बहस का जो नतीजा निकला, आपके भाषण का सारांश यह हुआ कि राजस्थान सरकार यहां की गरीब जनता के लिये सिवाय सड़क बनाने के और कोई दूसरे काम की बात अपने दिमाग में नहीं रखती है। आपके भाषण का तो यही सार है। राजस्थान की जनता के लिये इन बीस सालों में आपने यही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : आपने आकाश बांधा, पाताल बांधा किन्तु...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : मैं इनसे पूछकर रहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं पूछ सकते। वे बीच में नहीं बोल रहे हैं। उनका भाषण चल रहा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : मैं पूछ कर रहूंगा। ...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री मदनसिंह : (बोलते रहे)।

× × ×

× × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री मदनसिंह : × × × (बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय द्वारा इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : (शोरगुल में) यह सदस्यों के अधिकार का प्रश्न है। आसन की ओर से इस प्रकार का निर्णय देना गलत है।

(शोरगुल–व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इन्होंने आसन के आदेश की अवहेलना की है। ऑर्डर प्लीज।....

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार नोट नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार के अन्तर्गत यह मांग करते हैं कि यह आसन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इससे हमारी भी आस्था आपके प्रति नहीं रहेगी। यह स्वस्थ परम्परा के विरुद्ध है। यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है। आप यह....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं। स्थिति साफ है। जो भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह आसन के माध्यम से पूछा जाता है। (शोरगुल).... मैं निवेदन कर दूं कि इस वक्त आप न बोलें। जब डिबेट समाप्त होती है तो प्रश्न पूछें जा सकते हैं। इस के बावजूद भी जब माननीय सदस्य का भाषण अंकित न किये जाने का आदेश दे दिया गया तब भी वे बोलते हैं तो इसका जवाब कैसे दे दिया जाय। वह उचित नहीं होगा।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : यह स्वस्थ परम्परा नहीं है।

(कई सदस्य एक साथ उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं—अश्रव्य)....

श्री देवीदत्त गाडिया : इस तरह आप हमारे अधिकारों में बाधा डालते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : इस प्रकार की व्यवस्था बार बार आसन की ओर से दी जाती है कि बाद में पूछा जाय और इसका नतीजा यह होता है कि बाद में मन्त्री महोदय उसका उत्तर ही नहीं देते हैं। इसलिये हमें बीच में ही पूछना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : उस तरफ के माननीय सदस्य अब भी नाराज हो रहे हैं। इसलिये मैं चेयर से प्रोटेक्शन चाहता हूं। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : हमने भी रोटियां मंगवा ली हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यहां रोटियां वगैरह नहीं हैं। वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल एक बात कही कि मथुरा के अन्दर दस लाख मन धान, चारा वहां की जनता देने वाली थी और उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी को एक पत्र लिखा था और मुख्य मन्त्रीजी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और वे बड़े-बड़े सेठों से चन्दा मांगते रहे कि वे मारवाड़ी सेठ थे और मारवाड़ी, गैर-मारवाड़ी की संकुचित भावना को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, जो राष्ट्रीय एकता के अन्दर बहुत बड़ा बाधक है। मैं निवेदन कर दूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने जो भी चन्दा मांगा है वह वालिन्टियरी आर्गेनाइजेशन के लिये मांगा है जिसमें ५० पर्सेन्ट हम लगाते हैं। इसके लिये मुख्य मन्त्रीजी गये थे। मैं यह भी कह दूं कि वे एक भी पैसा अपने साथ में नहीं लाये। तीन लाख का बाहर से चन्दा आया है। राजस्थान के बाहर से, उदारचित लोगों से दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस रुपयों का चन्दा मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश के गांवों से, उत्तर प्रदेश के गांवों से तीन लाख का चन्दा आया है। इसमें किसी भी सेठ का एक लाख रुपये का चैक नहीं है। चन्दा मारवाड़ी देता है तो उससे भी लिया जाता है। इस प्रकार का चन्दा, फेमीन कैम्प चलाने के लिये चीफ मिनिस्टर का जो

(श्री परसराम मदेरणा)

रिलीफ फण्ड है, उसमें जमा होता है। आपका यह आरोप है कि हम इसमें फिजूल खर्ची कर रहे हैं। यहां यह शंका की गई है कि हमने घास के मामले में फायदा उठा लिया है और अनाज में भी उठाया है। मेड़ता से आने वाले सदस्य को भी मैं बताऊंगा। इन्होंने जो पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि मथुरा, आगरा जिले के गैर सरकारी लोगों से मैंने बातचीत की है और इस बातचीत से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वे लोग चारा एकत्रित कराने मे सहयोग दे सकते हैं, यदि सरकार की ओर से इन लोगों को समुचित सहयोग दिया जाये। इसमें मण वगैरह तो है नहीं कि कितना चारा दे सकते हैं। १०२ क्विन्टल चारा मुझे दमन और दीव से भी मिल रहा था परन्तु उसमें खर्चा इतना आ रहा था कि मैंने हाथ जोड़ कर उनको चिट्ठी लिख दी कि आपके सहयोग के लिये धन्यवाद। हमारे डिप्टी मिनिस्टर श्री भीमसेनजी, मजुफ्फरपुर और कई जगहों के दौरे पर गये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां के कलेक्टर को चिट्ठी लिख दीजिये वे चारा भेजने को तैयार हैं। मैंने कहा कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद के लिये नहीं लिखती है, हम नहीं लिखेंगे। राजस्थान सरकार की, राजस्थान की जनता के लिये, इस अकाल में बहुत जिम्मेदारी है। हर स्टेट के साथ हम हाथ फैलावे कि हमारी मवेशी मर रही है, हमें चारा दीजिये। वे यह समझें कि हम अपनी जनता की कुछ मदद नहीं कर सकते, इसलिये हमने यह समझा कि जब तक वहां के चीफ सेक्रेटरी हमारे गवर्नर को वहां के गवर्नर से चिट्ठी न लिखवा दें तब तक इसमें हम नहीं जा सकते क्योंकि रिक्वेस्ट टर्न डाउन होने के बाद में राजस्थान की प्रेस्टिज इन्वाल्व होती है। कांग्रेस की नहीं। अब जनता ने अपना फैसला अपने हक में किया है।

अभी यहां पर दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

श्री मदनसिंह : आप मुझे रहने दीजिये। मैं अच्छा हूं और जनता में जोर है तो आपसे करवा लेंगे। आपको बख्शीश आपके पास रहने दीजिये। छः महीने हो गये। आप तो कुछ कर नहीं सके।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो टेम्पर लूज कर रहे है। मैं तो समझता था आप काफी संजीदा हैं। हाउस मे आते ही खुमारी आ जाती है। जवाब नहीं चाहते हैं तो मैं भी समय नष्ट नहीं करूंगा।

श्री मदनसिंह : आसन के आदेश का पालन आप भी करें। मैं भी करूं। चुके से कर देना आपको अगर कुछ करना हो तो। जनता का काम है, मेरा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात तो मैं कहूंगा। मैंने तो काफी विस्तार से कहा कि ५० प्रतिशत से ऊपर काम इरिगेशन के और सोइल कन्जर्वेशन के हैं। अब आप कहें कि सड़कों पर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, और कोई चारा नहीं है तो मैंने इतनी देर भागवत यों ही बांची क्या ?

एक बात बता दूं आपको। दो दिन पहले मैंने काम सेक्शन किये हैं। वे काम किये हैं करीब ४०० जिनकी लागत २५ हजार से ऊपर है। २०० हैं पच्चीस हजार के और ३०० हैं उससे कम के। पांच सौ काम पास किये हैं लोंग टर्म पर राजस्थान में फेमीन की विभीषिका को कम करने के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये इस एरिया की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सड़कें बनाना जरूरी हैं। दूसरी पोसिबिलिटीज भी हैं।

दलगत राजनीति का जिक्र किया गया। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं निवेदन करूं कि आपके यहां पर जो काम पास किये हैं उनमें शायद मार-ोन्न इरिगेशन के काम हैं और आपके यहां ऐसे काम बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा खुले हैं। जो सड़कें ली हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट में ली हैं। सड़कें कुछ गिना सकता हूं मेड़ता से गोठन तक, मेटल रोड, पीपाड सिटी–मेड़ता–जैतारण मेटल रोड, पादू–बड़ी खाटू–मेड़ता से लेकर बीस-तीस-चालीस मील मेटल्ड रोड ली हैं। इस के बाद भी नाराजगी है आपको। आप मुझ से मिलते रहते हैं फूड डीलर्स एसोसियेशन की तरफ से भी आते रहे हैं। काफी बातें आपसे होती है। आपकी बातें जहां ठीक लगी वहां मैंने इमिजिएटली डिसीजन लिया है और जितने डिसीजन लिये हैं सबके बारे में तो सदन में नहीं कहूंगा पर विरोधी पक्ष के नेता महोदय से चेम्बर में कह दूंगा।

एक बात और निवेदन करूं कि आपने एक बात बताई। आप फूड ग्रेन डीलर्स के राजस्थान की एसोसियेशन के उपाध्यक्ष भी हैं इसलिये फूड के बारे में कहा कि हमने जो टेन्डर दिये एफ. सी. आई. को वह कैसे दिये। कांग्रेस सरकार के कुछ सोशल ओब्जेक्टिव्ज भी हैं। एफ. सी. आई. भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। अगर उसमें खामी देखते हैं तो भारत सरकार को भी लिखते हैं और एन्टी करप्शन विभाग को भी केस दे देते हैं। पर उनके मुकाबले में प्राइवेट आदमियों को अनाज के खरीद फरोख्त का मामला सरकार दे दे और जैसे आज बात कर रहे थे. आप नहीं, आप तो शायद शरीक होते या नहीं, पर दूसरे सब लोग, मैं किसी पर एस्पर्सन कास्ट नहीं करता, तो उनके मुकाबले में हमने प्राइवेट आदमियों को तरजीह नहीं दी। और न आपके किसी आदमी को भी ठीक तरह से चलते हुए गिरफ्तार होने दिया है। लों को मैंने हर समय सिम्पलीफाई किया है। कोई रीजनेबल बात आप लोगों ने कही है तो कानून में परिवर्तन २४ घण्टों में किया है। तो मैं उनको काम नहीं दे रहा था। इसलिये कि ठीक नहीं समझा एफ. सी. आई. के मुकाबले में और इसके बाद में कहा कि ४७ रुपये में लेकर बेच रहे हो। पिछली बार भी सदन में एफ. सी. आई. के बारे में डिसकशन हो रहा था, एडजोर्नमेन्ट मोशन के सिलसिले में। भरतपुर वालों ने रखा था। उसमें सरकार ने अपनी पोजीशन स्पष्ट की थी। शायद उस वक्त आप सदन में नहीं थे। होते तो आप को गलत फहमी नहीं रहती। जो कुछ भी अनाज खरीदा गया था वह सारा भारत सरकार के खाते में खरीदा गया था। और भारत सरकार के अकाउन्ट में खरीदने के बाद में कोटा में रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ, रबी का प्रोडक्शन राजस्थान में भी उन्हें इकट्ठा करना था और गोदामों में जगह उतनी नहीं थी तो भारत सरकार ने कोर्स ग्रेन अपने गोदामों में से यहां से निकाल कर महाराष्ट्र के गोदामों में भिजवा दिया या एफ. सी. आई. के गोदामों में मध्य प्रदेश में भेज दिया या गुजरात में भेज दिया और चूंकि एफ. सी. आई. के अकाउन्ट पर था वह तो उन्होंने जो रेट मुकर्रर की उसमें पांच छः रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाकर दे दिया। दे भी

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं और इसी रेट पर वे व्यापार कर रहे हैं अनाज का। उनकी रेट नो लोस नो प्रोफिट पर बेस्ड होती है और इसकी एक कौड़ी भी कन्सोलिडेटेड फण्ड में से नहीं आ रही है। इसलिये यह कहना कि आप मुनाफा उठा रहे हैं यह शायद सही तथ्यों की जानकारी के अभाव में आप कह रहे हैं। पूरा का पूरा अनाज भारत सरकार के अकाउन्ट पर लिया। उन्होंने ही पैसा दिया, खरीदा, और ले जाने के बाद कुछ तो स्केअरसिटी का एरिया था वहां बांट दिया और बाकी बचा वह इस तरह से रेट फिक्स करके बेचा।

आपने सुना होगा, भारत सरकार को भी पार्लियामेन्ट में बहस के दौरान यह कह कर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी कि उसने पिछले साल में बफर स्टॉक बनाने के लिये करोड़ों का घाटा उठाया है और उस घाटे में, शायद फूड मिनिस्टर बता रहे थे, कि इतने करोड़ का घाटा हुआ है और उसको लेकर पिछले हिसाब की बात कह रहे हैं तो यह तो भारत सरकार के सोचने की बात है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ४५ या ३५ में बिका।

श्री गोवर्धन सोनी : मैं बात आपकी मन्जूर करता हूं। आपने मेरे क्षेत्र में काम प्रारम्भ करवाये, मैं इनके लिये आपका आभारी हूं। मेरे कहने का तात्पर्य तो केवल यह था कि गत साल ४७) और ४४) रु० क्विन्टल में ज्वार खरीदी गई थी, अब वह ७४) रु० क्विन्टल में बेच रही है सरकार यह कहां तक न्यायसंगत है। आपको सरकार ने या एफ. सी. आई. ने मुनाफा नहीं कमाया होगा, पर राजस्थान की जनता तो लुटी। मैं तो इसे बड़ा अन्याय समझता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा लगता है सदन को मेरे उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ है। तो अब मैं और जवाब दूंगा। लेकिन मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं घण्टे भर में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह समाप्त नहीं होना चाहिये क्योंकि मुख्यमन्त्री पद के दावेदार तो यही हैं। खतरा होगा तो सुखाड़िया साहब को होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी फिक्र मत करो।

श्री खेतसिंह : अगर डिमाण्ड्स पर कुछ नहीं कहोगे तो जल्दी खतम कर देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आप जवाब से पूरे सन्तुष्ट हैं तो आगे नहीं कहेंगे।

श्री नरयीसिंह : जवाब तो बेकार हैं बिलकुल। अभी पता लगेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जवाब नहीं है। जवाबों से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करो काम।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये मुझसे मुख्य मन्त्रीजी को कोई खतरा हो या न हो लेकिन आपके कम्बाइन्ड एफर्ट्स से मुख्य मन्त्रीजी को कोई खतरा नहीं है। मैं यह कह रहा था–मैं यह मानता हूं ..

श्री नरयीसिंह : मुख्य मन्त्रीजी को अंदर से खतरा है, वे जानते हैं इस बात को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कहीं से खतरा नहीं है।

Page No 167

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पर पूरी निगाह है।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने और कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन चार रुपये प्राइस कम की है। मेरे प्रयत्न जारी हैं और मैं समझता हूं इसी सदन में मैं कुछ कर सकूंगा–भारत सरकार ने मेरी मदद की तो। अन्त में एक बात कहना चाहता हूं और वह आपको कहना चाहता हूं कल रात को जाने के बाद मैंने पढा-मैं फेमीन में इतना दी ता रहा, ६ चार महीने में ईमानदारी से कहता हूं मैंने कभी स्लीपिंग टेबलेट्स लेने की जरूरत नहीं समझी लेकिन मुझे चार महीने में नींद नहीं आई, मैं पूरा वाचफुल रहा हूं। हमेशा स्विट्ली और टाइमली, बिना किसी नेगलीजेन्स के और इनडिफरेन्ट रहकर काम किया है।

श्री मदनसिंह : मैं ईमानदारी से... (शोरगुल में अश्रव्य) चार महीने तक आप जरूर दौड़े हैं यह हम कहते हैं...

श्री परसराम मदेरणा : मैं कल रात को अखबार में पढ़ रहा था, हिन्दुस्तान टाइम्स में एडिटोरियल है २५–फरवरी का ऐडिटोरियल है उसमें कहीं उत्तर प्रदेश में इटावा जिला है-बाखरी में ज्युडिशियल कमीशन बैठा है और ज्यूडिशियल कमीशन ने जो फैसला दिया है....

श्री रामकिशन : सुन लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुन लीजिये According to the Judge, Story of the officers' conduct was invented to provid a pretext for PSP and Communists to stage a demonstration specially of Harijans in the forthcoming elections in that district......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इकतरफा है।

श्री परसराम मदेरणा : He has held that the two political parties are responsible for the unfortunate happening. वहां पर पॉलिटिकल रीजन्स रो करें लेकिन यहाँ फेमीन का प्रश्न है। इसमें आप पोलिटिक्स क्यों ला रहे है–माफ करिये इसको मैंने देखा नहीं है जैसा मैंने शुरू में कहा शुरू से लेकर आज तक वर्स्ट अफेक्टेड एरिया के अन्दर आज माननीय सदस्य जैसलमेर से आने वाले कुछ भी कहें लेकिन जबान से कोई बात कही वह हमारे साथ है और उनके साथ भी रहेगी। बीकानेर में वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है यह हमने कभी ध्यान नहीं रखा पोलीटिकली हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं इसको मानवीय प्रश्न मानता हूं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि वर्स्ट अफेक्टेड एरिया में सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है और यही दृष्टि सरकार आगे रखेगी और मैं इस सद को कॉन्फीडेन्स में लेकर निवेदन करना चाहता हूं जिस जिले की जैसी स्थिति है और जितने हमारे सीमित साधन हैं उन साधनों को देखते हुये कोई डिटिरियोरेट नहीं होने देंगे मृत्यु से अब तक कोई मरा नहीं है और न मरने देंगे और आप लोगों का को-ऑपरेशन रहा यह तो निंदा प्रस्ताव है आपकी मरजी है आप ले आये लेकिन मैं आपका को-ऑपरेशन आगे भी लेकर चलना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : Except my self.

Page No 168

श्री आईदानसिंह : माननीय मुख्यमंत्रीजी और माननीय अकाल सहायता मन्त्रीजी ने जो नल कूप के बारे में कहा उससे मेरी समझ में नहीं आया कि नल कूपों के लिये यह राज्य सरकार छुट्टी लेना चाहती है, क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात मैंने नहीं कही। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में क्या प्रोविजन है, इस बजट में कितना प्रावधान रखने की बात है उसका जवाब तो वित्त मन्त्रीजी टर्न आयगी तब कहेंगे। जितने ट्यूब वैल्स मांगे थे उनमें से ६० ट्यूब वैल्स हो चुके थे, १० केटिल डवलपमेंट के थे, १० राजस्थान केनाल के हैं, बीकानेर एरिया मे २० हैं इस तरह ८० ट्यूब वेल्स की केपेसिटी है। यह भी कहा है कि इ. टी. ओ. की लिस्ट क्यों नहीं लेते। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा या किसने कहा शायद जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, इ. टी. ओ. खोलना शुरू कर दिया है। इ. टी. ओ. की मदद ले ली है यह बात नहीं है कि हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते हैं लेकिन ट्यूब वैल्स डेजर्ट में खोदना मामूली बात नहीं है, कई बार लगाते-लगाते उनके पॉईन्ट टूट जाते हैं। ट्यूब वैल्स वाली स्कीम हमारी दूसरी स्कीम है इसको अलग पंचवर्षीय योजना में लेने जा रहे हैं–अब उसमें जितना पैसा मिलेगा, यह एक दूसरी बात है।

श्री आईदानसिंह : एक प्रश्न और है जालोर जिले में ट्यूब वैल्स खोदे हुए हैं वे सक्सेसफुल हैं। मैं राजस्थान सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उनसे कितनी भूमि सिंचित हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसमें पेय जल की व्यवस्था की बात कही गई है। इसमें ट्यूब वैल्स के लिये एक कमीशन्ड किया गया है, उसका खर्चा फेमीन डिपार्टमेंट देगा।

श्री आईदानसिंह : यह लीपापोती मत करिये, ४०-५० हजार गैलन ...

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार रिपीट मत करिये ...

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय मैं दो-तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। अकाल सहायता मन्त्रीजी मुख्य मन्त्रीजी ने अकाल की बात दरशाई, इसमे पहले भी दरशाई और हम भी मानते हैं लेकिन इतनी अकाल की भयंकरता, जो पिछले १०० साल में नहीं रही, आज इस अकाल की स्थिति को अभाव की स्थिति क्यों घोषित किया–अकाल क्यों नहीं घोषित किया ? दूसरी बात यह जानना चाहता टास्क बेसिस पर काम करने के संबंध में अपने भाषण में कहा है कि काम नाप कर नहीं किया जाता हैं पर किसी भी स्टेज पर नापा जाता है, केवल मस्टररोल के चुकारे का काम होता है। वे सेन्ट परसेन्ट काम कर देते हैं, यह किस तरह नापा जाता है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : चौकड़ी भी नहीं दी जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : लेकिन बिना नाप के किया गया है केवल ऑफिस में बैठ कर काट दिया जाता है वास्तविकता को नहीं देखा गया है। एक मैंने यह भी कहा था कि महिनों हो गये काम को स्वीकृत हुये लेकिन काम प्रारम्भ नहीं किये जाते औजार टी० एड० पी० नहीं हैं यह कह कर टाला नहीं जा सकता है। कलेक्टर ने पी० डब्ल्यू० डी०

Page No 169

(श्री दौलतराम सारण)

को लिखित में दे दिया है, सेंक्शन दे दी है अब यह कहना कि औजार नहीं है, काम न करने का बहाना है। इसके अलावा मैंने यह भी निवेदन किया था कि अनाज की व्यवस्था नहीं है, उसका भी कोई उत्तर नहीं है, चुकारा १८-१८ दिन तक नहीं किया गया है, यह चिट्ठी मैंने कलेक्टर को लिखी है, उसका कोई उत्तर नहीं है। और केवल एक ख्याली बात कहते जाना—मैंने टू दी पॉइन्ट बात कही थी और मेरी किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया गया इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने तथ्य रखे थे और मैंने गांवों के नाम बताये थे जहां मस्टररोल फर्जी पकड़े गये हैं उसकी भी जानकारी नहीं दी गई। इतने लम्बे उत्तर मिलने के बाद भी हमें इससे कोई संतोष नहीं है बल्कि यह असंतोषप्रद उत्तर है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : और किसी माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने हों तो एक साथ ही पूछ लें।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था कि आपकी सरकार द्वारा यह आदेश हो चुके थे कि माईग्रेशन चाहे ट्रकों द्वारा हो या चाहे ट्रेनों द्वारा हो हम ५० परसेंट खर्चा देंगे और जैसलमेर में एक पैसा भी ऐसा नहीं दिया गया है इसका मुझे जवाब नहीं मिला है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्रीजी से यह जानना चाहता था कि आपने मजदूरों की घोषणा तो कर दी कि जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार हम काम चलायेंगे और मरने एक को भी नहीं देंगे लेकिन आपकी जो लिमिट बनी हुई है उसके बारे में आप स्थिति के मुताबिक काम खोलेंगे वह तो लिमिट के अन्दर माना जायेगा। अगर लिमिट के बाहर होगा तो उसका रास्ता आप क्या करेंगे ? याने फिर आप लिमिट तोड़ने के लिये तैयार हैं या नहीं ? इसके लिये आप क्लेरीफिकेशन कर दें नहीं तो परिस्थिति यह है भूखे लोग तो बिना काम के रह जाते हैं और रोते फिरते हैं और दूसरे लोगों को काम मिल जाता है। तो उसके बारे में आप कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि जो सही माने में ठीक हो। फिर आप यह भी लोगों के बारे में जानकारी कर लें कि कोई भूखा है या नहीं या फिर उनके लिये पाइजन की गोली तैयार करके भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा प्रश्न यह है कि अकाल राहत कार्यों में अर्थ वर्क भी हुए हैं और ग्रेवल भी कलेक्शन हुआ है लेकिन टेन्डर्स के अभाव में जो ग्रेवल कलेक्शन किया हुआ है वह अभी तक ट्रान्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि इतना ग्रेवल कलेक्शन का और अर्थ का कार्य किया हुआ वेस्ट में चला जाये इसके बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि अभी आपने बायतू का जिक्र किया। वहां की आठ हजार की आबादी है। अभी तक भीमड़ा का कार्य शुरू नहीं हुआ है वह कब तक शुरू करेंगे ?

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं कि

(श्री पृथ्वीसिंह)

आज रिप्लाई में यह बताया गया है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी और मंत्री महोदय की जो घोषणा हुई है और राज्य सरकार की जो घोषणा हुई है उसमें बताया गया कि कैटल कैम्पस राजस्थान में खोले जायेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाली के अन्दर जो कैटल कैम्पस खोले गये हैं उनके बारे में राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि ५० परसेंन्ट उनको सहायता मिलेगी लेकिन वहां कैम्प में आज दिन तक किसी भी कैटल कैम्प को ५० परसेंन्ट सहायता दी गयी है या नहीं यह बता दें ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने काफी हद तक जितने प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। यह सही है कि मेहनत की और उनकी इन्टीग्रिटी के ऊपर किसी ने भी शक नहीं किया लेकिन जो वाद-विवाद का प्रश्न इस सदन में आया वह मजदूरों को पेमेन्ट का करने का था। राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी ७ वें दिन पेमेन्ट किया जायेगा १५-१५ और २०-२० दिन तक पेमेन्ट नहीं होता, मस्टररोल गलत बनाये जाते हैं। मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमने एस० डी० ओ० के मातहत व्यवस्था की है कि वह तुरन्त जाकर जांच करें और उसके लिए उन्होंने कहा कि पिछले साल का और अब का अनुभव यह है कि गड़बड़ियां हो रही हैं। तो मै जानकारी करना चाहूंगा कि मजदूरों को समय पर पेमेन्ट हो जाये और जितनी उन्होंने मेहनत की है उतना पेमेन्ट कर दिया जाये, मस्टररोल गलत नहीं बनें और गलत कटौती के आधार पर मजदूरों का शोषण नहीं किया जाये इस व्यवस्था में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जैसी सरकार ने घोषणा की कि अकाल राहत कार्यो में जो समाजसेवी संस्थायें काम कर रही थीं या जो करना चाहती हैं उनको सरकार पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है और सहायता देगी। उस संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि अकाल राहत क्षेत्रों के अन्दर कौन-कौन सी समाज सेवी संस्थाओं को सहयोग दिया है ? क्या इस बारे में आप जवाब देंगे ? कौन कौन सी समाजसेवी संस्थाओं ने काम किया और आपने उनको किन-किन को सहायता दी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें मुझे भी पूछनी हैं। मंत्री महोदय ने जो इस बहस के संबंध में उत्तर दिया वह बहुत अंशों में मैं समझता हूं कि अपर्याप्त हो ऐसा नहीं है और उन्होंने जिस तत्परता से निष्पक्षता के साथ में जो बातें कही हैं उससे भी एक हद तक मैं संतुष्ट हूं किन्तु मैंने गत सत्र में, उसके पहले सन् ६७ में जब हमारी तरफ दुष्काल हुआ था तो मैंने बार-बार दो तीन दफा यह मांग दोहराई थी, उसको मैं फिर दोहराऊंगा सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और सरकार उसको अवास्तविक समझे तो सरकार को अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां करोड़ों रुपयों का खर्चा हुआ है वहां स्वाभाविक है कि वहां पर बहुत कुछ कमियां हों, भ्रष्टाचार हों और अनियमिततायें हों लेकिन जो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार की व्यवस्था है, वह मेरे ख्याल में बहुत सेन्ट्रेलाइज्ड है और मैंने उस समय भी मांग की थी, अभी जनसंघ के माननीय नेता ने कहा था कि मस्टररोल फार्म्स गलत बनते हैं, बनने चाहिए गलत यह निर्विवादित बात है सरकार माने या नहीं माने सरकार की इच्छा है। वह तो बनेंगे लेकिन मैंने एक जांच आयोग के संबंध में भी मांग की थी। मैंने कहा था कि तीन-चार जिलों का ग्रुपिंग आप कीजिए और वहां पर परमानेन्ट ऐसी बॉडी रखिये कि डिविजन ऑफ वर्क हो और जो भी शिकायतें हों वह उस बॉडी तक शिकायतें पहुँच सकें और सरकार इस तरह का आदेश उन बॉडीज को दें कि अकाल जैसे ऑन दी स्पॉट आप डिसिजन देते हैं, इमरजेन्सी में तो डिसीजन देने ही पड़ेंगे। यह तो इमरजेन्सी है। जैसे वार ऑपरेशन्स होते हैं। तो मैंने निवेदन किया था सरकार को कि जांच आयोग कायम किया जाये ताकि मजदूर हो, एम० एल० ए० हों, कोई सम्भ्रान्त व्यक्ति हो जो देशसेवी भावना रखते हों, उनको जाकर कोई शिकायत तो करे और राहत तो मिले। कौन बांसवाड़ा से जयपुर आयेगा और क्या एक आदिवासी गरीब जयपुर आ सकता है? आपको चाहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था करें तीन-चार जिलों के ग्रुपिंग के द्वारा कि जहां पर जांच आयोग हो जो शिकायतों के संबंध में विचार करके आन दी स्पाट निर्णय करें।

माननीय सदस्य जो मेड़ता से आये हैं चाहे सरकार निष्पक्षता की दुहाई दें लेकिन सरकार ने राजनैतिक कारणों से जिस हद तक उनको जलील किया है वह तो मैं जानता हूं। खैर, यह तो अकाल के संबंध की चर्चा है मुझे इसमें कुछ विशेष नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने यह कहा ज्वार के सम्बन्ध में कि ४५ या ४२ रुपये में सरकार ने अगर ज्वार खरीदी है, यह सच है या नहीं है यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका आरोप था कि ४५ रुपये या ४२ रुपये में ज्वार खरीदकर ७४ या ७२ रुपये में ज्वार बेची है तो कहीं न कहीं दुर्व्यवस्था है। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कोई ऑर्डर है या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने खाद्य स्टोर्स बनाये हैं उनके अन्दर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो उनकी बदनामी और खमयाजा राज्य सरकार क्यों भुगते? मैं जहां तक समझ सका हूं यह भी एक मिसाल है कि जिसके सम्बन्ध में आपको स्पष्टिकरण अवश्य करना चाहिए।

दूसरा, मैं यह नहीं कहता कि आप सड़कें नहीं बनावें, मैं यह नहीं कह सकता कि हरगिज मिट्टी सड़क पर न डालें। बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि आपको कुछ करने को है ही। आप मिट्टी डालें लेकिन यह भी एक राजनैतिक दलगत की तरह जिसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। जालोर में बाई-इलेक्शन से पहले स्केयरसिटी या फेमीन डिक्लेयर किया है इससे मुझे सरकार नहीं है। आपका जो अधिकार है उससे मुझे सरोकार नहीं है, लेकिन इसके मोरल आस्पेक्ट को आपको सोचना चाहिए कि आपने रिलीफ वर्क का टेम्पो बढ़ाया है बाई-इलेक्शन के दो चार दिन पहले और यह कहा गया है कि यह कांग्रेस सरकार विकास कर रही है इसलिए कांग्रेस सरकार को वोट दो। अगर वोट नहीं दोगे तो गांव का विकास बन्द करके विनाश हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिम्मेदार लोगों ने नहीं कहा होगा। गैर-जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने कहा होगा।

Page No 172

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : महारावल साहब आपने खुद ने सुना है या पार्टी के लोगों ने कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दुर्भाग्य हमारा है कि मन्त्रिमन्डल का विस्तार ही होता जा रहा है। मंत्री पर मन्त्री भूत और जिन्द और जरक शायद ३०,३५, ३७ और न मालूम ४० इसका आपको वैधानिक अधिकार है इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता लेकिन एक मोरल आस्पेक्ट है। लोगों को नाज नहीं मिलता है और इधर मन्त्रिमन्डल का विस्तार होता जा रहा है, अजीब बात है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जालोर में बाई-इलेक्शन के बाद रिलीफ कार्य कम कर दिये गये। माननीय सदस्य जो कि जालोर से आये हुए हैं वे कहते हैं कि हजारों गैलन पानी मौजूद है। मैंने सुना कि जालोर क्षेत्र के अन्दर एक लाख एकड़ भूमि पर गेहूँ की सिंचाई की व्यवस्था है। अगर वहां के कुओं के अन्दर पानी मौजूद है तो उस पानी का सदुपयोग आप क्यों नहीं करते ? मैं यह भी आपसे पूछना चाहूंगा, यह मैं प्लानिंग के सम्बन्ध में कल विचार करना चाहूंगा, लेकिन पंपिंग सेट जो हैं ये गरीब या एवरेज काश्तकार के पास पहुँच नहीं सके। पांच हजार रुपये का एक पंपिंग सेट है, या योजना खामियों से भरपूर है। यही पंपिंग सेट दो वर्ष पूर्व दो हजार रुपये के थे। यह मैं मान सकता हूं कि कुछ न कुछ कन्ट्रोल प्राइस पर तो होना चाहिए। अगले साल पांच हजार से बढ़कर दस हजार पंपिंग सेट के हो जायेंगे तो कोई भी गरीब आदमी पांच हजार का पंपिंग सेट लेकर लगा नहीं सकता।

मैं इस बारे में आशा करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे और मेरे जो प्रश्न हैं अगर आप उचित समझें तो उनका उत्तर देने की तकलीफ करें नहीं तो जो आपकी खुशी है वह करें।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी ने जितने भी भाषण दिये हैं उनमें इस प्रकार का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है कि जिन किसानों के अन्दर तकावी का ऋण बकाया है या अनेक प्रकार के ऋण वगैरह जो बकाया हैं उनकी कुर्कियां उनके ऊपर आ रही हैं तो उनके सम्बन्ध में उन्होंने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया कि कर्जे की रकम की डिग्रियां और कुर्कियां आ रही हैं उनकी किसी प्रकार की वसूली की कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो अकालग्रस्त और अभावग्रस्त में क्या फर्क है उसका प्रश्न रखा तो जहां पर अकाल है....

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्षजी, !

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा।

श्री मदनसिंह : तकावी के सम्बन्ध मे जो एरियर्स हुए हैं उनके लिए जो आॅर्डर्स हुए हैं उनमे यह है कि जिन्होंने ट्रैक्टर्स के लिए तकावी ली है उनसे वसूली होगी और बाकी से नहीं होगी तो बारानी वालों ने तो तकावी ली ही नहीं तो उससे क्या हुआ। एक तो वैसे ही एंजिन-हंगर है और दो-दो, तीन-तीन दफा उनके एंजिन्स डेस्ट्राय हो गये हैं उन्हीं की कुर्कियां हो रही हैं और

(श्री मदनसिंह)

बाकी के केस में तो लिए ही नहीं। जिन्होंने कुए बनाये और ट्रैक्टर लिए उसके लिए तकावी ली गई बाकी के लिए तो नहीं ली है। इस तरह के भाषण देंगे तो ट्रैक्टर और उन चीजों को देखने वाला है नहीं तो उनको उन चीजों से संतोष नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि अकालग्रस्त और अभावग्रस्त में फर्क नहीं है तो अकाल घोषित क्यों नहीं किया गया ? जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था और बीच में प्रश्न पूछ लिया था उसके उत्तर में यह कहा था कि अभावग्रस्त और अकालग्रस्त दोनों को एक ही चीज मानकर चलते हैं। दोनों को डेफिनिशन में कोई विशेष फर्क नहीं है। फेमीन कोड में डेफिनिशन में इतना ही है कि जहां पर अकालग्रस्त एरिया होगा तो काफी लार्ज स्केल पर राहत काम शुरू हो जायेंगे और अभावग्रस्त एरिया वह होगा जहां पर काम कम होंगे। जब वह सब कार्यवाही की गई है और कर रहे हैं जो कि अकाल में होती है तो उसके बाद में अकाल और अभाव के फर्क में पड़ना कोई मायने नहीं रखता है। जो कुछ अकाल में काम करना चाहिए वह कर रहे हैं। लंगर नहीं खोल रहे हैं। लंगर राजस्थान में खोलना लोग पसंद नहीं करते हैं। राज्य सरकार ने २५हजार रजाइयां बांटनी थीं मैं खुद गया था तो अनुसूचित जातियों के लोगों ने उनको लेना पसंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वाभिमान को धक्का लगता है। राजस्थान के लोग लंगर खुलवाना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से मजदूरी सी बन रही है और हम बहुत अधिक लोगों को काम दे रहे हैं और जो कोई भी आयगा और जितने लोग आयेंगे उनको बराबर काम देंगे तो फिर उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है।

यहां पर टास्क्स के बारे में कहा गया है तो मैं मानता हूं कि टास्क्स के अन्दर कुछ कमियां रह सकती है इसके इम्प्लीमेन्टेशन में और मेजरमेन्ट में। तो मेजरमेन्ट का जो तरीका है उसमें गैंग को पूरे मेजरमेन्ट देते हैं और गैंग का मेजरमेन्ट होता है और मेजरमेन्ट सारी यूनिट का होता है। उनको टास्क एक-एक यूनिट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये समझते नहीं है। चूंकि ये समझते नहीं थे तो एक-एक रोड पर बाड़मेर जिले में और जोधपुर जिले के अन्दर एक-एक सड़क के ऊपर २४-२४ हजार मजदूर थे। उसी तरह से चौहटन तहसील में और बाड़मेर में काम हो रहे हैं वृद्धिचन्दजी मेरे साथ थे तो १९-१९ हजार लेबर एक-एक सड़क पर था। उनको यूनिट देने के बाद में पूरे का पूरा मैन पावर यह जो सेक्शन के अन्दर ओवरसियर होते हैं उनका झगड़ा है तो ४०० के आस पास लगा चुका हूं और २० बच गये हैं उनको भी लगा दें तो भी पूरे टेक्निकल आदमी नहीं मिलने वाले हैं राजस्थान में और हिन्दुस्तान के अन्य स्थानों से आने वाले नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप जो कह रहे हैं वह बच्चों को भुलाने की बात कह रहे हैं इसमें कोई टेक्निकल आदमियों की जरूरत नहीं है। आपने जो टेक्निकल स्टाफ डेप्युट कर रखा है और सुपरवाइजर लगा रखे हैं, वे ही काफी हैं और कोई एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत नहीं होती है। आप बच्चों की तरह से हमको भुलाना चाहते हैं।

Page No 174

श्री परसराम मदेरणा : इसमें बच्चों की तरह भुलाने की क्या बात है ?

श्री दौलतराम सारण : कितना सुपरवाइजरी स्टाफ रख रखा है उसके बाद भी ग्राप कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। उनको किस लिये रखा है ? वे किस बात के रखवाले हैं ? क्या उनको मजदूरी काटने के लिये रख रखा है ? उनको काम नापने के लिये और काम देने के लिये नहीं रख रखा है ? उनको ५-५ आना ६-६ आना मजदूरी ..

श्री परसराम मदेरणा : मैं एक बात निवेदन कर दूं कि काम करेंगे तो मेजरमेन्ट होगा ही और मेजरमेन्ट इसलिये रखना चाहता हूं कि पहले मेजरमेन्ट होते हुए भी लीनियेन्ट रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : हम कहते हैं कि सख्ती से मेजरमेन्ट हो। मेजरमेन्ट नहीं करते हैं यही तो हमारा एतराज है। कोई नापकर नहीं देते है, कोई काम नापकर नहीं लिया जाता है। यही हमारी शिकायत है। यही हमारा एतराज है। हम हराम का खाना पसन्द नहीं करते हैं। जबरदस्ती मजदूरी काट लेते हैं इसलिये एतराज है। गलत बात करते हैं सब...

श्री परसराम मदेरणा : हम गलत बात कहते हैं और ग्राप सही कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर सदस्य महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : क्या गलत है ? सही नही है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं कहता हूं, नहीं है, नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपको भूख लगी हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : मौजूदा जो पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर हैं, उन्हें मैं दो-तीन दिन से लगातार कह रहा था असेम्बली में बैठ कर एक घन्टे बात की है। मैंने कहा अब स्ट्रिक्टनैस बरतनी होगी। ये एजेन्सी पी. डब्ल्यू. डी. के कन्ट्रोल में है। मेरा डाइरेक्टली कन्ट्रोल नहीं है। मैं कह दूं पूरे फैमिन में हैरक था। मैं जब भी हैडक्वार्टर गया हूं ऑफिसर्स को हिदायत दी है। मैं कुछ स्टेप्स लेने जा रहा हूं। माननीय सदस्य देखेंगे कि जिसने मजदूरी की है, उसको मिलेगा। नहीं की है उसको एक पाई नहीं मिलेगी। सदन के सामने यह रखूंगा। जहां तक पी. एण्ड टी. की बात है, मैंने कलेक्टर से बात की है वह बता रहे थे कि पी. एण्ड टी. मिलते नहीं है। दूसरे पी. एण्ड टी. जैसे गैंती है, फावड़ा है, इनकी जरूरत पड़ती है। कारण यह हो गया है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, पी. एण्ड टी. खरीदने में गड़बड़ी होती है। यह पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा करानी चाहिए। इसके लिये जैसा कि टेण्डर आने चाहिये। टाटा से आ रहे हैं। देर हो रही है। तब यह किया कि जो जिसके पास हो, फावड़ा लाया हैं उसी से करे ताकि लोगों में डाउस बंध जाये। मजदूर काम करना चाहता है तो उसको काम से वंचित नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात को भी देखूंगा। २४ घण्टे में व्यवस्था करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह नहीं कहा था। हमें कैबिनेट डिसीजन चाहिये। आपकी बात से पेट नहीं भरता है। आप मन्जूर करते हैं काम। लोग वहां भूखे मर रहे हैं। यह पी. एण्ड टी. नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पी. एण्ड टी. क्या ?

श्री दौलतराम सारण : प्लान्ट्स एण्ड टूल्स। मैं कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, जब खुला हुआ है काम। उनमें औजार नहीं है। एक्सीयन ने कहा है हमारे पास औजार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से डिबेट खत्म नहीं होगी।

श्री दौलतराम सारण : बात खत्म कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय समझे हुए हैं, आपकी बात।

श्री दौलतराम सारण : मन्त्री महोदय के समझने से बात नहीं बनती है। लोगों को काम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह कोई जवाब नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : हम कहते है, पूरा पेमेन्ट करिये आप। हम वह आदमी हैं जो मजदूरों को जाकर कहते हैं। नाप के काम दीजिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आप का भी जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बात नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था, मैं जवाब दे दूं। उसके बाद एक-एक खड़ा होता जाये। मैं प्रश्नों के जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब का जवाब फिर नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्या करूं ? मुझे जो इन्फरमेशन मिली है। १९ सड़कों का काम शुरू हो गया है। मुझे कलेक्टर ने आज बताया है। पी० एण्ड टी० की कमी वहां नहीं है। अगर उन्होंने गलत इन्फरमेशन दी है तो उनके खिलाफ एक्शन लूंगा।

एक माननीय सदस्य : १९ कम हैं। ये इन्फरमेशन दे रहे हैं ११ बजे। तो उसके बाद आप मालूम कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह प्रश्न आसन की मार्फत पूछिये।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वीकली पेमेंट का पूछा था। इस सारे कार्य के लिये ३०० जीपें चाहिये थीं। मैं जोधपुर और जालौर के इलाके में गया था। लोगों ने कहा यह प्रारम्भ होने वाला काम है। वीकली पेमेंट है। बाद में यह कि वीकली पेमेंट सुपरवाइजरी नहीं होता है। वह वीकली में जरूरत रहती है। इसलिये मैंने वापिस यह निर्णय लिया है, जहां काम प्रारम्भ हुआ है वहां फोर्ट नाइटली होता है। इतना हमारे पास नहीं है। हमें निर्णय को दुबारा रिव्यू करना पड़ा है। जैसलमेर से आने वाले सदस्य ने कहा— (विराम) उन्होंने एक बात कही है, ट्रक से मवेशी पहुंचाने की बात हुई है उसको ५० परसेन्ट देने की बात कही थी। अभी जो मवेशी पहुंचाये गये हैं उनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला तो यह कि जो डिसीजन था रेलों का था. ट्रक से नहीं था - जैसलमेर

(श्री परसराम मदेरणा)

दरबार की गायें पहले आ गयीं थीं खुद की गायें आ गयी थीं। ट्रक से हमने कभी नहीं पहुँचाया है।

श्री उपाध्यक्ष : (बीच में एक माननीय सदस्य के उठने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : अगर वह रेल से गये हैं और पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं एक वीक में पेमेंट करा दूंगा। दूसरी बात कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है कि आपने सीलिंग ढंग से कर दिया है। वैसा काम होगा। इस प्रकार के जिलों की स्थिति को देखते हुये कितना लेबर लगाया जाये। इसलिये मैं यह देख लूंगा, आप के जिले में ज्यादा लोग हैं तो मैं देख लूंगा जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता कह रहे थे, इस बात को एमरजेन्सी में लेना चाहिये। मैं स्पाट पर गया हूं। हमने बीसियों चीजें स्पाट पर ली हैं। निर्णय लिये हैं। कई बार गवर्नमेंट आफिसर्स ने कहा है कि आप ने यह आर्डर दिया है। लिखित में होना चाहिये। लेकिन वह जानते हैं कि मैंने कहा है, वह हो जायगा। हमने निर्णय स्पाट पर लिया है। फार्मेलिटी बाद में की है। जैसा डिसीजन होगा बांसवाड़ा के बारे में ले लूंगा।

पाली से आने वाले माननोय सदस्य ने केटल केम्प के बारे में कहा। इसके बारे में सरकार की स्कीम है वह यह है कि जो केटल केम्प २५० का युनिट बनता है, जो केम्पों के लिये क्लासीफाइड है, हिसाब से ऐसे केम्प को पचास परसेन्ट असिस्टेंन्स दिया जायगा लेकिन वह बाइस नये पैसे प्रति दिन प्रति गाय से अधिक नहीं होगा। इस तरह से जो केम्प चल रहे हैं उनको समय से उसका पेमेंट हुआ या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है। यह केस पहले का कभी का होगा। मैंने जैसा आपको बताया अब पहले पेमेंट का कुछ परसेन्ट कर दिया है, वह अस्सी परसेन्ट है। जो हिसाब कुल है उसका अस्सी परसेन्ट पेमेंट हो जायगा और बाकी बीस परसेन्ट है वह अकाउन्ट तय करने के बाद में दे दिया जायगा। अब इस मामले में अकाउन्ट दिया है या नहीं। अकाउन्ट दे दिया है तो उसका पेमेंट हो जायगा। आप मुझसे कल बात कर लेना, मैं आपको और जानकारी दे दूंगा।

ग्रेवल टेण्डर इन्वाइट किये, यह एक्सेप्ट नहीं किये। टेण्डर एक्सेप्ट नहीं होने से काम शुरू नहीं हो रहा है। काम सड़क पर नहीं चलेगा तो सड़क का काम नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि यह मामला पी. डबल्यू. डी. के पास है। मैं इस सम्बन्ध में बात कर लूंगा.......

श्री रामचन्द्र आर्य : यह पी. डबल्यू. डी. वाले ले डूबेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कि कितने रु० का टेण्डर है। वैसे उनको पावर्स हैं। हमने यह डिसीजन ले लिया है कि पचास हजार की टेक्निकल सेंक्शन है उसकी पावर पी. डबल्यू. डी. के एक्स. ई. एन. को हैं, इरिगेशन के एक्स. ई. एन. को एक लाख की पावर है, एस. ई. को एक लाख की पावर है, इरिगेशन के एस. ई. को पांच लाख की टेक्निकल की पावर सेंक्शन कर दी है और पी. डबल्यू. डी. के एस. ई. को अनलिमिटेड पावर दे दी है ताकि काम में ढिले नहीं हो।

(श्री परसराम मदेरणा)

मस्टर रोल की जो बात कही गई, तो मैं नहीं कहता कि मस्टर रोल गलत नहीं होते। साथ ही मैं नहीं कहता कि मस्टर रोल सब जगह गलत हैं। मैंने स्पोट पर जाकर देखा है और जहां ५४ लिखे थे वहां ५३ खड़े थे और जहां ६१ लिखे थे वहां ६२ खड़े थे। मैंने जो चेक किये हैं वह दो सौ से कम चेक नही किये होंगे। कई जगह पर कम मिले तो मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि छुट्टी पर हैं, आ नहीं रहे हैं.......

श्री नत्थीसिंह : प्रोग्राम पहले से चला गया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : मस्टर रोल, बोगस मस्टर रोल का जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं योजना बना रहा हूं और दो तीन दिन में मन्त्रिमण्डल के सम्मुख ले जा रहा हूं।

बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग के बारे में। सभी समाज सेवी संस्थायें सहायता दे रही हैं। समाज सेवी संस्थायें बहुत हैं, आनन्द मार्गी भी समाज सेवा संस्था है, दूसरी भी समाज सेवी संस्था होती हैं। लेकिन जो कैटल फीडिंग केम्प हैं, जो केम्प दो सौ पचास से ऊपर गाय रखते हैं। इस प्रकार की दो समाज सेवी संस्थाओं को असिस्टेंन्स दे रहे हैं। बाकी सभी प्रकार की समाज सेवी संस्थायें हैं, और भी दो-तीन प्रकार की समाज सेवा संस्था हैं, जैसे कोसा वह बच्चों के लिए सोयाबीन का तेल और पाउडर ट्रान्सपोर्ट से पहुँचा रही है, उसको खर्च लाख रुपये का पूरा दे रहे हैं। बाकी दूसरी संस्था है वह क्या सेवा कर रही है, उसका कौनसा काम है कौनसा नहीं है। ऐसी संस्था काम कर रही है उन संस्थाओं को बल देने की जरूरत है, उस पर सोचा जा सकता है। आपका जो सुझाव है उस पर सोचा जा सकता है।

विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने तीन-चार बातें कही थीं। एक बात तो कही कि आपको जांच आयोग बैठाना चाहिए। जांच आयोग किस बात पर बैठाऊं, मेरी समझ में नहीं आया...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

श्री परसराम मदेरणा : आपने अनियमितता को अजमेरा वाली बात बताई वह केस पुलिस को दे दिया है। अब डूंगरपुर की हालत यह है कि वहां सड़क का काम अफोरस्टेशन का काम, सोइल कन्जर्वेशन का काम, माइनर इरिगेशन का काम, रहट वाला काम हाथ में लिया है। और जो कलेक्टर हैं उनकी इस बारे में इन्फार्मेशन है वह एक-एक काम पर जाते हैं और एक-एक मेट को खुद अपॉइन्ट करते हैं, एक-एक सुपरवाइजर को वह अपाइन्ट करते हैं, सारी चीजें उनके खुद के कन्ट्रोल में हैं ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर में जो काम हो रहा है उसके सम्बन्ध में मुझे शिकायत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : डूंगरपुर के काम के बारे में शिकायत नहीं है तो फिर किस प्रकार का जांच आयोग बैठाऊं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सच्चाई है जो उन्होंने कही।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात उन्होंने कही शिकायतों के बारे में तो कलेक्टर खुद सुन रहे हैं और सारी बातों को खुद देखते हैं। मैं कह दूं कि मेरे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी राजी नहीं है। जो कलेक्टर था, एडीशनल रिलीफ कमिश्नर था, उसके बाद कलेक्टर था, इसको पहले एडीशनल कमिश्नर बना रहे थे फेमीन में तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि आप कह रहे थे, वहां पर अनियमितता है और घोटाले हो रहे हैं, मैंने सोचा, ऐसा कलेक्टर रहने दें वहां पर...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह जिला है, वह छोटा सा जिला है....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सारी तथ्यहीन बातें हैं। इनसे कोई हमें मतलब नहीं हमने जो सवाल किये हैं, उनका उत्तर आपने दिया नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर जिला छोटा जिला है, वहां पर फेमीन कन्डीशन इतनी एक्यूट नहीं है जैसी जैसलमेर, बाड़मेर आदि-आदि में होगी वहां पर काम का भी सीमित दायरा है और उसकी कलेक्टर आसानी से व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जहां पर छोटे से जिले में पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस हजार रोज काम करते हैं, वहां मस्टररोल बनते हैं पचास-पचास हजार के। मजदूरी रोज दी जानी चाहिए थी वह मजदूरी बराबर नहीं दी जाती है। मैं संतोष कर लूंगा यदि आप एश्योर करें कि मजदूरी चौदह रोज में दी जायगी। लेकिन जहां मजदूरी बीस-पच्चीस दिन में भी नहीं दी जाय, मस्टररोल गलत बने और अन्डर पेमेन्ट हो और कोई इस सम्बन्ध में शिकायत सुनने वाला नहीं हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन दिक्कतों को रिड्रेस करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्राफिटेबल होगा।

श्री परसराम मदेरणा : डूंगरपुर में ३१ काम चल रहे हैं। इरिगेशन के ३१, चार सौइल कन्जर्वेशन के, फोरेस्ट के पन्द्रह पी. डब्ल्यू. डी. के चार काम चल रहे हैं और उनमें १६,७०० लेबर लगा हुआ है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : १६,७०० लेबर नहीं लगा हुआ है। आप मेरे साथ चल कर देख लीजिये कि कहां लगा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रस्ताव के अपोजीशन के लिए कितना टाइम दिया है? जितना इसके सपोर्ट के लिए टाइम दिया है उससे दुगुना टाइम मिनिस्टर साहब ने ले लिया। तो टाइम का प्रपोर्शन तो होना चाहिए। जो टाइप सपोर्ट में बोलने के लिए दिया है उससे कितना ज्यादा टाइम देना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह : आप सवाल क्यों पूछते हैं?

श्री नरथीसिंह : सवालों का तो जबाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : रामानन्दजी, मुझे जवाब देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कई दफा मैंने देखा है कि दूसरे मेम्बरों को आधा घण्टा मिलता है तो आप एक सवा घंटा ले लेते हैं। और जो सेशन चल रहा है उसमें आगे देखेंगे कि आप कितनी टाइम की पाबन्दी रखेंगे। मुझे जवाब देना है क्योंकि आप

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहते हैं जवाब मुझसे। यह मेरे हाथ में नहीं है, जवाब रोकना या टाइम पर काबू करना। मैं जवाब रोक दूं तो फिर कहेंगे कि जवाब दिया नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : चार-चार महिने से मजदूरों की मजदूरी बाकी है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, यह मुद्दा उठाया गया था उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं, फिर क्या फायदा है ऐसे उत्तर से, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि जांच आयोग की बात कही है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि इमर्जेन्सी के तौर पर जिलों में शिकायतें हों तो उन शिकायतों को दूर करने के लिये, जांच करने के लिये कलेक्टर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ओवर आल इन्चार्ज हैं....

श्री दौलतराम सारण : कौन मानता है उनको ?

श्री परसराम मदेरणा : सभी मानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर ही कहते हैं कि कोई नहीं मानता।

श्री परसराम मदेरणा : शिकायतों के सम्बन्ध में जो यह सजेशन दिया है उस पर विचार करूंगा कि शिकायतों को देखने के लिये कोई दूसरी एजेन्सी हो, वह एजेन्सी कैसी हो जिससे कि उसको शिकायत की जा सके जो इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी हो ...

श्री दौलतराम सारण : बांसवाड़ा में हरिदेवजी जोशी और डूंगरपुर में भीखाभाई।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जालोर के ट्यूब वेल्स के बारे में कही। हम इस बात को मानते हैं और राज्य सरकार मानती है सक्सेसफुल ट्यूबवेल ५ हजार गेलन पर आवर के ऊपर का डिस्चार्ज हो वे सक्सेसफुल ट्यूब वेल्स हैं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वहां तो ५० हजार गैलन है....

श्री परसराम मदेरणा : शेरगढ़ में ऐसा ट्यूबवेल है जिसमें २० हजार गैलन का डिस्चार्ज है। जो ट्यूब वेल खुदे, कई जगह मशीनरी नहीं आई, ऑर्डर प्लेस किया पर कमीशन नहीं हुआ, अब मशीनरी आ गई है। हम बात कर रहे हैं कि ट्यूब वैल्स के कमाण्ड एरिया के अन्दर फेमीन से काम करवाना चाहते हैं तो मैं इसके लिये तैयार हूं. हम स्कीम बना रहे हैं फेमीन से ट्यूबवेल के कमाण्ड एरिया को लेवलिंग करके तैयार कर दें, इसके बाद वह किसको दिया जाय, किसको नहीं दिया जाय, इसकी व्यवस्था की जायगी।

तकावी के बारे में हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने तकावी की बात कही, उसके बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घर से लड़ कर आये हो क्या, घर जाना नहीं है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कह रहे थे कुए, पम्पिंग सैट्स की तकावी की बात, दांता रामगढ़ से आने वाले मान,

(श्री परसराम मदेरणा)

नीय सदस्य ने कहा। गवर्नमेन्ट का निर्णय है कि कुए, ट्रेक्टर, पंपिंग सेट्स की तकावी ले रखी है, खेती हो रही है, पैदावार में फरक नहीं आया तो ५-६ इन्स्टालमेन्ट्स हैं उनसे २ इन्स्टालमेंट्स से ज्यादा एक साथ वसूल नहीं किया जायगा। कुए भी वे जो सक्सेसफुल हो गये हैं, जिनसे सिंचाई हो रही है, इन्स्टाल भी हो गये पर पंपिंग सेट पानी में पड़ा है, खराब हो गये हैं, सिंचाई नहीं हुई है तो वे दूसरी केटेगरी में आयेंगे, जिनसे काम नहीं लिया जा रहा है, प्रोडक्शन नही हो रहा है, ऐसे मामले मेरे ध्यान में आयेंगे तो उनको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को भेज दूंगा कि रिकवरी स्टे कर दी जाय।

श्री मदनसिंह : तहसीलदारों के हाथ में यह मत छोड़िये, मेरे यहां तहसीलदार द्वारा गलत कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन (बेर) : एक तबियत तो मेरी ऐसी हो रही है कि सुबह के १० बजा दूं, पर मैं खुद खाना खाकर नही आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत था उसके सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि जो बात मैंने प्रस्ताव में रखी, जो प्रस्ताव की मूल भावना थी, उसे प्रस्ताव का विरोध करने वाले माननीय सदस्य यदि पढ़ लेते, मेरे प्रस्ताव की मूल भावना पर यदि माननीय सदस्य ध्यान देते तो सदन का उतना समय खराब नहीं होता। मौजूदा अकाल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था की है, क्या-क्या नहीं की है, उसके सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव में एक लाइन की भी चर्चा नहीं है। अकाल पड़ते हैं तो, उसके लिये व्यवस्था करने के लिये तत्काल सरकार को फैसले लेने होते हैं, तो जहां तक राज्य सरकार की अकाल सम्बन्धी व्यवस्था के डिटेल्स का सवाल है कि कितने मजदूरों को काम दिया, किस तरह की व्यवस्था की, किस तरह की व्यवस्था नही की, कितना टन चारा खरीदा गया, कितनी सड़कों पर कितने आदमी लगाये गये, इस सम्बन्ध में चर्चा करने का मेरा प्रस्ताव नहीं है, न चर्चा में है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : फिर निन्दा प्रस्ताव कैसे दिया ?

श्री रामकिशन : पहले सुनें तो सही।

मैंने जो बात कही, राजस्थान के दो मन्त्रियों और दूसरे सदस्यों ने जो उसका जवाब दिया है, वह २० साल का रटा-रटाया वही जवाब है, कोई नवीन नहीं है। सवाल मुख्य यह है कि अकाल क्यों पड़ा ? कितने मस्टररोल गलत हैं, कितने मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, यह उसमें कहीं नहीं लिखा है। इन प्रश्नों पर तो हर रोज चर्चाएं होती हैं, ये चर्चाएं रुकने वाली नहीं हैं, हर रोज चर्चाएं होती रहेंगी, जो लोग दुखी हैं वे इस तरह की गलत चीजों की चर्चाएं करते रहेंगे। इसके लिये मेरे प्रस्ताव में कहीं-नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन भी नहीं है।

मेरा असली मुद्दा तो यह था कि २० साल की गलत आयोजनाओं का परिणाम है कि योजनाओं का धन भी बढ़ता गया और अकाल की भयंकरता भी बढ़ती गई, इसके लिये राज्य सरकार दोषी है, इसके लिये राज्य सरकार की निंदा की जाय। मदेरणाजी ने कहा कि उन्होंने कितनो

(श्री रामकिशन)

तकलीफें उठाईं और काम किया। हमारी मंशा किसी को दुख देने की नहीं है। मेरा तो प्रस्ताव में असली मुद्दा यह था कि इतनी योजनाएं बनीं, इतनी आयोजनाओं में २ खरब १८ अरब रुपया खर्च किया गया, इन योजनाओं को बनाने के लिये जो एक्सपर्ट टेक्निशियन्स बैठते हैं, इन पिछले २० वर्षों में इन योजनाओं के द्वारा देश में क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये, इस पर बगैर ध्यान दिये सारे देश में इतनी धनराशि खर्च की गई, उसका नतीजा यह है कि सारे देश के अन्दर आज यह भयावह स्थिति है। अगर ठीक तरह से योजनाओं के धन को खर्च किया जाता, परमावश्यक कार्यों की प्राथमिकता ठीक कर दी जाती तो अकाल के समय जो कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं, उनकी चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकाल पड़ सकता था, उसमें कुछ लोगों को कष्ट होता पर इन गलत योजनाओं के कारण इतना धन खर्च करने के बाद भी १ करोड़ ३२ लाख आदमी अकाल से पीड़ित हो जायं, पशुओं को चारा और पानी नहीं मिले, लोगों को अनाज और पानी नहीं मिले, राजस्थान का पशु-धन नष्ट हो जाय, इसके बारे में मेरे प्रस्ताव में चर्चा का सवाल था। अकाल पड़ सकते हैं, हम लोग भी गद्दी पर आ गये तो यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि अकाल नहीं पड़ेंगे। सवाल यह है कि केन्द्रीय सरकार ने गलत आयोजनों के द्वारा २० वर्षों में देश को अकाल के गाल में ढकेला, इसके लिये राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि वहां भी योजना मंत्री हैं, योजना मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री हैं, राज्य सरकार ने राजस्थान को अकाल से बचाने के लिये कोई उपाई हल नहीं निकाला, राजस्थान के लोगों को अकाल से राहत दिलाने के लिये कुछ नहीं किया।

परसरामजी ने दूसरों की तरह कह दिया राजस्थान के डेजर्ट को मिटाने के लिये २० अरब रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। यह अनुमान का सवाल है, वह शायद गलत भी हो सकता है। २० अरब रुपये के खर्चे की चर्चा करें तो हिन्दुस्तान की तस्वीर देखनी चाहिये कि एक दिन में ३४ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अगर समझदार मंत्री होते तो इस बात पर ध्यान देते कि अमेरिका से अनाज क्यों मंगाना पड़ रहा है।

(१० म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान में खाली जमीन पड़ी है, जमीन हमारे पास है, पानी के साधन हैं। आप जो विदेशों से कर्जा ले रहे हैं, उसको बरबाद कर रहे हैं। अनाज खरीद रहे हैं। अगर इसका सही प्रयोग करते तो अकाल की भयंकरता कम हो जाती और विदेशी दासता से मुक्ति मिलती। पेट की भूख का सवाल नहीं रहता। २० अरब कोई बड़ी रकम नहीं है। आज आपने अमेरिका से कर्जा लिया है, कैनाडा से और गोरे देशों से लिया है। अगर गोरे देशों के कर्जे का केवल १५ प्रतिशत आप अकाल पर खर्चा करा देते, राजस्थान में अगर नेतृत्व यहां का मजबूत होता, तो यह हालत नहीं होती। अनाज के उत्पादन के लिए जमीन उपलब्ध है, जितनी राजस्थान में है उतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, आबादी का प्रेशर कम है। इसलिए जो योजनाएं आप बना रहे हैं, उससे राजस्थान को अलग मत देखो। तो मैंने जो प्रस्ताव रखा है अगर मंत्री महोदय उसको ढंग से

(श्री रामकिशन)

पढ़ते, मुख्य मन्त्री समझने की कोशिश करते तो इतना समय बहस में नहीं जाता। जहां तक आपने डिटेल्ड काम किए हैं, उस संबंध में जो दूसरे माननीय सदस्यों ने आलोचना की है उनका उत्तर आपने दिया है, उससे मुझे संतोष है या नहीं लेकिन मैंने जिस मुद्दे को उठाया था वह तो आज भी जैसे का तैसा पड़ा है। एक फर्क यही है कि इसके वर्ष राज्य सरकार, जो योजना आयोग को योजना प्रस्तुत कर रही है, पहली बार अकलमंदी के नजदीक जाने की कोशिश कर रही है, जैसा मैंने सुना है, देखा नहीं। अब बिजली और पानी पर ५६ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। मैंने बताया था कि २ खरब और १८ अरब रुपया २० वर्षों में खर्च हुए हैं, अगर एक खरब भी हिंदुस्तान में पानी और बिजली पर खर्च किया जाता तो लोग भूख से नहीं मरते और सवा करोड़ बेरोजगार लोग नक्सलबाड़ी नहीं बनते, सिनेमाघरों और स्कूलों को नहीं तोड़ते। तो मैंने जो प्रस्ताव निंदा का रखा है उसका जो जवाब आया उससे लगता है कि मंत्रियों का दिमाग साफ नहीं है।

मुख्य मंत्री ने बड़ी शालीनता से, कभी मुस्कराकर, कभी गंभीर होकर विषय बदलने की कोशिश की। उस पर मुझे ताज्जुब हुआ मुख्य मंत्री ने भविष्य का नक्शा खींच दिया कि नर्मदा से इतना पानी आएगा। माही से इतना पानी आएगा बाड़मेर में इतने एकड़ में सिंचाई हो जायगी, तमाम क्षमता बता दी। उस पर दूसरे जो माननीय सदस्य थे जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वे पीछे से तालियां पीट रहे थे। २० साल के बाद नर्मदा का जिक्र आया, २० साल के बाद आपकी आंख खुली है। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है लेकिन हुआ यह कि एक घंटा जो मैंने समय दिया वह खराब हुआ है गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, उसकी कीमत समझी नहीं। आप किस बात पर तालियां बजा रहे थे ? वह कब करेंगे ? योजना आयोग ने योजनायें मानी नहीं, आपके प्रोपोजल्स से वे प्रभावित नहीं। आपकी क्या हैसियत है ? रामानंदजी ने प्रश्न पूछा कि मुख्य मंत्रीजी। योजनाओं के बाद साधनों का क्या होगा ! मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे कि हर साल योजना दुगुनी होती चली गई। पहली से दूसरी योजना दुगुनी थी। लेकिन पहली योजना में विदेशी सहायता का हिस्सा कितना था और आपका हिस्सा कितना था ? मुख्य मंत्री बता सकते हैं ? नहीं। वित्तमंत्री हों तो बता दें। कांग्रेस के १०६ सदस्य हैं। कोई बता दे कि पहली योजना में विदेशी सहायता की रकम क्या थी ? फिर दूसरी योजना शुरू हुई। मुख्य मंत्री तो जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं वैसे यहां बोलते हैं। आपके बाल ज्यादा सफेद हैं मुझसे। लेकिन आप स्कूल मास्टर नहीं मैं बच्चा नहीं, उम्र मेरी ४० के आस-पास है। लेकिन मुद्दा क्या था जबाव क्या दिया ? कांग्रेसी दल के लोगों को तालियां ही पिटवानी हों तो ठीक है। ये तो थाली ही पीटेंगे जब तक आपके साथ रहना है। ढोली का कार्य करते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दिस इज इन्सल्टिंग कि ढोली का काम करते हैं। इस तरह के शब्द यूज करना बिल्कुल गलत है।

श्री रामकिशन : ढोली का काम बुरा नहीं। आपको तकलीफ पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा मतलब था ढोल बजाना, आपके किए हुए कामों का प्रचार करना। आपकी योजनायें चलीं। पहली

(श्री रामकिशन)

योजना में कितना हिस्सा था ? दुगुना हुआ, आपको याद नहीं होगा। पहली योजना में विदेशी सहायता का हिस्सा ५ प्रतिशत था। योजना की रकम जब दुगुनी हुई तो हमारे साधन दुगुने होने चाहिए थे लेकिन यह नहीं हुआ। जब दूसरी योजना शुरू हुई तो विदेशी सहायता का हिस्सा २५ प्रतिशत हो गया। इसका मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, पूंजी नियोजन किया हमने जिन परिणामों की आशा की वे नहीं निकले। महारावल योजनाओं का विरोध करते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं लेकिन नियोजन गलत हुआ। उसकी वजह से धन जहां लगना चाहिये था वहां नहीं लग कर ऐशोआराम और दूसरे कामों में लग गया, जिसके खराब नतीजे निकले। उसके कारण राजस्थान में हमेशा हर साल अकाल की छाया पड़ती है। मदेरणा साहब ने चतुराई से रेगिस्तान की विशालता बताई। उस विशालता के तहत आपने एक बात कही है कि आस्ट्रेलिया सघन देश है रेगिस्तान का इलाज नहीं कर पा रहा है। आपने चर्चा की है आस्ट्रेलिया की। आप किसी सेठ के संग वहां गए थे, वे संस्मरण बहुत मधुर होते हैं। लेकिन आस्ट्रेलिया और सोवियत यूनियन इन दोनों के पास जमीन ज्यादा है, जहां दस साल पहले एक वर्गमील जमीन पर ५० आदमी थे और हिन्दुस्तान में ३७५ आदमी हैं। हम चाहते हैं कि आस्ट्रेलिया की खाली जमीन पर या साइबेरिया की खाली जमीन पर रंगीन और काले लोगों को बसाया जाय। आस्ट्रेलिया वाले ऐसा नहीं कर सकते। आप आस्ट्रेलिया गए हैं ? वहां की अर्थव्यवस्था क्या है ? आप बताइये मांस के निर्यात में कौन नम्बर १ है ? हालांकि मैं मांसाहारी नहीं हूं। आज से १५ वर्ष पहले सोवियत यूनियन संसार में सबसे ज्यादा मीट का निर्यात करता था, आस्ट्रेलिया ने भेडों का पालन किया। नतीजा यह हुआ कि मांस का जो निर्यात होता है ३३ प्रतिशत केवल आस्ट्रेलिया का है इसलिए उसको रेगिस्तान कहना ठीक नहीं। अगर आपको आस्ट्रेलिया की यात्रा के संस्मरण सुनाने थे तो प्राइवेट कह देते। हम जानते हैं कि आप वहां से घूम कर आये हैं, आपने मुख्य मन्त्रियों और दूसरों से चर्चा की होगी, प्रधान मन्त्री से मिले होंगे लेकिन हम पर क्या असर डाल रहे थे ? मैं समझता हूं आप इतने नासमझ नहीं, काफी समझदार हैं। देश के लोगों में आपके बारे में चर्चा है लेकिन छोटे स्वार्थ के लिए बड़े सत्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे के लिए ऐसा मत करना। तथ्यों को तथ्य के रूप में रखें। आज राजस्थान के लिए, कल हिन्दुस्तान के लिए, परसों विश्व के लिये दिशा निर्धारण की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इससे मतलब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने वहां की चर्चा तो कर दी लेकिन दुनियां में रेगिस्तान सबसे बड़ा कहां का है ? सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मिश्र को जरूरत थी तो आसवान बांध बना दिया। इजरायल क्या है ? पांच जिलों का देश है। जबसे बना तो उसने सबसे पहले गरीबी से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले उसने अपनी खेती को सुधारा, फिर उसने अपनी सेना को सुधारा, देश की ताकत को बनाया अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और आज इजरायल का हर एक नौजवान सीना तानकर चलता है क्योंकि उनके सामने देश सबसे पहले है। अकाल सहायता मन्त्रीजी कहते हैं कि पानी कैसे पहुंचेगा ? पानी की बात करते हैं।

(श्री रामकिशन)

ईरान से कुवैत तक पाइप लाइन डाल दी गयी लेकिन आपकी विदेश नीति और सहयोग में कोई तालमेल नहीं है। इसलिये आपकी हालत यह हुई है कि बीस वर्षों में खेती के माने में आप गिरे हो, अनाज के उत्पादन के माने में गिरे हो। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि सन् ५२ में २६ लाख टन अन्न पैदा हुआ और अब भीषण अकाल होते हुए भी २६-२७ लाख टन हो जावेगा। सन् १६५२ में १ करोड़ १६ लाख एकड़ में खेती होती थी और अब ३.१६ लाख एकड़ में साधन जुटाये, बांध बांधे, नहरें बनी, उनसे इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन प्रगति को तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहिये। पिछले हालात में सुधार हुआ है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। राजस्थान में पांच-छः गुना फर्क आया है। आप राजाओं की बात कर जाते हैं। डूंगरपुर के बूढ़े राजा आपके सामने हैं। पहले ८ या ६ करोड़ के आसपास राजस्थान की कुल आमदनी थी। अब डेढ अरब के करीब है। आपके पड़ौसी पाकिस्तान को ही ले लीजिये। मै पाकिस्तान का विरोधी हूं। विभाजन के समय पाकिस्तान में एक भी कपड़े का कारखाना नहीं था। आज वहां पर कितना उत्पादन है। अनाज की दृष्टि से देखिये वह पांच करोड़ टन अन्न उत्पादन करता था और पिछला उत्पादन तो ६ करोड़ टन तक पहुँच गया है जबकि उसको आठ-साढ़े आठ करोड़ टन की ही जरूरत है। चीन जैसे देश की बात लीजिये। वह हमारा शत्रु देश है २४ करोड़ टन अनाज का उत्पादन चला गया है। नयी आबादी बढ़ी है। जिस प्रकार धन विभाजित करना चाहिये था उसको कर देते तो जनता आपको आंखों पर उठा लेती। लेकिन हर एक आदमी अपने स्वार्थ से सोचता है। प्रगति के दो अर्थ होते हैं। पुरानी स्थिति में सुधार, उसको स्वीकार करता हूं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से। हम सबसे पीछे रह गये तो केन्द्र हो या राज्य सरकार हो उनकी गैर जिम्मेदार नीतियों के कारण यह दुर्दशा हुई है।

इन सारी बातों के सम्बन्ध में जिक्र किया कि इतनी पोटेन्शियलिटी बढ़ी है, पानी की क्षमता बढ़ी है। अकाल सहायता मन्त्रीजी यदि डिटेल्स में जवाब दूं तो सुबह के दस बजे ही आपको जाने दूं। लेकिन मैंने अपना खाना खाया नहीं।.... शायद वे सो जायं।

श्री अध्यक्ष : कौन सो जावेंगे ?

श्री रामकिशन : जिनके यहां मैं खाना खाता हूं।

अकाल सहायता मन्त्रीजी ने छोटे-मोटे मुद्दे थे, उनका जिक्र किया। यह काम हुआ, यह सिरकी लग गयी। यहां लगी, वहां लगी। आज की जो व्यवस्था है उसमें कुछ करप्शन होगा। हम भी यदि सरकारों में आयें तो उसको रोक नहीं सकते जब तक कि सामाजिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन नहीं कर लेते। जब तक धन रहेगा करप्शन रहेगा। इसलिये संयुक्त समाजवादी पार्टी की यह नीति है कि न मन्दिर, न महल, न सम्पति। यह नहीं रहेंगे तो लोभ कम हो जावेगा। यह शिकायत जरूर है कि कोई बढ़िया सरकार होतो तो इसमें बहुत कमी अवश्य कर देती लेकिन आज की समाज व्यवस्था में उसको समाप्त कर दें यह सम्भव नहीं है।

आपके मन्त्रीजी ने एक बड़ी बात कही। वे कहने लगे कि राजनैतिक दृष्टिकोण को

Page No 185

(श्री रामकिशन) लेकर हम अकाज का काम नहीं करते। मैंने पूछा तो कहा कि भरतपुर को देख लेंगे। मैंने नहीं कहा। आपके चीफ व्हिप साहब हैं उनको इसीलिये लगा रखा है कि हल्ला-गुल्ला मचा दिया करें। आपसे हमारे बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं। कभी कहीं वहां पर कांग्रेस वालों ने काम किया तो मैंने तो उनकी तारीफ ही की। हमने काम शुरू किया उन्होंने हमारी मदद की। हमारी छोटी पार्टी है, हमारी हैसियत कम है, आपकी ज्यादा है, आपकी मोटी पार्टी है। बराबर के बराबर से चर्चा की जाय। हमसे क्यों भिड़ते हैं। यदि मेरे साथ इतनी बड़ी भीड़ होती तो राजस्थान में क्रान्ति हो गई होती। साधनों के होते हुए भी आपका आकार नहीं बना। इटावा में गोली चली...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : पूंजीवादी व्यवस्था से हम आये हैं या नहीं इसका पता नहीं लेकिन राजावादी व्यवस्था का लाभ आपको मिला है।

श्री नत्थीसिंह : ६७ में छिन गयी गद्दी तो दर्द हो गया।

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही मैं उसका जवाब नहीं देता लेकिन इतना ही निवेदन कर दूं कि समाजवादी दल की ६७ तक की यह नीति थी कि अकेला चलो, अकेला पड़ जाने से पराजित हो जाता था, लेकिन जब आर्थिक शक्ति बढ़ी तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि सारी बुराइयों की जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस जहां जावेगी वहां तो अकाल पड़ेगा, जमीन छिनती जावेगी, रूस और चीन से पिटते जावेंगे। पहले कांग्रेस को हटाओ और फिर दूसरे हटेंगे। इसलिये हमने भरतपुर के महाराजा का समर्थन किया और उन्होंने हमारा समर्थन किया। उस वक्त किया जब हमारे बगल में बैठे रहे थे।

एक माननीय सदस्य : पहले ही प्राइवेट में करते थे।

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर से दस मील दूर मिलते थे।

श्री रामकिशन : अगर हम कभी जीत गये तो पन्द्रह रुपये से किसी को आमदनी अधिक नहीं छोड़ेंगे। हमने एक बात कही राज बहादुर जी बढ़िया हों और महाराजा बढ़िया हों, हम तो कांटे से कांटे को निकालना चाहते थे। माननीय मुख्य मन्त्री जी को दर्द है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो समझौता किया अच्छे सिद्धान्तों पर किया तो मुझे कोई दर्द नहीं है।

श्री रामकिशन : तो माननीय मुख्यमन्त्रीजी मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको इस चर्चा का कोई राजनैतिक उत्तर होना चाहिये था, डिटेल्स वाइज उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। वह तो राज्यपाल के भाषण में छाप दिया। इसकी कोई सीमा नहीं है, सुबह दस बजे तक भी यह चल सकता है...

श्री अध्यक्ष : जहां खाना खा रहे हैं कहलाया है वहां।

श्री रामकिशन : वह आपको पता हो है।

मैं निवेदन कर रहा था अकाल सहायता मन्त्रीजी कहने लगे कि इटावा में गोली चली। सन्दर्भ क्या था? उन्होंने बयान पढ़ कर जवाब दे दिया कि इन्क्वायरी हुई और

Page No 186

(श्री रामकिशन)

उसका नतीजा यह आया कि समाजवादी पार्टी की वजह से गोली चली। तो इटावा की गोली का सन्दर्भ क्या है ? आपको जानकारी है इसके सन्दर्भ की ? अध्यक्ष महोदय, सदन शर्म से डूब जायेगा उसके सन्दर्भ को सुनकर। एक हरिजन महिला का उसके लड़के के साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध कराया गया। इसकी हवा जब बाहर चली तो पहले तो किसी आदमी के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, तब श्री अर्जुनसिंह भदोरिया, जो एम० पी० हैं उन्होंने इस बात को उठाया उस पर गोली चली। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात अगर यहां पर हुई तो यहां पर भी हम गोली से डरने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई भी हिन्दुस्तान की महिला इस बात को सुनेगी तो उसके मन में वेदना होगी, वह अपने दिमाग का सन्तुलन खो देगी। मुझे तो ताज्जुब है इस बात का कि सदन में बैठी हुई महिला सदस्याएं आपके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करतीं। उसकी एनक्वायरी किससे करवाई गई ? ए० डी० एम० से। तो इस बात का सन्दर्भ क्या था ? मेरा जो आरोप था वह यह था कि आप राजनैतिक कारणों से अकाल को कायम रखते हो। मेरा यह आरोप नहीं था कि आपने अकाल के काम कहां खोले कहां नहीं खोले। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि जब तक देश में गरीबी रहेगी, दरिद्रता रहेगी, तब तक देश में कांग्रेस शासन करेगी। अगर ये चीजें मिट गईं तो कांग्रेस शासन नहीं कर सकती। तो मैंने इन छोटी-छोटी बातों का जिक्र नहीं किया। मेरी तो यह मान्यता है कि अगर कहीं पर आप काम खोलेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और नहीं खोलेंगे तो लोग आपकी निन्दा करेंगे। तो इन दोनों ही बातों से हमें लाभ है। हम तो राजनीति के खिलाड़ी हैं। आप तो केवल एक तरह का खेल जानते हैं, हम तीन चार तरह के खेल जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हम भी आप से सीख रहे हैं। तीन तरह के खेल तो सीख लिये।

श्री रामकिशन : अभी तक नहीं सीखे। अगर सीख लिया होता तो उधर नहीं बैठते और जनता की लड़ाई लड़ते।

हमारे उद्योग मन्त्री जी के लिये हीराभाईजी और त्रिट्ठल भाईजी कई दफा कहते रहते हैं पर मैंने सात बरस में कभी नहीं कहा। मैं इस बात को मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन की चर्चा नहीं होनी चाहिये। लेकिन अबके जब मैं बांसवाड़ा गया और वहां सात दिन तक रहा तो वहां हर आदिवासी ने यह बताया कि हरिदेवजी जोशी कहते हैं कि पहले लाल टोपी उतार दो तब अकाल के काम शुरू होंगे। अब यह झूठ हो सकता है, इसकी सम्भावना से मैं इनकार नहीं कर करता, लेकिन लोग कहते थे कि श्री जोशीजी ऐसा कहते हैं। हमने जगह-जगह मीटिंगें की, महारावल साहब के क्षेत्र में भी गये और हर जगह यही चर्चा सुनने को मिली कि राजनैतिक कारणों पर ही अकाल के काम किये जा रहे हैं। तो भीखा भाईजी, आप इस चक्कर में पड़कर हमेशा भूखाभाई ही रहोगे। जनता लाल टोपी पहने या सफेद टोपी पहने इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नही है। ये बिचारे आदिवासी लोग, इनको टोपी उतारने में क्या देर लगेगी, लेकिन अगर आपने इनकी टोपी उतरवाई तो सन्सार में

Page No 187

(श्री रामकिशन)

आपकी टोपी उतरेगी। हमारी लड़ाई इस सिद्धान्त पर है। आप जनता का मनोबल गिरा रहे हैं। हिन्दुस्तान में वरसों से आदिवासी दबे हुए हैं, वे अगर आज ऊपर उठते हैं तो आपको जलन क्यों होती है? अगर ये लोग मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत होगा। हमें दस करोड़ पाकिस्तानियों और ७० करोड़ चीनियों से मुकावला करना है। तो ये इने गिने सवर्ण लोग उनका मुकावला नहीं कर सकते हमें चाहिये कि आदिवासियों का आत्म सम्मान जगावें, और अगर आपने इनकी लाल टोपी उतरवा दी तो चीन का हरा कोट और हरी पेंट पहनने में भी देर नहीं लगेगी। तो इन लोगों की विद्रोह करने की शक्ति बढ़ानी चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आप बांसवाड़ा में जायें, वहां के लोग आपको बतायेंगे कि आपके मन्त्रीजी इस तरह की बात करते हैं। आप यदि चुनाव के समय इस तरह की बात करते चुनाव जीतने के लिये तो भी कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन इस तरह की बात अकाल के समय में तो मत कहिये। अगर उन लोगों का स्वाभिमान गिरा तो आप समझ लीजिये कि आपकी हुकूमत गिरेगी।

मैं कुछ दिन पहले फैजाबाद में था, वहां पर एक कांग्रेसी मित्र मिले तो उन्होंने कहा कि यू० पी० में कांग्रेस आ जायेगी। तो मैंने कहा कि आप यू० पी० में किसी प्रकार १०० आदमी ले लो, बाकी का सिलसिला सुखाड़ियाजी से सीखो। सुखाड़ियाजी माहिर भी हैं, उनका चमत्कार भी है और उनमें लोगों को खरीदने की शक्ति भी हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे राजस्थान का दर्द हैं और आप यू० पी०....

श्री अध्यक्ष : आपने यह भी कहा था कि आप भी यह सीखना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : तो सुखाड़ियाजी, आप उदार भी है, नौजवान भी हैं और मेरा यह विचार नहीं कि आप छोटे बनें। आज केवल राजस्थान का सवाल नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में करीब ३४ करोड़ एकड़ जमीन असिंचित पड़ी हुई है। उसके बाद भी अमेरिका से और सोवियत यूनियन से कर्जा लेकर के, और जापान से कर्जा ले करके वह पैसा ऐशोआराम पर बरबाद किया जा रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास पैसे और साधनों की कमी है? जब पंचायत समितियों का बिल आयेगा उस समय मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर पैसा बरबाद किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके २९ आदमी और खड़े हो गये, या २३२ आदमी खड़े हो गये, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं इस तरह से ८ करोड़ रुपये को बरबाद करके।

श्री खेतसिंह : यह अकाल की कौनसी समस्या है?

श्री रामकिशन : अकाल किस कारण से होता है यह बता रहा हूं मैं आपको। यह शेरगढ़ का सवाल नहीं है, खेतसिंह जी। आपको सरकारी गवाह बना रखा है परसरामजी ने हर बात में कि खेतसिंहजी से पूछिये।

एक माननीय सदस्य : दोस्ती है।

श्री राम किशन : गवाह भी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आप

Page No 188

(श्री रामकिशन)

स्वीकार करें। सुखाड़िया साहब मैं मानता हूं कि आप केवल राज्य अपने लिये ही नहीं कर रहे है। अगर कोई कहता है कि सुखाड़िया साहब, माथुर साहब अपने लिये राज्य कर रहे हैं तो यह गलत है। मैं मानता हूं कि आपके भी कुछ सामाजिक लक्ष्य हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आपका अपने देश के प्रति कर्तव्य है। यह ठीक है कि आपकी सरकार अब निकम्मी हो गई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप साहस दिखावें। इससे आप में निखार आ जावेगा। जैसा मिश्र के नासिर ने पराजित होने पर दिखाया। पराजित होने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया। ऐसा आप भी साहस दिखावें और लोगो के मन को ऊंचा उठावें। २५ वर्षों तक आपने राज्य कर लिया। मैं चाहता हूं कि अब आप सम्मान के साथ जांय। नहीं तो ७२ में हम आपको धक्के देकर निकालेंगे जो मुझे पसन्द नहीं आयेगा। मैं चाहता हूं कि आप सम्मान के साथ ही इस सदन से निकलें। मैं जानता हूं कि आपकी सरकार मेरे प्रस्ताव का विरोध करेगी, समर्थन नहीं करेगी। मुख्यमन्त्री जी आपने मेरे प्रस्ताव को सही तरीके से नहीं लिया। जो तर्क आपने दिये हैं वे कोई तर्क नहीं हैं। तीन घंटे आपने हमारे खराब कर दिये। मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव निश्चित तौर से पारित होगा। इस प्रस्ताव का मेरे कांग्रेसी छुटभइयों ने विरोध किया है, मेरी आशा तो यह थी कि जैसे जैनी साल में ४-५ बार सत्य बोलते हैं, वैसे ही एक बार तो सच बोलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि कि आप सभी इसका समर्थन करें। मैंने अपने भाषण में विपक नाच के बारे कहा था। तमाम मंत्रियों ने इस सम्बन्ध में मुझ से पूछा कि वह कौन मन्त्री है परन्तु मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं कहना है। मुख्य मन्त्री जी, वित्त मन्त्री जी आपने बहुत दिनों तक राज्य कर लिया और अब इसमें कोई आकर्षण नहीं है। वित्त मन्त्री जी अब आप त्यागपत्र दे दें और इस सरकार को पराजित करने में मदद करें। अकाल के बारे में आपका जवाब भी हमने सुना। मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि विदेशी सहायता भी बन्द हो जाये तो भी हम दस वर्षों के भीतर ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में अकाल कभी नहीं पड़ सकता। इन्हीं बातों के साथ मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव महारावल लक्ष्मणसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रामकिशन, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री दुर्गालाल वाढ़दार, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री दौलतराम सारण, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, श्री रामसिंह कुड़ी, श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ ने पेश किया है कि "अकाल का सफलता पूर्वक मुकाबला न कर सकने के कारण यह सदन राज्य सरकार की निन्दा करता है।" जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हां कहें।

जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे ना कहें।

ना पक्ष जीता जीता, ना पक्ष जीता।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

दूसरा प्रस्ताव जैसा कि श्री रामनारायण चौधरी, श्री शीशराम, श्री अमीलाल

(श्री अध्यक्ष)

यादव, श्री वीरबल, श्री श्रीराम रावत, श्री शंकरलाल, श्री गुलाबसिंह शक्तावत, श्री श्रीनिवास शारदा ने....

एक माननीय सदस्य : यह तो मूव ही नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव ही गिर गया तो अमेंडमेंट उसमें कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! "..............का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये यह सदन उसकी सराहना करता है।"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हां कहें।

(शोरगुल–व्यवधान)

(शोरगुल में हां————हां हां की आवाज।)

श्री अध्यक्ष : जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे ना कहें।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : यह व्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपने फिर एक बार अनियमितता की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब मोशन लोस्ट हो गया, सबस्टेन्टिव मोशन ही लोस्ट हो गया तो अमेंडमेंट नहीं आ सकता। यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना है तो पहले करें। जब आसम अपने पैरों पर है तो कोई भी कोई बात नही कह सकता। कोई बात नहीं कही जा सकती। यह सबसटेन्टिव मोशन से अलग मोशन है। यह मेरी व्यवस्था है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : यह मेरी व्यवस्था है।। ..

....सदन की कार्यवाही...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर।...

(विरोधी दल के अनेक सदस्य खड़े हो गये–शोरगुल–अश्रव्य)...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सोच कर निर्णय दीजिये। अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : कतई सोचने का प्रश्न नहीं है।

ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : आप अनियमित कार्यवाही कर रहे हैं। संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं...(व्यवधान) शोरगुल

श्री अध्यक्ष : (शोरगुल में)....सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के १०–३५ बजे दिनांक २७-२-६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ४० की सूची)

आसामियान जिनको ग्राम घाणी (भूमड़ी) तहसील खानपुर, सन् ६८ में भूमि आवंटित की गई।

सूची

क्रमांक १	खसरा नं० २	रकबा ३	नाम आसामियान जिसे भूमि अलॉट की गई ४
१.	७५	७ बीघा	श्री शंकर वल्द किशना नाई
२.	,,	७ ,,	श्री केसरा वल्द गोमदा रेबारी
३.	,,	७ ,,	श्री सुवा वल्द रघुनाथ ,,
४.	,,	७ ,,	श्री देवजी वल्द रतीराम ,,
५.	,,	६।।)४	श्री सुवालाल थाना ,,
६.	८०	६ बीघा	श्री रतीराम वल्द छगा ,,
७.	,,	५ ,,	श्री हरदेव वल्द केसरा ,,
८.	८१	६ ,,	श्री हरदेव वल्द जैना ,,
९.	,,	६ ,,	श्री भंवरलाल वल्द शंकर
१०.	,,	६ ,,	श्री मगराम वल्द मिश्री
११.	,,	६ ,,	श्री मथरालाल हरलाल
१२.	,,	३।।।)४	श्री माधो वल्द ओंकार गूजर
१३.	८२	८ बीघा	श्री बरता वल्द भंवरलाल रेबारी
१४.	,,	८।।।)२	श्री राजाराम वल्द प्रहलाद
१५.	,,	१० बीघा	श्री श्यामलाल हंजा
१६.	,,	६ ,,	श्री हरजी छगा
१७.	,,	७ ,,	श्री राजाराम वल्द जैलाल
१८.	,,	८ ,,	श्री बगदू वल्द गिरवर
१९.	८३	६ ,,	श्री अर्जुनलाल वल्द आसाराम
२०.	,,	६ ,,	श्री हरजी वल्द धन्ना
२१.	,,	१० ,,	श्री नानूराम वल्द प्रहलाद
२२.	,,	५ ,,	श्री महराम वल्द भूरा
२३.	,,	५ ,,	श्री गिरीवर वल्द भूरा
२४.	,,	१० ,,	श्री हेमराज वल्द छगा
२५.	,,	५ ,,	श्री माधो वल्द कजोड़

Page No 191

१	२	३	४
२६.	८४	१० बीघा	श्री भीमराज वल्द हजारीलाल
२७.	,,	५ ,,	श्री गोरधन वल्द पल्ला मिरासी
२८.	,,	१० ,,	श्री जयलाल वल्द लाल
२९.	८५	११ ,,	श्री गोकुल वल्द गोट्ठ रेबारी
३०.	,,	११ ,,	श्री हेमराज वल्द बृजलाल
३१.	८५	१२।।।)४	श्री राजाराम वल्द हजारीलाल
३२.	८६	५ बीघा	श्री देवकरण वल्द बुद्धा रेबारी
३३.	,,	१० ,,	श्री बापू वल्द कालू
३४.	,,	१० ,,	श्री हरजी वल्द कालू
३५.	,,	५ ,,	श्री हेमराज वल्द गिरवर
३६.	,,	४ ,,	श्री सुवा वल्द ओंकार
३७.	८७	८।)४	श्री राजाराम वल्द काना
३८.	,,	६ बीघा	श्री प्रभू वल्द हरदेव
३९.	,,	६ ,,	श्री हजारीलाल वल्द केसरा
४०.	८८	१० ,,	श्री अमरलाल वल्द प्रताप
४१.	,,	१० ,,	श्री सुवालाल वल्द धीरा
४२.	८९	७ ,,	श्री नूनकरण वल्द कृष्णा (किसना)
४३.	,,	७ ,,	श्री गोरधन वल्द किसना
४४.	९०	५ ,,	श्री भंवरलाल वल्द गुलाब
४५.	,,	३ ,,	श्री बद्रीलाल वल्द माधो
४६.	,,	५ ,,	श्री कजोड़ वल्द नारायण
४७.	,,	३ ,,	श्री भंवरलाल वल्द धाना
४८.	९१	८ ,,	श्री मोतीलाल वल्द माधो
४९.	,,	६ ,,	श्री छीतर वल्द भंवरलाल
५०.	,,	६ ,,	श्री सुखराम वल्द माधो
५१.	,,	६ ,,	श्री अमरलाल वल्द धन्ना
५२.	,,	६ ,,	श्री हंसराज वल्द हरजी
५३.	,,	५ ,,	श्री काना वल्द हरजी
५४.	,,	४।।)३	श्री मथुरालाल वल्द पन्ना मेघवाल
५५.	७६	१० बीघा	श्री रूपचन्द वल्द माधो
५६.	,,	१० ,,	श्री जग्गा वल्द बीरबान
५७.	१४	४।।।	श्री आसा वल्द मिश्री
कुल योग	१६	४२६।)१	

परिशिष्ट (२)

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लाडनूं नगरपालिका को भवन निर्माण के लिए ऋण

42. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं)–क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं को सरकार ने 50,000 रु. का ऋण कार्यालय भवन बनाने के लिए दिया था ? यदि हां, तो कब और क्या नगरपालिका और सरकार के बीच इस ऋण का एग्रीमेन्ट हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार के ऋण देने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस ऋण की राशि के उपयोग के सम्बन्ध में ऑडिट पार्टी ने कोई ऐतराज किया है ? यदि हां, तो उक्त ऐतराज की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार को विदित है कि इस रकम का उपयोग नहीं हुआ और इसे दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया गया हैं ? यदि हां तो यह जानकारी कब मिली ? और आज तक क्या कार्यवाही किस किस के खिलाफ की गई तथा अब किसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

उत्तर

1. जी हां। नगरपालिका लाडनूं को पालिका भवन निर्माण कार्यार्थ रु० 50,000–का ऋण दिनांक 27-10-66 को स्वीकार किया गया था।
ऋण प्रलेख की प्रतिलिपि सदन की मेज रखदी गई है।

2. पालिकाओं को ऋण देने सम्बन्धी कोई पृथक से नियम बने हुये नहीं है। राज्य सरकार के लेखानियमों के अन्तर्गत ऋण स्वीकार किया जाता है।

3. जी हां। ऑडिट प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

4. जी हां। इस विभाग की ऋण राशि को दूसरे कामों में व्यय करने की जानकारी प्रशासक द्वारा उनके पत्र दिनांक 26-8-67 से दी गई थी विस्तृत जानकारी चाहने पर पता चला कि उक्त ऋण राशि में से रु० 10,871-08 भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल सेठो व शेष राशि रु० 38,128-92 पैसे भूतपूर्व प्रशासक श्री हरदत्त

भार्गव ने पालिका के अन्य कार्यों पर व्यय करदी है। संबंधित अधिकारियों से जिलाधीश के माध्यम से जवाब चाहे गये हैं। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

BOND TO BE EXECUTED BY MUNICIPAL BOARDS FOR TAKING LOAN FROM THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

This bond is made the 9th Nov., 1966 by the Municipal Board, Ladnun district Nagaur; Board establisahed on deemed to be established under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (hereinafter called the Board) in favour of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Board has applied for the grant of loan to the Government for the construction of Municipal Building etc. at Ladnun.

And whereas the Government has agreed to advance to the Board a Loan of Rs. 50,000/-(fifty thousand) repayable with interest at the rate of 7/ Percent per annum.

Now this bond witnesses that the Board is held and firmly bound up to the Government, in the sum of Rs. 50,000/- (fifty thousand only), the receipt whereof the Board hereby acknowledged, to be paid to the Government by the Board on the terms and conditions hereinafter appearing:—

(1) That the loan will bear interest @ 7/ percent per annum.

(2) That the loan will be utilised for the purpose for which it has been sanctioned and the utilisation certificate will be produced by the board before 31-3-1967 to the Director of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur and to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

(3) That the account of the said loan will remain open for inspection by the Examiner, Local fund Audit Department. Rajasthan, jaipur.

(4) That the loan along with interest will be repayable in ten equal yearly instalments. The interest shall start from the date of drawal of the amount and the first instalment for repayment shall fall due after 12 months of its drawal.

(5) That the loan will be first charge on the income and assets of the board and all the works etc. to be carried out by the Board out of the said advance shall remain hypothicated to the Government till the amount of loan together willth interest accrued thereon is repaid to the Government in full.

(6) That the repayment will be made on time failing which a penal interest @ 9% will be charged.

And the condition of this bond is such that if the Board shall faithfully and truely pay or cause to be paid to the Government all sums of money due under this Bond, on dates and in the manner mentioned above, then the above wirtten bond or obligation shall be void and of no effect, Otherwise the same remain in full force and virtue.

Necessary non-judicial stamps worth Rs. 5/-for this bond has been used.

In the witness where of this bond has been signed on this the 9th day of November, 1966 by me on behalf of the Municipal Board, Ladnun.

Sd/.
(Shanker Lal)
9-11-66
Executive Officer
Municipal Board,
Ladnun (Raj.)

Sd/.
(Kanaiya Lal Sethi)
9-11-66
Chairman,
Municipal Board, Ladnun.

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष ६७-६८ की सूक्ष्म प्रतिलिपि

३. ऋण राशि का दुरुपयोग करना:—

परिशिष्ट ८ व ९ में हो ५०,०००/– की राशि नगरपालिका मण्डल द्वारा राज्य सरकार से नगरपालिका का निजी भवन बनाने हेतु ऋण के रूप में वर्ष ६६-६७ में प्राप्त की गई थी। इस राशि की दिनांक ३१-३-६७ तक ही खर्च किया जाने का प्रावधान था किन्तु जिलाधीश महोदय, नागौर द्वारा भवन निर्माण का कार्य रोक दिया जाने के कारण यह राशि निर्धारित समय में व्यय नहीं का जा सकी थी। किन्तु पालिका के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से इस राशि को खर्च करने की अवधि और बढ़ाई जाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं को गई जबकि इस सम्बन्ध में वर्ष ६६-६७ की जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या १९ (ख) में भी सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि नगरपालिका के कोष में दिनांक ३१-३-६८ को १६६४१.१६ पैसे की राशि ही जमा की तथा जांच अवधि दिनांक २७-५-६८ में रु० १०६४१.६१ पैसे के लगभग की राशि ही रोकड़ पोते बाकी शेष थी। इससे स्पष्ट है कि नगरपालिका भवन की राशि में से अधिकतर राशि पालिका के सामान्य खर्चों में उपयोग कर ली गई है इस सम्बन्ध में वर्ष ६६-६७ की जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या १९ (ग) में भी उल्लेख किया जा चुका है। अतः यह अत्यन्त आक्षेप जनक है क्योंकि उक्त राशि केवल पालिका भवन निर्माण पर ही व्यय की जा सकती है।

Page No 195

ग्राम कानपुरा की काबिल काश्त भूमि

४३. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम कानपुरा, पंचायत गागरोन, पंचायत समिति सांगोद की काबिल काश्त भूमि को जंगलात से रेवेन्यू में तब्दील करने की कार्यवाही चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि एस. आई. आर. कनवास ने बाद जांच उपरोक्त जमीन को काबिल काश्त बताया है और उस पर जंगल का नहीं होना जाहिर किया है ?

(३) क्या इस जमीन की तब्दीली के कागजात २१-१२-६६ से कलेक्टरी, कोटा में वास्ते उचित निर्णय पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय ले लिये जाने की आशा है ?

उत्तर

(१) जी हां। ग्राम कानपुरा की कुछ वन भूमि को राजस्व विभाग में तब्दील करने की कार्यवाही चालू है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

पहाड़सर ग्राम से फरार की गई लड़की का मामला

४४. श्री रामनारायण चोधरी (मंडावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष में पुलिस स्टेशन, मंडावा में पहाड़सर ग्राम से एक नाबालिग लड़की को उसके घर से फरार कर ले जाने की शिकायत दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उस लड़की को फरार कर ले जाने वाले कुछ व्यक्ति एक जीप में रात के ११-१२ बजे के आस पास आये थे और उसी जीप में डाल कर उस लड़की को फरार कर के ले गये ?

(३) उस लड़की को कितने दिन फरार रखा था तथा उसको कहां-कहां पर रखा गया तथा फिर वह लड़की किस गांव में किस स्थान पर बरामद की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उस लड़की को फरार करके जीप के द्वारा वे लोग झुन्झुनू तक पहुँचा गये थे और फिर जीप को झुन्झुनू में छोड़ गये ? यदि हां, तो वे लोग तथा फरार की गई लड़की रात्रि में कहां रहे ?

(५) क्या यह सही है कि एक मुल्जिम को दो दिन तक बिसाऊ की पुलिस चौकी में बन्द रखा तथा बाद में उसको छोड़ दिया ? क्या यह भी सही है कि वह मुल्जिम नौकरी पेशा था तथा जब उसको गिरफ्तार उसके गांव में किया गया तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी ?

(६) क्या यह सही है कि लड़की को तथा मुल्जिमों को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस ने मुस्तगीस पार्टी से जीप किराये पर करके मंगवाई जिसमें उस पार्टी के कोई १,००० रुपये खर्च हो गये ? तथा यह भी सही है कि उस पार्टी ने इन सब बातों की शिकायत एस. पी., झुन्झुनू को कर दी थी पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई ?

उत्तर

(१) जी हां, सही है। नकल की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, सही है।

(३) लड़की २३-११-६८ को ११-१२ बजे रात फरार की गई थी जो कि दिनांक २५-११-६८ को ११ बजे रात बरामद की गई अर्थात् ४८ घण्टे बाद बरामद हुई। अभियुक्त उस लड़की को झुन्झुनू तक जीप में लाये वहां से पैदल बीड़ में ले गये। रात को बीड़ में जाल के वृक्षों में रखा और वहां से ऊंट पर बैठा कर गांव चन्दवा ले गये जहां पर दिनांक २५-११-६८ की रात को ११ बजे दुर्गाराम जाट, सा० चन्दवा के कब्जे से बरामद की गई।

(४) जी हां, सत्य है। अभियुक्तगण लड़की को फरार करके झुन्झुनू तक जीप में आये थे जीप को झुन्झुनू छोड़ दिया और दूसरे दिन चांद उगे तक जालों के वृक्ष में रखा।

(५) जी नहीं, यह गलत है।

(६) जी नहीं, यह गलत है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक को नही दी गई और ना ही पुलिस से लड़की को बरामद करने के बारे में जीप मांगी।

नकल एफ. आई. आर. नं० ३२, दिनांक २५-११-६८ धारा ४५२/३६३/१४७ आई. पी. सी., थाना मण्डावा (मुस्तगीस मुस्मात शान्ति जोजा हरजीराम जाट, सा० पहाड़सर)

राजस्थान पुलिस रोजनामचा आम माह सन् बाबत मुजमुन रिपोर्ट खुलासा रिपोर्ट आदेश ३०४/१२॥ ए. एम., इस वक्त मुस्मात शान्ति जोजे हरजीराम जाट, साकिन पहाड़सर बहाजरी चौकी जुबानी रपट करवाई कि रात को मै व मेरी लड़की किस्तूरी उमर

१२ साल मेरी खुड़ी में सो रही थी करीब ११-१२ बजे रात खुडी में चिमनी जल रही थी कि मेरी खुडी के किवाड़ खटखटा रहे थे तो मैंने कहा कि कौन है तो कोई जवाब नहीं दिया और किवाड़ के लात मारी जिससे किवाड़ अन्दर की तरफ पड़ गये और मेरी खुडी में सुरजाराम मूलाराम बेटा चिमनाराम जाट साकिन दुलचास व पीरूराम पुत्र तिलोकाराम जाट व प्रहलाद पुत्र बोमताराम जाट व धारीसिंह चारण व तीन-चार आदमी और थे जिनके मैं नाम नहीं जानती देख कर पहचान सकती हूं। वे मेरे घर में दाखिल हो गये और मेरे को मारपीट की और मेरी लड़की किस्तुरी को जबरन उठा कर ले गये। मेरे हाथ पर पीरूराम ने लाठी की मारी और मगरू में सुरजा ने लाठी की मारी वे लोग मेरी लड़की को फरार कर ले गये और रोला करने पर गांव के नोरंगा व लच्छू व और बहुत से आदमी आ गये इन लोगों ने खोज देखे तो मेरी गवाड़ी में करीब ४०-५० कदम के फासले पर जीप के खड़ी होने की लीक मिली और वहां पर ही उन आदमियों की एक लाठी बांस पड़ी हुई मिली जो मैं पेश करती हूं। मैं खम्मारा जाट, साकिन पहाड़सर को साथ लेकर रिपोर्ट करने आई हूं। कार्यवाही की जावे। एस. डी. निशानी अंगूठा शान्ति। कार्यवाही पुलिस तस्दीक की जाती है कि मुस्सात शान्ति ने जो जुबानी रिपोर्ट करवाई वह हरूफ ब हरूफ दरज की गई है जो पढ़ कर सुनाई व समझाई गई तो सुन व समझ कर सही मानी मुस्समात शान्ति का बदन का मुलाहजा किया गया तो एक चोट दाहनी हाथ की कलाई पर है व एक चोट नीलुगो का निशान मगरू में है व दो चोट बायें पैर का गोड़ा पर है व एक चोट नीलगु का निशान बायें पैर की साथल पर है व एक चोट दाहने कन्धे पर है मगरू की तरफ है जिसका मुआयना करवाना जरुरी है मगरू डॉक्टर साहब महनसर छुट्टी पर मालूम हुये हैं और बिसाऊ में कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है इसलिये शान्ति मजरूआ को वास्ते मुआयना डॉक्टरी व मालिजा अस्पताल मण्डावा को भेजी जायेगी। चूंकि मजमून रिपोर्ट से जुर्म दफा ४५२/३६३/१४७ आई. पी. सी. का बकु में आना पाया जाता है लिहाजा नकल रिपोर्ट रोजनामचा आम वास्ते कायमी मुकद्दमा थाना मण्डावा में सुबह पेश होगी क्योंकि अब वक्त रात है और मण्डावा जाने का कोई साधन नहीं है और मैं एच. सी. इन्चार्ज चौकी मसरूफ तफतीश हुआ ता० २४-११-६८/ एस. डी. मूलदान एच. सी. औ. पी., बिसाऊ एस. डी. निशानी अं० शान्ति।

कार्यवाही पुलिस

तस्दीक की जाती है कि रपट नकल नम्बर ३०४ रोजनामचा आम चौकी बिसाऊ ता० २४-११-६८ चौकी बिसाऊ के बदस्त श्री रघुवीरसिंह एफ. सी. ३१४ प्राप्त हुई जिसकी नकल हरूफ ब हरूफ की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म जेर दफा ४५२/३६३/१४७ आई. पी. सी. का बकु में आना पाया जाता है लिहाजा मुकद्दमा न० ३२/६८ दफा मजकूर कायम किया गया व नम्बर परचा से इत्तला आई. सी. ओ. पी., बिसाऊ को बदस्त श्री रघुवीरसिंह उर्फ सी. ३१४ दी जावेगी चूंकि आई. सी. ओ. पी., बिसाऊ मशरूफ तफतीश है एस. डी. निवाज अहमद आई. सी. पी. एस., मण्डावा २६-११-६८ एस. डी. रघुवीरसिंह।

सम-मुरार सड़क निर्माण का ठेका

४५. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सम-मुरार सड़क जिला जैसलमेर का ठेकेदार कौन था ? कितने मील लम्बी सड़क का निर्माण करना था और कौनसी तारीख को पूरी करनी थी और कितने रुपये का यह निर्माण कार्य था ?

(२) क्या यह सच है कि आज तक सम-मुरार सड़क का कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ है ? अगर हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सच है कि सम-मुरार सड़क का पूरा भुगतान कर दिया गया है ? अगर हां, तो आखिरी भुगतान कौनसी तारीख को किया गया और कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

उत्तर

(१) सूचना इस प्रकार है:—

मील कहां से कहां तक	ठेकेदार का नाम	निर्माण की राशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
२४ से ३२	किशनलाल रामचन्द्र, जोधपुर	२,५१,०७८) रु०	६-५-६७
३२ से ४०	प्रहलादराय, झुन्झुनूं	२,१७,२०५) रु०	६-५-६७
४० से ४८	किशनलाल रामचन्द्र, जोधपुर	३,३६,५५५) रु०	११-१०-६७
४८ से ५१	प्रहलादराय, झुन्झुनूं	१,१३,८२०) रु०	१०-७-६८

(२) जी हां, अंशतः (१) मील २४ से ३२ और ३२ से ४० मील तक का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो गया। अर्थाभाव के कारण जुलाई, १६६७ से बचे हुए कार्य को निम्न प्राथमिकता (लो प्रायरिटी) मिली।

केन्द्रीय सरकार के आदेश से कार्य की गति धीमी करने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। अतः ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) मील २४ से ३२ तथा ३२ से ४० मील का अंतिम भुगतान दिनांक ११-१-६८ को क्रमशः १३,५६०) रु० व ११,६८३) रु० का किया गया। मील ४० से ४८ का अन्तिम भुगतान अभी नहीं हुआ। मील ४८ से ५१ का कार्य अभी प्रगति में है।

जलप्रदाय योजना, धौलपुर

४६. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) धौलपुर नगर में जलप्रदाय योजना कब प्रारम्भ की गई थी तथा राज्य सरकार का उसको पूरा करने का कब तक का लक्ष्य था ?

(२) इस योजना के लिये कुल कितनी धनराशि का प्रावधान है और इसमें से कितनी धनराशि खर्च कर दी गई है ?

(३) आजकल इस योजना को क्यों बन्द कर दिया गया है ?

(४) सरकार धौलपुर की जनता की पानी की समस्या को दूर करने के लिये कब तक इसको पूरा करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) अप्रेल, ६५ में यह धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर है।

(२) योजना की अनुमानित लागत २० लाख रुपये हैं। इस साल (१९६८-६९) में इस पर ५.०० लाख रुपये का प्रावधान है और अब तक (जनवरी, ६९) में १०.२३ लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

(३) योजना पर निर्माण कार्य चालू है।

(४) धनराशि की उपलब्धि पर इस योजना को पूर्ण करने में अब से २ वर्ष की अवधि लगने की सम्भावना है।

फतेहपुर के मालखाने से सरकारी रकम का गबन

४७. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मनगढ़ सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीकर जिला अन्तर्गत एस० डी० ओ० कोर्ट, फतेहपुर के मालखाने से सरकारी रकम का गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

(२) क्या यह सही है कि बहुत सी चोरियों का माल इसी मालखाने में सील है और वह खराब हो रहा है ? इस माल की जिम्मेवारी किसकी है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त गबन की इन्क्वायरी को लेकर मालखाना सील किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि बहुत सी चोरियों के केसों में चोरों को सजा होने के बाद भी माल मालिकों को नहीं मिल रहा है ?

(५) क्या उपरोक्त गबन की जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और जो माल मालखाने में सील है वह माल मालिकों को कब तक लौटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) एस० डी० ओ० कोर्ट, फतेहपुर में सरकारी रकम २,५०३) रु० ३६ पैसा का गबन हुआ है जिसका पता दिनांक १८-१०-६६ को लगा। मालखाने के सत्यापन की कार्यवाही चल रही है। इसके पूर्ण होने पर ही पूर्ण गबन का पता चल सकेगा।

(२) मालखाना श्री हनुवन्तसिंह, भूतपूर्व नाजिर पर गबन के आरोप के मामले के कारण अभी तक सील किया हुआ है। जिम्मेवारी जांच पूर्ण होने पर निश्चित की जावेगी।

(३) जी हां। दिनांक १३-१०-६६ को मालखाना सील किया गया।

(४) जी हां। क्योंकि श्री हनुवन्तसिंह के गबन के मामले में मुकदमा चल रहा है तथा मालखाना अभी सील पड़ा है जिसकी जांच होना अभी शेष है।

(५) १. जी नहीं।

२. प्रश्न नहीं उठता। मालखाने की जांच होने पर फैसलाशुदा मुकदमों का माल उनके मालिकों को लौटाया जायेगा।

अध्यापकों के वेतन

४८. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १-९-६१ से पूर्व अनट्रेण्ड तथा ट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड पाने वाले अध्यापकों को १-९-६१ से नई ग्रेड (सेकेण्ड ग्रेड) में फिक्सेशन के बाद १५० रु० की स्टेज पर एक वर्ष इन्क्रीमेन्ट नहीं दिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि १-९-६१ के बाद ग्रेजुएट तथा ट्रेण्ड ग्रेजुएट में नियुक्ति तथा प्रमोशन पाने वाले अध्यापकों को १५० रु० की स्टेज पर कोई इन्क्रीमेन्ट नहीं रोका जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त दोनों प्रकार के नियमों के कारण पुराने अध्यापकों को नुकसान होता है और सीनियर अध्यापक वेतन में जूनियर अध्यापक से पीछे रह जाता है ?

(४) क्या सरकार इन दोषपूर्ण नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों में जो १-९-६१ से पूर्व राज्य सेवा में थे और जिनका स्थिरीकरण १२६) रु० या कम पर हुआ है उन्हें आर० पी० एस० १९६१ की वेतन श्रृंखला १३, शैड्यूल ४ की हिदायत २ के अनुसार १५०) रु० की स्तर पर पहुँचने पर दूसरे साल तक तरक्की के लिये रुकना पड़ता है।

(२) १-९-६१ के बाद जिन अध्यापकों को वेतन श्रृंखला १३ में नई नियुक्तियां, पदोन्नति दी जाती है उन्हें १५०) रु० के स्तर पर दूसरे साल तक नहीं रुकना पड़ता है।

(३) कुछ मामलों में ऐसा सम्भावित है।

(४) जी नहीं।

हवालात में मुल्जिम की मृत्यु

४९. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सालमगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में पुलिस एवं थानेदार द्वारा निर्मम पिटाई किये जाने से मुल्जिम जीवणा की हवालात में ही मृत्यु हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मृत्यु के कारणों की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जावेगी ? यदि हां, तो उक्त थानेदार एवं सिपाहियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि जिला प्रमुख श्री भंवर द्वारा उक्त थानेदार और सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बार-बार प्रार्थना की गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। थाना सालमगढ़ की हवालात में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस द्वारा पिटाई से नहीं हुई है।

(२) जीवणा नामक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टडी में नहीं हुई है। अलबत्ता दिनांक २५-११-६८ को मोगजी मीणा नामक व्यक्ति जो जुर्म ३०२ में मुल्जिम था, उसकी मृत्यु हुई थी। कारणों की जांच तत्काल एस० डी० एम०, प्रतापगढ़ द्वारा करवाई गई। मेडिकल अफसर, प्रतापगढ़ द्वारा पोस्ट-मार्टम भी किया गया। जांच से थानेदार या सिपाहियों का कोई दोष नहीं पाया गया।

(३) जी नहीं। कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई जाती।

माध्यमिक शाला सवाई माधोपुर में वैज्ञानिक कक्ष का निर्माण

५०. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उच्चतर माध्यमिक शाला, सवाई माधोपुर के वैज्ञानिक कक्ष भवन का निर्माण कराया गया? यदि हां, तो किस वर्ष और किस ठेकेदार द्वारा? इस भवन के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ?

(२) क्या यह सही है कि यह भवन जब से इसका निर्माण हुआ है तब से ही बारिश में चूता है और पूरे भवन में पानी भर जाता है और इसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं व किवाड़ टूट गये हैं?

(३) इस भवन के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त खराबियों के कारण ही यह भवन जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया है उसके काम नहीं लिया जाता है? यदि हां, तो इस भवन को ऐसा बनाने के बावजूद इसका पेमेन्ट ठेकेदार को क्यों कर दिया गया?

(५) क्या यह सही है कि अन्तिम अदायगी के पूर्व सम्बन्धित प्राध्यापक की इस विषय की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया?

(६) क्या भवन बन जाने के पश्चात् इसकी मरम्मत भी कराई गई है? यदि हां, तो किस वर्ष और इसमें राज्य सरकार का क्या व्यय हुआ?

(७) क्या राज्य सरकार इस भवन के त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार समझती है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(स्थगित किया गया)

ग्राम दीवराला की गोचर भूमि

५१. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) ग्राम दीवराला, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर में किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में गोचर है?

(२) उपरोक्त ग्राम में किस-किस नम्बर पर कब-कब से अनधिकृत कब्जा किस-किस का है व सरकार ने इसमें क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम की गोचर भूमि ख० नं० २८५५/६८।।) १ की भूमि का केस एस० डी० ग्रो०, नीम का थाना के यहां चला और एस० डी० ओ०, नीम का थाना ने फैसला गोचर का देकर, भूमि को खाली करवा दी ? यदि हां, तो कब व क्या कार्यवाही हुई ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम को उपरोक्त ख० नं० की भूमि एस डी० ग्रो०, नीम का थाना के फैसले से खाली हुई और उस फैसले को अपील नहीं हुई ? यदि हां, तो इस साल उस भूमि पर पुलिस ने जाकर काश्त कैसे व किस नियम के तहत करवाई ?

उत्तर

(१) १५ खसरा नम्बरान की कुल ३८२ बीघा १४ बिस्वा गोचर भूमि दर्ज है तालिका संलग्न है।

(२) खसरा नं० २८५५ पर सर्वश्री पहर्पसिंह, सुमनसिंह, चूना, किशनसिंह, नाथूराम का कब्जा है। सरकार ने उन्हें लैन्ड रैवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत बेदखली करने की कार्यवाही की है।

(३) जी हां। उप-जिलाधीश, नीम का थाना ने इस जमीन को खाली करवाने की आज्ञा दिनांक ११-१०-६६ को दी। १४-१०-६६ को इस जमीन का कब्जा सरपंच को संभला दिया गया।

(४) जी नहीं। अपील राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के पास जैर गौर है।

ग्राम दोराला, तहसील श्री माधोपुर की गोचर भूमि का विवरण

नम्बर शुमार १	खसरा नम्बर २	रकबा ३
(१)	२०२	६।)
(२)	४५३	१४।।।) २
(३)	११४०	११६।।।)
(४)	१११५	।।) ३
(५)	१३५८	५२।)
(६)	१३५६	४१।)

Page No 204

१	२	३
(७)	२०१४	२०)।
(८)	२२२५	४॥।) ४
(९)	२३९२	४।) २
(१०)	२३९३	४।) २
(११)	२३९४	७।)।
(१२)	२३९५	२)
(१३)	२४००	८॥) २
(१४)	२८५५	९८॥)।
(१५)	२२०१	३०॥)।
	कुल रकबा	३८२ ॥)४

चित्तौड़गढ़ में प्लाटों का वितरण

५२. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में गाडिया लोहार छात्रावास के निकट १६ भूखण्डों को रिहायशी मकान या बंगले नगर विकास प्रन्यास से एप्रूव्ड नक्शे के अनुसार स्वीकृति लेकर निर्माण कराने की शर्त से २२, २३ जून, ६८ के दिन के ३ बजे से ६ बजे तक नीलाम करने की सूचना १-६-६८ को सुगनचन्द जैन, अध्यक्ष, गाडिया लोहार सेवा संघ, चित्तौड़गढ़ और पंकज पंचोली एडवोकेट, चेयरमैन, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के नाम से छपा कर निकाली गई थी ?

(२) यदि हां, तो ये प्लाट किनको कितने-कितने में नीलाम किये गये ?

(३) क्या यह भूमि आबादी की है ?

(४) यह भूमि गाडिया लोहार सेवा संघ या छात्रावास को किन शर्तों पर किस कार्य हेतु कब राज्य सरकार द्वारा दी गई थी ? क्या इस भूमि को राज्य सरकार की अनुमति के बिना बेचा जा सकता है ?

(५) क्या आबादी में बदलवाए बिना कृषि भूमि के रिहायशी प्लाट काट कर बेचे जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो चेयरमैन, नगर विकास न्यास, चित्तौडगढ़ की इस अवैध कार्यवाही के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या चित्तौड़ के नागरिकों और संस्थाओं की ओर से भी इसकी शिकायत कलेक्टर, चित्तौड़ और राज्य सरकार को की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

Page No 205

भरतपुर जिले के सहायक अध्यापकों को द्वितीय वेतन श्रृंखला

५३. श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि भरतपुर जिले के सहायक अध्यापकों को आज्ञा क्रमांक उप जय संख्या ६/६०/२४०/६७ दिनांक १९-१०-६७ उप-शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर के जरिये तृतीय ग्रेड से द्वितीय ग्रेड में पदोन्नत किया गया था ? यदि हां तो किन-किन को ? उत्तर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि इस आज्ञा के अन्तर्गत दिनांक २७-११-६७ तक अपने गन्तव्य स्थान पर उपस्थित नहीं होने की सूरत में उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त किये जाने का प्रावधान था ?

(३) क्या यह सच है कि धौलपुर उप-जिला के अन्तर्गत पदोन्नति किये गये अध्यापकों को जिला से सैंकड़ों मील दूर स्थानों पर नियुक्त किये जाने का आदेश दिया गया था जबकि धौलपुर उप-जिला के अन्तर्गत ही उनकी नियुक्ति हेतु पर्याप्त स्थान रिक्त थे ?

(४) क्या यह सच है कि कुछ अध्यापकों ने एवं स्थानीय शिक्षक संघ ने इस हेतु प्रतिवेदन भी दिये थे ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब-कब ? प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सच है कि समय की सीमा २७-११-६७ समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ अध्यापकों को धौलपुर के अन्तर्गत ही पदोन्नति दे दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन को और किन-किन कारणों से ?

(६) क्या यह भी सच है कि कुछ अध्यापकों को समय की सीमा समाप्त हो जाने का बहाना दिखाकर पदोन्नति रोक दी गई है ? यदि हां तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया ?

उत्तर

(१) दिनांक १९-१०-६७ को सहायक अध्यापकों की द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु उप शिक्षा निदेशक, जयपुर द्वारा प्रसारित आदेश की क्रम संख्या उप/जय/संख्या-६/६०/२४७/६७, दिनांक १९-१०-६७ है, क्रमांक उप/जय/संख्या-६/६०/२४०/६७, दिनांक १९-१०-६७ नहीं। इस आदेश द्वारा भरतपुर जिले के १३ अध्यापकों को पदोन्नति दी गई। उनके नामों तथा पदस्थापन के स्थानों की सूची संलग्न है।

(२) उप-शिक्षा निदेशक, जयपुर के उक्त आदेश द्वारा पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों के लिये अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने की अन्तिम तिथि २८-१०-६७ थी, २७-११-६७ नहीं, और निश्चित तिथि तक नवीन पदों का कार्यभार न सम्भालने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः ही निरस्त होने का उक्त आदेश में प्रावधान था।

(३) (अ) उक्त आदेश में धौलपुर उप-जिले के चार निम्नलिखित अध्यापकों को पदोन्नति दी गई थी और उनके नामों तथा पदस्थापन का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	नाम व वर्तमान स्थान	पदोन्नति स्थान
१.	श्री महेशचन्द्र गुप्ता, उ. मा. वि., धौलपुर	उ. मा. वि. नगर फोर्ट (टोंक)
२.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा, उ. मा. वि., पंचगांव	उ. मा. वि., नांगल पाहाड़ी (करौली)
३.	श्री हरिनारायण, उ. मा. वि., धौलपुर	उ. मा. वि., इटावा भोपजी (जयपुर)
४.	श्री बाबूलाल, उ. मा. वि., बाड़ी	उ. मा. वि., सूरोठ (करौली)

(३) (ब) धौलपुर उप-जिले के पदोन्नति प्राप्त उपर्युक्त अध्यापकों को बाहर लगाया गया था क्योंकि उप-शिक्षा निदेशक के कार्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार इस उप-जिले में या भरतपुर जिले में द्वितीय वेतन शृंखला में रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं थे। यह सत्य नहीं है कि धौलपुर उप-जिले में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर भी वहां के अध्यापकों को बाहर भेजा गया।

(४) जी हां। जिला शिक्षक संघ, धौलपुर ने उक्त अध्यापकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया था उनके प्रतिवेदन की तिथि २५-११-६७ है। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि और उसके सम्बन्ध में तत्कालीन उप-निदेशक का स्पष्टीकरण जो राज्य सरकार को भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु प्रश्न के उत्तर के साथ प्रस्तुत है।

निम्नलिखित अध्यापकों के भी प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे, इन प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां सदन के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

(५) जी हां, यह सच है कि उप-शिक्षा निदेशक के आदेश क्रमांक उप/जय/संस्था-६/६०/२४७/६७, दिनांक १९-१०-६७ में निश्चित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् अन्य दो रिक्त स्थान भरतपुर जिले में उपलब्ध होने के कारण दो निम्न अध्यापकों को वहीं पर पदोन्नतियें दे दी गई थीं:—

(१) श्री सुरेन्द्रनाथ, स० अ०, माध्यमिकशाला, गंधारपुरा (धौलपुर)।

(२) श्री ग्यारसीराम, प्र० अ०, माध्यमिकशाला, डीग ।

(१) यह सच है कि उप-शिक्षा निदेशक, जयपुर के आदेश क्रमांक उप/जय/संस्था-१/६०/२४७/६७, दिनांक १६-१०-६७ तथा इस आदेश के क्रम में प्रसारित अन्य दो आदेशों से प्रभावित जो अध्यापक अपने पदोन्नति के स्थान पर निश्चित समायावधि में नहीं पहुँचे उनकी पदोन्नति निरस्त समझी गई ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस विभाग में एडीशनल पोस्ट्स

५४. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी अतिरिक्त पोस्ट्स एडीशनल आई० जी० पी०, डी० आई० जी० पी०, सुपरिन्टेन्डेन्ट की कब-कब क्रियेट की गई हैं और इन अतिरिक्त पोस्टों के बढ़ाने से सरकार को कितना अधिक रुपया खर्च करना पड़ रहा है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

प्रत्येक राज्य की आई० पी० एस० केडर स्ट्रेन्थ हर तीसरे वर्ष प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुये रिव्यू की जाती है । पिछली बार केडर स्ट्रेन्थ सन् ६७ में प्रकाशित हुई थी । इसके अलावा जो टेम्पोरेरी पद नये कायम किये गये थे, उनका आर्थिक भार बताते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

तहसील दूदू में अकाल की स्थिति और लगान की वसूली

५५. श्री छुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की कई तहसीलों में लगातार चार वर्षों से अकाल की स्थिति बनी हुई है ? अगर हां, तो तहसील दूदू में कितने ग्राम ऐसे हैं जिनको सरकार ने लगान माफ किया है और कितने ऐसे ग्राम हैं जिनका लगान मुल्तवी किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि तहसील दूदू में संवत २२, २३ व २४ का मुल्तवी किया गया लगान एक साथ वसूल किया गया है ? अगर हां, तो कितना पैसा वसूल हुआ और कितना बकाया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) तहसील दूदू में केवल ७१ ग्राम संवत २०२२ व २१ में प्रभावग्रस्त घोषित किये जाकर लगान स्थगित किया था। सूची संलग्न है।

१. जी नहीं।

२. लगान की वसूली संवत् २०२१ में २०२३ व २०२४ को गई। २०२२ का लगान अभी भी काश्तकारों में बकाया है। केवल उन्हीं का लगान जमा हुआ था जिन्होंने स्वेच्छा से कराया है। वसूली व बकाया का ब्योरा संलग्न है। लगान निम्न प्रकार बकाया है:—

लगान	१,३६,५६५.४३ रु०
सरचार्ज	१,३५६.७६ रु०
जमा हुआ	१,३८,९२२.२२ रु०
लगान	१,६७६.३४ रु०
सरचार्ज	८१.५८ रु०
	१,७६०.९२ रु०

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टाउन प्लानिंग विभाग के सीनियर ड्राफ्ट्समैन को पदोन्नति

५६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) टाउन प्लानिंग विभाग, जयपुर पी० डब्ल्यू० डी० से अलग कब हुआ और क्या उस समय कुछ कर्मचारियों से सेवा के बारे में ऑप्शन लिया गया था? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने अपना ऑप्शन टाउन प्लानिंग के लिये दिया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या टाउन प्लानिंग के सीनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का प्रोमोशन हुआ है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों का और किस आधार पर?

Page No 209

(१) सन् १९६४ में जिन-जिन व्यक्तियों ने अपना ऑप्शन टाउन प्लानिंग में दिया था उन सारे सीनियर ड्राफ्ट्समैन लोगों की सीनियोरिटी किस आधार पर तय की गई है ?

उत्तर

(१) अप्रेल सन् १९६४ में पृथक हुआ। जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। इसका सम्बन्ध नगर आयोजन विभाग से है।

(३) इस विभाग को जानकारी नहीं है। इसका सम्बन्ध नगर आयोजन विभाग से है।

निम्नलिखित स्थाई व्यक्तियों ने अपना ऑप्शन नगर आयोजन विभाग में समावेश के लिए दिया :—

मिनिस्टीरियल स्टाफ

(१) श्री ताराचन्द जैन
(२) श्री विष्नुनारायण
(३) श्री रामेश्वर विजयवर्गीय
(४) श्री रघुवन्श नारायण
(५) श्री आनन्दस्वरूप शर्मा
(६) श्री राधेश्याम खूटेटा
(७) श्री मोतीलाल भाटिया

टेक्निकल स्टाफ

(१) श्री कालूराम
(२) श्री कपूरचन्द
(३) श्री जुगलकिशोर
(४) श्री बृजमोहन
(५) श्री चांदबिहारीलाल
(६) श्री ओंकारसिंह
(७) श्री दयाचन्द
(८) श्री चन्द्रदत्त शर्मा
(९) श्री लल्लूलाल शर्मा
(१०) श्री भंवरलाल
(११) श्री रूपसिंह
(१२) श्री रामगोपाल

अकाल की स्थिति के कारण स्थगित वसूलियां

५७. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि अकाल की स्थिति होने से कई तरह की वसूलियां स्थगित करने के राज्य सरकार के आदेश हैं ? अगर हां तो किस प्रकार की वसूलियां स्थगित की गई हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि कई तरह की वसूलियां अभी तक स्थगित नहीं की गई हैं ? अगर हां, तो वे किस प्रकार के ऋणों की वसूलियां हैं ? उनको स्थगित न करने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि अकाल की स्थिति में काश्तकार ऐसी वसूलियां देने में असमर्थ हैं, परन्तु फिर भी उनको कुर्कियों द्वारा वसूली के लिये तंग किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसी वसूलियां स्थगित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां, जो वसूलियां स्थगित हैं उनका ब्योरा संलग्न आदेश में वर्णित है।

(२) जी हां, जो वसूलियां स्थगित नहीं की गई हैं, उनका ब्योरा भी संलग्न आदेश में वर्णित है।

(३) जी नहीं।

The realisation of Land Revenue, Loans and Taccavi etc. shall be made as under :—

1. In areas, declared scarcity affected, by the Famine Relief Deptt. :—

(1) The recovery of land revenue shall remain stayed.

(2) The recovery of all types of agricultural loans (long, medium and short terms) and Taccavi dues of Government as well as of Punchayat Samities shall remain stayed except that :—

(i) The instalments and interest on loans for tractors and pumping sets will conrtnue to be recovered.

(ii) The instalments and interest on loans for construction of wells will continue to be recovered provided the well was used for irrigating current rabi crop.

However, in both the above cases only two instalments will be recovered.

2. The realisations mentioned in para 1 above shall remain stayed for theperiod mentioned in the Order of Relief Department issued under Sec. 126 of the Rajasthan Tenancy Act.

3. Instalments and interest on Industrial and Mining loans shall continue to be recovered.

4. The recovery of the dues of co-operative institutions will continue to be made according to the Co-operative Department Rules, which already provide for conversion of short into medium term loan on the occurrence of scarcity conditions.

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ३४ की सूची)

उत्तर विधान सभा प्रश्न संख्या ११ रा.म. द्वारा श्री देवीलाल पुरासिया, सदस्य विधान सभा ।

नं० शु०	पटवार सर्कल	तादाद बकाया	नं० शु०	पटवार सर्कल	तादाद बकाया
(१)	लसारिया	–	(२९)	कादेड़ा	१५
(२)	पलासिया	–	(३०)	आखोली	–
(३)	मोलियमा	१	(३१)	सदारा	३
(४)	गड्डा	६	(३२)	महाम कलां	१
(५)	कालेड़ा कृ० गोपाल	–	(३३)	पिपलाज	–
(६)	बोमला	७	(३४)	घारेंदा	११
(७)	अन्धेरी	–	(३५)	खामली	१०५
(८)	पोरा	–	(३६)	कुशायना	२
(९)	भराई	–	(३७)	किसपर्नी	३
(१०)	फारक्या	१	(३८)	घीसोनास	८०
(११)	खरण्डा	१	(३९)	सीकर	२
(१२)	उगाई	–	(४०)	टाकासाल	१८
(१३)	केकड़ी	२	(४१)	घाटेमाला	७
(१४)	अघेरा	४६	(४२)	वाजन्दा	२५
(१५)	नया गांव	२४	(४३)	डोजला	५०
(१६)	जूनियां	२६	(४४)	खेजड़ी	३७
(१७)	देवगांव	२	(४५)	भिनाय	११५
(१८)	करांज	–	(४६)	कुम्हारिया	–
(१९)	देवलिया खुर्द	१	(४७)	कोटान	३४
(२०)	नेनदा कलां	–	(४८)	घातोल	४
(२१)	मानखण्ड	५१	(४९)	बादनवाड़ा	६
(२२)	सलारी	५४	(५०)	सिंगावल	२
(२३)	खमास	–	(५१)	छछुन्दर	–
(२४)	गुलगांव	१	(५२)	सरेगांव	–
(२५)	सार्करिया	१	(५३)	कराटी	३९
(२६)	आन्डेढा	४	(५४)	गोपलिया	२९
(२७)	भामडावास	२	(५५)	रानाकोट	१०
(२८)	काचरिया	४	(५६)	फोपिया	५

Page No 213

नं० शु०	पटवार सर्कल	तादाद बकाया	नं० शु०	पटवार सर्कल	तादाद बकाया
(५७)	पड़ागा	३६	(७०)	कुरथल	४
(५८)	झपपुरा	७	(७१)	राममालया	३५
(५६)	देवतियों वालां	२१	(७२)	हदामया	११
(६०)	एकलहोया	१७	(७३)	पीपल्या	४
(६१)	सिमालिया	३५	(७४)	आपानेरी	१६
(६२)	सौकड़ी	७	(७५)	बेरीट	१८
(६३)	चावड़िया	२२	(७६)	जैनपुरा	१२
(६४)	एडली	६६	(७७)	माडेरिया	३६
(६५)	साभारा	२६	(७८)	बड़गांव	८५
(६६)	नीमेडा	४७	(७६)	मागोला	१६
(६७)	गुडा खुर्द	८५	(८०)	कहला काला	२२
(६८)	अगराई	४०	(८१)	कनइ कला	४७
(६६)	नापसो	२			
				कुल योग....	१५३६

ह०

तहसीलदार बेकड़ी

———

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या १२ की सूची)

क्रमांक	नाम नमक निर्माता जिनको भूमि आवन्टित की गई	क्षेत्र जो नमक निर्माण के लिए आवन्टित हुआ	आवन्टन की तारीख
१	२	३	४
१	श्री भैंरदान कुन्डलियां, सुजानगढ़	८० एकड़	१६-११-६२
२	,, जौहरैमल डोसी, सुजानगढ़	९९ ,,	२५-१०-६२
३	,, रामचन्द बोधरा, सुजानगढ़	७७ ,,	९-४-६३
४	,, सोहनलाल सिंघवी, सुजानगढ़	७९ ,,	७-४-६३
५	,, हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, जयपुर	३० ,,	११-३-६४
६	,, जीवराज शावला, ब्यावर	३७.५	१५-११-६२
७	,, रामचन्द्र वल्द घासीराम अग्रवाल, सांभर	४८.४ ,,	११-३-६४
८	,, जसराज सोगानी, सुजानगढ़	८१ ,,	८-११-६२
९	,, सूरजनारायण वशिष्ट कुमार, सुजानगढ़	३७.५	१५-११-६२
१०	,, मै० स्वर्णकार नमक उत्पादक स० समिति लि०, ब्यावर	३० एकड़	२७-३-६४
११	,, नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक स० स० लि०, नागौर	३० ,,	२७-३-६४
१२	,, विनोदकुमार अरोड़ा कुचामन सिटी	४० ,,	२७-३-६४
१३	,, रामचन्द्र वल्द किशनदास, जयपुर,	३० ,,	१६-२-६६

Page No 215

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या १८ की सूची)

जिला बांसवाड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय

१. बांसवाड़ा
२. पृथ्वीगंज
३. सुखानिया
४. नवगांव
५. थिनरिया
६. खामेरा
७. नाखली
८. भाटागांव
९. गन्डों
१०. पांडोली
११. बौरी
१२. अनजाना
१३. दादुका
१४. मेहरवाला
१५. भीमपुर
१६. गोपीनाथगढ़
१७. असोदा
१८. रैयन
१९. कोटरा
२०. हरिजन मिडिल स्कूल, परतापुर (अनुदान प्राप्त)
२१. छाजा
२२. डूंगरा
२३. टम्बासरा
२४. नानगौमा
२५. कलिंगरा
२६. छोकला
२७. सालोपट
२८. करजी
२९. टिम्बी
३०. हदवास
३१. दानपुर
३२. पंछालवास
३३. सरवन छोटी
३४. सरवन बड़ी
३५. बांसवाड़ा
३६. पीपलखूंट
३७. कुपडा

जिला बाँसवाड़ा में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय

१. खान्दू
२. घाटोल
३. परतापुर
४. बागीडोरा

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २६ फरवरी, १९६९)

स्तम्भ सं० १	पंक्ति सं० २	अशुद्ध ३	शुद्ध ४
९	४	उतर	उमर
१२	३	एकवायर	एक्वायर
१३	६	थह	यह
१६	अन्तिम से ४	ब वड़ो	बावड़ो
१७	,, २	प नी	पानी
१९	,, ६	ऑर	ऑर्डर
२३	,, ५	श्री फूलचन्द बापणा	श्री फूलचन्द बाफणा
२५	३	स्कालर शिर	स्कालर शिप
३०	अन्तिम से ३	अ वाल	अग्रवाल
३२	,, ८	मूमि	भूमि
३४	,, ३	गंगा ामजी	गंगारामजी
३६	१	सालपुर	सालपुरा
५०	११	जाय ी	जायगी
,,	,, १३	मि ट्री	मिस्ट्री
,,	अन्तिम से १२	श्री हीरा ाल देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
५२	१०	उत्तरांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
५३	अन्तिम से ६	ऋणा	ऋणी
५५	१	की भमि	सालन की भूमि
,,	७	कतने	कितने
,,	अन्तिम से ६	विक्तसित	विकसित
६०	१	खड़े	कैंसेज
,,	९	गैर	जेर
,,	१५ व १९	वकू	वकूआ
६५	अन्तिम से ६	श्री अमृतलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव (यातायात)
६७	१	माननोय	माननीय
७३	अन्तिम	डिस्कनश	डिस्कशन
७५	अन्तिम से ११	अधिकारीयों	अधिकारी
,,	,, ५	कदमें	मुकदमें
८०	,, ६	ऑरडा नेन्स	आर्डिनेन्स
८६	,, ९	वेरा	वेरी
८८	,, २	मह दय	महोदय

१	२		३	४
१०२-	अन्तिम से	३	ज्यादोतयां	ज्यादतियां
१३१	अन्तिम से	६	आर	ओर
,,	,,	,,	ह ता	होता
१८३	१२		आवश्यक	अवश्य
१८४	१३		चलता	चलती
,,	१७		स कार	सरकार
२०१	अन्तिम से	१२	केपों	केम्पों
२१५	,,	६	मालूल	मालूम
२२८	,,	२	अ ने	अपने
२३१	,,	१२	जा ती	जानती
२३४	,,	६	ढिढारा	ढिंढोरा
,,	,,	५	रह	रही
२३६	,,	१७	इ ाई	ईसाई
२३८	१३		जी तो	जी हैं तो
२३६	१०		शलगढ़	कुशलगढ़
,,	११		समय सभप्ति	समय-समाप्ति
,,	अन्तिम से	१२	कृ या	कृपया
,,	,,	५	उ का	उसका
२४०	,,	८	सरक र	सरकार
,,	,,	२	क	कि
२४१	,,	३	भा त	भारत
२४३	,,	१५	अ ने	अपने
२४५	अन्तिम से	६	Indicators	Indicator
२५७	,,	१०	भांख ा	भाखरा
२५६	,,	४	प्रस्त व	प्रस्ताव
२६३	,,	३	ह गी	होगी
२६५	७		इन य जना	इस योजना
,,	अन्तिम से	१६	प्रोडक्ि व	प्रोडक्टिव
२६६	२		खद्यान	खाद्यान्न
२६७	अन्तिम से	५	भ	भूल
२६८	४		ठाक	ठीक
२७१	२		स ाल	सवाल
,,	११		बा	बारे
२७२	अन्तिम से	१६	ह ता	होता
,,	,,	११	नवेदन	निवेदन

१	२	३	४
२७३	अन्तिम से ५	म	हम
२७४	४, ७, ६	माल	मेल
२७५	१४	श्री देव दौत्त गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
२७८	२	यव्वस्था	व्यवस्था
,,	६	आ ासे	आपसे
,,	११	को	की
२८४	१७	भोली	और भी
२८८	१३	मोहदय	महोदय
,,	२०	मानीनय	माननीय
२९३	अन्तिम से १४	कोस्पल	रास्पल
३००	५	पूछ	पूछें
,,	६	कर ड़	करोड़
३०६	अन्तिम से ८	अलग अलग अलग	अलग-अलग
३०९	१३	पाना	पानो
३११	अन्तिम से ४	बीनासर	भीनासर
३१५	१५	हे	रहे
,,	अन्तिम से ५	नाम	काम
३२३	१५	डिपार्टमेन्ड	डिपार्टमेन्ट
३२९	अन्तिम से १४	सबसे	सबके
३३०	१७	डिसक्शन	डिस्कशन
३३४	अन्तिमे से ११	सद	सदन
३३६	,, ७	माम	नाप
३३७	अन्तिम से ६	परर्सेंट	परसेन्ट
३४२	१२	सभभ	समझ
,,	अन्तिम से १३	सरकार	सरोकार
३४३	,, १३	करता	करना
३४५	,, ३	लाम	लोग
३८४	७	establisahedon	established or
,,	अन्तिम से ३	hypothicated	hypothecated
,,	,, २	willth	with
३८५	१	on	in
,,	७	Same remain	Same will remain
३९८	४	समायावधि	समयावधि
४०३	३	पुरासिया	बुरासिया